अष्टम माला, खंड 4, अंक 23

सोमवार, 15 अप्रैल, 1985
25 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

54
18/2/86

(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 4, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 23, सोमवार, 15 अप्रैल 1985/25 चैत्र 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 425 से 427, 429, 431 और 439	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23-170
तारांकित प्रश्न संख्या : 428, 430, 432 से 438 और 441 से 444	23-34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2970 से 3013, 3015 से 3052, 3054 से 3087 और 3089 से 3111	34-170
दिनांक 8-3-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	170-173
सभा पटल पर रखे गये पत्र	173-174
समितियों के लिए निर्वाचन	174-175
(एक) नारियल विकास बोर्ड	174
(दो) राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड	174
नियम 377 के अधीन मामले	175-179
(एक) एराली और लश्करी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने की मांग	
श्री शान्ति धारीवाल	175
(दो) अपने सहायक एकक के रूप में टी० के० कैमिकल्स, कोचुवेली (त्रिवेन्द्रम) का अधिग्रहण करने के लिए त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्टस लि० को निदेश देने की मांग	
श्री ए० चार्ल्स	176

* किसी नाम पर अंकित ' चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

(तीन) हैदराबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की आवश्यकता

श्री जी० भूपति 177

(चार) पश्चिम बंगाल में गंगा और भागीरथी नदियों द्वारा होने वाले भू-क्षरण को रोकने के हेतु भू-क्षरणरोधी उपायों के लिए पर्याप्त धन देने की आवश्यकता

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी 177

(पांच) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता 178

कुमारी पुष्पा देवी 178

(छः) उत्तर प्रदेश में, विशेषकर उसके पूर्वी भागों में, चेचक की बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री रामनगीना मिश्र 178

अनुदानों की मांगें, 1985-86 179-273

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय 179-253

श्री रेणुदास 179

श्री गंगाराम 182

श्री गिरधारी लाल व्यास 185

श्री एस० जयपाल रेड्डी 189

श्री राजकुमार राय 195

श्री आर० अन्बानम्बी 198

श्री चिन्तामणि जैना 201

श्रीमती गीता मुखर्जी 203

श्री विजय एन० पाटिल 207

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी 209

श्री मूलचन्द डागा 211

श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा 214

विषय	पृष्ठ
श्री राम बहादुर सिंह	216
श्री कम्मोदीलाल जाटव	218
श्री ललितेश्वर शाही	219
श्री वीरेन्द्र पाटिल	222
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय	254-273
डा० टी० कल्पना देवी	255
श्रीमती किशोरी सिंह	261
डा० गौरी शंकर राजहंस	264
श्री कुलनदईबेलू	268
श्री जाफर शरीफ	270

लोक सभा

सोमवार, 15 अप्रैल, 1985/25 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आवास हेतु राज्यों को दिशा-निदेश

[अनुवाद]

*425. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों को अपने-अपने राज्य में आवास समस्याओं को हल करने की दृष्टि से दिशा-निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तथा (ख). आवास विकास के लिए नीति तथा कार्यक्रमों से सम्बन्धित मार्ग-निर्देशन योजना प्रलेखों में निहित हैं जिनको देश में सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को नियमित रूप से परिचालित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनको समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों में अपनी विशिष्ट योजनाओं के कार्यक्रमों की विषय-सूची से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश होते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कई दशकों से हम यह कहते आ रहे हैं कि मनुष्य की तीन सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं—रोटी, कपड़ा और मकान। दुर्भाग्य की बात है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन्हें इतना महत्व नहीं दिया गया है। इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिना अधिक बोले मैं बता सकता हूं कि इस सम्बन्ध में काम कितना कम हुआ है। निर्माण और आवास मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारी अर्थात् सचिव के माध्यम से यह बात प्रकट हो चुकी है कि 3 करोड़ आवासीय एककों की आवश्यकता है। यह जानकारी केवल निर्माण और आवास मन्त्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार है। इस समय सरकार ने अधिकारिक आंकड़ों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 50 लाख आवासीय एकक प्रदान करने का लक्ष्य रखा है जिसमें से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र केवल 4 लाख आवासीय एककों का निर्माण कर सके हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के इस निराशाजनक कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए

मंत्रालय किसी जोरदार कार्यक्रम के माध्यम से क्या करने वाला है और इस बड़ी समस्या से युद्ध-स्तर पर निपटने के लिये राष्ट्रीय आवास नीति में मंत्रालय की क्या संभावनायें और योजनायें हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूं·····

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है, लाटरी खुलने वाली है।

·· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री अब्दुल गफूर : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री एडुअर्डो फैलीरो आवास समिति के सभापति हैं। वह यहां के सदस्यों को भी आवास उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए, वह आवास मन्त्री बनाए जाने योग्य है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल गफूर : वह आवासों का वितरण करते हैं। इसीलिए, उन्होंने यह प्रश्न पूछा है।

यह सत्य है और आश्चर्यजनक भी। किन्तु सभा के माननीय सदस्यों को मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही सरकार धन आबंटित करती रही है। किन्तु यह आश्चर्य की बात है। मैं आपको सही आंकड़े बताऊंगा। यह एक मजेदार बात है और इसलिए सभा के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में आवास के लिए 1150 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था और वह राशि कुल परिव्यय राशि की 34 प्रतिशत थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में 1300 करोड़ रुपये का निवेश किया गया और वह राशि कुल परिव्यय राशि की 19 प्रतिशत थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में और अधिक राशि का निवेश किया गया था किन्तु राशि की प्रतिशतता घटकर 15 रह गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक राशि आबंटित की गई थी किन्तु प्रतिशतता और कम होकर 12 रह गई। छठी योजना में 11,500 करोड़ की धनराशि आबंटित की गई थी जब कि प्रथम योजना में केवल 1150 करोड़ की राशि आबंटित की गई किन्तु औसत कम होकर के 7.5 प्रतिशत रह गया जबकि प्रथम योजना में यह 34 प्रतिशत थी। आश्चर्य की बात है कि ऐसा हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : सातवीं योजना के बारे में क्या है ?

श्री अब्दुल गफूर : सातवीं योजना के आंकड़े अभी प्रकट नहीं किए गए हैं। मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता कि सातवीं योजना में कितनी राशि आबंटित की जाएगी। सम्भवतः एक या दो महीने में पता चल जाएगा। यह एक विचित्र स्थिति है जिसे मैं महसूस करता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 34 प्रतिशत थी जो अब घटकर 7.5 प्रतिशत रह गई है। मकानों की

कमी के बारे में, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। किन्तु जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने पता लगाया है कि इस समय देश में लगभग 2 करोड़ 40 लाख आवासीय एककों की आवश्यकता है। 952 से 1971 तक पंचवर्षीय योजना धनराशियों का आबंटन करते समय, आवासों के निर्माण के लिए जो भी राशि आबंटित की गई, उसके साथ ही यह निश्चित मार्ग निर्देश दिए गए थे कि अब आगे से चार श्रेणियां होंगी अर्थात् उन लोगों के लिए जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए जिनकी आय बहुत कम है, निम्न आय वर्ग, इसके बाद मध्यम आय वर्ग, और चौथा वर्ग होगा किराया आवास योजना जो उन मकानों की योजना से सम्बन्धित हैं जिन्हें सरकार अपने कर्मचारियों के लिए निर्मित कराती है। ये मार्ग निर्देश बनाए गए थे और सारे राज्यों को भेजे गये थे तथा ये राज्य अपने संसाधनों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए, विभिन्न राज्यों ने विभिन्न मार्ग निर्देश अपनाए हैं। हम राज्य सरकारों पर इस बात का जोर देते रहे हैं कि कम से कम इन दो वर्गों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए आवास बनाए जाएं और इन वर्गों के लिए अधिक प्रतिशत मकान निर्धारित किए जाएं। कुछ सीमा तक राज्य सरकारें भी इन मार्ग निर्देशों का पालन कर रही हैं। किन्तु फिर भी कमी है। भारत सरकार ने विश्व संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन के समक्ष यह वचन भी दिया है कि 1987 से··· (व्यवधान)। मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा था ताकि और अधिक अनुपूरक प्रश्न न पूछे जा सकें···

श्री एस० जयपाल रेड्डी . उत्तर जितना लम्बा है, उतना ही गलत है।

श्री अब्दुल गफूर : ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान के साथ-साथ 500 रुपए भी दे रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : 500 रुपये !

श्री अब्दुल गफूर : हम 500 रुपये देते हैं। कुछ राज्य सरकारें 1000 रुपये और कुछ अन्य राज्य सरकारें 2000 रुपए देती हैं। हम कुछ वर्ग मीटर भूमि तथा 500 रुपए देते हैं जिससे वे घासफूस की झोंपड़ी बना सकें और अपना सर छुपा सकें क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में लगभग 30 प्रतिशत व्यक्ति घासफूस के मकानों में रहते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी मकान होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं कपास और नाड़ियास से ढके होते हैं। उनमें से कुछ आधे कच्चे और आधे पक्के बने होते हैं, कुछ बिल्कुल कच्चे और कुछ न तो पक्के बने होते हैं न कच्चे किन्तु घासफूस के बने होते हैं। छत और दीवालें दोनों ही मिट्टी की बनी होती हैं।

इसलिये, प्रत्येक राज्य में स्थिति भिन्न है और हर राज्य को यह मार्ग निर्देश दिए जाते हैं किसी योजना उनके अनुकूल हो, वे उसका पालन करें। सामान्य स्थिति यह है। पंचवर्षीय योजना में जो सहायता दी जाती है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं जैसा कि हम अन्य क्षेत्रों में करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस लम्बे उत्तर के बाद भी किसी अनुपूरक प्रश्न की गुंजाइश है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मन्त्री महोदय बहुत परेशान हैं क्योंकि मैं जो स्थिति प्रस्तुत करता हूं उसे वह पूरी तरह से स्वीकार करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री एक बात बताना भूल गये । केवल आवास योजना बनाने से काम नहीं चलेगा परन्तु परिवार नियोजन करना होगा । हमें इसका अन्तर पूरा करना होगा । क्या आपने एक मजाक भरा चुटकला सुना है ?

[हिन्दी]

बच्चा स्कूल दाखिल होने गया । उससे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा, मेरा नाम यह है । कितने भाई-बहन है, 15 हैं, तुम्हारा बाप क्या करता है, यही एक काम करता है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : समूची स्थिति पर यह बड़ी जोरदार टिप्पणी है ।

श्री अब्दुल गफूर : एक बात और है जिसके बारे में माननीय सदस्य को पता होना चाहिए । माननीय सदस्यों को आवास आबंटित करने में आवास समिति के सभापति को कितनी अधिक परेशानी होती है । आपको मेरी परेशानी भी देखनी होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दोनों की हालत एक जैसी है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं उन्हें इसमें शामिल नहीं करूंगा ।

मुझे अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए । मन्त्री महोदय स्थिति की गंभीरता महसूस करते हैं । वह एक बात है । राज्यों को मार्ग निर्देश देने और परिपत्र भेजने से काम नहीं चलेगा । आपने उन पर युद्ध स्तर पर कार्य करना होता है । मंत्री महोदय ने बताया कि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए 500 रुपये दिए जा रहे हैं । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में गया हूं और जो गांवों में गया है उसे यह पता होगा कि 500 रुपये में स्थायी तौर पर मकान नहीं बनाया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : वे यह नहीं कह रहे हैं कि मकान बनाया जाएगा । उन्होंने बताया कि केवल एक झुग्गी बना ली जाएगी ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम इस प्रकार की चीज नहीं चाहते । स्थायी तौर से समस्या के समाधान के लिए हम स्थायी मकान चाहते हैं । हर वर्ष ये लोग मरते हैं ? 500 रुपये से कोई स्थायी मकान नहीं बन सकता । इसलिए उस राशि को वे जैसे चाहते हैं, खर्च कर लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस निम्न आय वर्ग अथवा ई०

डब्ल्यू० एस० के सम्बन्ध में सरकार इस तथ्य पर ध्यान देगी कि फ्लैट देने की योजना के अन्तर्गत अनेक फ्लैट दिए जाते हैं किन्तु उनको बुनियादी सुविधायें प्रदान नहीं की जाती है और इसकी बात तो दूर रही, वहां परिवहन अथवा स्कूल तक की सुविधा नहीं होती और इसीलिए, वहां मकान नहीं बनाये जा रहे हैं। इस बात के अतिरिक्त 500 रुपये की राशि नितांत अपर्याप्त हैं।

दूसरे, क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी को सेवा में आने तथा आवेदन करने के 20 वर्ष के बाद सरकारी आवास मिल पाता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न के लिए मेरा पूरा एक घंटा बर्बाद कर देंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : प्रायः ऐसा भी होता है कि सरकारी कर्मचारी 30 वर्ष की सेवा के बाद सरकारी आवास प्राप्त किए बिना ही सेवा निवृत्त हो जाता है। अब मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा सरकारी कर्मचरियों की स्थिति को सुधारने तथा उनको स्कूल, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को है।

श्री अब्दुल गफूर : आवासीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए अर्थात् उन लोगों को, जिनके परिवार की आय 350 रुपये तक है 5000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। "हुडको" योजना के अन्तर्गत 8300 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। निम्न आय वर्ग अर्थात् जिनकी 350 रुपये से 600 रुपये के बीच है, उन्हें 15,300 रुपये तक की ऋण सहायता दी जा रही है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कहां ?

श्री अब्दुल गफूर : देश भर में। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए ब्याज की दर 4 से 5 प्रतिशत है। निम्न आय वर्ग के लिए यह दर 8 प्रतिशत है और वे इस धन को 15 वर्ष के अन्दर लौटा सकते हैं। इसी प्रकार, मध्य आय वर्ग, अर्थात् जिनकी आय 600 रुपये से 1500 रुपये तक है, के लिए आवास योजना के अन्तर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है और जिसकी ब्याज दर 8 प्रतिशत है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह आवास बोर्ड है। यह निर्मित मकान नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है ?

श्री अब्दुल गफूर : सरकारी कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और वे अपना मकान बना सकते हैं।

श्री ए० चार्ल्स : गरीब से गरीब आदमी को मकान मुहैया कराने की योजना तैयार करने के लिए आवास मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को क्या-क्या मार्ग निर्देश दिए हैं? केरल राज्य में, यदि कोई व्यक्ति ऐसी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसके पास शहरी क्षेत्र में 3 'सेंट' अथवा ग्रामीण

क्षेत्र में 5 'सेंट' जमीन होना आवश्यक है। देश में, विशेष रूप से केरल के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है वे सरकारी "पोरम्बोक" जमीन पर ही रह रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों के पास अपनी कोई जमीन नहीं है उनके लिए मकान मुहैया कराने अथवा गरीब से गरीब आदमी को फ्लैट मुहैया कराने की किसी योजना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अब्दुल गफूर : आवास योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित आयोजना नहीं है। आवास राज्य का विषय है। जिन लोगों के पास अपनी एक इन्च जमीन भी नहीं है उनको मकान बनाने के लिए जमीन उपलाब्ध कराने हेतु राज्य सरकारें अपने ही मार्ग निर्देश निर्धारित कर सकती है। या तो वे ऐसी योजना के लिए राजसहायता दे सकती हैं अथवा मुफ्त दे सकती हैं और उनको एक कमरे अथवा दो कमरे के घास-फूस के अथवा कच्चे अथवा पक्के मकान बनाने के लिए अनुमति दे सकती हैं। यह कार्य राज्य सरकारों का है।

श्री सोभनाद्रीसवरा राव : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय बैंकों को जारी किए मार्ग निर्देश के अनुसार आवास के लिए वे केवल अपनी पूंजी का 1% ही ऋण दे सकते हैं और यह बात आवास निर्माण कार्यक्रम की तीव्र प्रगति के रास्ते में रोड़ा बन रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें ऐसे संशोधित अनुदेश देगी जिसमें 1% से अधिक, कम से कम 2 अथवा 3% ऋण देने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिससे कि निकट भविष्य में आवास समस्या हल हो सके ?

श्री अब्दुल गफूर : माननीय सदस्य का कहना ठीक है। जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, उन्हें कितना उधार देना चाहिए आदि बातों पर योजना आयोग विस्तार से चर्चा करता है। योजना आयोग ही ऐसे लक्ष्य निर्धारित करता है कि बैंकों को इतने प्रतिशत ऋण देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 1983 से आवास के लिए 150 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए कहा गया। हमारा इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री सोभनाद्रीसवरा राव : निर्णय सरकार को ही लेना पड़ेगा।

श्री अब्दुल गफूर : सरकार को सभी मामलों में अर्थात् भवन निर्माण और अन्य मामलों में भी निर्णय लेने पड़ते हैं।

कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन

*426. **श्री चिंतामणि जेना**
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पान कितना है;

(ख) क्या भारत में प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन सब देशों से कम है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिऐ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) तीन वर्षों, 1981,82 से 1983-84 के दौरान भारत में कपास (लिंट) का औसत उत्पादन 158 किलोग्राम प्रति हैक्टार है। यह विश्व के कपास उत्पादन करने वाले देशों में सबसे कम है।

(ग) भारत में कपास की न्यून उत्पादकता के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :

(1) सिंचाई के अन्तर्गत कम क्षेत्र लाना;

(2) बुआई के लिए अपर्याप्त क्वालिटी बीज;

(3) कीटनाशियों और बीमारियों, विशेषकर डोडा से फसल की अति संवेदनशीलता की तुलना में उर्वरकों और वनस्पति संरक्षण उपायों का कम उपयोग।

(घ) कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों, पंजाब हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम (आई० सी० डी० पी०) क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम दो अपेक्षाकृत कम कपास उत्पादक राज्यों, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। कार्यक्रम की मुख्य नीति में, फसल के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना, सिंचित और वर्षा सिंचित दोनों स्थितियों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत अधिक से अधिक क्षेत्र लाना, समेकित कृमि प्रबन्ध करना, उन्नत प्राद्योगिकी के विस्तार को तेज करना इत्यादि शामिल हैं।

श्री चिंतामणि जेना : क्या मैं माननीय मंत्रीजी से यह जान सकता हूं कि जितने क्षेत्रफल में कपास की फसल बोई जाती है उसके केवल 15 से 16 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई हो पाती है बाकी भाग वर्षा पर निर्भर रहता है? यदि हां, तो कपास पैदा करने वाली भूमि के लिए अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या विशेष उपाय किए हैं? माननीय मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि विभिन्न राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम चलाया गया। क्या मैं जान सकता हूं कि कपास पैदा करने वाले विभिन्न राज्यों में यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया और इसकी उपलब्धि क्या है? उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के अधीन सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि कपास पैदा करने वाले क्षेत्रों में अधिक सिंचाई सुविधाएं जुटाना क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है अथवा इस कार्यक्रम के अधीन इसके लिए केन्द्र सरकार धन जुटाएगी?

श्री बूटा सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि कपास की फसल के लगभग 5 से 16 प्रतिशत क्षेत्र की ही सिंचाई होती है। यह सही नहीं है। लगभग 80 लाख हेक्टेयर कपास की फसल के क्षेत्र का 28 प्रतिशत ही सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र अधिकतर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। परम्परा से कपास उगाने वाले राज्य महाराष्ट्र में कपास के सिंचित क्षेत्र की मात्रा 4.6 प्रतिशत है तथा गुजरात में 30.5 प्रतिशत। वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में समय पर पानी न मिलने से कपास का उत्पादन बहुत कम होता है। इसी कारण से मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा था कि सरकार कपास की फसल के सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है।

श्री जगन्नाथ राव : सिंचाई की लागत क्या है।

श्री बूटा सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है सिंचाई की लागत दोनों सरकारों द्वारा मिलकर वहन की जाती है। अधिकांश रूप से राज्य सरकार ही यह खर्चा वहन करती है परन्तु केन्द्रीय सरकार भी राज्यों की मदद करती है। माननीय सदस्य ने समेकित परियोजनाओं और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अखिल भारतीय योजनाओं के बारे में पूछा है। गहन कपास विकास कार्यक्रम 1971-72 में प्रारम्भ किया गया था और जैसा कि मैंने पहले बताया है यह लगभग सभी राज्यों में फैल रहा है। हम केन्द्र की इस योजना का कपास उगाने वाले लगभग सभी राज्यों में लागू करने जा रहे हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि किसान और अन्य उत्पादक लम्बे रेशे वाली तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाली कपास की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की अधिक खेती नहीं करना चाहते क्योंकि देश की कपड़ा मिलें ऐसी कपास को खरीदना ही चाहतीं जिससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कपड़ा मिलों का कहना है कि वे 40 काउन्ट से अधिक का सूत उत्पादन नहीं कर सकतीं। यदि वे 50, 60, 100 अथवा इससे अधिक काउंट का सूत उत्पादन करने लगें तो इस प्रकार के सूत पर अधिक उत्पादन शुल्क लगेगा। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ताकि अतः अधिक उपज देने वाली इन किस्मों को अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके ? इस प्रकार हम न केवल अपनी देश की मांग को पूरा कर सकेंगे बल्कि अन्य देशों को भी इसका निर्यात कर सकेंगे। जो राज्य कपास के प्रामाणिक बीजों और उन्नत बीजों की मांग करते हैं उनको भी इसकी समुचित पूर्ति नहीं की जाती है। मैं विशेष रूप से उड़ीसा के बारे में कह रहा हूं। इन बीजों तथा पौध बनाने के लिए बीजों की पूर्ति भी नहीं की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि कपास उगाने वाले राज्यों को अपेक्षित बीजों की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बूटा सिंह : जहां तक बीजों की सप्लाई का सम्बन्ध है कपास की खेती के लगभग 2 लाख हेक्टेयर रकबे के लिए संकर किस्म के 100% प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। 4 लाख हेक्टेयर रकबे के लिए भी प्रामाणिक बीज दिए जाते हैं। कपास की खेती वाले बाकी

80% रकबे के लिए साधारणतया अच्छे किस्म के बीज नहीं मिलते, क्योंकि गांवों में ओटाई सुविधाओं की कमी के कारण किसान अपना स्वयं का बीज सुरक्षित नहीं रख सकते। माननीय सदस्य लम्बे रेशे वाली कपास की किस्म के उत्पादन के बारे जानना चाहते हैं। इसमें वृद्धि हो रही है। इस समय स्थिति यह है। कुल उत्पादन में से 42% उत्पादन बढ़िया और लम्बे रेशे की किस्मों की कपास का होता है तथा बाकी 58% उत्पादन बढ़िया मध्यम, मध्यम और छोटे रेशे वाली कपास का होता है। इस प्रकार लम्बे रेशे वाली कपास का क्षेत्र काफी बढ़ा है। लगभग 10 वर्ष पहले हम लम्बे रेशे की कपास का आयात करते थे। आज हम लम्बे रेशे वाली कपास की किस्म के निर्यातक हैं। इससे पता चलता है कि हम न केवल अपने देश की मांग को ही पूरा कर रहे हैं बल्कि हमारा उत्पादन उससे भी अधिक हो गया है। अतः जहां तक लम्बे रेशे वाली कपास का सम्बन्ध है, हमारी गिनती निर्यातक देशों में है। प्रमाणित बीजों की सप्लाई पर हमारा ध्यान लगा है। मैं यहां के अधिकारियों तथा राज्यों के लोगों के साथ एक बैठक आयोजित करने जा रहा हूं जिससे कि यह पता चल सके कि हम किस प्रकार कपास के प्रमाणित बीजों की वितरण व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, भारत वर्ष में कई पिछड़े और आदिवासी इलाके हैं, जहां पर कपास का उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहां पर दवाइयां और खाद मिलावट वाली मिलती हैं, जिसके कारण कपास का उत्पादन कम होता है। दूसरी बात बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट छोटा उदयपुर में कपास ज्यादा पकता है, लेकिन इस साल गुजरात में कपास का उत्पादन बहुत ही अच्छा हुआ है और भाव कम मिलता है। हो सकता है कपास का भाव कम मिलने से अगले साल इसकी बुआई कम हो जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार के पास ऐसा कोई कार्यक्रम है, जिससे किसानों को उचित भाव मिले और दवाइयां व खाद मिलावट वाली न मिले ?

श्री बूटा सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद ही कहा है कि गुजरात में इस वर्ष कपास की फसल बहुत अच्छी हुई है, पिछले साल भी गुजरात सरकार ने कपास के निर्यात के लिए इजाजत मांगी थी और उनको एक लाख बेल्ज इजाजत दी गई थी। अब भी ऐसा मालूम पड़ रहा है कि गुजरात सरकार के कहने पर उनको और ज्यादा एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं, जिससे ग्रोअर्स को अच्छा दाम मिल सके।

माननीय सदस्य ने यह संशय व्यक्त किया है कि दामों की वजह से किसान काश्त कम कर देगा, परन्तु मैं ऐसा अनुमान नहीं करता हूं। हम पूरी तरह से किसानों की सहायता करेंगे, उनको बैंक-अप करेंगे कि किसान दामों की वजह से अपनी फसल कम न करे। गुजरात सरकार के साथ मिलकर स्टेप्स लेंगे जिससे किसान कपास की फसल कम न करे।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या

कुछ समय पूर्व गठित की गई कपास विकास समिति का उद्देश्य देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना भी है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह समिति क्या कर रही है ? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा घोषित समर्थन मूल्य लाभकार है ? महोदय यह बिलकुल ही अलाभकारी है तथा कपास के विकास और कपास के उत्पादन के लिए किसानों में कोई उत्साह नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कृषि मूल्य आयोग की सलाहकार समिति में किसानों को शामिल करने का कोई प्रयास किया जाएगा तथा उनकी सलाह ली जाएगी।

श्री बूटा सिंह : जैसी कि माननी प्रधान मंत्री ने पहले ही घोषणा की है हम कृषि मूल्य आयोग के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम इसे लागत पर आधारित करने जा रहे हैं तथा इसमें किसानों के और अधिक प्रतिनिधि लिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपकी ऐसी इच्छा है। तथा आपने निदेश दिए थे कि हम कृषि मूल्य आयोग को व्यापक बनायें सदन को यह जान कर खुशी होगी कि माननीय प्रधान मन्त्री पहले ही ऐसा संकेत दे चुके हैं कि बोर्ड में अधिक किसान लिए जाने चाहिए तथा उसमें सभी क्षेत्रों से अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों से, शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों से तथा भूमिहीन मजदूरों, आदि के प्रतिनिधि होने चाहिए। इस प्रकार माननीय सदस्य के प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार किया गया है तथा नए गठित लागत पर आधारित कृषि मूल्य आयोग माननीय सदस्याह द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर विचार करेगा।

श्री जी० जी० स्वैल : माननीय मन्त्री महोदय ने कपास की कम पैदावार होने के कई कारण बताए हैं जिनमें से कुछ हैं—उत्तम किस्म के बीज प्राप्त न होना तथा फसल में कीड़ा लगना। माननीय मन्त्री महोदय को ज्ञात होना चाहिए कि आज के विश्व में 'बायो-टैक्नालाजी' एक खेल है। मैंने खबर मिली है कि हमारी सरकार ने कुछ बायो-टैक बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ एक समझौता किया है। ये निगम हमारे देश में पाये जाने वाले विभिन्न पौधों तथा फसलों के बीच और जीवद्रव्य एकत्र कर रहे है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनका मंत्रालय कपास के नए संकर बीजों, जो अधिक पैदावार देंगे तथा अधिक रोग-निरोधक होंगें, के विकास के बारे में इन बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ संपर्क रख रहा है तथा क्या हमने स्वयं इस आधार पर कुछ बीज विकसित किए हैं।

श्री बूटा सिंह : मैं प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट करना चाहूं कि 'बायो टेकनालाजी' के मामले में हमारी स्थिति कहीं बेहतर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा देश भर में स्थापित अन्य संस्थान भली प्रकार कार्य कर रहे हैं। पिछले दशक में उन्नत बीजों की 60 किस्में तथा 15 संकर बीजों की किस्में विकसित की गईं तथा इनकी काश्त करने के लिए इनके बीज उपलब्ध कराए गए। विभिन्न प्रकार के उन्नत किस्म के बीजों के मामले में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी संकर कपास का विकास भारत ही पहला और एक मात्र ऐसा देश है जिसने कपास के क्षेत्र में संकर बीजों से

कपास उगाई है। ये संकर बीज प्रति हेक्टेयर 40 से 50 क्विंटल तक की पैदार देने की क्षमता रखते हैं।

लम्बे रेशे वाली और अधिक लम्बे रेशे वाली कपास की किस्मों का विकास करना तथा उनकी काश्त करना हमारी एक और बड़ी उपलब्धि है। अपनी स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु एस दशक पूर्व भारत इन किस्मों के बीज का आयात करता था। सुजाता, सुविन तथा एच-4 जैसे संकर बीजों की किस्मों का विकास करने के फलस्वरूप इन किस्मों का अधिक मात्रा में निर्यात करना संभव हो सका है। भारत अब लम्बे रेशे वाली तथा अधिक लम्बे रेशे वाली कपास का प्रमुख निर्यातक है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। हमें नवीनतम तरीके और नवीनतम आविष्कारों को आरम्भ करना है। जहां तक बीज विकास का सम्बन्ध है हमें इस बारे में जानकारी है और इसके लिये कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको सिर्फ एक बात सुनिश्चित करनी है कि कुछ ही अच्छी किस्म की कीटनाशक दवाएँ उपलब्ध हों, आपको इस पर निगरानी रखनी होगी।

श्री बूटा सिंह : धन्यवाद महोदय। मैं इस बात पर ध्यान दूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : कुछ समय पूर्व उर्वरक वितरकों द्वारा किए गए कदाचार पर सभा में जो वीभत्स दृश्य उपस्थिति हुआ था, उसे आपने हम लोगों की तरफ से देखा था? गुजरात के मेरे एक माननीय मित्र ने उसका उल्लेख किया है, परन्तु मन्त्री ने कोई जबाव नहीं दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन चाहेगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कड़े कदम उठाये।

जिम्स एक और बात की आवश्यकता है वह है वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करना। मेरे माननीय मित्र ने सदन को जानकारी दी है कि अभी पिछले दिनों लम्बे रेशे की कपास की एक लाख गांठें निर्यात करने का आर्डर दिया गया परन्तु इसमें उन्होंने अत्यधिक समय लगा दिया और परिणामस्वरूप अगले वर्ष आंध्र प्रदेश में जो किसान लम्बे रेशों की कपास का उत्पादन करेंगे उन्हें कपास की खेती करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह इस बात की ओर और उर्वरक व्यापार के बारे में भी ध्यान देंगे। कोई भी व्यक्ति जो उर्वरक अथवा कीटनाशत दवाइयों में मिलावट करता है वह पहले दर्जे का अपराधी है और उसे यही समझाना चाहिए और उसे कठोर सजा दी जानी चाहिये। और उन्हें उसकी छानबीन करनी चाहिये।

श्री उत्तम राठौर : परन्तु माननीय मन्त्री जी इसकी जिम्मेदारी राज्यों की प्रयोगशालाओं पर छोड़ते हैं और स्वयं नहीं लेते हैं। कठिनाई तो इसी बात की है।

अध्यक्ष महोदय : इन चीजों के साथ कुछ कृषकों को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिये ताकि हम इन लोगों का भलीभांति ध्यान रख सकें।

श्री बूटा सिंह : यह ठीक है, महोदय।

महाराष्ट्र को चावल की सप्लाई

*427. **श्री एस० जी० घोलप :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान चावल की सप्लाई के बारे में महाराष्ट्र की मांग कितनी थी; और

(ख) सरकार ने चावल की भारी खरीद को देखते हुए इसके कोटा में कितनी वृद्धि करने का निर्णय किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय भण्डार से 1984-85 के दौरान 9.10 लाख मीटरी टन चावल आबंटित करने मांग की थी।

(ख) आबंटन पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखा गया है।

श्री एस० जी० घोलप : मंत्री जी ने बताया है कि आबंटन पिछले वर्षों के स्तर पर बनाए रखा गया है इसका अर्थ है कि राज्य सरकार के अनुरोध को मान लिया गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : पिछले वर्ष के स्तर का अर्थ है 25,000 टन चावल प्रति माह और ऐसा बहुत समय से होता रहा है।

श्री एस० जी० घोलप : हमें प्रति माह 75,000 टन या प्रति वर्ष 9 लाख टन चावल मिलता था। बम्बई, पूना, नागपुर और औरंगाबाद में नगर निगम है और वहाँ पर सर्वाधिक राशनिंग व्यवस्था है और हमें उनकी चावल की सप्लाई करनी होती है। पहले, हमें 75,000 टन चावल मिल रहा था; और अब इस समय सिर्फ 25,000 टन चावल मिल रहा है। इसमें से अधिकांश चावल राशनिंग प्रणाली वाले क्षेत्र में वितरित किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमें कुछ नहीं मिलता। क्या सरकार महाराष्ट्र को ज्यादा चावल की मात्रा देने पर विचार करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम प्रत्येक महीने राज्यों के अनुरोध पर विचार करते हैं। खुले बाजार में चावल की उपलब्धता तथा अपने पास इसके स्टाक को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा था कि 25,000 टन चावल प्रति माह महाराष्ट्र के लिए पर्याप्त था; क्योंकि हमारा तो यह एक अतिरिक्त प्रयास है : हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली वास्तव में एक पूर्ण राशनिंग प्रणाली नहीं है। लोग खुले बजार से भी खरीदते हैं और अगर किसी राज्य को वास्तव के बहुत सी दिक्कत होती है तो हम वहां के लिए आबंटित मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, परन्तु महाराष्ट्र को प्रतिमाह आबंटित गेहूं की

की काफी मात्रा मिलती है। और ऐसा देखा गया है कि वे गेहूं की आबंटित मात्रा को उठाते नहीं हैं।

प्रो० एन० जी रंगा : क्योंकि वह इसे पसन्द नहीं करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : महाराष्ट्र भी कुछ हद तक चावल उत्पादक क्षेत्र है और अत्यन्त खेद की बात है कि महाराष्ट्र में चावल की खरीद के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। वे इसे नहीं करते हैं। पिछले दो महीनों से, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस वर्ष अभी तक सिर्फ 1,000 टन महाराष्ट्र ने इसकी खरीद की है। पिछले दो वर्षों से कुछ भी खरीद नहीं हुई। केन्द्रीय पूल के लिए कुछ न कुछ खरीदने के लिए राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। इसके बाद उन्हें इसका दावा करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है।

श्री जी०एस० धोपल : महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चीनी का उत्पादन हो रहा है। रहा है। इसी तरह से हमारे यहां कपास भी बहुतायत में पैदा होती है। हम चावल प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों के जीवन को मधुर बना रहे हैं।

श्री जी० एस० धोपल : 1982 में कितनी खरीद हुई थी जब हमें 75 हजार टन प्राप्त होता था, और इस समय कितनी खरीद होती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : महाराष्ट्र से 1982 में चावल की खरीद···

श्री जी० एस० धोपल : महाराष्ट्र से नहीं। सन् 1982 में केन्द्र से महाराष्ट्र में हमें 75 हजार टन मिल मिल रहा है। केन्द्र में सन् 1982 में कितनी खरीद हुई थी और वर्तमान में खरीद कितनी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : देश में इस वर्ष उत्पादन पिछले वर्ष से बहुत अधिक है। यह पिछले वर्षों से भी ज्यादा है। इसका कारण उत्पादन में वृद्धि होना है। इसका अर्थ यह भी होना चाहिए कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का उत्तरदायित्व प्रत्येक राज्य का है। यह भी देखा गया है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में महाराष्ट्र को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली है। पिछले पांच वर्षों से यह लगभग 95 लाख टन है। सभी अनाजों के आंकड़े हैं। खाद्यानों तथा अन्य कृषि वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्येक राज्य में काफी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र को भी इस बारे में कुछ करना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : यहां पर गन्ना और कपास पैदा होता है।

श्री उत्तम राठौर : महाराष्ट्र में चावल की खेती अधिकतर वर्षा पर निर्भर रहने वाले

इलाकों में होती है और उपज कम होने का यही कारण है। कतिपय क्षेत्र हैं जैसे कि कोंकण, चन्द्रपुर तथा भन्डारा जहां पर सिर्फ चावल खाया जाता है और शेष क्षेत्रों में ज्वार/सिंचाई के सम्बन्ध में इन दिक्कतों का ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र को अतिरिक्त कोटा देने पर विचार करेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम प्रत्येक महीने ऐसे अनुरोधों पर विचार करते है। इस सुझाव पर भी ध्यान दिया जाएगा।

देश में मकानों की कमी

*429. **श्री एन० डेनिस** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकानों की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय मकानों की कमी के बारे में नवीनतम अनुमानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

(क) तथा (ख) जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने आवास की विद्यमान कमी 247 लाख रिहायशी एकक का अनुमान लगाया है (188 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 59 लाख शहरी क्षेत्रों में), राज्य वार स्थिति का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) आवास के लिए योजना परिव्यय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(i) आवास के लिए योजना परिव्यय को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 800,92 करोड़ रुपये से बढ़ाकर छटी पंच वर्षीय योजना में 1490,87 करोड़ रुपये कर दिया गया है। (सातवी योजना के लिए परिव्यय अभी निर्धारित किया जाना है)।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा आवास के प्रयत्नों में समाज के कमजोर वर्गों तथा आश्रयहीन लोगों को प्राथमिकता देना।

(iii) आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) का निवेश स्तर 600 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है; ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण देने का प्रावधान।

(iv) आवास के लिए उपलब्ध बैंक ऋण की मात्रा को 1983 में 150 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है।

(v) निजी क्षेत्र पूंजी निवेश तथा रिहायसी वास के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आय कर अधिनियम, सम्पत्ति कर तथा उपहार कर के अन्तर्गत कई कर रियायतें दी गई हैं।

(vi) बड़े शहरों में सहकारी ग्रुप आवास के प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल. उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल में एपार्टमैन्ट आनरशिप अधिनियम लागू किया गया है।

(vii) संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण आवास स्थल एवम् निर्माण सहायता तथा समाज ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को बसाना शामिल है।

भारत में आवास की कमी का राज्यवार अनुलग्नक (1985)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण	शहरी	योग
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1205	891	2096
2.	असम	3090	267	3357
3.	बिहार	4199	141	4340
4.	गुजरात	557	69	625
5.	हरियाणा	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	9	9
7.	जम्मू तथा कश्मीर	237	57	294
8.	कर्नाटक	883	528	1411
9.	केरल	118	227	345
10.	मध्य प्रदेश	1709	532	2241

1	2	3	4
11. महाराष्ट्र	796	110	906
12. मणिपुर	—	29	29
13. मेघालय	183	—	183
14. नागालैण्ड	102	—	102
15. उड़ीसा	739	100	839
16. पंजाब	—	78	78
17. राजस्थान	446	135	581
17. सिक्कम	—	—	—
19. तमिलनाडु	334	890	1224
20. त्रिपुरा	131	51	182
21. उत्तर प्रदेश	2794	867	3661
22. पश्चिमी बंगाल	1191	735	1926
23. अण्मान तथा निकोबार द्वीप समूह	13	2	5
24. अरुणाचल प्रदेश	50	—	50
25. चण्डी गढ़	—	34	34
26. ददरा तथा नागर हवेली	7	—	7
27. दिल्ली	—	54	54
28. गोवा दमण तथा द्वीव	16	51	67
26. लक्षद्वीप	—	—	—
30. पाण्डिचेरी	—	43	43
31. मिजोरम	—	—	—
योग :	18800	5900	24700

नगण्य दर्शाया गया है ।

एक माननीय सदस्य : वही प्रश्न दुबारा पूछा जा रहा है। यह पहले ही हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : उसी बात को आप नये तरीके से पूछ रहे हैं। अनावश्यक रूप से एक ही विषय पर आप दो प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप और क्या पूछना चाहेंगे। हमने काफी वक्त लगा दिया है, श्री तिवारी जी लगभग 20 मिनट इस प्रश्न पर लगा चुके हैं। मेरे ख्याल से उस वक्त आप यहां नहीं थे। इसलिए आपने इसे नहीं सुना। सदन ने इसे सुना है। सिर्फ आपने ही इसे नहीं सुना।

श्री एन० डेनिस : प्रति वर्ष ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके पास अपने घर नहीं हैं और आने वाले वर्षों में यह एक विकट समस्या का रूप धारण कर लेगी यदि हम कारगर ढंग से इसको हल नहीं करेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री जी इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान देकर इसे प्राथमिकता देंगे और सातवीं पंच वर्षीय योजना में अधिक राशि आवंटित करने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे जोकि अभी निर्धारित की जा रही है।

श्री अब्दुल गफूर : मेरे विचार से इस अनुपूरक प्रश्न का जवाब अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिक रूप में पहले ही दिया जा चुका है. जहां तक प्रयास किए जाने का प्रश्न है सातवीं पंच वर्षीय योजना में हम परिव्यय में वृद्धि करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री एन० डेनिस : हमारे देश में काफी बड़ी संख्या में लोग मकान एवं भूमि विहीन हैं विशेष रूप से उदाहरण के लिए केरल के दक्षिण तट पर व कन्याकुमारी जिले में।

वे घनी आबादी वाले भीड़-भाड़ वाले तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहते हैं। उनके पास न तो जमीनें हैं न ही मकान। वे लोग गरीबी के मारे हैं। उनमें मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की सामर्थ्य नहीं हैं।

माननीय मंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा समयबद्ध कार्य क्रम है जिसके अंतर्गत ऐसे परिवारों को मकान या मकान के लिए जमीनें मिल सके।

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक मकान उपलब्ध कराने का संबंध है, केरल में सम्बन्धित विभाग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। (व्यवधान) मेरे विचार से माननीय सदस्य तमिलनाडु से हैं। उन्हें केरल जाना चाहिए। यदि वे वहां जाएंगे तो वे भी अपने राज्य में इसी तरह के उपाय करने के प्रयास करने की कोशिश करेंगे। जहां तक इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कुछ करने का संबन्ध है। हम इस दिशा में यथा संभव कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : दुर्भाग्य से, इस देश में जो सर्वाधिक गरीब हैं उनमें 40% लोग बिहार में रह रहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उनके रहने की जगहें झुग्गियों से भी बदतर हैं। इस अपमानजनक और अमानवोचित दरिद्रता एवं गांवों और शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए

रहने के स्थान की आवश्यकता को मद्देनजर रखकर केन्द्र सरकार ने बिहार राज्य सरकार को सहायता देने की दिशा में क्या कुछ किया है जिससे कि वहां की सरकार गरीबों को जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया जा चुका है। आप रिकार्ड देख कर मालूम करते हैं।

श्री अब्दुल गफूर : यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और मैंने उसका जवाब भी दे दिया है। (व्यवधान) बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उन लोगों को मकान बनाने के लिए जमीनें देने पर अधिक जोर दिया गया है जिनके पास न तो गाँवों में और न ही शहरों में जमीनें हैं। जहाँ तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है 3000 रु० तक की सहायता दी जाती है। जहाँ तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा कुछ किए जाने का सम्बन्ध है यह राज्य सरकारों की सामर्थ्य और इच्छा पर निर्भर है अर्थात् वह उन लोगों को कितनी सहायता देगी जिनके पास जमीनें नही हैं। सरकार कुछ सहायता देती है। बहुत से राज्यों में राज्य सरकारें अपने साधनों से 2000 रु० या 3000 रु० देती हैं ·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दिया जा चुका है। माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं।

श्री एस० जसपाल रेड्डी : में आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पूरे आंकड़ों में कहीं कोई गड़बड़ है क्यों कि आंध्र प्रदेश में ग्रामीण निवास यूनिटों की संख्या 12 लाख है जो कि बहुत कम है। इसलिए, क्या सरकार यह सुनिश्चिता करने के लिए कि आंकड़े उपयुक्त ढंग से तैयार किए जाएं, कोई कार्यकावाही करेगी।

दूसरी बात ऊत्तर में मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि छठी योजना के किए 1490 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं जबकि पांचवी योजना के लिए केवल 600 करोंड़ रु० ही निर्धारित किए गए थे। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि छठी योजना अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई?

श्री अब्दुल गफूर : मुझे सभी राज्यों से अर्थात् आंकड़े एकत्र करने होगें कि उन्होंने कितनी धनराशि व्यय की··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं; सभी विभागों से पूर्वानुमानित आंकड़े उपलब्ध हैं।

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है लक्ष्य 11,10,000 का था। यह लक्ष्य था। उपलब्धि लगभग 15 लाख रही। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आंध्रप्रदेश में उपलब्धि की प्रतिशतता 134% रही।

(व्यवधान)

प्रोफेसर के० के० तिवारी : यह 1982 से पहले के अर्थात् तेलगूदेशम के सत्ता में आने से पहले के आंकड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो और अच्छा है । आपको उस पर गर्व होना चाहिये ।

प्रोफेसर के० के० तिवारी : हमें उस पर गर्व है ।

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान सदस्यों को भी उस पर गर्व होना चाहिए । यह तो एक उपलब्धि है चाहे आपने किया या उन्होंने । एक ही बात है ।

श्री अब्दुल गफूर : दोनों के बीच प्रतियोगिता होनी चाहिए ।

श्री बृज मोहन महन्ती : 'हुडको' (शहरी आवास विकास निगम) द्वारा आबंटित किए गए धन के संबंध में, क्या मैं जान सकता हूं कि इस निगम ने विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी-कितनी धन राशि आबंटित की । क्या यह सही है कि प० बंगाल सरकार द्वारा सहयोग न करने अथवा उसके उत्साहपूर्ण सहयोग के अभाव में प० बंगाल को बहुत कम धनराशि आबंटित की गई । । आ आंकड़े देखें । (व्यवधान)

श्री अब्दुल गफूर : मैं सभी राज्यों के आंकड़े दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें अलग से ये आंकड़े दे सकते हैं ।

"रबाब" वादन के शास्त्रीय टेपों का गुम हो जाना

*431 **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रबाब" वादन के एक मात्र उस्ताद स्वर्गीय उस्ताद अलीउद्दीन खां के "रबाब" वादन के शास्त्रीय टेप आकाशवाणी से गुम अथवा नष्ट हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से स्वर्गीय उस्ताद बड़े गुलामअली अमीर खां, कवि नजरूल इस्लाम और टैगोर की आवाज तथा स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खां के उपलब्ध सभी मास्टर टेपों को सुरक्षित रखने के लिए कोई विशेष प्रयास किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं । आकाशवाणी के पास स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खां के वाद्य संगीत "रबाब" की कोई टेप नहीं थी ।

(ख) आकाशवाणी के संग्रहालय में स्वर्गीय उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अमीर खां तथा रविन्द्र नाथ टैगोर की रिकार्डिंगें तथा स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खां के वाद्य संगीत तथा सुरोद, सुरसिंगार तथा वायलिन वादन की रिकार्डिंग में उपलब्ध हैं । कवि जनरूल इस्लाम की रिकार्डिंगें आकाशवाणी के संग्रहालय में उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खान ही समस्त विश्व में ऐसे महान संगीताचार्य थे जो सभी तरह के वाद्य-यंत्र बजाया करते थे। इनमें 'रबाब' एक ऐसा अकेला वाद्य यंत्र है जिसे बजाने में फारसी और मध्य पूर्व शैली का पुट रहता है। मेरे मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसका इस भावना से पूरी तरह खंडन करता हूं कि मैं इसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं कि आकाशवाणी में "रबाब" की रिकार्डिंग कब और किस तारीख को की गई थी। 'रबाब' का टेप खो गया है और नष्ट हो गया है। इसीलिए यह उत्तर दिया गया है कि हमारे पास इसकी टेप नहीं है। यह समग्र राष्ट्रीय संस्कृति के लिए महान क्षति है। आजकल संगीत सीखने वाले तथा श्रोताजन, पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खां से मिलने वाली शिक्षा को छोड़कर, उस्ताद अलाउद्दीन खान घराने की शिक्षाओं से वंचित हैं। क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम महीने में एक बार देश में संगीत सीखने वालों के लिए दूर दर्शन तथा आकाशवाणी पर रागों की सही व्याख्या सहित उस्ताद अलाउद्दीन खान का सुरसिंगार, वायलिन तथा सरोद वादन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए ताकि इस घराने को जीवित रखा जा सके ?

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं सदन की भावना समझता हूं। मुख्य समस्या यह है कि कार्यक्रम केवल डेढ़ घंटे के लिए होता है। इस डेढ़ घंटे में हमें बहुत से आइटम देने होते हैं। वैसे सुझाव महीने में कम से कम एक बार कार्यक्रम दिखाने का है लेकिन मैं उसके लिए वायदा नहीं कर सकता। हम कार्यक्रम को दिखाएंगे, हम उसे समायोजित करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी समस्या सुलझा सकता हूं। अगर आप सहायता करें तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि कार्यक्रम का समय बढ़ा दिया जाए।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं सोच रहा था कि सुझाव "अधिक कपास उगाओ" के बारे में होगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : टैगोर की सुरीली आवाज तथा मेरे ख्याल से बड़े गुलाम अली खां की प्रसिद्ध ठुमरी "क्या करूं सजनी, आये न बालम" अभिलेखागार से खो गयी हैं। अमीर खां की 'दरबारी' रचना भी अभिलेखागार से खो गई है। प्रो० नजरूल इस्लाम की मधुर आवाज, जिसे अब ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया ने सुरक्षित रखा हुआ है, भी आकाशवाणी के अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार एक ऐसी नीति या कानून बनायेगी जिसके अन्तर्गत ग्रामोफोन कंपनी आफ इण्डिया के पास उपलब्ध देश के "कल, आज और आने वाले कल" के सभी ख्याति प्राप्त कलाकारों, संगीतज्ञों के टेपों की सभी मूल प्रतियां आकाशवाणी अनिवार्य तौर पर उनसे ले सकेगी।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छे।

श्री वी०एन० गाडगिल : यह एक अच्छा सुझाव है। हमारे पास विभिन्न संगीताचार्यों के

तथा उनके द्वारा दिए भाषणों के 3,000 हजार से भी अधिक टेप है हमारी कोशिश हैं कि इसमें और वृद्धि हो। इसलिए यह सुझाव बहुत अच्छा है। मैं इस पर विचार करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक बार और यहां आप संगीत सभा का आयोजन कब कराने जा रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यह तो आप पर है। जब आप चाहेंगे तब हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृति का सिगनल तो दे दिया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं भी भाग ले सकती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी, अत्युत्तम बहुत अच्छे।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : यह विचार, बहुत अच्छा है कि संगीत का रिकार्ड रखा जाए ताकि भावी पीढ़ी उसे सुन सके। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि श्रोता या जनता अभिलेखागार के संग्रह का कितने-कितने समय बाद लाभ उठा सकती है और क्या कुछ स्टेशनों पर उन्हें अभिलेखागारों के टेप रिकार्डरें भी उपलब्ध किए जाते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : प्रत्येक रविवार रेडियो पर 10 बजे अभिलेखागार से पुराने संगीता चार्यों के कुछ टेप सुनाए जाते हैं। इस समय यह एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। एक और कार्यक्रम जो कुछ ऐसे बड़े कलाकारों को लेकर शुरू किया गया है जो इस समय शिखर पर हैं और कुछ ही सालों में वे उनका ह्रास आरम्भ हो जाएगा। हम भावी पीढ़ी के लिए, ऐसे प्रत्येक महान कलाकार पर एक घंटे का कार्यक्रम रिकार्ड करने की शोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा एक सुझाव है। आप 'लूसी' कार्यक्रम को बन्द कर दीजिए और उसके स्थान पर टैगोर की कुछ कविताओं के पाठ की व्यवस्था करिए।

(व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : माननीय सदस्या को यह जानकर खुशी होगी कि "लूसी" कार्यक्रम समाप्त किया जा चुका है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उसके स्थान पर अब एक और लूसी आ गई हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रैड्डी : यदि यह समाप्त हो गया है तो इसे समाप्त करने की क्या जरूरत है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रामकृष्ण भोरे। अनुपस्थित।

श्री बी० बी० देसाई : अनुपस्थित ।

श्री जयनय अबेदिन : अनुपस्थित ।

श्री कमल नाथ : अनुपस्थित ।

श्री मोहनलाल पटेल : अनुपस्थित ।

श्री घुम्मन थामप : अनुपस्थित ।

सब किसी संगीत आयोजन में गए हुए हैं।

यह तो डबल हैट ट्रिक मालूम होती है क्योंकि एक साथ छह: व्यक्ति गायब हैं।

श्री डालचन्द्र फूंन : अनुपस्थित ।

कमाल की बात है ।

श्री के० वी० थामस : बहुत बहुत धन्यवाद । समस्त सदन की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

मलयालम भाषा के कार्यक्रमों का कोचीन से रिले किया जाना

*439 **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले मलयालम भाषा के कार्यक्रमों को कोचीन ट्रांसमीटर से रिले किया जायगा; और

(ख) क्या मलयालम भाषा के कार्यक्रमों को पूरे केरल राज्य में प्रसारित करने के लिए जल्दी ही कदम उठाए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) कोचीन का टी० वी० ट्रांसमीटर दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के कार्यक्रमों को रिले कर सके, इसके लिए त्रिवेन्द्रम और कोचीन के बीच माइक्रोवेव लिंक की व्यवस्था करना एक अनुमोदित स्कीम है। लिंक उपलब्ध करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर की गयी है ।

(ख) केरल में स्थित सभी रिले ट्रांसमीटरों को दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के साथ लिंक करने की अभी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है । राज्य भर में मलयालम भाषा के कार्यक्रमों को रिले करने की व्यवस्था करना भावी योजना अवधियों के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हरियाणा में वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट

*428. श्री लाला राम केन :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में 26 जुलाई, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के गुड़गांव जिले में टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए एक वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार ने तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने हेतु क्या प्रयास किए हैं;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उक्त परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इन्डिया) लिमिटेड द्वारा हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित फल तथा सब्जी विधायन संयंत्र की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस रिपोर्ट पर अब कम्पनी द्वारा विचार किया जा रहा है। इस संयंत्र से टमाटर अमरूद, पेठा (एश गोर्ड) और आम के गूदे का विधायन करना परिकल्पित है, तथा इस परियोजन की अनुमानित पूंजीगत लागत 151.6 लाख रुपये है।

(घ) व्यवहार्यता रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में समय लगा है क्योंकि परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट को समय-समय पर संशोधित करना पड़ा था।

खाद्यान्नों की कमी के बारे में प्रबन्ध अध्ययन प्रतिवेदन

*430. श्री के० राममूर्ति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेषण और भारतीय खाद्य निगम में भन्डारण के दौरान खाद्यान्नों के कम हो जाने के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रबन्ध अध्ययन प्रतिवेदन (जो 1981-82 में पूरा हुआ) में की गई वह महत्वपूर्ण सिफारिशें लागू की गई हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की भारतीय खाद्य निगम के मार्गस्थ और भण्डारण सम्बन्धी हानियों के अध्ययन के बारे में रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें की गई हैं। ये सिफारिशें भण्डारण और निरीक्षण, वसूली, तौल, प्रत्यक्ष जाँच, पटसन की बोरियाँ और रेलवे के साथ आप ी समस्याओं से संबंधित परिचालन के छः प्रमुख कार्यक्षेत्रों के बारे में हैं। इन सिफारिशों की सरकार द्वारा स्थापित शक्ति प्राप्त समिति द्वारा जांच की गई है। शक्ति प्राप्त समिति के निर्णयों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम की अपने कुल कारोबार पर खाद्यान्नों की कुल कमी 1983-84 में गिरकर 2.11 प्रतिशत पर आ गयी जबकि 1982-83 में 2-37 प्रतिशत खाद्यान्नों की कमी हुई थी।

द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट

*432. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृति की गई सिफारिशें सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आयोग द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं और सरकार द्वारा उन पर कोई निर्णय लिए जाने में काफी कुछ समय लगेगा।

खाद्यान्नों की वसूली

*433 **श्री वी० वी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ की फसलों के विपणन मौसम से पता चला है कि फसलों की पैदावार सन्तोषजनक थी और केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की वसूली भी अच्छी रही;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर के अन्त तक कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की वसूली हुई;

(ग) इससे निर्धारित लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया जा सकेगा; और

(घ) किन-किन राज्यों में खरीफ की फसलों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चालू विपणन मौसम के आरम्भ से अक्तूबर, 1984 के अन्त तक खरीफ खाद्यान्नों की कुल वसूली 18.47 लाख मीटरी टन थी।

(ग) और (घ) वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

बीड़ी मजदूरों को सुविधाएं देने के लिए कानून

*434. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी उद्योग में काम कर रहे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार का कोई व्यापक विधान पारित करने का है जिसमें बीड़ी श्रमिकों के साथ वही व्यवहार और वही सुविधाएं उपलब्ध हो सकें जोकि औद्योगिक श्रमिकों को उपलब्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बीड़ी श्रमिकों की राज्य-वार अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

क्र०सं०	राज्य	श्रमिकों की संख्या (लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2.50
2.	बिहार	3.50
3.	गुजरात	0.22
4.	कर्नाटक	3.00
5.	केरल	1.50
6.	मध्य प्रदेश	5.00

1	2	3
7.	महाराष्ट्र	2.50
8.	उड़ीसा	1.60
9.	राजस्थान	0.35
10.	तमिलनाडु	2.00
11.	उत्तर प्रदेश	4.50
12.	पश्चिम बंगाल	4.50
13.	असम	
14.	त्रिपुरा	
15.	मेघालय	

बीड़ी तथा सिगरेट सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 एक व्यापक कानून है जिसमें बीड़ी और सिगार प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था है तथा जो उनकी कार्य दशाओं तथा उससे सम्बन्धित मामलों को विनियमित करता है। इस अधिनियम में निम्नलिखित अधिनियमों की प्रयोज्यता की भी व्यवस्था है :—

(क) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946।

(ख) प्रसूत प्रसुविधा अधिनियम, 1961।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।

(ङ) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936।

युवकों को "ट्राइसेम" के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य

*435. **श्री कमल नाथ** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने युवकों को स्वनियोजन कार्यक्रम के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य के लिए तथा सम्पूर्ण देश के लिए 1985-86 और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, और

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण युवाओं को स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रतिक्षित युवकों की कुल संख्या 102676 थी (जनवरी, 1985 तक)।

(ख) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 40 युवक प्रति खंड प्रति वर्ष के वर्तमान न्यूनतम लक्ष्य को जारी रखा जाएगा।

(ग) ट्राइसेम के वर्तमान मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अन्तर्गत यह बताया गया है कि चुने गये कम से कम 30 प्रतिशत युवक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के होने चाहिए, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में रहते हों।

लेवी चीनी का मूल्य

*436. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार द्वारा चीनी उत्पादकों को लेवी चीनी का कितना मूल्य दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह मूल्य बहुत कम है;

(ग) क्या मूल्य कम होने के कारण किसानों को गन्ने का उचित दाम नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार लेवी चीनी का मूल्य बढ़ाने पर विचार करेगी और यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

1984-85 मौसम के लिए लेवी चीनी के जोनवार निर्धारित किए गए निकासी मूल्य

क्रम सं०	जोन	एस-30 ग्रेड के लिए लेवी चीनी का मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)
1.	आंन्ध्र प्रदेश	345.94
2.	असम, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	366.37
3.	बिहार (उत्तरी)	425.64
4.	बिहार (दक्षिणी)	443.19
5.	गुजरात	333.12
6.	हरियाणा	367.27
7.	कर्नाटक	339.80
8.	केरल और गोआ	375.90
9.	मध्य प्रदेश	417.16
10.	महाराष्ट्र	335.19
11.	पंजाब	337.98
12.	राजस्थान	420.45
13.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	343.20
14.	उत्तर प्रदेश (मध्य)	368.24
15.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	424.11
16.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	363.47

नोट : कमजोर यूनिटों के बारे में, उनकी आयु और उनकी क्षमता पर आधारित मौजूदा पैरामिटरों पर 26/- रुपये प्रति क्विंटल के बढ़े हुए लेवी मूल्य की अनुमति दी गई है।

केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों सेंट्रल ट्रेड (यूनियन आर्गनाइजेशंस) की सदस्यता का सत्यापन

*437. **श्री थम्पन थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मजदूर संगठनों की सदस्यता के सत्यापन के लिए कोई कदम उठाये गए हैं;

(ख) पिछला सत्यापन कब पूरा हुआ था और सत्यापन का क्या ब्यौरा है; और

(ग) केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों की सदस्यता की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी॰ अंजैया) : (क) से (ग) 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्य संख्या का सत्यापन किया गया था और परिणाम 30-8-1984 को घोषित किया गया था। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन का नाम	दावा की गई		अनंतिम सत्यापित		अंतिम सत्यापित	
		यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या	यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या	यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आई० एन०टी० यु० सी०	3,457	35,09,326	X1,604	x22,36128	x1,604	x22,36,128
2.	बी०एम०एस०	1,725	18,79,728	X1,333	x12,11,345	X1,333	X12,11,345
3.	एच०एम०एस०	1,122	18,48,147	409	7,35,027	426	7,62,882
4.	यू०टी०यू०सी० (एल०एस०)	154	12,38,891	134	6,21,359	134	6,21,359
5.	एन०एल०ओ०	249	4,05,189	172	2,46,540	172	2,46,540
6.	यू०टी०यू०सी०	618	6,08,052	158	35,384	175	1,65,614
7.	टी०यू०सी०सी०	182	2,72,229	63	14,570	65	1,23,048

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	एन०एफ०आई० टी०यू०	166	5,27,375	80	84,123	80	84,123
9.	ए०आई०टी० यू०सी०	*1,366	*10,64,330	1,080	3,44,746	1,080	3,44,746
10.	सी०आई०टी० यू०	*1,737	*10,33,432	1,474	3,31,031	1,474	3,31,031
	कुल :	10,776	1,23,86,699	6,507	58,60,253	6,543	61,26,816

x1. उपर्युक्त आंकड़ों में बी० एम० एस० की 13 यूनियनों और डाक व तार विभाग में आई० एन० टी० यू० सी० की एक यूनियन के आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय इस मसले की ओर जांच-पड़ताल के पश्चात लिया जाएगा।

*2. ए० आई० टी० यू० सी० और सी० आई० टी० यू० की दावा की गई सदस्य संख्या जो दर्शाई गई है सम्बन्धित ट्रेड-यूनियन रजिस्ट्रार के रिकार्ड से प्राप्त की गई है क्योंकि इन यूनियनों ने अपनी सदस्य संख्या प्रस्तुत नहीं की।

एक किलोवाट शक्ति के ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 किलोवाट शक्ति का ट्रांसमीटर लगाना

[हिन्दी]

*438. **श्री डाल चन्द्र जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल दूरदर्शन केन्द्र का पहला ट्रांसमीटर एक किलोवाट शक्ति वाला था जिसके स्थान पर अब 10 किलोवाट शक्ति का ट्रांसमीटर लगा दिया गया है और यदि हां, तो उसे बदलने में कितना खर्च आया;

(ख) एक किलोवाट और 10 किलोवाट के ट्रांसमीटरों को लगाने में पृथक-पृथक कितनी-कितनी लागत आती है;

(ग) क्या भोपाल के एक किलोवाट के पुराने ट्रांसमीटरों को दमोह में लगाया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सागर स्थित एक किलोवाट वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर संभवतः 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगा दिया जायेगा जिससे मध्य प्रदेश के दमोह, छतरपुर और पन्ना जिलों की जनता को भी दूरदर्शन का लाभ प्राप्त हो सके ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) भोपाल में नवम्बर, 1982 में एक अल्प अक्ति (100 वाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किया गया था इसके स्थान पर 23.10.84 को 270.3 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मंजूर किया गया 10 किलोवाट का उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया गया था ।

(ख) 10 किलोवाट के एक ट्रांसमीटर के स्थापित करने की अनुमानित लागत 270.3 लाख रुपये है और एक किलोवाट के ट्रांसमीटर की 164.26 लाख रुपये । भोपाल में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना पर 12.04 लाख रुपये खर्च हुए ।

(ग) जी, नहीं । भोपाल में पहले स्थापित किए गए जिस अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर को वहां पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के चालू हो जाने के कारण रिलीज कर दिया गया था, उसक उसके प्रतिस्थापन की अनुमोदित योजना के अनुसार दूसरे स्थान पर लगा दिया गया है ।

(घ) जी, नहीं । सागर के अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम में नहीं है ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वालों का पुनर्वास

[अनुवाद]

*441. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दिल्ली के पुराने शहरी क्षेत्र के विभिन्न कटरों में गन्दी बस्ती जैसी स्थितियों में सुधार करने के लिए भी नई योजनाएं तैयार करेगी;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) मलिन बस्ती निवासियों

के लाभ के लिए फिलहाल दिल्ली में प्रचलित कार्यक्रम में मलिन बस्ती क्षेत्रों के पर्यावरणीय सुधार तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास की योजना शामिल है। छटी योजना के दौरान मलिन बस्ती निवासियों के लिए टैनामैन्टों के निर्माण से सम्बन्धित योजना प्रचलित रही है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ.) सातवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनायें आरम्भ किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं:—

(1) मलिन बस्ती कटरों में संरचनात्मक सुधार।

(2) मलिन बस्ती क्षेत्रों में पर्यावर्णीय सुधार।

(3) मलिन बस्ती क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलना।

केरल में चीनी की ढुलाई पर अधिक व्यय होना

*442. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल नागरिक पूर्ति निगम को चीनी मिलों से चीनी की ढुलाई पर अधिक व्यय होने के कारण भारी घाटा हो रहा है;

(ख) क्या केरल ने यह मांग की है कि केन्द्र द्वारा स्वीकृत व्यय की राशि बढ़ाकर 19 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) और (ख) : केरल सरकार ने केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को लेवी चीनी के हैंडलिंग के लिए थोक विक्रेता का मार्जिन 9.70 रुपये से बढ़ाकर 19.58 रुपये प्रति क्विंटल की अनुमति देने के लिए मुख्यतया इस आधार पर अनुरोध किया है कि उक्त निगम को पर्याप्त मार्जिन के कारण लेवी चीनी के कारबार में भारी हानि हो रही है।

(ग) सरकार द्वारा मौजूदा थोक विक्रेता का मार्जिन, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद 1.1.1983 से ही निर्धारित किया गया था और इसलिए, इस मार्जिन में इतनी जल्दी संशोधन करना उचित नहीं समझा गया है।

उड़ीसा में समेकित मत्स्य विकास परियोजना

*443. **श्री लोकनाथ रथ** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कितनी और कौन-कौन सी समेकित मत्स्य विकास परियोजनायं क्रियान्वित की गई हैं;

(ख) क्या सातवीं योजना के दौरान और अधिक समेकित मत्स्य विकास परियोजनाएं क्रियान्वित करने का सरकार की प्रस्ताव है;

(ग) छठी योजना में उक्त समेकित मत्स्त विकास परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) उन परियोजनाओं के कियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

(क) एक। **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** :

(ख) सरकार को अब तक एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) समुद्री कार्यों से सम्बन्धित निविदाएं राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की गई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों आदि की बिक्री

*444. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों आदि की बिक्री में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वर्ष-वार खाद्यान्नों आदि की कुल कितनी बिक्री हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों का वितरण 1982 में 114.0 लाख मीटरी टन, 1983 में 129.7 लाख मीटरी

टन तथा 1984 में 101.5 लाख मीटरी टन था। पिछले वर्षों की तुलना में 1984 में उठान में कमी आई है।

(ख) 1984 में खाद्यान्नों का अपेक्षाकृत कम उठान रिकार्ड स्तर पर उत्पादन होने और परिणामस्वरूप, खुले बाजार में खाद्यान्नों के आसानी से उपलब्ध होने के कारण हो सकता है।

वेतन में से काटी गई; भविष्य निधि की राशि में से धन राशि निकालना

[अनुवाद]

2970. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आडो विजो कार्पोरेशन, डब्ल्यू जेड 8/6, कीर्ति नगर, इंडस्ट्रियल एरिया; नई दिल्ली द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में से भविष्य निधि की राशि नियमित रूप से काटी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्पोरेशन द्वारा उसका समुचित हिसाब किताब रखा जाता है और लाखों रुपये की यह धनराशि नियमित रूप से भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा करा दी जाती है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में भविष्य निधि आयुक्त को निर्देश दिया था कि यह आवेदन पर इसके अंशदाताओं (कर्मचारियों) को ऋण/पैसा निकालने की मंजूरी प्रदान करे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त कार्पोरेशन के कर्मचारियों को भविष्य निधि में से ऋण राशि निकालने की मंजूरी दी जाएगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार, मैसर्स ओडो-विजो कारपोरेशन, नई दिल्ली को पहली जनवरी, 1971 से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया गया था। तथापि प्रतिष्ठान ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें अधिनियम की प्रयोज्यता को चुनौती दी गई थी और उन्होंने इस अधिनियम तथा योजनाओं के उपबंधों के प्रवर्तन के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया। जब तक इस याचिका का निपटान नहीं हो जाता, यह प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के बारे में भविष्य निधि अंशदानों को पहली जनवरी; 1981 से नियमित रूप से जमा करा रहा है। तथापि, वे उन विवरणियों को भविष्य निधि प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने अपने कर्मचारियों के बारे में भविष्य निधि अंशदानों का दर्शाया हो।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को दिल्ली उच्च न्यायालय से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) भविष्य निधि प्राधिकरणों के लिए निगम के कर्मचारियों को ऋण की अदायगी/धन-निकासी की मंजूरी देना उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि नियोजकों द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदानों के पूर्ण ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण प्राप्त न हो जाए ।

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के विकास के लिए वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

2971. **श्री बैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों के समेकित विकास की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नगर के विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ख) उस सहायता से शुरू किए गए कार्यों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इन कार्यों के संबंध में क्या प्रगति हुई है और कब तक इन्हें पूरा किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के तहत गाजीपुर शहर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक 17.60 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में जारी की गई है ।

(ख) आरम्भ किए जा रहे कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

कार्य	कुल लागत (लाख रुपयों में)
1. तीन स्थानों पर रिहायशी विकास योजना	54.69
2. पांच सड़कों का सुधार	17.90
3. चार सड़कों के चौराहों का सुधार	2.00
4. छह स्थानों पर दुकानों का निर्माण	51.48
5. एक बूचड़ खाने का निर्माण	2.48
योग	127.55

(ग) राज्य सरकार ने अभी तक व्यय की प्रगति प्रस्तुत नहीं की है। सभी कार्य 31-3-1985 तक पूर्ण होने की आशा की गई थी।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना

[अनुवाद]

2972. **श्री एम० महालिंगम :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद सिविल इंजीनियरी कृषि-डिग्री पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु विश्वविद्यालयों को उपरोक्त प्रयोजन के लिए नहीं चुना जाता है;

(ग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम कितने समय से उपर्युक्त योजना का पालन कर रहा है और अब तक इस योजना पर कितना व्यय किया गया है;

(घ) उपरोक्त योजना से अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को लाभ पहुंचा है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा उपरोक्त प्रकार की कोई योजना अलग से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यान्वित करने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) (ङ) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने केवल मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति देने की योजना को 1983 में कार्यान्वित करना शुरू किया था। इस योजना में दो छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था है—कृषि और सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक प्रत्येक के लिए एक छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति देने के लिए मुख्य कसौटी इस प्रकार है (1) माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 12000/- रुपये से अधिक नहीं होगी; और (2) पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में उम्मीदवार का कार्य-निष्पादन। अब तक केवल कृषि में एक को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जोकि गोविन्द बल्लभ पंत विश्वविद्यालय से अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार है। जहां तक सिविल इंजीनियरिंग छात्रवृत्ति का संबंध है, निगम ने इंजीनियरिंग कालेज, गुंडी (तमिलनाडु) अन्नामलाई विश्व-विद्यालय (तमिलनाडु), ओसमानिया विश्वविद्यालय (आन्ध्र प्रदेश) और मैसूर विश्वविद्यालय (कर्नाटक) को पात्र उम्मीदवार नामित करने के लिए लिखा है। तथापि, उनसे कोई उत्तर

प्राप्त नहीं हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा अब तक 3600/- रुपये खर्च किए गए हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नालियों (बोर) की सप्लाई

2973. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम तथा निर्माण और आवास मंत्रालय ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिए नालियों (बोर) देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश भी उक्त योजना में शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) निर्माण और आवास मन्त्रालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। सिंचाई विभाग, भारत सरकार तथा जीवन बीमा निगम ने भी कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1984 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जलपूर्ति के लिए 49 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। भारत सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 8.83 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा अनुमोदित की थी।

खरीफ के मौसम में सोयाबीन के उत्पादन लक्ष्य

2974. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के खरीफ-मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में सोयाबीन के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या सभी राज्यों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) योजना आयोग तिलहनों के लिए

समूह के रूप में लक्ष्य निर्धारित करता है; न कि अलग-अलग तिलहनों के लिए। अतः किसी विशेष वर्ष के दौरान अलग-अलग तिलहनों का राज्यवार तथा वर्षवार लक्ष्य प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। तथापि वर्ष 1984 85 के लिए राज्यों के योजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए योजना आयोग में गठित कृषि तथा सहकारिता कार्यकारी दलों के मध्य प्रदेश के लिए 1984-85 के दौरान 9 लाख मीटर टन सोयाबीन के उत्पादन लक्ष्यों की सिफारिश की थी, जो कि सोयाबीन उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे सोयाबीन उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों के लिए 1984-85 के लिए सोयाबीन सहित समस्त तिलहनों के उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 20 तथा 9 लाख मीटर टन की सिफारिश की गई।

(ख) से (घ) वर्ष 1984-85 के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के सम्बन्ध में सोयाबीन के उत्पादन अनुमान प्राप्त हो गए हैं, जो मध्य प्रदेश के संबंध में 7.44 लाख मीटरी टन और राजस्थान के सम्बन्ध में 0.26 लाख मीटरी टन हैं। इन राज्यों में सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 1983-84 की तुलना में काफी अधिक है। तथापि, यह उत्पादन उपरोक्त कार्यकारी दलों द्वारा सुझाए गए लक्ष्यों से कम है। इसका मुख्य कारण खरीफ मौसम के उत्तरवर्ती भाग के दौरान विद्यमान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां हैं।

समुद्री मछली पकड़ना

2975. **श्री के० पी० उन्नी कृष्णन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले मछुआरों की संख्या कितनी है और उसमें मछली का कितना उत्पादन होता है;

(ख) समुद्र तट की लम्बाई कितनी है और भारत के विभिन्न राज्यों में महाद्वीपीय पट्टी की 200 मीटर गहरे क्षेत्र के अन्दर तक समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधन क्या हैं; और

(ग) देश में वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में विभिन्न राज्यों का समुद्री मछली उत्पादन में हिस्सा कितना कितना रहा है और उसका मूल्य क्या है और भारत के विभिन्न राज्यों से कितने मूल्य की मछली का निर्यात किया गया है;

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 21 लाख समुद्री मछुआ आबादी में से लगभग पाँच लाख मछुआरे सक्रिय रूप से मछली पकड़ने के कार्य में लगे हुए हैं। 1983-84 में समुद्री मछली का उत्पादन लगभग 16 लाख मीटर टन है। 1984-85 में अनुमानित उत्पादन लगभग 18 लाख मीटरी टन है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	समुद्री तट कि०मी० में	मछली उत्पादन मीटरी टन में			निर्यात का मूल्य (लाख रुपये में)	
		1982-83	1983-84	1984-85	(1982-83)	(1983-84)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	974	118034	151284	164557	3407	3159
2. गुजरात	1215	189988	187315	279000	1660	1861
3. कर्नाटक	280	116066	98410	267362	1790	2251
4. केरल	570	325367	385275	426600	14149	14086
5. महाराष्ट्र	653	320433	333173	319831	4344	5755
6. उड़ीसा	476	41400	47066	46984	1791	1653
7. तमिलनाडु	907	214769	244360	283000	3351	4150
8. प० बंगाल	151	31000	39000	36000	4334	4412
9. गोवा	160	48464	50878	53711	1310	955
10. पांडिचेरी	31	13886	15843	20435	—	—
11. अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1962	3879	3868	6226	—	—
12. लक्षद्वीप	132	4201	4301	5331	—	—
योग :	7517	मात्रा : 1427487 मात्रा : 1560772 (पी)		मात्रा—1809037 (इ) 36136		37302
		मूल्य : 468 करोड़ रु०		मूल्य : 549 करोड़ रु० मूल्य——		

(पी)—अनंतिम (इ)—अनुमान क्यू—मात्रा, वी—मूल्य

(1) कार्बनिक उत्पादन के आधार पर अचल अनुमानित क्षेत्रवार 200 मीटर गहराई के भीतर समुद्र मत्स्यन संसाधन नीचे दिए गए हैं :—

(2) 1084-85 के लिए उत्पादित मछली और निर्यातित मछली तथा मछली उत्पादों का मूल्य अभी उपलब्ध नहीं हैं।

क्षेत्र	दस लाख मीटर टन में
उत्तर पश्चिम तट	0.677
दक्षिण पश्चिमी तट	1.335
लोवर पूर्वी तट	0.385
अपर पूर्वी तट	0.270
योग :	2.667

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्यों को धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

2976. **श्री आर० एम०भोये** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्ष के दौरान देश में विभिन्न राज्यों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने इस धन का पूरी तरह से उपयोग किया अथवा इसे अन्य कार्यों में लगा दिया; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहे ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी०अंजैया) : (क) वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को 1464.40 लाख रुपये की राशि केन्दीय सहायता के अंश के रूप में दी गई है।

(ख) प्रदान की गई 1464.50 लाख रुपये की राशि में से, 934-80 लाख रुपये की राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने हैं (वर्ष) 1984-85 के दौरान प्रदान की गई 529.70 लाख रुपये की राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अभी समय नहीं हुआ है। उपर्युक्त 934 80 लाख रुपये की राशि के विपरीत, 554;48 लाख रुपये की राशि के लिए उपयोग प्रमाण-

पत्र प्राप्त हो गए हैं और शेष 380.32 लाख रुपये की राशि के लिए प्रमाणपत्रों की प्रतीक्षा की ज रही है। तथापि, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए रखी गई राशि को अन्य कार्यक्रमों आदि में लगाने के बारे में कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) कोई भी राज्य सरकार राशि का उपयोग करने और बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासिता करने में असफल नहीं रही है। तथापि, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया में कुछ देरी की संभवना से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पुनर्वास की प्रक्रिया में समय लगता है और यह अनेक कारणों पर निर्भर करती है।

पशुपालन कार्यक्रम

[अनुवाद]

2977. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के जीवन यापन के लिए नितान्त रूप से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन पर निर्भर रहने वाले समुदायों और जनजातियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अपने पशुओं की नस्ल सुधार और उत्पादन में वृद्धि हेतु इन लोगों की सहायता करने के लिए सरकार ने पशुपालन कार्यक्रम के लिए क्या कदम उठाए हैं;

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय गोसम्वर्धन परिषद ने 1956 में भारत में खानाबदोश पशु प्रजनकों के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया था और पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में कार्यरत समुदायों/आदिवासियों का पता लगाया। वे निम्न प्रकार हैं :—

1. यादव वर्ग : अहीर, अहार, गोपी, गोशी, गोवाला, गोला, गोवारी, गोरा, कवुदेन, और अदैयन।

2. अन्य : गूजर, चरन, गोपाल, गोपी और गोशी।

प्रवासी किस्म के प्रजनकों की संख्या पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र मध्य भारत के वनों और पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी पठार और उत्तर के उप पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से अनुपादक क्षेत्र है, जहां सफलतापूर्वक फसलों को उगाना या तो अनिश्चित है अथवा सम्भव नहीं है। रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में इन परम्परागत गो प्रजनकों

ने कृषि के लिए भारवाही पशुओं की सप्लाई, क्षेत्र को परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं, घी की उत्पादित और सप्लाई की गई भारी मात्रा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मृदा के उपजाऊपन के रखरखाव में योगदान किया है।

(ग) राज्यों में गोपशु/भैंस विकास सम्बन्धी विभिन कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे समुदाओं और आदिवासियों, जिनका पशु मालिकों को प्रतिशतता में काफी बड़ा भाग है, को भी उन्नत प्रजनन, स्वास्थ्य प्रबन्ध और दुग्ध विपणन सुविधायें जैसी सेवायें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/विशेष शशुधन उत्पादम कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु और सीमान्त वर्ग के किसानों से सम्बन्धित आदिवासी किसानों के लिए स्वीकार्य राजसहायता को अधिकतम सीमा को प्रति लाभोनुभोगी 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए चुने गए कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति वर्ग से लिये गए जाने चाहिए।

उत्पादन लागत के आधार पर दूध का मूल्य निर्धारित करना

2978. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन लागत के आधार पर दूध का मूल्य निर्धारित करने की कोई प्रणाली है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय उनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी, दिल्ली को छोड़कर देश के सार्वजनिक / सहकारी क्षेत्र के सभी डेरी संयंत्र राज्य सरकारों/राज्य द्वारा प्रायोजित एजेंसियों के स्वामित्व में चलाए जाते हैं। दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी पड़ौसी राज्यों के राज्य डेरी विकास सहकारी संघों के माध्यम से अपनी जरूरत का दूध प्राप्त करते हैं। डेरी संयंत्र दूध तथा घी/अन्य दुग्ध उत्पादों के विद्यमान बाजार मूल्यों के आधार पर दूध का मूल्य निर्धारण करते हैं।

भारत और अन्य देशों में धान की प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार

2979. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चावल (धान) की फसल की प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार कितनी है और

इसकी यह पैदावार 1983-84 के दौरान, चीन, पाकिस्तान, जापान, एशिया में, प्रति हेक्टेयर पैदावार की तुलना में कितनी न्यूनाधिक थी,

(ख) हमारे देश में चावल (धान) की प्रति हेक्टेयर कम पैदावार होने के क्या कारण हैं, और

(ग) हमारे देश में चावल (धान) की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत में धान की प्रति हैक्टार पैदावार, 1983 में चीन, पाकिस्तान, जापान और एशिया में पैदावार स्तरों की तुलना के साथ (भारत के लिए 1983-84 के सदृश) नीचे दी गई है :

चावल (धान) की पैदावार (कि०ग्रा० / हैक्टार)

	1983
भारत	2185
चीन	5067
पाकिस्तान	2579
जापान	5701
एशिया	3197

(ख) भारत में धान की कम उत्पादकता के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) सिंचाई के अन्तर्गत विशेषकर पूर्वी राज्यों में, कम क्षेत्र को लाया जाना;

(2) वनस्पति संरक्षण उपायों और उर्वरकों का कम उपयोग करना;

(3) जोतों का छोटा आकार, विशेषकर पूर्वी राज्यों में जो आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने से निषेध करते हैं;

(4) वास्तविक पर्यावरण (जल व्यवस्था, कृषि जलवायु संबंधी तत्व, मृदा संबंधी समस्या इत्यादि) और उपयुक्त प्रौद्योगिकी, विशेषकर अनिश्चित पर्यावरण को सहन करने में सक्षम आधुनिक किस्मों की उपलब्धता में कमी आदि के कारण पूर्वी राज्यों में उत्पादकता का निम्न स्तर।

(ग) चावल (धान) की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) फसल के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि;

(2) अधिक उपज देने वाली किस्में और प्रमाणित बीजों के उपयोग में वृद्धि;

(3) कुशल जल प्रबन्ध और प्रति रोपण/फसल की वृद्धि की संकट कालीन अवस्था में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना;

(4) उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि करना और आवश्यकता के आधार पर सूक्ष्म पोषकों का उपयोग करना;

(5) पर्याप्त वनस्पति संरक्षक उपाय करना;

(6) संदिग्ध क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करना;

(7) पूर्वी राज्यों में एक विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम शुरू करना। इसमें, इन राज्यों के चुने गए खण्डों में भूमि विकास, सिंचाई सक्षमता का कुशल उपयोग, जल विकास में सुधार, अवसंरचनात्मक सुविधाएं देना इत्यादि शामिल हैं।

(8) उचित मूल्य निर्धारण और अधिप्राप्ति नीतियां अपनाना।

किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप चावल (धान) की उत्पादकता 1981-82 के 1962 कि०ग्रा० प्रति हैक्टार से बढ़कर 1983-84 में 2185 कि०ग्रा० प्रति हैक्टार हो गई।

वनस्पति के उत्पादन में सरसों के तेल का उपयोग

2980. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों के आयात के कारण होने वाले खर्च में कमी करने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में वनस्पति के उत्पादन में घुलनशील पदार्थ रहित सरसों के तेल का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है अथवा निर्णय करने का विचार है;

(ख) क्या मनुष्यों द्वारा इस तेल को उचित रूप से साफ किये बिना अथवा उसकी सफाई के बाद, सीधे ही खाये जाने के बारे में कोई अनुसंधान अथवा प्रयोग किये गए हैं;

(ग) वनस्पति उत्पादन में इस तेल की अनुमानतः कितनी मात्रा का उपयोग किया जाएगा;

(घ) क्या इसके उपयोग से वनस्पति के मूल्यों में कमी होगी; और

(ङ) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी कमी होने की आशा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वनस्पति के उत्पादन में विलायक निष्कर्षित सरसों के तेल के प्रयोग की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) विगत में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि सामान्य हेक्सेन, जो तेल निष्कर्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला विलायक है, थोड़ा सा विषक्त होता है। अतः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम; 1954 के उपबंधों के अनुसार विलायक निष्कर्षण द्वारा प्राप्त सरसों/रेपसीड तेल को मानव उपभोग के लिए केवल तभी सप्लाई किया जाना चाहिए जब वह परिष्कृत हो।

(ग) से (ङ) यदि विलायक निष्कर्षित सरसों/रेपसीड तेल के प्रयोग की अनुमति दी जाती है, तो वनस्पति के उत्पादन के लिए लगभग 10,000 मीटरी टन मात्रा उपलब्ध हो सकती है, जो इतनी कम है कि वनस्पति के मूल्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कृषि विज्ञान मेले का आयोजन

2981. श्री पीयूष तिरुकी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दिल्ली में कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से, राज्यवार कितने किसान आमंत्रित किए गए थे;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे मेले और प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित करने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) बायोगैस संयंत्रों और सौर-बैट्रियों तथा सौर चूल्हों के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने और जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या ऐसा ही कोई प्रशिक्षण केन्द्र या कृषि मेला उत्तर बंगाल में आयोजित किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो कब तक तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्। दिनांक 13 से

15 मार्च, 1985 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया था।

(ख) राज्य कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, किसानों के संगठन जैसे भारत कृषक समाज आदि सारे देश में फैले हुए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को लिखित रूप में सूचना भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त जन सम्पर्क माध्यम जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को सूचित कर दिया गया था। विभिन्न राज्यों से कृषि विज्ञान मेले में भाग लेने वाले किसानों का विवरण निम्नलिखित है :—

1. संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	441
2. उत्तर प्रदेश	244
3. बिहार	48
4. हरियाणा	247
5. राजस्थान	74
6. मध्य प्रदेश	187
7. तमिलनाडु	46
8. जम्मू व कश्मीर	2
9. पंजाब	16
10. गुजरात	14
11. उड़ीसा	1
12. महाराष्ट्र	10
13. पश्चिम बंगाल	12
कुल :	1342

(ग) जी हां, श्रीमान। विशेषकर कृषि विज्ञान केन्द्र तथा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों तथा फार्म में कार्यरत औरतों को प्रौद्योगिकी को पहुंचाने के उद्देश्य से छोटे पैमाने पर किसान दिवस तथा कृषि विज्ञान मेले ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जा रहे हैं। हाल ही में ऐसे कृषि विज्ञान मेले दिनांक 5 मार्च, 1985 को हरियाणा के गुड़गांव जिले के गांव शिकोहपुर-रामपुरा तथा दूसरा 22 मार्च 1985 को हरियाणा के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के

क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल में आयोजित किये गये। भविष्य में भी सरकार का देश के विभिन्न स्थानों में और अधिक कृषि विज्ञान मेले आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन तथा विस्तार शिक्षा कार्यक्रम के एक अंग के रूप में परिचालन अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत कुछ फैमिली साइज के बायोगैस प्लांट अपनाये गये गाँवों में लगाये गये हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के मृदा विज्ञान तथा कृषि रसायन प्रभागों द्वारा परामर्शदात्री सेवाएं तथा जांच पड़ताल को हाथ में लिया जाता है, जब कभी ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि बायोगैस प्लांट, सोलर सैल तथा सौर कुकर के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा की मुख्य जिम्मेवारी डिपार्टमेंन्ट आफ नान कन्वेनशनल एनर्जी सोर्सेस को सौंपी गयी है जो कि इस उद्देश्य के लिए एपेक्स निकाय है।

(ङ.) सरकार को इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) राज्य में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र/कृषि मेले आयोजित करने के लिए राज्य कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल तथा स्थानीन कृषि विश्वविद्यालय मुख्य जिम्मेवार हैं।

दिल्ली में माल रोड पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्तपोषी परियोजना

2982. श्री सो० जंगा रेड्डी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में माल रोड पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्तपोषी परियोजना का निर्माण कार्य कब से बन्द पड़ा है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना पूर्ण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तारीख क्या है; और

(घ) आबंटितियों की कैसे क्षतिपूर्ति की जाएगी; क्योंकि ये फ्लेटों के 90 प्रतिशत मूल्य का सितम्बर, 1983 में ही भुगतान कर चुके हैं और अगस्त, 1984 तक फ्लैटों का कब्जा लेने के कानूनन अधिकारी थे;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) निर्माण कार्य लगभग 4½ माह तक स्थगित रहा, पहले वाले ठेकेदार को हटाने तथा शेष बचे कार्य को दूसरे ठेकेदार को देने

में यह समय लगा। इसके साथ-साथ पहले वाले ठेकेदार द्वारा धीमे कार्य करना, विलम्ब के मुख्य कारण हैं।

(ग) इस कार्य का दिसम्बर 1985 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने की तारीख से 2½ वर्ष के बाद से लेकर फ्लैट पूर्ण हो जाने की तारीख तक जमा की गई राशि पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा देय हो जाता है।

लघु पैमाने पर मछली पालन के विकास के लिए जापानी सहायता

2983. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु पैमाने पर मछली पालन के विकास के लिए जापान सरकार द्वारा कुल कितनी नकद सहायता राशि दी गई,

(ख) इस सहायता से किन राज्यों और केन्द्रीय संस्थानों को लाभ पहुंचेगा, और

(ग) इन में से प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय संस्थान के लिए प्रस्तावित परिव्यय क्या है;

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 4100 लाख जापानी येन।

(ख) जो राज्य और केन्द्रीय संस्थान लाभान्वित होगें वे ये हैं—उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल तथा केरल और केन्द्रीय नाविक मात्स्यकी संस्थान और भारतीय इंजीनियरी प्रशिक्षण तथा मात्स्यकी सर्वेक्षण।

(ग) जापानी सप्लायर के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुसार प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय संस्थान के लिए मशीनों तथा उपस्कर की लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य नीचे दिया गया है :

क्र० सं० राज्य	मशीनों की संख्या	कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य जापानी येन में
1	2	3
1. उड़ीसा	4	68,500,000
2. गुजरात	4	68,400,000
3. तमिलनाडु	4	68,2 0,000

1	2	3
4. पश्चिम बंगाल	1	17,150,000
5. केरल	6	102,750,000
6. केन्द्रीय नाविक मात्स्यकी तथा इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान 7. भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण		84,900,000

निर्धन लोगों को मकान देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

2984. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों 1982-85 के दौरान ग्रामीण/शहरी बेघर निर्धनों को मकान उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ और दिल्ली को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस प्रकार दी गई राशि का ठीक प्रकार से प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में कुल कितने बेघर निर्धनों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है। अपने अनुमोदित योजना परिव्यय के भीतर राज्य सरकारें। संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकता तथा योजना प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनायें बनाने व कार्यान्वित करने में स्वतन्त्र हैं। सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए "एकमुश्त ऋण" तथा "एकमुश्त अनुदान" के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है जो कि विकास के किसी शीर्ष, योजना परियोजना से जुड़ी नहीं होती हैं।

गेहूं और चावल की वसूली के लक्ष्य

2985. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों में चावल और गेहूं की वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) ये लक्ष्य कहां तक उपलब्ध हुए;

(ग) राज्यों में वसूली के लिए फसलों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत लक्ष्य था और कितने प्रतिशत वसूली हुयी; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) (ख) और (ग) के सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) केवल 1980-81 की गेहूं की फसल (1981-82 मौसम में विपणित) के लिए वसूली के राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ब्यौरे सभापटल पर रखे गए विवरण 1 और 2 में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—924/75**]

बांसवाड़ा में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया जायेगा

[हिन्दी]

2986. **श्री प्रभु लाल रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बांसवाड़ा/डूंगरपुर में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) बांसवाड़ा/डूंगरपुर में रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का अभी कोई अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बांसवाड़ा और डूंगरपुर सहित देश के जिन भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करना भावी योजना अवधियों के दौरान दूरदर्शन के विस्तार के लिए संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में जल पूर्ति योजना

[अनुवाद]

2987. **श्री लाल डहोमा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

आरम्भ की गई जल पूर्ति योजना पहाड़ी क्षेत्रों में आरम्भ की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा मिजोरम में इस प्रकार की योजना आरम्भ की जाएगी, जहां पर पीने के पानी की हमेशा ही कमी रहती है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिए कुछ दान देने वाले देश जैसे कि डेनमार्क, नीदरलैण्ड तथा ई०ई०सी० सहायता दे रहे हैं। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल सहायक गतिविधियों जैसे कि प्रशिक्षण, परामर्शी सेवा और उपकरणों की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ख) मिजोरम के पहाड़ी क्षेत्रों मुख्य रूप से पाइपों की सप्लाई द्वारा यूनी सेफ ग्रेविटी फीडर ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिए सहायता दे रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में स्नातक कर्मचारियों का नियमित किया जाना

2988. **श्री आनन्द सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न डिवीजनों में दिहाड़ी/कार्य प्रभारित आधार पर बेलदार और खलासी के रूप में नियोजित अनेक स्नातक और स्नातकोत्तर कर्मचारी विधिवत नियुक्त क्लर्क न होने के कारण कई वर्षों से क्लर्कों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न प्रतिष्ठानों में ऐसे कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनेक ठेका-क्लर्कों/क्षेत्र सर्वेक्षकों को नियमित क्लर्कों के रूप में खपा लिया है;

(घ) क्या इसी आधार पर ऐसे स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध क्लर्कों के रूप में नियमित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था, यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और यदि हां, तो इस संबंध में लिया गया निर्णय क्या है; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1984 और 31 मार्च, 1985 को दिल्ली विकास प्राधिकरण में क्लर्कों तथा समकक्ष संवर्गों के कितने पद रिक्त पड़े थे;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) 97 व्यक्ति।

(ग) जी, हां। 466 क्षेत्रीय सर्वेक्षकों/लिपिकों को अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में नियमित किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। 31 दिसम्बर, 1948 को लिपिकों के 328 तथा 31 मार्च, 1985 को 240 पद रिक्त थे। इसमें से कुछ पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरा जाना है तथा शेष के लिए शीघ्र ही एक विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

समुद्री तूफानों से हुई मौतें

2989. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में समुद्री तूफानों से कितने लोगों के मरने के समाचार हैं; और

(ख) समुद्री तूफानों से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की रक्षा हेतु सरकार का भविष्य में क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) देश में केवल समुद्री तूफानों की वजह से हुई मौतों की संख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1983 और 1984 के दौरान देश में बाढ़ों, समुद्री तूफानों से हुई मौतों की कुल संख्या क्रमशः 2377 और 1577 थी।

(ख) सरकार ने समुद्री तूफान की चेतावनी देने और समुद्री तूफानों से लोगों की रक्षा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :—

(1) भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग के पास दो चरण में चेतावनी देने की प्रणाली है।

(2) कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में तीन क्षेत्रीय समुद्री तूफान चेतावनी केन्द्र और आकाशवाणी, राज्य सरकार के अधिकारियों, पत्तन न्यासों तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से समुद्र तटीय आबादी को आने वाले समुद्री तूफान की चेतावनी देने के लिए भुवनेश्वर तथा विशाखापत्तनम में समुद्री तूफान की चेतावनी देने वाले दो केन्द्र हैं।

(3) कलकत्ता, पारादीप, विशाखापतनम, मछलीपत्तनम, मद्रास, कराईकल, बम्बई और और गोवा में समुद्री तूफान का पता लगाने के 8 राडार हैं।

(4) समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में कई समुद्री तूफान आश्रयस्थल स्थापित किए गए हैं।

इनके अतिरिक्त, प्रारम्भ में, उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के साथ-साथ समुद्री तूफान आने के मौके पर प्रत्यक्ष रूप में तटीय आबादी को चेतावनी देने हेतु इनसैट संचार पद्धति का प्रयोग करके संकट कालीन चेतावनी सेवा नामक एक नई योजना हाल में ही शुरू की गई है। भुज और कोचीन के पश्चिमी तट पर समुद्री तूफान का पता लगाने वाले दो अतिरिक्त राडार लगाए जाने का प्रस्ताव है। भारत के आस-पास के तटीय तथा समुद्री क्षेत्रों में आंकड़ा संचयन प्लेट फार्म नामक मौसम रिकार्ड करने वाले कई स्वचालित उपस्कर निकट भविष्य में स्थापित किए जा रहे हैं।

भारतीय कला केन्द्र से लिए गए दुरुपयोग प्रभार

2990. **श्री डी०पी० यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री भारतीय कला केन्द्र से लिए गए दुरुपयोग प्रभारों के बारे में 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2373 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 फरवरी, 1978 से 23 फरवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान हुए दुरुपयोग का ब्यौरा क्या है जिसके लिए भारतीय कला केन्द्र से 12040 रुपये के प्रभारों की मांग की गई है;

(ख) 31,555.05 रुपये की राशि किन आधारों पर निर्धारित की गई है;

(ग) 5 जून, 1984 को गंधर्व महा-विद्यालय में किए गए 10,91,103 रुपये के दावे की वसूली में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) क्या इसी प्रकार के अन्य सांस्कृतिक संगठनों से भी उन्हीं आधारों पर दुरुपयोग प्रभार वसूले जाएंगे जिन आधारों पर भारतीय कला केन्द्र से मांगे गए हैं;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) भारतीय कला केन्द्र की पहली मंजिल को कत्थक केन्द्र संस्था को किराये पर देने के लिए दुरुपयोग प्रभार क्लेम किए गये हैं।

(ख) भारतीय कला केन्द्र द्वारा प्राप्त किये जा रहे कुल किराये के 10 प्रतिशत के आधार पर।

(ग) दिनांक 5-6-84 के मांगपत्र के खिलाफ गान्धर्व महाविद्यालय के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। क्लेम की गई राशि के भुगतान के लिए संस्थान को 15 दिनों का एक नोटिस 1-4-85 को जारी किया गया है।

(घ) जी, हां। यदि दुरुपयोग इसी प्रकार का हो।

खाली पड़े भूखण्डों का अन्य जरूरतमन्द लोगों को आबंटन

2991. **श्री काली प्रसाद पांडे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1975-79 में मौर्य एन्कलेव में लाटरी निकाल कर आबंटित किए गए कुछ भूखण्ड अभी भी खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे खाली पड़े भूखण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आबंटितों को उक्त भूखण्ड खाली रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन भूखण्डों का आबंटन रद्द करने और उन्हें अन्य जरूरतमंद लोगों को आबंटित करने हेतु कोई कानूनी कार्रवाही शुरू की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) मौर्य एन्कलेव (पीतमपुरा) में 542 प्लाट खाली पड़े हैं। खाली प्लाटों के ब्यौरे और आबंटितियों के नाम सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 925/85**]

(ग) तथा (घ) पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पट्टाधारी को प्लाट का कब्जा लेने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की अनुमति दी जाती है। माफी की अवधि के रूप में एक वर्ष की और अवधि की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार प्लाट का कब्जा लेने की तारीख से प्रथम तीन वर्षों की अवधि तक निर्माण कार्य न करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। इसके बाद चौथे वर्ष के लिए 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, पांचवें वर्ष के लिए 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर और छठे वर्ष से आगे 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित जुर्माने का भुगतान करने पर समयावधि बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। यदि 10 वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तो प्लाट की लागत को 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माने के रूप में लगाया जाता है। उसके बाद उप राज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन पर प्लाटों के पट्टों के निर्धारण/रद्द करने पर विचार किया जा सकता है।

तिलहनों के मामले में कलूसा (सी०एल०यू०एस०ए०) की भूमिका

2992. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "स्पैन" पत्रिका में 25 फरवरी, 1985 को "दि सीड्ज आफ

प्रोसपैरिटी" शीर्ष से प्रकाशित लेख देखा है, और यदि हां, तो उस लेख में तिलहनों के भारत में आयात, "कलूसा" और इसके अधिकारियों की भूमिका पर और इनके फलस्वरूप अब तक निकले निष्कर्षों पर व्यक्त किए गए विचार पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ख) सरकार ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1982 में किए गए अनुसंधान प्रयासों को अपना समर्थन दिया है और किन-किन क्षेत्रों में दिया है तथा उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) वर्ष 1982 से 1 मार्च, 1985 तक उपहार स्वरूप प्राप्त खाद्य तेलों के आबंटन का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य कितना है और उसकी बिक्री में कितना धन इकट्ठा किया गया और उसका आबंटन तथा कितनी मात्रा में उसका उपयोग किया गया तथा और अगर कोई कमी हुई है तो उसके कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने "स्पैन" पत्रिका में 25 फरवरी, 1985 को "दि सीड्स आफ प्रोसपैरिटी" शीर्षक से प्रकाशित लेख को देख लिया है। इस लेख में तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अमरीका (कलूसा) की सहकारी लीग और कनाडा (सी०यू०सी०) के सहकारी संघ की सहायता से क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय डेरी बोर्ड की तिलहन परियोजना की भूमिका का ब्यौरा दिया गया है। कलूसा और सी०यू०सी० की सहायता से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही तिलहन परियोजना सहित तिलहन विकास कार्यक्रम तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता कर रहे हैं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना के अन्तर्गत किसानों का तिलहनों का उत्पादन उनकी सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्यों पर खरीदा जाता है, बीज और उर्वरक जैसे आदान किसानों को समय पर सप्लाई किये जाते हैं और क्षेत्रीय स्टाफ गहन विस्तार कार्य करता है। ये सभी कार्यकलाप मुख्य रूप से तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सहकारी समितियों के तिलहन उत्पादक सदस्यों की सहायता करते हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान संबंधी अनेक कार्यक्रमों को शुरू करके, क्रमबद्ध अनुसंधान के जरिए तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निरन्तर सहायता की है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप तिलहन फसलों की अनेक उन्नत किस्में तैयार की हैं। उत्पादन को उपयुक्त तकनीकों सहित इन सभी किस्मों में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने की क्षमता है। अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों के फलस्वरूप तिलहनों का उत्पादन 1982-83 के 100 लाख मीटरी टन स्तर से बढ़कर 1983-84 में 128.1 लाख मीटरी टन के स्तर पर पहुंच गया।

(ग) 1982-83 से 31-1-1985 तक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में सहकारी संघों को उपहार स्वरूप दिये गये खाद्य तेल की राज्य-वार और वर्ष-वार बिक्री निम्न प्रकार है :

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	गुजरात	मध्य-प्रदेश	तमिल-नाडु	आंध्र प्रदेश	उड़ीसा
1982-83					
परिशोधित सोयाबीन तेल	11.48	4.05	2.86	0.19	0.89
कच्चा तोरिया तेल	4.17		—	—	—
1983-84					
परिशोधित सोयाबीन तेल	11.31	4.75	2.46	2.32	1.96
कच्चा तोरिया तेल	12.93	0.58	0.25	—	—
परिशोधित तोरिया तेल	0.26	0.77	0.86	0.03	0.03
1984-85					
परिशोधित सोयाबीन तेल	2.32	0.52	1.09	1.35	1.41
कच्चा तोरिया तेल	0.01	—	—	—	—
परिशोधित तोरिया तेल	3.81	1.98	0.73	0.03	0.03

1982-83 से 31-1-85 तक उपहार स्वरूप प्राप्त खाद्य तेल की बिक्री से प्राप्त धनराशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	परिशोधित सोयाबीन तेल	कच्चा तोरिया तेल	कुल
1982-83	18.855	11.683	30.538
1983-84	26.005	9.048	35.053
1984-85	10.568	6.773	16.341

31.1.1985 तक राज्यों में कार्यक्रम शुरू से विभिन्न राज्यों में सहकारी संघ को धनराशि का वितरण निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वितरित की गई कुल धनराशि*
गुजरात	34.22
मध्य प्रदेश	7.23
तमिलनाडु	1.18
आंध्र प्रदेश	2.36
उड़ीसा	2.61
महाराष्ट्र	1.17
कर्नाटक	0.09
केन्द्रीय कार्यकारी मद	10.51
	59.37

* इसमें 52.40 करोड़ रुपये की धनराशि का अधिप्राप्ति समर्थन ऋण, कार्यकारी पूर्ज अग्रिम आदि शामिल है, जिससे कुल वितरित की गई धनराशि 111.77 करोड़ रुपये हो जात है ।

पत्रकारों की कार्यप्रणाली की समीक्षा

2993. श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्रकारों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने सम्बन्धी कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

"इन्दिरा टावर" के निर्माण का प्रस्ताव

[हिन्दी]

2994. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के विकास के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी की याद में नई दिल्ली में कनाट प्लेस में "इन्दिरा टावर" बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) श्रीमती इन्दिरा गांधी की सेवाओं को उस पर किस प्रकार लिखा जाएगा और उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस टावर का कब तक निर्माण किए जाने की आशा है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पेय जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था

[अनुवाद]

2995. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार सातवीं योजना में पेयजल सप्लाई कार्यक्रम के लिए अधिक धन की व्यवस्था करेगी और इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल करेगी;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : सातवीं पंचवर्षीय योजना में पेय जलपूर्ति कार्यक्रम के लिए प्रावधान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। "अन्तर्राष्ट्रीय पेय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक" के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों तथा सम्बन्धित प्राथमिकताओं की सम्पूर्ण उपलब्धता पर पेय जलपूर्ति कार्यक्रम को यथोचित प्राथमिकता दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु कराया गया सर्वेक्षण

[हिन्दी]

2996. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कराए गए हाल ही के एक सर्वेक्षण के अनुसार

विकासशील देशों को औद्योगिकी के अप्रतिबंधित अंतरण के कारण दुर्घटनाओं और बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर भोपाल में हाल ही की गैस दुर्घटना की दृष्टि से प्रौद्योगिकी के अंतरण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट-2 में ऐसी आशंका का उल्लेख है जो अनुभव पर आधारित सामान्य टिप्पणियों के रूप में है।

(ख) जनवरी, 1983 में जारी किये गये सरकार के प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य में प्रौद्योगिकी के अंतरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं।

उत्तर प्रदेश को चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए धन का आबंटन

2997. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास कोष से धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की मांग की गई है और यह धनराशि कब तक उपलब्ध किए जाने की सम्भावना है;

(ग) सरकार ने कितनी धनराशि मन्जूर करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजना

[अनुवाद]

2998. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित हुए ग्रामीण श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस प्रकार की परियोजनाओं की चरणवार आयोजन क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं जिसके साथ अनुमोदित लागत तथा जिस वर्ष में परियोजना पूरी किये जाने की सम्भावना है इससे सम्बन्धित ब्यौरा भी उसमें दर्शाया गया है। लेकिन कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार की निगरानी इस समय सृजित श्रमदिनों के रूप में की जा रही है न कि कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिलाया गया है उनकी संख्या के रूप में। प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी, 1985 तक सृजित रोजगार 31.55 लाख श्रम दिन है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

उड़ीसा में ग्रामीण भूमिहीन रोजगारगारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

परियोजना का नाम	केन्द्रीय समिति द्वारा मंजूर की गयी धनराशि (लाख रुपये में)	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष, जिसमें परियोजना पूरी की जानी है
1	2	3
1. 4 जिलों अर्थात गंजम, पुरी, कटक तथा बालसौर में भूमि तथा जल संरक्षण	21.00	1984-85
2. उड़ीसा के सभी जिलों में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत	116.87	1983-84
3. कोरापुट कालहांडी, सुन्दरगढ़ तथा फूलबनी, इन चार जिलों में सामाजिक वानिकी, वन मार्गों का निर्माण यथा मरम्मत और मछली पालन तालाबों की खुदाई	20.00	1984-85

1	2	3
4. 13 जिलों अर्थात बालासौर, बोलनगीर, कटक, ढेंकनाल, गंजम, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज, फूलबनी, पुरी, सम्बलपुर, तथा सुन्दरगढ़ में सार्वजनिक ट्यूबवैलों तथा नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	274.43	1984-85
5. प्राथमिक पाठशालाओं के लिए स्कूल की इमारतों का निर्माण	38.93	1983-84
6. उड़ीसा के 9 जिलों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण/मरम्मत (चरण-2)	850.22	1984-85
7. उड़ीसा के 3 जिलों में चेक सिंचाई	244.67	1985-86
8. उड़ीसा में भूमि संरक्षण निर्माण कार्य	600.00	1984-85
9. प्राथमिक पाठशाला इमारतों का निर्माण	915.98	1984-85
10. ताल की सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में तालाबों की मरम्मत तथा सुधार (जिला फूलबनी)	12.91	1984-85
11. एकमना कैनाल वाटर रोड का विकास	31.97	1986-87
12. नदी तथा नहर के तटों पर आवागमन सुविधाएं उपलब्ध कराना	465.00	1985-86

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बेंकटेश्वर विश्वविद्यालय को बी०एस०सी० डिग्री को मान्यता न दिया जाना

2999. **श्री पी० वेंचालैया** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बेंकटेश्वर विश्वविद्यालय की सी० डी० जैड (कैमिस्ट्री, डेरी साइंस, जूलोजी) ग्रुप युक्त बी० एस० सी० डिग्री को मान्यता दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त ग्रुप वाले बी० एस० सी० स्नातकों को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एम० एस०

सी० पाठ्यक्रम (डेयरी साइंस) में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि इस ग्रुप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मान्यता नहीं दी है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों को मान्यता देने का अधिकार भा० कृ० अ० प० के पास नहीं है। पारम्परिक (सामान्य) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी भी इसकी नहीं है क्योंकि विशेष रूप से इस कार्य के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है। आन्ध्र प्रदेश राज्य में कृषि शिक्षा, अनुसंधान व विस्तार के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का विशिष्ट क्षेत्राधिकार है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय की बी० एस० सी० उपाधि को भा० कृ० अ० प० की मान्यता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुरु क्षेत्र विश्वविद्यालय को विभिन्न विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता देने का अधिकार है जिससे भा० कृ० अ० प० का कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी, बी० एस० सी० डेयरिंग/एम० एस० सी० डेयरिंग/पी० एच० डी० उपधियों वाले विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के निर्धारित नियम हैं। वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय की बी० एस० सी० (विशुद्ध विज्ञान) उपाधि को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपने यहां की उपाधि के समकक्ष मानना उसी के ऊपर (कुरु क्षेत्र विश्वविद्यालय) निर्भर करता है।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को केन्द्रीय अनुदान

3000. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय अनुदान की पूरी राशि प्राप्त हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त राशि बंधुआ मजदूरों के कल्याण और पुनर्वास हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में अतिरिक्त मांग भी की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के प्रस्तावों की राज्य सरकारों द्वारा जांच की जाती है और उन्हें मंजूरी दी जाती है। तत्पश्चात राज्य सरकार को सहायता का राज्य अंश प्रदान करना होता है और उसके आधार पर केन्द्रीय सहायता का अंश प्रदान किया जाता है। तथापि जिले के लिए राशि इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि पिछले वर्षों में उक्त जिले के लिए प्रदान

की गई अनुदान राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हों। बंधुआ श्रमिको के पुनर्वास लिए सभी केन्द्रीय अनुदान उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों को उनके ग्राह्य प्रस्तावों के प्रदान किया गया है।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत निर्धा पुनर्वास सहायता की अधिकतम सीमा 4000/-रु० प्रति बंधुआ श्रमिक है जो राज्य सरकार त केन्द्रीय सरकार द्वारा बराबर-बराबर दी जाती है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों सरकारें योजना के अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 4000/-रुपये प्रति बंधुआ श्रमिक की मे खर्च कर रही हैं। तथापि, उड़ीसा सरकार ने इस योजना को राज्य सरकार की अपनी "नि ग्रामीणों का आर्थिक पुनर्वास" योजना के साथ समाकलित किया है ताकि पुनर्वास सहायता राशि में वृद्धि की जा सके।

अब तक, 1978-79 में इस योजना के शुरू होने के बाद से, बंधुआ श्रमिकों के पुनव हेतु अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों को क्रमशः 547.29 ला रुपये और 21.58 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

तिरूपति में आकाशवाणी केन्द्र

3001. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तिरूपति में आकाशवाणी केन्द्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) अनुमोदि छठी योजना में तिरूपति में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। सातव पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भोपाल में उच्च सुरक्षा रोग प्रयोगशाला की स्थापना

[हिन्दी]

3002. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के विभिन्न रोगों की निदान की व्यवस्था से युक्त एशिया की पहली उच्च

सुरक्षा रोग प्रयोगशाला केन्द्रीय सरकार की सहायता से मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप स्थापित की जा रही है;

(ख) क्या प्रारम्भिक कार्य पूरा कर लिया गया है और इस प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में अभी कार्यवाही की जानी है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी हां, श्रीमान । यू०एन०डी०पी० की सहायता से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भोपाला में एक उच्च सुरक्षा रोग प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है ।

(ख) जी हां, श्रीमान । योजना आयोग तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों द्वारा योजना को मंजूरी दे दी गई है । भूमि को प्राप्त करने की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) और (घ) प्रयोगशाला की स्थापना के लिए संरचना आधार सुविधाओं के विकास हेतु विशेष कार्य अधिकारी को नियुक्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कुछ समय पहले कार्यवाही की थी । आर्थिक कार्य विभाग की सलाह के अनुसार अप्रैल, 1985 से शुरू देश के कार्यक्रम में प्रायोजन को शामिल कर लिया गया है ।

मध्य प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

3003. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों को सूखा प्रभावित क्षेत्र माना है;

(ख) छठी योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) छठी योजना अवधि में मध्य प्रदेश में शुरू किये गये सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राज्य के 6 जिलों में 48 खण्डों को सूखा-संभावित क्षेत्र के रूप में पता लगाया गया है। वे निम्नलिखित हैं :

	जिला	खण्डों की संख्या	खण्डों का नाम
1.	खरगौन	7	ठिकारा, राजपुर, पाती, भगवानपुरा जिनिया, भीकनगांव, बरवानी
2.	झाबुआ	12	अलीराजपुर, भाबरा, झाबुआ, जोबात, काठीवाड़ा, माधनगर, पटेलवाड़, रामा, राणापुर, सेंधवा, थंडला,उदयगढ़
3.	शाहडोल	5	ब्यौहारी, जयसिंह नगर, सुहागपुर, पुष्पराजगढ़, बन्धनगढ़
4.	धार	8	बाग, बाकनेर, दोही, गंधवानी, कुकेही, मारवार, निलारपुर, सरदारपुर
5.	सीधी	8	चितरंगी, देवसर, कुश्मी, मझौली,रणपुर सिनावल, सीधी, वैधान
6.	बेतुल	8	आम्ला, बेतुल, भीमपुर, धौराडांगरी, मुल्ताई, प्रभातपतन, शानपुर, चिचोली
		48 खण्ड	

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मध्य प्रदेश राज्य को 1376.62 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ग) छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए मुख्य कार्य सिंचाई क्षमता सृजन भूमि तथा जल संरक्षण उपाय, चरागाह विकास सहित वानिकी तथा डेयरी विकास सहित पशुधन विकास से सम्बन्धित हैं।

छठी योजना के दौरान मुख्य-मुख्य कार्यों पर किए गए व्यय तथा वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

1. व्यय विवरण

क्रम सं०	खण्ड	व्यय (1980-81 से दिसम्बर, 1984 तक)
1.	कृषि	178.23
2.	सिंचाई	769.96
3.	वानिकी तथा चरागाह	975.81
4.	पशु पालन	135.02

2. वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं०	मुख्य सूचक	उपलब्धियां (1980-81 से दिसम्बर, 1984 तक
1.	भूमि तथा जल संरक्षण (000 हेक्टेयर)	17.568
2.	सृजित सिंचाई क्षमता (000 हेक्टेयर)	156.119
3.	वानिकी तथा चरागाह विकास (000 हेक्टेयर)	30.817
4.	स्थापित दुग्ध सोसाइटियां (संख्या)	262
5.	स्थापित भेड़ सोसाइटियां (संख्या)	2
6.	सृजित रोजगार (000 श्रम दिन)	13423

सहकारिता के मूलभूत ढांचे में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की योजनाएं

3004. श्री राजकुमार राय : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की सहकारिता के मूलभूत ढांचे में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने को प्राथमिकता देने की योजना है;

(ख) असन्तुलन दूर करने को प्राथमिकता देने के लिए क्या मानदण्ड है;

(ग) राज्यों के चयन के लिए क्या मानदण्ड है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश को इस योजना में शामिल किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तर को कम करने और सहकारी विकास क्षेत्र में असन्तुलन को ठीक करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है, ताकि सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सहकारी विपणन, परिसंस्करण, भण्डारण आदि के विकास में तेजी लाई जा सके । इस प्रयोजन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन वर्गों अर्थात् सहकारी रूप से विकसित, अल्पविकसित और कम विकसित राज्य में असन्तुलन को कम करने के लिए किए गए उपायों का सम्बन्ध अधिक उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और परामर्शदायी सेवा उपलब्ध कराने से है । वित्तीय सहायता की पद्धति में परियोजना की लागत की प्रतिशतता के अनुसार ब्याज अधिक ऋण स्थगन और अधिक मात्रा की कम दर शामिल है । अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, मछुआरों और अन्य कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों के साथ विशेष व्यवहार किया जाता है । विकसित राज्यों के कुछ पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए सहायता की एक उदार पद्धति भी लागू है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता परियोजना आधार पर उपलब्ध करायी जाती है ।

(ग) निम्न को ध्यान में रखने के पश्चात् राज्यों को सहकारी रूप से अल्प विकसित अथवा कम विकसित के रूप में अभिज्ञात किया गया है :—

(1) कृषि विकास का स्तर;

(2) सहकारी अवसंरचना की शक्ति अथवा कमजोरी; और

(3) विकास के लिए संस्थागत ऋण की उपयुक्तता ।

(घ) उत्तर प्रदेश को सहकारी रूप से कम विकसित राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथापि, राज्य के अधिसूचित पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में सहकारी समितियां इस योजना की सीमा के भीतर आती हैं ।

ताड़ के तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि

3005. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ताड़ के तेल के भारी आयात को देखते हुए भारत में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) भारत में ताड़ बागान के विकास के लिए किए जा रहे उपायों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) किन क्षेत्रों में इस फसल के लिए बल दिया जा रहा है; और

(घ) कच्चे माल की मौजूदा स्थानीय उपलब्धता कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ख) भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को ताड़ के पेड़ों की खेती के लिए संभावित क्षेत्र के रूप में चुना है। इस समय दो परियोजनाएं एक केरल में तथा दूसरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, क्रमश: 6000 तथा 2400 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही हैं। आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों को भी उपयोग में लाया जा रहा है। 1983-84 के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अब तक निकाले गये तेल की मात्रा 39.30 किलो लिटर है। 1983-84 के दौरान आयल पाम इंडिया लि०, जो इस परियोजना को लागू कर रहा है, द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा 195.16 मी0 टन है।

संवाददाताओं के प्रत्यायन के लिए नियम

3006. **श्री राम भगत पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे समाचार पत्रों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निकलने वाले समाचारपत्रों के लिए कार्य कर रहे दिल्ली के सम्वाददाताओं को केन्द्रीय प्रत्यायन के नियमों में छूट देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के लिए केन्द्रीय प्रत्यायन के नियमों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) मौजूदा नियमों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाचारपत्रों सहित छोटे समाचार पत्रों के सम्वाददाताओं को प्रत्यायन प्रदान करने की शर्तों में छूट देने की पहले ही व्यवस्था है।

आवासीय बिस्त में वृद्धि का प्रस्ताव

3007. **श्री टी० बाला गौड** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास के लिए वित्त में पर्याप्त वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आवास की कमी का कोई अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उचित मूल्यों पर निर्माण सामग्री की सहज उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) आवास वित्त को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकारा गया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय को भी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) और (घ) जनगणना आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन० बी० ओ०) द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार रिहायशी एककों के रूप में वर्तमान आवास कमी निम्नलिखित है :—

शहरी	ग्रामीण	योग
59 लाख	188 लाख	247 लाख

(ङ) कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) सीमेन्ट, इस्पात आदि जैसी निर्माण सामग्री के उत्पादन को बढ़ाना । सीमेन्ट फैक्टरी स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स की मन्जूरी देने हेतु सरकार उदार नीति का पालन कर रही है ।

(2) सीमित कुर्सी क्षेत्रफल तक मकानों के निर्माण के लिए लेवी सीमेन्ट उपलब्ध करना, और

(3) स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना ।

तिहाड़ गांव के निकट झील और बड़े पार्क का निर्माण

[हिन्दी]

3008. **श्री ललित माकन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: पश्चिमी दिल्ली में तिहाड़ गांव के निकट प्रस्तावित झील और बड़े पार्क के निर्माण

से सम्बन्धित योजना, जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1980 में आरम्भ की गई थी, की वर्तमान स्थिति क्या है;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि तिहाड़ गांव में झील परिसर का विकास कार्य भू-दृश्य योजना के अनुसार पूर्ण है। लान के रूप में 24 एकड़ भूमि विकसित की गई है तथा 11000 वृक्षों की बुवाई कर दी गई है। इस क्षेत्र को बागवानी दृष्टिकोण से विकसित कर दिया गया है। तिहाड़ गांव से इस झील में आने वाला गंदा पानी भी सीवर लाइन डालकर के बन्द कर दिया गया है। वास्तव में झील केवल वर्षा ऋतु के दौरान भर जाती है। तथापि, इस झील को बारहमासी बनाने तथा पास-पड़ोस के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए दो और नलकूप मुहैया करने का प्रस्ताव है।

1977 और 1980 में खाद्यान्नों का भण्डार

[अनुवाद]

3009. **श्री एस० एम० गुरड़ी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1980 में खाद्यान्नों के भण्डार के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1977 से 1980 के दौरान खाद्यान्नों के भण्डार में कमी आई थी और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) दिसम्बर, 1984 के अन्त में इन भण्डारों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकारी एजेन्सियों के पास 1977 और 1980 में खाद्यान्नों के स्टाक के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

(मिलियन मीटरी टन में)

	निम्नलिखित तारीख को स्टाक	
	पहली जनवरी, 1977	पहली जनवरी, 1980
चावल	5.73	9.05
गेहूं	12.45	8.36
मोटे अनाज	0.78	0.11
	जोड़ : 18.96	17.52

इस प्रकार उपर्युक्त अवधि के दौरान स्टाक में 1.44 मिलियन मीटरी टन की गिरावट आई।

(ग) दिसम्बर, 1984 के अन्त में खाद्यान्नों के स्टाक निम्नलिखित थे :—

	(मिलियन मीटरी टन में)
चावल	7.71
गेहूं	14.80
मोटे अनाज	0.10
जोड़	22.61

भवानी पटना में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना

3010. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के कालाहांडी जिले में भवानी पटना में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में कब तक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) भवानी पटना में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम को सातवीं पंचवर्षीय योजना (1885-90) के प्रस्तावों के मसोदे में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है। सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सागर दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि

[हिन्दी]

3011. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर दूरदर्शन केन्द्र (मध्य प्रदेश) के प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्यवाह हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रसारण क्षेत्र को कितने किलोमीटर तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का आवंटन

[अनुवाद]

3012. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान कितने मकानों का आवंटन किया गया है; और

(ख) उक्त आवंटन किस श्रेणी के लोगों को किया गया था;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत 71,425 मकानों का आवंटन/नियतन किया गया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

		श्रेणी			
क्र० सं०	योजना का नाम	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता	योग
1.	सामन्य आवास योजना	6240	3455	2390	12085
2.	नयी पद्धति योजना 1979	5555	9868	10169	25592
3.	स्ववित्त पोषित योजनाएं	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	
		842	16553	16353	33748
				कुल योग :	71,425

सातवीं योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति

3013. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में लाभान्वित होने वाले वर्तमान 600 परिवारों की संख्या को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धि कितनी होगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार अतीत की कमियों को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का है और इसकी क्रियान्विति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 के प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है, "प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बेहतर आयोजना, गहराई से निगरानी और सुदृढ़ संगठन के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण रोजगार पर जोर दिया जाता रहेगा।" चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति

3015. **श्री मनोरंजन हाल्दर** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और अन्य विभिन्न समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर कितने परिवारों को मदद दी गयी।

(ख) उक्त कार्यक्रम के लिए आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या उक्त लक्ष्य उपलब्ध हुए अथवा नहीं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति
(1980-81—1983-84)

(लाख रुपये में)

1.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जतियों के सहाय्यित परिवारों की संख्या	1,60,987
2.	कुल सहाय्यित परिवारों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के परिवारों का प्रतिशत	36.88*
3.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर अन्य वर्गों के सहाय्यित परिवरों की संख्या	2,75,523
4.	कुल सहाय्यित परिवारों की संख्या	4,36,510
5.	सहायता देने के लिए कुल परिवारों का लक्ष्य	8,04,000
6.	लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि	54.29
7.	कुल आबंटन (जिसमें केन्द्र और राज्य का अंश शामिल है)	9045.00
8.	केन्द्रीय आबंटन	4522.50
9.	केन्द्रीय बंटन	1319.92**
10.	कुल व्यय (राज्य के अंश सहित)	3001.12
11.	कुल आबंटन के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय	33.18

* मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहाय्यित कुल परिवारों का कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के होने चाहिए।

** 1980-84 के दौरान किए गए केन्द्रीय बंटनों के अलावा, 1978-80 में केन्द्रीय सरकार द्वारा बंटित की गई 660.62 लाख रुपये की राशि भी अप्रयुक्त बकाया के रूप में उपलब्ध थी।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में धान/चावल की वसूली

3016. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान/चावल का वसूली मूल्य निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार वर्तमान वसूली मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह से धान/चावल की वसूली करती है; और

(घ) यदि हां, तो वहां गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार क्या मूल्य निर्धारित किया गया है और वास्तव में कितनी मात्रा में वसूली की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम 1984-85 के दौरान भारत सरकार ने साधारण, बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों में धान का समर्थन मूल्य क्रमश: 137 रुपये, 141 रुपये तथा 145 रुपये प्रति क्विंटल की दर से घोषित किया है। एक विवरण संलग्न है जिसमें खरीफ मौसम 1984-85 के दौरान लेवी के प्रयोजन के लिए चावल का वसूली मूल्य दिया गया है।

(ग) और (घ) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में चावल पर कोई लेवी नहीं है। इस संघ राज्य क्षेत्र में मूल्य समर्थन पर धान/चावल की नगण्य मात्रा वसूल की जाती है।

विवरण

1984-85 विपणन मौसम के लिए लेवी चावल का वसूली मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	साधारण	बढ़िया	बहुत बढ़िया
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	227.40	233.70	240.00
2. असम	225.55	235.35	241.70
3. बिहार	219.12	227.50	233.65
4. गुजरात	210.60	216.40	222.15

1	2	3	4
5. हरियाणा	233.90	247.60	256.15
6. कर्नाटक	216.45	222.45	228.45
7. मध्य प्रदेश	223.55	229.72	235.90
8. उड़ीसा	228.30	234.00	240.95
9. पंजाब	230.75	244.25	252.70
10. राजस्थान	223.95	235.35	241.70
11. उत्तर प्रदेश	217.65	223.50	234.75
12. पश्चिमी बंगाल	217.18	225.40	231.45
13. चण्डीगढ़	230.75	244.25	252.70
14. दिल्ली	219.05	231.90	239.90
15. पाण्डिचेरी	211.65	217.60	—

नोट : 1984-85 के लिए मूल्यों में बोरों का मूल्य शामिल नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन की सुविधाओं का विस्तार

[हिन्दी]

3017. **श्री डी०के० सुल्तानपुरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन की सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी०एन० गाडगिल) : हिमाचल प्रदेश में और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है । हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना भावी योजना अवधियों के दौरान इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

साकेत और लोधी एस्टेट में खाली पड़े फ्लैट

3018. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि साकेत और लोधी कम्पलैक्स क्षेत्र में बहुत

से तैयार फ्लैट खाली पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन फ्लैटों का निर्माण कब हुआ और उनके खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) लोधी काम्पलैक्स में कोई भी तैयार फ्लैट खाली नहीं पड़ा है। महरौली बदरपुर रोड क्षेत्र (साकेत) में हाल ही में विभिन्न टाइप के 572 फ्लैट पूर्ण किए गए हैं, इनमें केवल बाह्य वैद्युतीय सेवा कार्य, जो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही बाह्य वैद्युतीय सेवा कार्य दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पूर्ण कर दिया जायेगा, इन फ्लैटों को आबंटन हेतु रिलीज कर दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में पान पत्ता अनुसंधान केन्द्र

[अनुवाद]

3019. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में एक सम्पूर्ण पान पत्ता अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 21 मार्च, 1983 को पश्चिम बंगाल में विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बी०सी०के०वी०वी०) कल्याणी में पान पर पूर्ण स्तरीय अनुसंधान केन्द्र की स्वीकृति दी है।

(ख) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में स्थित ऊतक पालन एकक सहित एक समन्वित कक्ष के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में पान अनुसंधान प्रायोजना के 8 केन्द्र हैं। विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय इस प्रायोजना का एक केन्द्र है जिसे 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है तथा जिसे 3,27,580/- रु० की कुल लागत पर 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। इस प्रायोजना को मार्च, 1985 के बाद भी सातवीं योजना की प्रायोजना के रूप में जारी रखने का प्रस्ताव है। प्रायोजना के अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं।

(i) पान के प्रमुख रोगों तथा कीटों का निदान तथा नियंत्रण।

(ii) पान की खेती की कृषि बागवानी प्रौद्योगिकियों में सुधार ।

(iii) देश ने पान की किस्मों का पता लगाना तथा संरक्षक और उपजाति सुधार ।

(iv) जनित्रद्रव्य सामग्री के संरक्षक के लिए पान के ऊतक पालन पर अनुसंधान ।

(v) अन्य जो भी प्रमुख समस्याएं हों ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

25 कि०मी० रेन्ज के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का रेंज बढ़ाना

[हिन्दी]

3020. **श्री विष्णु मोदी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस समय देश में चल रहे 25 कि०मी० रेंज के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की रेंज को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर 25 कि०मी० रेंज के ट्रांसमीटर लगे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अजमेर, राजस्थान के 25 कि०मी० रेंज के ट्रांसमीटर को हटाकर जोरागढ़ किले में लगाने का है जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है; और

(घ) यदि हां, तो इस नये ट्रांसमीटर की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी०एन० गाडमिल) : (क) व्यापक दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध करने की अनुमोदित योजना के अनुसार कुछ उन अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों, जिनकी औसत सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर है; के स्थान पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं ।

(ख) राजस्थान में अल्पशक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर सूरतगढ़, गंगा नगर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, खेतड़ी, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, जेसलमेर तथा बाड़मेर में कार्य कर रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं । अजमेर के अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर को स्थानान्तरित करने या इसके स्थान पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है ।

राजस्थान के जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना, भावी योजना अवधियों के दौरान इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

समाज के सभी वर्गों के लिए राष्ट्रीय आवास योजना

[अनुवाद]

3021. **श्री शरद दिघे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जल्द ही एक ऐसी राष्ट्रीय आवास योजना तैयार करने जा रही है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए आवास की परिकल्पना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) देश में आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बनायी जा रही हैं जिन्हें सातवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा । इस योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिये जाने की सम्भावना है ।

नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों को आवास का आबंटन

3022. **श्री चित्त माहाटा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों को आवासीय इकाइयों का आंबटन करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने कर्मचारियों को आवसीय एकक आबंटित नहीं किए गए हैं और वे पिछले 15 वर्ष से उसके लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका, सम्पदा निदेशालय द्वारा नियन्त्रित सामान्यपूल रिहायशी वास के आबंटन के लिए पात्र कार्यालय नहीं है । तथापि, नई दिल्ली नगरपालिका को उनके कर्मचारियों को आबंटन के लिए सामान्यपूलक वास के कुछ एकक उनको सौंपे गये हैं ।

(ग) जी, हां । पालिका वास के आबंटन के लिए कई कर्मचारी प्रतीक्षा में हैं ।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका अपने कर्मचारियों के लिए क्वाटरों का निर्माण करने हेतु भारत सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और कर्मचारियों को आबंटन के लिए किराया खरीद आधार पर फ्लैट मुहैया करने के लिए भी दिल्ली विकास प्राधिकरण से उन्होंने अनुरोध किया है।

बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

3023. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए इस समय उपलब्ध सरकार क्वार्टर, कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रयोग के लिए बंगलौर शहर में और क्वार्टरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि के आबंटन के लिए राज्य सरकार अथवा बंगलौर विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। विभिन्न टाइपों के लगभग 170 क्वार्टरों को निर्मित करने का प्रस्ताव है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने क्वार्टरों के निर्माणार्थ भूमि के आबंटन हेतु बंगलौर विकास प्राधिकरण से सम्पर्क किया था।

संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिक केन्द्र खोलना

3024. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष विभिन्न राज्यों में संयुक्त ग्रमीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्र खोलने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रमीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्दाकर) : (क) और (ख) जी हां। संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना एक नई योजना है, जिसे

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है।

बम्बई दूरदर्शन पर मराठी कार्यक्रमों को दिया गया समय

3025. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की कुछ शिकायतें हैं कि बम्बई दूरदर्शन पर मराठी के कार्यक्रमों को पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या करने का विचार है; और

(ग) बम्बई दूरदर्शन पर विभिन्न भाषाओं के लिए प्रति सप्ताह औसतन कितना समय आबंटित किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र बम्बई दर्शकों की बड़ी संख्या वाले भाषायी समूहों से युक्त महानगरीय क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। विभिन्न भाषायी समूहों से मराठी सहित उनकी अपनी भाषाओं में और अधिक कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर सुझाव मिलते रहते हैं। इन अनुरोधों को प्रेषण समय, केन्द्र में उपलब्ध निर्माण सुविधाओं आदि के अन्दर स्वीकार करने का प्रयास रहता है। दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई में दूसरा टी०वी० चैनल चालू करने की हाल ही अनुमोदित की गई स्कीम के कार्यान्वित हो जाने पर मराठी कार्यक्रमों के लिए कुछ और समय उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई द्वारा प्रति सप्ताह मूल रूप से टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की अवधि के रूप में, मराठी के कार्यक्रम की अवधि पिछले 13 सप्ताहों की औसत के आधार पर, 61 प्रतिशत, हिन्दी के कार्यक्रमों की अवधि 17 प्रतिशत गुजराती के कार्यक्रमों की अवधि 10 प्रतिशत, अंग्रेजी के कार्यक्रमों की अवधि 6 प्रतिशत और उर्दू के कार्यक्रमों की अवधि 2 प्रतिशत है। केन्द्र द्वारा सिंधी, कोंकणी, संस्कृत, आदि जैसी अन्य भाषाओं के कार्यक्रम भी टेलीकास्ट किए जाते हैं।

कृषि उत्पादन मूल्य निर्धारण समितियां

3026. **श्री एम०बी० रत्नम** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की अपनी कृषि उत्पाद मूल्य निर्धारण समितियां हैं,

(ख) क्या सभी राज्य अपनी समितियां गठित करने की लम्बे समय से मांग कर रहे हैं; और

(ग) उन्हें अपनी मूल्य निर्धारण समितियां गठित करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

देश में कृषि उत्पादों के लिए लागत सूचकांक

3027. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की भांति देश में कृषि उत्पाद के लिए कोई लागत सूचकांक है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजन के लिए कोई तंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : का देश में कृषि उत्पादन के लिए कोई लागत सूचकांक नहीं है। तथापि, लागत संरचना का अध्ययन करने तथा फसलों की उत्पादन लागत प्राप्त करने के लिए प्रमुख फसलों की खेती-उत्पादन की लागत का अध्ययन करने की एक वृहत योजना 1970-71 से चल रही है। इस योजना का लक्ष्य वास्तविक तथा वित्तीय दोनों रूपों में आदानों तथा उत्पादनों पर प्रतिनिधि आंकड़े एकत्र करना तथा उनसे प्रमुख चुनिंदा राज्यों में मुख्य फसलों की खेती की लागत और प्रति क्विंटल उत्पादन लागत प्राप्त करना है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा उत्पादन अनुमान लागत संबंधी विशेष विशेषज्ञ समिति (सेन समिति) मुख्य फसलों के लिए लागत सूचकांक बनाने का सुझाव देती हैं। यह सुझाव सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया है।

मद्रास दूरदर्शन में दूसरे चैनल का प्रावधान

3028. **श्री आर० अन्नानाम्बी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास दूरदर्शन में दूसरे चैनल का प्रावधान करने का विचार कर रही है:

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास में दूसरे टी०वी० चैनल की व्यवस्था करने की स्कीम हाल ही में अनुमोदित कर दी गई है। सेवा के 1985 के अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटना से प्रकाशित उर्दू समाचार पत्र

[हिन्दी]

3029. **श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना से प्रकाशित उर्दू दैनिक समाचार पत्रों के क्या नाम हैं;

(ख) इन समाचार पत्रों को 1983 से 20 मार्च, 1985 तक "डी०ए०वी०पी०" द्वारा कितने विज्ञापन आबंटित किए गए;

(ग) क्या सरकार को विज्ञापनों के आबंटन में उर्दू समाचारपत्रों के विरुद्ध भेदभाव की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) क्या भेदभाव के मामलों की जांच करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 1983-84 के दौरान पटना से प्रकाशित होने वाले उर्दू के 15 उन दैनिक समाचार पत्रों, जो उसकी माध्यम सूची में शामिल, में 38,757 कालम सेंटीमीटर स्थान का उपयोग किया। वर्ष 1984-85 के बारे में इसी प्रकार की सूचना संकलित की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	दैनिक समाचार पत्र का नाम
1.	साथी
2.	हमारा नारा
3.	सदा-ए-आम
4.	कौमी तंजीम
5.	एक कौम
6.	सदाकन्त
7.	संगम
8.	कौमी आवाज
9.	नवाई-ए-शुभ
10.	अजीमाबाद एक्सप्र स
11.	कोहकान
12.	कौमी स्वर
13.	हालात-ए-बिहार
14.	पैगाम-ए-बिहार
15.	पैगाम-ए-नेहरू
16.	मोसल्लस
17.	रहरक
18.	देश-विदेश
19.	लीग
20.	हमारा बिहार

21. इन दिनों

22. अजीमाबाद मेल

23. पैगाम-ए-संजय

24. ताऊस

25. गरम हवा

26. दो शब्द

27. सदा-ए-मशरीकी

28. कल की दुनियां

29. प्यारी उर्दू

30. गुजायत

31. जनूबी बिहार

32. भविष्य वाक

33. इसार

अशोक विहार की झुग्गियों का हटाया जाना

[अनुवाद]

3030. **श्री डूंगरलाल बैठा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक विहार (चरण-1) दिल्ली के प्रायः सभी नर्सरी पार्कों में तथा विशेष रूप से 'बी' और 'सी' ब्लाकों के बीच स्थित नर्सरी पार्क में अनेक झुग्गियां खड़ी कर ली गई हैं; यदि हां तो सरकार का विचार इन झुग्गियों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इनमें से अनेक झुग्गी-वासियों को वैकल्पिक भूमि आवंटित की जा चुकी है लेकिन वे फिर भी उन्हीं झुग्गियों में रह रहे हैं और यदि हां, तो इन झुग्गियों को न गिराये जाने की क्या कारण हैं; और

(ग) इन झुग्गियों को सम्भवतः किस तारीख तक खाली करवा करके गिरा दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) अशोक विहार में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनमें अशोक विहार चरण-1 के बी तथा सी ब्लाकों के मध्य पार्कों के बाह्य युक्त क्षेत्रों में 19 और 12 झुग्गियों वाले दो झुग्गी समूह शामिल हैं। उन्हें हटाने की कार्यवाही केवल तभी सम्भव हो सकती है जब इन झग्गी निवासियों को आबंटन के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध हो जायें।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले आबंटन के पूरे ब्योरों की अनुपस्थिति में यह सत्यापित करना सम्भव नहीं हो सका कि इन झुग्गी झोपड़ी निवासियों को पहले भी वैकल्पिक आबंटन किये गये है अथवा नहीं।

(ग) वैकल्पिक स्थलों की उपलब्धता पर झुग्गियों का हटाना निर्भर करेगा। इसलिए इस स्तर पर उनको हटाने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

कृषि में न्यूनतम मजूरी लागू करना

3031. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में न्यूनतम मजूरी लागू करने की योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजनाएं संगठित और असंगठित क्षेत्र में कृषि मजदूरों को किस सीमा तक सहायक सिद्ध होंगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और संशोधन अधिकांशत: सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1984 के उपबन्धों के अधीन किया जाता है। निर्धारिक मजदूरी को लागू करने की जिम्मेदारी भी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की ही है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, कृषि में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। कुछ राज्यों जैसे गुजरात, बिहार, और पंजाब ने इस प्रयोजनार्थ अलग तंत्र गठित किए हैं। अन्य राज्यों ने अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति करके और श्रम विभाग के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों को अधिनियम के अधीन निरक्षकों की शक्तियां प्रदत्त करके अपने प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया है। न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन को देखने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा त्रिपक्षीय कार्यान्वयन समितियां भी गठित की गई हैं। अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्डों का गठन किया है। केन्द्रीय सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने और इसे लागू करने को नियमित रूप से मानीटर कर रही है।

केन्द्रीय सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु अभी हाल ही में एक नई योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत सबसे पहले वित्तीय सहायता राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मणीपुर राज्यों को दी जाएगी ताकि वे ऐसे ब्लोकों में 200 निरीक्षक नियुक्त कर सकें जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषि श्रमिकों की संख्या 70% से अधिक है। सभी राज्य सरकारों को अभी हाल ही में सलाह दी गई है कि वे कृषि में न्यूनतम मजदूरी का संशोधन करने तथा इसे लागू करने के लिए किए गए उपायों की गहन समीक्ष करें। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन कृषि तथा अन्य अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी को लागू करना एक सतत प्रक्रिया है जिसे मंत्रालय में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत श्रमिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। कृषि में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने की विभिन्न स्कीमों जैसे "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" और ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम" द्वारा अनुपूरित किया जाता है जिनका कृषि क्षेत्र में मजदूरी बढ़ाने पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

आयातित सामान के बारे में विज्ञापन पर रोक

3032. **बी० के० गड़वी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयातित सामान विशेषकर इलैक्ट्रानिक के सामान और घड़ियों के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित अनेक विज्ञापनों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने का है ताकि आयातित वस्तुओं के प्रति रुचि को रोका जा सके; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जाने का विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाड़गिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन में सामान्य सहायकों को निर्माण सहायकों (प्रोडक्शन असिस्ट्रेंट्स) के रूप में लगाया जाना

3033. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन में इस समय केन्द्र वार कितने सामान्य साहायक कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन पदों को समाप्त करने के आदेश दिए हैं;

(ग) इनमें से कितने सामान्य सहायकों को निर्माण सहायकों के रूप में खपाया गया था; और

(घ) शेष सभी सामान्य सहायकों को निर्माण सहायकों (प्रोडक्शन असिस्टेंट्स) के रूप में कब तक खपाया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को उनके विकल्प तथा स्क्रीनिंग के अधीन रहते हुए सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तित करने की योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायकों के पदों को लिपिक ग्रेड-2 के बराबर मान लिया गया है।

(ग) निर्माण सहायक के पद सामान्य सहायकों के पदों के लिए प्रोन्नति के पद नहीं हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूध की उत्पादन लागत

3034. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थान द्वारा दूध की उत्पादन लागत के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दूध की उत्पादन लागत का अनुमान लगाने की संतोषजनक तकनीक का विकास करने के लिए भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में मुख्य नमूना सर्वेक्षण किये है। इनवेंक्षणों के आधार पर एक प्रणाली-विकसित की गई और चार केन्द्रों में उसका परीक्षण किया गया। इन अध्ययनों से पता चला है कि आहार और श्रम लागत उत्पादन लागत के मुख्य घटक हैं। आहार उत्पादन लागत का 50% से 60% और श्रम 15% से 30% है।

भारत में और अन्य देशों में दालों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज

3035. **श्री वी० सोभानेद्रीसवारा राव :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न दालों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज क्या है और यह चीन, जापान नीदरलैण्ड, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों में प्रति हैक्टेयर उपज से किस प्रकार तुलनीय है;

(ख) क्या देश में कम उपज के कारण जानने के लिए कोइ अध्ययन किया गय है;

(ग) विदेश में अधिक उपज के क्या कारण हैं,

(घ) उपज बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ड.) निर्धारित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1983 के दौरान भारत में चना (चिक-पी) और कुल दलहन की औसत उपज, चुने गए देशों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ नीचे दी गई है :—

(किलोग्राम प्रति हैक्टार)

	चना (चिक-पी)	कुल दलहन
भारत	715	541
चीन	—	1239
जापान	—	957
नीदर लैंड	—	3857
फ्रांस	—	3369
ब्रिटेन	—	2624
संयुक्त राज्य अमेरिका	—	1617
विश्व	714	676

(ख और (ग) अन्य देशों की तुलना में भारत में कम उपज के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) सिंचाई के अन्तर्गत कम क्षेत्र लाना;

(2) दलहन की खेती अधिकतर सीमांत और उप सीमांत क्षेत्रों तक सीमित है, जिसके सम्बन्ध में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का निषेध है।

(3) उर्वरकों और वनस्पति संरक्षण उपायों का कम उपयोग; और

(4) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के तहत कम क्षेत्र लाना।

(घ) दलहन की उपज में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सिंचित क्षेत्रों में दलहन का विस्तार करना;

(2) रबी मौसम में अवशेष नमी का उपयोग करके चावल की परती भूमि में दलहन की अल्पावधि किस्मों के तहत अतिरिक्त क्षेत्र लाना;

(3) ग्रीष्म में सिंचाई करके अन्तर्वर्ती फसल के रूप में मूंग और उड़द की अल्पावधि किस्मों की खेती करना;

(4) सिंचित और गैर सिंचित दोनों ही स्थितियों में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्नाऔर मूंगफली में अरहर की अन्त: फसल लेना; और

(5) उन्नत बीजों का उपयोग करके, वनस्पति संरक्षण और मूल्य समर्थन सहित उन्नत पैकेज पद्धतियां अपनाकर उपज के स्तर को अधिकतम करना।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों विभिन्न केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के द्वारा दलहन के उत्पादन और उपज में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्न विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

(ङ) छठी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए दलहन उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य 130 लाख मीटरी टन। इसकी तुलना में, 1983-84 के दौरान 126.5 लाख मीटरी टन उत्पादन प्राप्त किया गया। 1984-85 के लिए अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं।

केरल के लिए आन्ध्र प्रदेश से चावल की वसूली

3036. श्री जी० एम० बनातवाला
श्री टी० बशीर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में उपलब्ध होने वाले चावल और वहां की मांग के बीच भारी अन्तर के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि केरल में आंध्र प्रदेश के उबले चावलों की किस्म को सबसे अधिक पसन्द किया जाता है;

(ग) क्या सरकार केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम को आंध्र प्रदेश से चावल प्राप्त करने की अनुमति देगी विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्र सरकार जिन राज्यों के पास फालतू चावल हैं वहां से गैर-सरकारी एजेंसियों को चावल खरीदने की मन्जूरी देता है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) राज्य सरकार ने कुल आवश्यकताओं की तुलना में चावल के आबंटन में कमी की सूचना दी है।

(ख) राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से चावल का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) केरल सरकार से इस संबंध में जब कोई अनुरोध प्राप्त होगा तो उसकी, इस बारे में सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए और समय-समय की परिस्थिति पर निर्भर करते हुए गुण-दोष के आधार पर जांच की की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की सप्लाई की योजनाएं

3037. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित पीने के पानी की सप्लाई की कोई योजना पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनकी अनुमानित लागत, लक्ष्य तिथियां तथा निर्माण की अवधि का ब्यौरा क्या है तथा इनसे कितने गांवों और जनसंख्या को फायदा होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या उन योजनाओं को जो अभी तक लम्बित पड़ी हैं और निर्माणाधीन हैं, चालू वर्ष 1985-86 में पीने के पानी की कमी और वर्तमान सूखे को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जलपूर्ति राज्य का विषय है। ग्रामीण पेय जलपूर्ति मुहैया करने की योजनायें राज्यों द्वारा बनाई और निष्पादित की जाती हैं। त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी राज्य में कार्यक्रम के लिए अनुदान समग्र रूप से जारी किए जाते हैं और न कि किसी विशेष योजना के लिए।

(ख) उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण की योजनाओं या पूर्ण होने वाली योजनाओं की संख्या के बारे में ठीक-ठीक सूचना केवल राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी। तथापि, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम (1977-78) को पुनः आरम्भ करने के समय से, हिमाचल प्रदेश में 3648.46 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर 9,43,296 की आबादी को लाभ पहुचाने के लिए 4883 गांवों को जलपूर्ति मुहैया करने की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन इस मन्त्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अतर्गत (1971 की जनगणनानुसार) 6,96,488 की आबादी वाले 3426 सास्याग्रस्त ग्रामों में इस योजना के आरम्भ से दिसम्बर, 1984 तक स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था की गई है।

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 8 के तहत राज्यों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने हेतु आयोजित बैठकों में, सभी राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक अधिक से अधिक समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करें। हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर, उच्च स्तरीय राहत समिति ने हिमाचल प्रदेश में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति के लिए 1984-85 में 27 लाख रुपये और 1985-86 में 15 लाख रुपए तक केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की थी।

उत्तर प्रदेश में किसानों को आलुओं के लाभकारी मूल्य

[हिन्दी]

3038. श्री जैनुल बशर : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादकों को आलुओं की उत्पादन लागत की तुलना में कम मूल्य मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में शीतभंडार गृहों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के बाद भी वहां बड़ी मात्रा में आलू खराब हो रहे हैं, और;

(ग) यदि हां, तो किसानों को आलुओं के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और इस

प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश में शीतभंडार गृहों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से चालू वर्ष के लिए अच्छी औसत किस्म के आलू का मूल्य 50 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने आलू की लाल किस्म के लिए भी 40 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया है। विपरण हस्तक्षेप सम्बन्धी कार्यवाई और किसानों को उचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से इन्हें निर्देशात्मक मूल्यों के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश में शीत भण्डारण क्षमता की कमी के कारण आलू सड़ने की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) किसानों की सहायता करने के लिए आलू विपरणन हस्तक्षेप संबंधी योजना राज्य में 19-1-1985 से चल रही है। इसे उत्तर प्रदेश सहकारी विपरणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपरणन संघ (नेपेड) के द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत सम्बन्धित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा 16 राज्यों में स्थापित किए गए 59 केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य पर खरीद की जाती है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में इस योजना के अन्तर्गत चार और राज्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। विपणन हस्तक्षेप सम्बन्धी कार्य जारी हैं।

कुल मिला कर उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश में शीत भण्डारण सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। निजी और सहकारी क्षेत्रों में कुल शीत भण्डारण क्षमता 1979-80 के 12 लाख मीटरी टन से बढ़ कर 1983-84 में 21.12 लाख मीटरी टन हो गई है। सहकारी क्षेत्र में 103 शीत भण्डारों में से जिनकी क्षमता 3.166 लाख मीटरी टन है, 59 यूनिटें जिनकी क्षमता 1.366 लाख मीटरी टन है स्थापित की जा चुकी है और 43 यूनिटें, जिनकी क्षमता 1.60 लाख मीटरी टन है, निर्माणाधीन हैं।

शीत भण्डार स्थापित करना, देश में आलू के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने की योजना का एक अनिवार्य अंग है। विश्व-बैंक कार्यक्रमों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम उत्तर प्रदेश सहित आलू उत्पादक राज्यों में सहकारी शीत भण्डारण क्षमता को बढ़ाने में सहायता कर रहा है।

भारतीय खाद्य निगम की गैर सरकारी ट्रांसपोर्टरों पर निर्भरता

[अनुवाद]

3039. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को विभिन्न पदार्थों; विशेष रूप से खाद्यान्नों की ढुलाई के सम्बन्ध में गैर सरकारी ट्रांसपोर्टरों/ठेकेदारों पर पूर्णतया निर्भर रहने के कारण भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय खाद्य निगम को ढुलाई सम्बन्धी नीति के पुनर्निरूपण अथवा ढुलाई के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों समेत विभिन्न जिन्सों के हैंडलिंग की मौजूदा प्रणाली इक्का-दुक्का मामलों को छोड़कर ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। जहां ट्रांसपोर्टरों/ठेकेदारों के कारण प्रचालन व्यवस्था अस्त-व्यस्त हुई है, वहां निगम द्वारा चूककर्ता ठेकेदारों के जोखिम और लागत पर वैकल्पिक प्रबन्ध किये गए हैं।

बीड़ी मजदूरों के लिए उपकर एकत्रित करना

[हिन्दी]

3040. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्र किए गए बीड़ी उपकर के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) बीड़ी मजदूर कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में मद-वार कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या भविष्य के लिए बीड़ी मजदूरों के कल्याण की कोई अन्य योजनाएं भी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) व्यय सम्बन्धी आंकड़े क्षेत्र-वार एकत्र किए जाते हैं। वर्ष 1983-84 में किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) निम्नलिखित कल्याण योजनाओं को लागू किया जा रहा है :—

(1) स्थिर और स्थिर व चलती-फिरती डिसपेंसरियों की स्थापना करना;

(2) अपना मकान स्वयं बनाओ योजना;

(3) बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना;

(4) बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना;

(5) तपेदिक के अस्पतालों में पलंगों को आरक्षित करना;

(6) बीड़ी श्रमिकों की सहकारी सोसाइटियों को शैडों और गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देना;

(7) कैंसर से पीड़ित श्रमिकों का इलाज करने पर वास्तव में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करना;

(8) स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक सेट ड्रेस खरीदने हेतु वित्तीय सहायता देना,

(9) खेल-कूद क्रीडाएं और सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए योजना;

(10) घरखाता श्रमिकों समेत बीड़ी श्रमिकों को निःशुल्क चश्मे सप्लाई करने की योजना ।

विवरण-एक

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत उपकर की प्राप्तियां

राज्य	1982-83	1983-84	1984-85 दिसम्बर तक
1	2	3	4
1. असम	45,495.68	47;394·34	32,202.65
2. बिहार	15,16,819.63	18,86,486.00	9,05,906,32
3. पश्चिमी बंगाल	21,66,845.76	22,29,151.62	7,04,420.10
4. उड़ीसा	3,36,521.45	3,28'672.90	2,24,092.02
5. उत्तर प्रदेश	9,79,510.26	21,48,190.95	8,79,503.03
6. आंध्र प्रदेश	50,99,858.77	55,26,315.50	29,81,168.36
7. केरल	15,30,307.43	14,65,059.54	6,33,526.43
8. कर्नाटक	48,78;520.59	52,88,366.55	32,65,630.92

1	2	3	4
9. तमिलनाडु	41,54,248.02	45,13,604.83	21,76,858.67
10. राजस्थान	4,09,275.55	3,63,956.15	1,70,022.86
11. गुजरात	1,33,326.22	1,00,616.10	48,100.85
12. महाराष्ट्र	38,87,214.22	32,02,482.33	22,10,655.21
13. मध्य प्रदेश	70,53,368.84	74,75,186.37	51,16,692.45
कुल :	3,19,91,312.42	3,45,85,686.18	1,96,48,779.87

विवरण-दो

बीड़ी कर्मकार-कल्याण निधि के बारे में वर्ष 1983-84 के लिए क्षेत्रवार और मद-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाखों में)

क्षेत्र	मदें				
	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद (बिहार और उत्तर प्रदेश)	4.15	16.68	6.81	0.10	—
जबलपुर (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र)	4.45	14.50	18.00	0.08	—
बंगलौर (कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और केरल)	7.76	51.52	14.45	—	17.33
भीलवाड़ा (राजस्थान और गुजरात)	1.90	11.58	5.48	0.09	—

1	2	3	4	5	6
भुवनेश्वर (उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्य)	3.95	9.67	1.00	0.25	—

धान की फसल के लिए प्रति एकड़ पानी की आवश्यकता

[अनुवाद]

3041. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हमारे देश में औसतन प्रति एकड़ धान की फसल की सिंचाई के लिए पानी की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है तथा जापान चीन के तत्सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) अनुसंधान प्रयोगों के अनुसार कपास की काली मिट्टी में एक एकड़ धान की फसल के लिए पानी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में फालतू सिंचाई के रूप में पानी व्यर्थ किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या; और

(घ) विभिन्न माध्यमों और साधनों से किसानों में पानी व्यर्थ न करने की आवश्यकता का प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत, चीन और जापान में औसतन प्रति एकड़ सिंचित धान की फसल पर उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा क्रमश: 4032-8445 एम^3 3454 एम^3 और 2804-5242 एम^3 है ।

(ख) सिंचित स्थितियों के अन्तर्गत कपास की काली मिट्टी में प्रति एकड़ धान की फसल के लिए अपेक्षित पानी की मात्रा अनुसंधान परीक्षणों के अनुसार 7187 एम^3 है ।

सामान्य रूप में, पानी उपलब्ध होने पर सभी स्थानों पर कृषक धान के खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं । ऐसा इस आशंका के कारण किया जाता है कि अगली बार नहर में संभवत: पानी ठीक से न आए । इसके अतिरिक्त, कभी-कभी धान के खेतों में खरपतवारों के कारगर ढंग से नियन्त्रण के लिए भी अधिक पानी देने की जरूरत पड़ती है ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने अखिल भारतीय जल प्रबन्ध समन्वित प्रायोजना के माध्यम से जो देश में भा० कृ० अ० प० के संस्थानों/विश्वविद्यालयों के 34 केन्द्रों में फैले हुए हैं, धान की फसल के लिए पानी के सही उपयोग का प्रसार कर रही है। परिषद ने जल के नुकसान को कम करने और उसके उपयोग की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी स्थान विशेष के लिए उपयुक्त विधियों का प्रदर्शन किया है । अधिकांश स्थानों में ये कार्यक्रम परिचालन अनुसंधान प्रायोजना के नाम से जाने जाते हैं तथा इन्हें कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के सहयोग से चलाया जाता है। पानी के कारगर उपयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में कृषकों को जानकारी देने तथा उनके लाभ के लिए क्षेत्र दौरा, रेडियो वार्ता, एवं विस्तार व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है।

नई कृषि नीति

3042. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने मार्च, 1985 के दौरान देश को आश्वासन दिया था कि कृषि क्षेत्र में नव जीवन संचार के लिए केन्द्र द्वारा जल्दी ही विभिन्न कदम उठाये जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई नई कृषि नीति बनाई जा रही है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि हां, तो नइ नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्रधान मंत्री कृषि का और अधिक विकास करने हेतु, विशेष कर सातवीं पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में समय-समय पर विशेष बल देते रहे हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त सन्दर्भ में विभिन्न मामलों की जांच की जा रही है और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

निर्माण विहार में शापिंग सेंटरों, स्कूलों आदि के लिए नियत भूमि के लिए भुगतान

3043 **श्री कमलनाथ** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण विहार में पट्टाधारी अर्थात् सहकारी आवास निर्माण समिति ने वहां शापिंग सेन्टरों, स्कूलों आदि के लिए नियत भूमि के मूल्य का भुगतान कर दिया है और बिजली की लाइनों, पानी की लाइनें, सीवरों तथा भूमि को समतल बनाने जैसी सेवायें उपलब्ध करा दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि के इन प्लाटों के बिक्री धन में उक्त सहकारी समिति, जो कि भूमि की पट्टाधारी हैं जिसने इसके विकास पर भारी धन राशि जर्च की है, और जिसके प्रयास से प्लाटों का मूल्य बढ़ा है, का भागीदार क्यों नहीं बनेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) समिति के साथ निष्पादित करार की शर्तों के अनुसार विपणन केन्द्र, स्कूल इत्यादि के लिए उद्दिष्ट विकसित भूमि पट्टाकर्ता के अधीन है। पट्टाकर्ता को रियायती प्लाटों के लिए उद्दिष्ट भूमि के अतिरिक्त भूमि को किसी को भी और किसी भी तरीके से, जिसे वह उचित समझता हो, बेचने का अधिकार है। समिति किसी भी राशि अथवा उसके किसी भाग जो प्रीमियम के लिए अदा की गई हो अथवा समिति द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि के विकास पर खर्च की गई हो, को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं रखती है। अतः भूमि के ऐसे प्लोटों के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय में समिति के भागीदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गंदी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं की स्थिति

3044. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि बम्बई, कलकत्ता; हावड़ा, अहमदाबाद, कानपुर और पटना में गन्दी बस्तियों में रहने वाली अल्पसंख्यक, हरिजन और अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिलाओं की दशा अत्यधिक बुरी है;

(ख) क्या उनके लिए शौच, प्रसूति, सम्बन्धी सहायता और स्व-रोजगार कार्यक्रम जैसे कोई विशिष्ट कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) सरकार कलकत्ता और हावड़ा की गन्दी बस्तियों में महिलाओं के लिए किन विशेष कार्यक्रम पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) मलिन बस्तियों में रहन-सहन की स्थितियों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि; यह एक आम जानकारी का मामला है कि मलिन बस्ती वासियों की परिस्थितियां तथा विशेषकर उस श्रेणी जिसका माननीय सदस्य ने सन्दर्भ दिया है, नितान्त असन्तोषजनक हैं।

(ख) नगरीय मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत शौचालय सुविधाओं समेत इन क्षेत्रों की स्वच्छता परिस्थितियां सुधारी जानी है प्रसूति सहायता स्वास्थ्य देख भाल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार की योजनाओं

को यूनिसेफ सहायता से चयनित नगरों में गरीब लोगों को नगरीय मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए जा रहे नए नगरों में आरम्भ की जायेंगी।

(ग) कलकत्ता में इस क्षेत्र के कार्यक्रमों को कलकत्ता महानगर विकास प्रधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। बस्ती सुधार परियोजना के अन्तर्गत कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण मलिन बस्तियों में स्वच्छता एवम् अन्य सामुदायिक सुविधाएं कलकत्ता तथा हावड़ा समेत अपने क्षेत्र में मुहैया कर रहा है। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण बस्ती/मलिन बस्ती वासियों एवम् आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए प्रसूति तथा शिशु देख-भाल समेत एकीकृति समुदाय स्वास्थ्य कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव करता है। छोटे पैमाने के ठेकेदारी कार्यक्र म करने के तहत कलकत्ता महानगर विकास प्रधिकरण, कलकत्ता के चारों ओर एवम् हावड़ा में बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता/ऋण के प्रबन्ध द्वारा महिलाओं सहित मलिन बस्ती वासियों के बीच एवम् रोजगार उन्नत कर रहा है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू०एफ०पी०) के अन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास के लिए सहायता

3045 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर क्षेत्र और नहर प्रणाली का विकास करने और उन्हें पूरा करने हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम से किस प्रकार की सहायता उपलब्ध है;

(ख) उक्त नहर प्रणाली और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक-पृथक विश्व खाद्य कार्यक्रम का कुल योगदान क्या रहेगा और इस योजना के अन्तर्गत कितने अतिरिक्त कामगार लगाए जा सकते हैं; और

(ग) उक्त सहायता की शर्तें क्या हैं तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम अक्तूबर, 1968 से इन्दिरा गांधी नहर पर (जिसे पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था) कार्य करने वाले श्रमिकों को गेहूं, दालें, खाद्य तेला और स्प्रैटा दुग्ध चूर्ण के रूप में जिन्स सहायता मुहैय्या कर रहा है।

(ख) अब तक, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने उपरोक्त (क) में उल्लिखित प्रयोजन सम्बन्धी परियोजना के लिए 280 लाख अमरीकन डालर की अनुमानित लागत पर 102,000 मीटरी टन गेहूं और 10,000 मीटरी टन तेल तथा दलहनों जैसे अन्य जिन्स हैं। इस समय इस परियोजना पर

औसतन लगभग 25,000 कामगार रोजाना कार्यरत हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम से यह सहायता प्रत्यक्ष रूप में परियोजना संसाधन के अतिरिक्त नहीं है। चूंकि ये जिन्स बाजार मूल्य के प्रायः आधे पर उपलब्ध कराए जाते हैं, अतः इससे उसके पौषणिक स्तरों में सुधार होगा और उसकी निवल गृह आमदनी में वृद्धि होगी।

(ग) यह सहायता विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा उपहार के रूप में दी जाती है और इस देश में निःशुल्क निर्यात सुपुर्दगी की जाती है। राज्य की संभाल, परिवहन और प्रशासनिक खर्चे, यदि कोई हों तो पूरा करने के साथ-साथ सृजित धन-राशि के प्रयोग की योजना प्रस्तुत करनी होती है। यह धनराशि बाजार मूल्य के आधे पर जिन्सों की बिक्री की सहायता की वजह से सृजित होती है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 12.17 करोड़ रु० सृजित किया गया है, जिसमें से लगभग 7.22 करोड़ रुपए जून 1985 तक सामाजिक सुविधाओं और ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में उपयोग किए जाने की सम्भावना है और शेष धनराशि, 1988 तक मंजूर किए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी।

भारत में काली मिर्च की उत्पादकता

3046. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काली मिर्च की प्रति हेक्टेयर सबसे कम उत्पादकता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) काली मिर्च की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) भारत में काली मिर्च की उत्पादकता का लगभग 250 कि० ग्राम/हेक्टेयर का स्तर विश्व में काली मिर्च का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में इसके उत्पादकता स्तर से कम है।

(ख) काली मिर्च की कम उत्पादकता के कारण नीचे दिए गए हैं :—

1. उद्यान में अनुत्पादक, वृद्धावस्था, रोग प्रभावित और कृमि प्रभावित बेलों का बड़ी संख्या में होना।

2. काली मिर्च के उद्यानों की अपर्याप्त व्यवस्था।

(ग) 1. पन्नीयूर-1 काली मिर्च संतति उद्यान और [illegible] कटिंग के उत्पाद के अनुरक्षण हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और गोवा संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

2. भारत सरकार की शतप्रतिशत वित्तीय सहायता से एक अन्य योजना केरल में केरल कृषि विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र में कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

3. केरल सरकार ने नवीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया है, जिसके तहत विद्यमान काली मिर्च उद्यानों का 10,000 हेक्टार क्षेत्र और छठी योजना के दौरान राज्य क्षेत्र के तहत 5000 सेक्टोर क्षेत्र में नया पौध रोपण किया गया है।

4. केरल कृषि विकास परियोजना के तहत काली मिर्च पुर्नस्थापन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, इसके तहत राज्य में 17.500 हैक्टार क्षेत्र कवर किया जा रहा है।

बर्मा से चावल की खरीद

3047. **श्री जी० जो० स्वैल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 1983-84 में बर्मा से 500.000 टन चावल खरीदा था;

(ख) बर्मा को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और चावल का प्रति टन क्या मूल्य था;

(ग) क्या भारत ने 1984-85 में भी बर्मा से चावल खरीदा है; और

(घ) क्या भविष्य में बर्मा से चावल की खरीद जारी रखने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1983-84 में बर्मा से 3.50 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने का ठेका किया गया था।

(ख) इस चावल की जहाज पर निष्प्रभार कुल अनुमानित कीमत 679 लाख अमरीकी डालर थी तथा जहाज पर निष्प्रभार औसत लागत 194.00 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय चावल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3048. **श्री चिंतामणि जेना**
श्री एल० डेनिस : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू उत्पादक राज्यों में काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशेष उत्पादन और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्यक्रम किन.किन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है, और

(ग) इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा काजू का उत्पादन बढ़ाने में यह कहां तक सहायक होगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से काजू का उत्पादन बढ़ाने का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत मुख्य कार्यकलाप ये हैं कि 53775 हैक्टार क्षेत्र में नया पौध रोपण किया जाना है और काजू के वर्तमान पौध रोपण के 7500 हैक्टार क्षेत्र की उन्नत कृषि पद्धतियों के तहत लाया जाना है। उन्नत कार्मिक प्रवर्धन पद्धतियों और बेहतर कृषि तकनीक में क्षेत्रीय और पर्यवेक्षी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। काजू अनुसंधान केन्द्रों का सुधार तथा विस्तार करके और एक नया केन्द्र स्थापित करके काजू अनुसंधान को सुदृढ़ किया जा रहा है। नए पौध रोपण तथा वर्तमान पौध रोपण में सुधार करके और प्रबंध की बेहतर पद्धतियां अपनाने से आशा है कि काजू का उत्पादन काफी बढ़ जाएगा।

गोवा में गन्दी बस्तियों की समस्या

3049. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के नगरों में गन्दी बस्तियों की समस्या हल करने सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बारे में अब तक क्या कार्य किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए राज्य क्षेत्र योजना गोवा के शहरों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में जलपूर्ति; पथ प्रकाश, सड़कों पर खडंजे बिछाना, नालियों तथा मलनिर्यास, सामुदायिक स्नानगृह तथा सामुदायिक शौचालय आदि जैसी मूलभूत सुविधायें मुहैया की जाती हैं।

(ख) छठी योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 27.68 लाख रुपए व्यय करके 17800 मलिन बस्ती निवासियों को लाभान्वित किया गया था। 1984-85

के दौरान फरवरी, 1985 तक 4300 और मलिन बस्ती निवासियों को लाभान्वित करने के बारे में संघ राज्य क्षेत्र ने सूचना दी है।

अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया अनुसंधान

3050. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा किस प्रकार का अनुसंधान किया जा रहा है और भारतीय कृषि क्षेत्र में वह किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हुआ है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : भारत सरकार और सी० जी० आई० ए० आर० की ओर से कार्य करने वाले फोर्ड-फाउन्डेसन के मध्य इन्टरनेशनल क्राप्स रिसर्च इन्स्टीटयूट फार द सेमी एरिड ट्रापिक्स (इक्रीसेट) की स्थापना के लिए मार्च, 1972 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार, इक्रीसेट इस प्रकार कार्य करेगा :—(क) ज्वार, मोटे अनाज, अरहर, चौकपी तथा मूंगफली के सुधार के लिए विश्व केन्द्र (ख) सुधरी फसल पद्धतियों तथा खेती के प्रणाली के विकास तथा प्रदर्शन को बढ़ावा देने हेतु एक केन्द्र जोकि कम वर्षा वाले, असिंचित, मौसमी सूखा तथा अर्ध शुष्क उष्णकटिबन्ध में मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों का आशावादी उपयोग कर सकें। (ग) एक केन्द्र जो इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम या इन कार्यक्रमों के विस्तार का भार ले सके जैसाकि इसको शासी निकाय निर्धारित करे। इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियां समझौते में दी गई हैं जिसमें साथ-साथ यह शामिल होगा (i) पांच मैनडेट क्राप्स के उत्पादन से सम्बन्धित पौध प्रजनन सहित प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक समस्या पर अनुसंधान (ii) राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों के प्रजनन, सुधार तथा उत्पादन कार्यक्रमों के उपयोग के लिए मूल जनित्रद्रव्य तथा सुधरी हुई पौध सामग्री का संचयन मूल्यांकन, रखरखाव, परिचालन तथा वितरण (iii) अनुसंधान, शिक्षा तथा कार्यवाई कार्यक्रमों में लगे वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण (iv) अनुसंधान परिणामों का प्रकाशन और प्रचार।

इक्रीसेट द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि अनुसंधान, कृषि पद्धति के सुधार, अर्थशास्त्र, आनुवंशिक ससाधन और तकनिशियनों/छात्रों/वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने इक्रीसेट प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता की जांच के लिए फार्म प्रतिकरण, अध्ययन, अरहर को कीड़ों से होने वाले नुकसान [illegible] उपाय में पर्याप्त सुधार लाना, भा० कृ० अ० प० के साथ संयुक्त रूप से कृषि [illegible] एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, परम्परागत तथा उन्नत [illegible] पैदावार में होने वाले अन्तर की जांच आदि महत्वपूर्ण कार्य किया है। [illegible] ने इन कार्यों पर निगरानी रखी और ये उसकी अन्य विभिन्न अनुसंधान उपलब्धियों में [illegible] हैं। इसके साथ ही इसने पांच मैनडेट क्राप्स में महत्वपूर्ण सफलता पाई है। इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के कार्यक्रमों से [illegible] भारतीय वैज्ञानिकों को भी बहुत लाभ हुआ है।

1984 के दौरान फिल्मों का प्रमाणीकरण

3051. श्री के० राममूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दौरान सेंसर की गई फिल्मों के भाषावार और प्रमाणपत्रवार क्या आंकड़े हैं;

(ख) क्या 50 प्रतिशत से अधिक तमिल फिल्मों को "वयस्क" प्रमाणपत्र दिए गए थे; और

(ग) किन-किन फिल्मों को "एस" प्रमाणपत्र दिए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वर्ष 1984 के दौरान प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्मों के आंकड़े (भाषा-वार तथा प्रमाणपत्रवार) इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	भाषा	श्रेणियां				
		यू	यू ए	ए	एस	कुल
1		2		4	5	6
1.	हिन्दी	94	26	45	—	165
2.	गुजराती	29	1	—	—	30
3.	भोजपुरी	9	—	—	—	9
4.	मराठी	22	1	—	—	25
5.	पंजाबी	10	—	—	—	10
6.	हरियानवी	4	—	—	—	4
7.	ब्रज भाषा	1	—	—	—	1
8.	नेपाली	4	—	—	—	4
9.	अंग्रेजी	1	—	1	—	2
10.	उड़िया	12	—	2	—	14

1	2	3	4	5	6
11. मणिपुरी	2	—	—	—	2
12. खासी	—	1	—	—	1
13. असमिया	5	—	—	—	5
14. बंगला	26	4	5	—	35
15. तमिल	45	14	89	—	148
16. तेलुगु	91	4	75	—	170
17. कन्नड़	40	5	36	—	81
18. तुलु	1	—	—	—	1
19. मलयालम	65	10	46	—	121
20. राजस्थानी	2	—	—	—	2
21. उर्दू	—	1	—	—	1
22. गढ़वाली	1	—	—	—	1
23. सिंधी	1	—	—	—	1
कुल :	465	67	301	—	833

(ख) जी, हां।

(ग) किसी भी भारतीय फीचर फिल्म को "एस" प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया था। तथापि, निम्नलिखित डाकुमेंट्री फिल्मों को वर्ष 1984 के दौरान "एस" प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं :—

1. क्रिअटिव डेन्टिस्ट्री—एडैप्टिक (अंग्रेजी)

2. इन्फैक्शन कंट्रोल इन सर्जिकल पैशेन्ट्स (अंग्रेजी)

3. सुट्यूर्स नीडल्ज एण्ड स्किन क्लोजर मैटिरियल्ज (अंग्रेजी)

4. सर्जिकल स्क्रब प्रोसीजर (अंग्रेजी)

5. क्लोज्ड कफ मैथड आफ ग्लोइंग एंड ग्लोविंग टेक्नीक (अंग्रेजी)

6. प्रोक्सीमेट आई० क्यू० एस० स्टेप्लर (अंग्रेजी)

7. कंट्रोल रिलीज नीडल्ड सुट्यूर्ज (अंग्रेजी)

8. "फोकस" यूज आफ एंटीथ्रोम्बोटिक्स इन कंट्रोल्ड स्टडीज (अंग्रेजी)

9. मिनिलापरोटमी टेक्नीक्स (अंग्रेजी)

10. पेल्विक एग्जेमिनेशन फार कन्ट्रासैप्शन (अंग्रेजी)

11. पशुपालन (हिन्दी)

12. पेवरोनिकंस डिसेस सर्जिकल एक्सी न एक्सप्लेन एक्टोग्राफ टरनिका वाजिलीज (अंग्रेजी)

13. मैनेजमेंट आफ पोस्ट ट्रोमैटिक प्रांस्टाटोमी-ह्रपनकंस उरेथ्रल स्ट्रिक्चर (अंग्रेजी)

14. विजिट्स इन उरोलोजी रिवास्कुलडाईजेशन फार हारपरटेंशन (अंग्रेजी)

15. टेक्नीक आफ रेड्यिल रिप्रोपल्लिक प्रोस्टाफेक्टोमी (अंग्रेजी)

16. नेफ्रोस्टोलिथोदोमी: पर कुटानियस रिमूवल आफ रेनल/यूरेतरल स्टोन्स (अंग्रेजी)

17. विजिट्स इन यूरोजोजी: यूरिनरी इन्कटीनेंस इन वुमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फैक्शज (अंग्रेजी)

18. ऐटिकोलिनरजिक्स इन अनस्थेसिया: ए मैटर आफ सेफ्टी (अंग्रेजी)

19. एओरट फैमोरल विद् मेडाक्स फुली डबल वेलरग्राफ्ट (अंग्रेजी)

20. मार्डिफाइड ह्यूमन अम्बिलिकल वेन ग्राफ्ट एज एक्सेस भार कोमिक हिमोडायलीसिस (अंग्रेजी)

21. फेमोरल पैरानियल बाइपास विद् गलुटा रल्डेलीडे स्टेबिलाइज्ड अम्बिलिकल वेद ग्राफ्ट (अंग्रेजी)

22. फेमोरल पोपलिटियल बाइपास विद् गलुटा सहल्डेलिठे स्टेबिलाइज्ड ह्यूमन अम्बिलिकल वेन ग्राफ्ट (अंग्रेजी)

23. मीडोक्स डारडिजो बायोग्रफ्ट टेक्नीक फार अटिमल रिजल्ट्स (अंग्रेजी)

24. एक्सट्रा ऐनटामिकल बाइपास प्रोसीजर (अंग्रेजी)

25. सर्जरी फोर होइड्रोन्सेनहलुस यूजिम उपाध्याय खंट (अंग्रेजी)

26. इक्सप्लोजन फीट्स आफ ए बेथपुल्स फिल्टर सिस्टम विद् प्रेशर रिलीफ डिवाइसिस (मूक)

27. दि मिरेकल आफ लाइफ (अंग्रेजी)

देश में बाढ़ की स्थिति

3052. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में बाढ़ की स्थिति उतनी बुरी नहीं रही जितनी कि वर्ष 1983 के दौरान थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बाढ़ के बारे में राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर, 1984 तक लगभग 595 करोड़ रुपए की कुल क्षति हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1983 में 2460 करोड़ रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया गया था;

(घ) बाढ़ के कारण वर्ष 1984 में कौन-कौन से राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुए थे;

(ङ) क्या सभी राज्यों ने वर्ष 1984 में बाढ़ से हुई क्षति के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया था;

(च) इन राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई, और

(छ) वर्ष 1985 में बाढ़ के खतरे का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार फसलों, घरों तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं को बाढ़, समुद्री तूफान तथा भारी वर्षा के कारण हुई कुल हानि 1983 में 2495.75 करोड़ रुपए तथा 1984 में 1653.26 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

(घ) तथा (ङ) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने 1984 के दौरान बाढ़ों तथा समुद्री तूफान आने की सूचना दी है ।

(च) 1984-85 के दौरान बाढ़/समुद्री तूफान से प्रभावित राज्यों को अधिकतम निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है :

राज्य	(करोड़ रुपए में)
1. आंध्र प्रदेश	42·53 (1985-86 के लिए 12·79 करोड़ रुपए शामिल हैं)
2. असम	39·12
3. बिहार	58·94
4. कर्नाटक	कार्यवाही की जा रही है।
5. केरल	21·33
6. मध्य प्रदेश	5·91
7. मणिपुर	0·28
8. मेघालय	1·76
9. उड़ीसा	23·43
10. राजस्थान	4·99
11. सिक्किम	3·90
12. तमिलनाडु	27·96
13. त्रिपुरा	7·99 (1985-86 के लिए 0·68 करोड़ रुपए शामिल हैं)
14. उत्तर प्रदेश	47·89
15. पश्चिमी बंगाल	58·68 (1985-86 के लिए 10·65 करोड़ रुपए शामिल हैं)
16. पाण्डिचेरी	0·19

(छ) बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय है। बाढ़ विध्वंस कम करने के लिए अपेक्षित योजनाएं

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य योजनाओं के तहत तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। 128 लाख हैक्टार क्षेत्र बचाने के लिए मार्च, 1984 तक राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित बाढ़ नियंत्रणसं बंधी कार्य किए गए हैं :

(1) बांध	12531 कि० मी०,
(2) जल निकास नालियां	26942 कि० मी०
(3) नगरों को बचाया गया (संख्या)	353
(4) गांव बसाए गए (संख्या)	4696

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने देश के सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण बेसिनों में ठीक समय पर बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी संगठन स्थापित किया है, ताकि संबंधित प्राधिकरण राहत तथा बचाव के लिए अग्रिम कार्यवाही कर सकें। प्रत्येक वर्षा मानसून शुरू होने से पूर्व यह मंत्रालय, संकट का सामना करने हेतु तैयारी संबंधी आदर्श कार्यकारी योजना में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर तैयारी के अग्रिम उपाय करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखता है ताकि लोग आपदा के समय बेखबर होकर फंस न जाएं। इस वर्ष भी मानसून आने से पहले इसी प्रकार की सूचना भेज दी जाएगी ताकि ठीक समय पर उपयुक्त अग्रिम कार्यवाही करके हानि को कम से कम किया जा सके।

तमिलनाडु के लिए सूखा सहायता

3054. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) उक्त सूखा प्रभावित क्षेत्रों को अब तक कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है तथा केन्द्रीय सरकार का सूखा प्रभावित राज्यों की सहायता करने के लिए और क्या उपाय करने का विचार है, और

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र से 67 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1984-85 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों

ने सूखे की परिस्थितियों की सूचना दी और सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया।

(ख) अब तक इन राज्यों को 200.66 करोड़ रुपए की अधिकतम केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है। सरकार ने सूखे की तीव्रता को कम करने के लिए दीर्घकालीन उपायों के रूप में सूखा प्रवाण क्षेत्र कार्यक्रम, संकट विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, प्रोत्सहन योजना, बोनस, बारानी खेती योजना आदि जैसी कुछ योजनाएं पहले से ही शुरु की हुई हैं।

(ग) जी नहीं।

पश्चिम बंगाल में निमिता स्थित चैस्ट क्लिनिक के लिए धनराशि का आबंटन

3055. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मुर्शिदाबाद जिला (पश्चिमी बंगाल) में निमिता स्थित चैस्ट क्लिनिक मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों से संबंद्ध लाखों बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए इसलिये कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सकता क्योंकि उसकी औषधियों के लिए प्रतिवर्ष केवल 15,000 रुपये की धनराशि आबंटित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त आबंटन का राशि में वृद्धि करने का है ताकि उक्त क्लिनिक अपना कर्तव्य समुचित रूप से पूरा कर सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 में औषधियों पर 39,032/- रुपये खर्च किए गए हैं और चैस्ट क्लिनिक के काम-काज की पुनरीक्षा करने के पश्चात्, यदि आवश्यक हुआ तो औषधियों के लिए स्वीकृत राशि में वृद्धि की जाएगी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं का चयन

3056. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "निर्धनों में से निर्धनतम व्यक्तियों" में से लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन में

बाधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि बैंक अधिकारी इसमें ऋण देने हेतु व्यवहार्यता का अभाव पाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है/करने का विचार है कि लाभार्थियों का चयन इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान फरवरी, 1985 तक 15 मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य था, जबकि 15.6 मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी हैं। इससे यह स्पष्ट होगा कि कुछ चुने हुए लाभार्थियों के लिए बैंकों से ऋण जुटाने के फलस्वरुप यह संभव हो सका है।

(ख) और (ग) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1983-84 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन शुरू किया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

खाद्य तेल का आयात

3057. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों से खाद्य तेल का आयात किया गया है;

(ख) किस-किस ब्रान्ड का खाद्य तेल आयात किया गया है और किस दर पर; और

(ग) देश में खाद्य तेल की मांग की पूर्ति के लिए वर्ष 1985 के दौरान खाद्य तेल का आयात करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है तथा कितनी मात्रा आयात किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) व (ख) सरकार विभिन्न देशों से खाद्य तेलों का आयात, उनकी उपलब्धता, किसी तेल विशेष के लिए उपभोक्ता की पसन्द, उनकी प्रतियोगि दरें तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखकर में करती

है। वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान 846 करोड़ रुपये के मूल्य के 14.09 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था।

(ग) खाद्य तेल की आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय सरकार द्वारा समय-समय पर बहुत सी बातों, जैसे देशी तेलों की उपलब्धता, खाद्य तेलों की सम्भावित मांग और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति

3058. **श्री धन्पत थामस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियां हैं;

(ख) यदि हां, तो समितियों और उनके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान इन समितियों की आयोजित की गई बैठकों का क्या ब्यौरा हैं; और

(घ) इन समितियों ने वर्ष 1983, 1983 और 1984 में हुई अपनी बैठकों में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए अथवा सिफारिशें की ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) गठित की गई औद्योगिक समितियों, उनके सदस्यों तथा आयोजित की गई बैठकों के ब्यौरे विवरण एक में दिए गए हैं।

(घ) इन समितियों द्वारा किए गए निर्णयों की सिफारिशों का सार विवरण दो में दिया गया है।

विवरण-एक

क्रम संख्या	गठित की गई औद्योगिक समिति का नाम	सदस्य				आयोजित की गई बठकें		
		केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकारें	नियोजक	श्रमिक	1982	1983	1984
1.	जूट उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति	6	4	11	11	—	31-3-83 (पहली बैठक)	—
2.	बागान उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति	3	7	10	10	—	19-3-83 (पहली बैठक)	—
3.	रसायन उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति	4	6	12	12	—	13-9-83 (पहली बैठक)	—
4.	इंजीनियरिंग उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति	5	8	11	11	—	22-12-83 (पहली बैठक)	—
5.	सूती कपड़ा उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति	2	9	11	11	—	—	—

विवरण-दो

औद्योगिक समितियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों/सिफारिशों का सार

जूट उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति	समिति ने निर्णय लिया कि पश्चिम बंगाल सरकार को जूट उद्योग ट्रेड युनियनों तथा नियोजक संगठनों को शीघ्र त्रिपक्षीय बैठ बुलानी चाहिए ताकि मांग-पत्र तथा राज्य श्रम मंत्री द्वारा जूट मि श्रमिकों के कार्य भार और वेतन के ग्रेडों तथा वेतनमानों में संशोध के संबंध में वर्ष 1979 में दिए गए करार पंचाटों को लागू न करने बारे में विचार-विमर्श किया जा सके और यह मामला छह माह भीतर तय किया जा सके। यदि प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक किस निर्णय पर पहुंचने में असफल रहती है तो इस मामले को औद्योगि विवाद अधिनियम के अधीन तय किया जाए। पश्चिम बंगाल के श्र मंत्री को उस राज्य में जूट मिलों में कामबन्दी, तालाबन्दी और जबर छुट्टी के मामलों को निपटाने के लिए एक बैठक बुलानी चाहिए औ इस मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधि मंत्रालय के अधीन एक कानूनी सेल गठित करने तथा दोषी मिलों द्वारा भविष्य निधि की बकाया राशि अदा न करने पर जूट मिलों को सहायता के रूप में भुगतान के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के पास बाकी पड़ी राशि को समजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जांय। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय जूट उद्योग में सुरक्षा के बारे में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देगा। राज्य सरकारें इस संबंध में की गई कार्यवाई के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। वे राज्यों में निरीक्षण तंत्र को भी सुदृढ़ बनाएंगे।
बागान उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति	यह निर्णय लिया गया कि जो राज्य सरकारें बागान श्रम अधिनियम और नियमों को लागू कर रही है, उन्हें इसके कानूनी उपबन्धों को पूर्णतः लागू करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए और पीने का पानी, चिकित्सा सुविधाओं, शिशुगृहों आदि की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिएं। जहां तक राज्यों में आवास सुविधाओं का सम्बन्ध है, यह सुझाव दिया गया कि इन सदस्यों पर पहले सम्बन्धित राज्यों के आवास सलाहकार बोर्डों/समितियों में विचार-

विमर्श किया जाना चाहिए और निर्माण और उनकी सिफारिशों, आवास मन्त्रालय को भेजनी चाहिए। उनकी टिप्पणियां प्राप्त कर लेने के पश्चात्, इस मामले पर श्रम मन्त्रालय द्वारा वित्त मन्त्रालय के साथ आगे कार्यवाई की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा बन्द पड़े तथा रुग्ण बागानों का अधिग्रहण करने के बारे में, यह सुझाव दिया गया कि श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधि इस मामले पर एक ज्ञापन तैयार करें और उसे वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री को प्रस्तुत करें। इसके बाद सम्बन्धित मन्त्रियों के साथ बैठक भी की जा सकती है ताकि बागान उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्या को उनके ध्यान में लाया जा सके।

रसायन उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति

रेयन और स्टेपल फाइबर इंडस्ट्रीज में छंटनी, जबरी छुट्टी, तालाबन्दी और कामबन्दी के बारे में, समिति ने निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में एक नोट बनाया जाय और वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा जाँच करने हेतु उन्हें भेजा जाय। यह निर्णय लिया गया कि प्रदूषण से बचने के लिए तुरन्त और समुचित उपाय किए जाने चाहिएं।

दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

3059. **श्री डाल चन्द्र जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पन्ना और दमोह जिलों जैसे क्षेत्रों में, जहां आस-पास के क्षेत्रों में कोई दूरदर्शन केन्द्र नहीं है, दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग किया जा रहा है। इस प्रकार, पन्ना और दमोह सहित देश के जिन भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करना भावी योजना अवधियों के दौरान दूरदर्शन के विस्तार के लिए संसाधनों के वास्तविक आबंटन पर निर्भर करेगा।

लेवी चीनी का मूल्य बढ़ाना

3060. **श्री सी० डी० गामित :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकों को अलाभकारी मूल्य दिए जाने के कारण सहकारी चीनी मिलों

के प्रबंधकों ने लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि करने तथा गैर-लेवी की चीनी का कोटा बढ़ाने की अनुमति देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेंद्र सिंह): (क) और (ख) नेशनल फेडरेशन आफ-को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड से, जो राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र में फैक्ट्रियों के लिए शीर्षस्थ संस्था है, ऐसी कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इस क्षेत्र में पेश आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में तथा लेवी मूल्यों में संशोधन करने के लिए चालू मौसम के दौरान विभिन्न एसोसिएशनों/संस्थाओं तथा व्यक्तिगत चीनी फैक्ट्रियों से समय-समय पर सामान्य प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न मुद्दों और सुझावों की जांच की गई है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देने की अवश्यकता शामिल है, सरकार ने 1 अप्रैल, 1985 से संशोधित लेवी मूल्य अधिसूचित किए हैं।

गुजरात को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

3061. **श्री सी० डी० गामित**: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1984 के दौरान प्रत्येक तिमाही में चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, मिट्टी के तेल और खाद्य तेलों की कितनी-कितनी मात्रा मांगी थी;

(ख) उक्त उत्पादों की कितनी-कितनी मात्रा मंजूर की गई और वास्तव में कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(ग) गुजरात की मांग पूरी न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) खाद्यान्नों तथा खाद्य तेलों के आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं। अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थिति ऊपर उल्लिखित विवरण में बताई गई है।

विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

वस्तु		जनवरी से मार्च, 1984	अप्रैल से जून, 1984	जुलाई से सितम्बर, 1984	अक्तूबर से दिसम्बर, 1984
चावल	मांग	75.0	75.0	75.0	75.0
	आबंटन	22.5	22.5	22.5	22.5
	उठान	21.7	24.6	23.5	22.0
गेहूं	मांग	84.5	95.7	99.8	121.8
	आबंटन	89.4	89.4	111.9	122.7
	उठान	18.5	28.9	37.5	50.3
चीनी	मांग	*	*	*	*
	आबंटन%	46.1	46.1	46.1	46.1
	उठान	@	@	@	@
मिट्टी का तेल	मांग	**	**	**	**
	आबंटन	138.2	128.9	127.6	144.2
	उठान (बिक्री)	137.8	128.7	126.7	143.9
खाद्य तेल	मांग+	26.0	26.0	26.0	26.7
	आबंटन	14.5	16.8	24.0	23.0
	उठान	4.9	19.8	25.7	19.8

मोटे अनाज : कोई नियमित मांग अथवा आबंटन नहीं है।

* लेवी चीनी के मासिक कोटे का आबंटन राज्य सरकार से प्राप्त जरूरत अथवा मांग के आधार पर नहीं है, बल्कि 1-10-1983 को परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर है ।

% इसमें सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आबंटित की गई अल्प मात्रा शामिल नहीं है।

@ आबंटित लेवी चीनी को राज्य सरकार स्वयं अपने नामितों के जरिये फैक्ट्रियों से उठाने की व्यवस्था कर रही है।

** गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की मांग जरूरत का मूल्यांकन पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान किए गए आबंटनों में 5%वृद्धि की अनुमति देकर चार मास के खण्ड वर्ष के आधार पर किया जाता है। नियमित आबंटन के अतिरिक्त, बाढ़, सूखे चक्रवात, एल० पी० जी० तथा साफ्ट कोयले की जैसी विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त तदर्थ निर्मुक्तियां भी की जाती है।

+ तिमाही औसत आधार पर गणना की गई है।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

3062. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में उनके मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) इन बैठकों में कौन से प्रस्ताव पारित किए गए, और

(ग) इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) कृषि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक 1984 के दौरान हुई थी।

(ख) और (ग) समिति ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। तथापि, समिति ने प्रगति की समीक्षा की और सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैकेटों में खाद्य तेलों की सप्लाई

[अनुवाद]

3063. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरों के बाजारों में शोधित आयातित खाद्य तेलों की मांग के दबाव को कम करने के लिए छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैकेटों में उक्त तेल की सप्लाई करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में आयातित खाद्य तेलों को पैकेटों में बन्द करने का विकेन्द्रीकरण और विस्तार करके उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात की आवश्यकता पर भी विचार किया है और इस पर बल दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाए कि उपभोक्ताओं को विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) छोटे पैक राज्य सरकारों को अथवा उनके द्वारा नामित अभिकरणों को दिये जाते हैं, जो उन्हें नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों/सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। शुरू में, यह योजना चार महानगरों, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में शुरू की गयी थी, परन्तु अब यह योजना बीस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों में लागू की जा चुकी है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान वैजीटेबल आयल्स कारपोरेशन आयातित खाद्य तेलों को छोटे पैकों में पैक कर रहा है। इस निगम ने विभिन्न राज्यों में पैकिंग यूनिटों की स्थापना की है।

(घ) जी हां।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित प्लाटों का खाली रहना

3064. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में 1975-76 के दौरान लाटरी के माध्यम से आबंटित प्लाट अभी तक खाली पड़े हैं और आबंटितियों ने भवनों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया है; और

(ख) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विचार है कि ये आबंटी अपने प्लाटों को ऊंचे लाभ पर मुख्तारनामे पर न बेच दें ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सावधानी बतौर भूमि के अन्तरण वाले सामान्य मुख्तारनामें के पंजीकरण बन्द कर दिए हैं। पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार, सिवाय दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन के, आवंटी को 10 वर्ष की अवधि के भीतर प्लाट के अपने अधिकारों को पुनः बेच देने अथवा अन्तरण करने की अनुमति नहीं दी जाती है। जब भी पट्टे की शर्तों के उल्लंघन अथवा मुख्तारनामे पर आधारित सौदे उनके ध्यान में आते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण सम्बन्धित आवंटियों के पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही करता है।

दिल्ली में वनस्पति घी की सप्लाई

3065. **श्री राम बहादुर सिंह**
श्री काली प्रसाद पाण्डेय } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वनस्पति घी के मूल्य वनस्पति उत्पादकों के साथ परामर्श करके निश्चित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो निश्चित किये गये नये मूल्य क्या ;

(ग) खुले बाजार में वनस्पति घी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है;

(घ) क्या इससे पहले राशन कार्डधारी अपने वास्तविक उपयोग के लिए वनस्पति घी का एक बड़ा टिन प्रति मास प्राप्त कर सकता था;

(ङ) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस सुविधा को वापस ले लिया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार दिल्ली के लोगों के लिए यह सुविधा फिर से बहाल करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वनस्पति विनिर्माताओं को दो एसोसियेशनों के साथ हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, उद्योग द्वारा एक स्वैच्छिक मूल्य समझौते का पालन किया जा रहा है।

(ख) इस समय विभिन्न पैकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (स्थानीय करों को छोड़कर) निम्न प्रकार नियत किए गए हैं .

पैक	(रुपयों में) अधिकतम खुदरा मूल्य
20 कि० ग्रा० तीन	318.90
15 कि० ग्रा० टीन	244.50
10 कि० ग्रा० टीन	171.60
10 कि० ग्रा० पोली जार	169.10
5 कि० ग्रा० टीन	90.00
5 कि० ग्रा० पोली जार	87.20
2 कि० ग्रा० टीन	39.00
2 कि० ग्रा० पोली जार	37.00
1 कि० ग्रा० पोली जार	18.75
1 कि० ग्रा० पोच	16.70
½ कि० ग्रा० पोच	8.60

(ग) खुले बाजार में वनस्पति घी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार वनस्पति उत्पादन की परिवीक्षा कर रही है और उसने देश भर में एक समान अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे राज्य सरकार के नामितों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में उत्पादित वनस्पति की लगभग 30% मात्रा की वसूली कर सकते हैं।

संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, दिल्ली ने सुपर बाजार की सभी शाखाओं, थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, केन्द्रीय भण्डार, दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से वनस्पति घी की बिक्री की व्यवस्था की है। सरकारी कालोनियों और उन कालोनियों में जहां समाज के कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, में इसे चलती-फिरती दुकानों के माध्यम से भी बेचा जाता है।

(घ) से (च) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह वनस्पति का एक टीन सप्लाई करने की सुविधा को थोक विक्रेताओं द्वारा कदाचार किए जाने के कारण, अप्रैल 1984 से समाप्त कर दिया गया था।

भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता

3066 **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम की कुल भंडारण क्षमता क्या है;

(ख) भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये गये है; और

(ग) क्या खाद्यानों की फालतू मात्रा के निर्यात का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 31-12-1984 को अपनी और किराये की मिलाकर ढकी हुई भंडारण क्षमता 192.6 लाख मीटरी टन थी।

(ख) निगम के पास उपलब्ध अपनी और किराये दोनों की भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। यह क्षमता 31-3-1980 को 161.9 लाख मीटरी टन थी जो कि बढ़कर 31-12-84 को 192.6 लाख मीटरी टन हो गयी, इसमें 30.8 लाख मीटरी टन की बढ़ोत्तरी हुई। निगम द्वारा 1985-86 के दौरान 15.25 लाख मीटरी टन अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करवाने की सम्भावना है और वह केन्द्रीय भाण्डागार निगम राज्य भाण्डागार निगमों और अन्य स्रोतों से अतिरिक्त क्षमता किराये पर लेने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है। इसके अलावा, निगम अपेक्षित मात्रा में कवर और प्लिंथ (कैप) भण्डारण सुविधाओं के रूप में अस्थायी भण्डारण प्रबन्ध भी कर रहा है।

(ग) सूखे से प्रभावित कुछेक अफ्रीकी देशों को सहायता के रूप में एक लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई करने का फैसला किया गया है। भारत-सोवियत व्यापार प्रोटोकोल में सोवियत रूस को पांच लाख मीटरी टन गेहूं का निर्यात करने की व्यवस्था की गई है। यदि आवश्यक और व्यवहार्य हुआ तो सरकार देश से और गेहूं भी निर्यात कर सकती है।

भण्डागार निगम की भण्डारण क्षमता

3067. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डागार निगम स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डार निगम, सार्वजनिक भण्डागार योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ा रहा;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा वर्ष 1985-86 में कितनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ाने का विचार है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना कृषि उत्पादन, उर्वरकों तथा कुछ अन्य वस्तुओं का भण्डारण करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर भण्डारण सुविधाएं देने के लिए की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा 1985-86 के दौरान 6.00 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता पूरी कर लिए जाने की उम्मीद है। 1985-86 के लिए अनुमोदित परिव्यय 18.52 करोड़ रुपये है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और परिव्यय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

जमशेदपुर दूरदर्शन केन्द्र से दोषपूर्ण प्रसारण

3068. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जमशेदपुर सिटीजन्स काउन्सिल, जमशेदपुर (बिहार) के महासचिव की ओर से जमशेदपुर दूरदर्शन के रिले केन्द्र के दोषों को दूर करने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला था; और

(ख) यदि हां, तो इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन के लिए स्वीकृत फ्रीक्वेंसी बैंड में कुछ स्थानीय सिगनल उपकरणों के प्रचालन के कारण जमशेदपुर के दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटरों के प्रेषणों में हुए हस्तक्षेप को उस फ्रीक्वेंसी बैंड में सिगनल उपकरणों के प्रचालन को रिक्त करके दूर किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की क्रियान्विति

3069. **श्री बुद्धि चन्द जैन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति से कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं;

(ख) क्या सरकार का योजना को और अधिक सफल बनाने के लिए इसमें कुछ और सुधार करने का है; और

(ग) क्या धनराशि की मात्रा बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है तथा इस कार्यक्रम के उद्देश्य सामान्यतः हासिल कर लिए गये है।

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सब प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय कार्यक्रम के मूल विषय में कोई बुनियादी परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) 1985-86 के केन्द्र सरकार के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 230 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है। यह 1984-85 की राशि के बराबर है और यदि जरूरत हुई तो इसे बाद में बढ़ा दिया जाएगा।

संसद समाचारों का प्रसारण

3070. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् समाचार इस समय केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में ही प्रसारित किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसद् सत्र के दौरान आकाशवाणी ने संसद् समाचारों का प्रसारण प्रतिदिन प्रत्येक राज्य में उस राज्य की सरकारी भाषा में करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। "टुडे इन पार्लियामेंट" या "संसद समीक्षा" को संजाल के सभी केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है।

खाड़ी के देशों में कुशल और अकुशल भारतीय श्रमिक

[हिन्दी]

3071. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीबिया, बहरीन, कतार, संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे कुशल और अकुशल भारतीय श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन श्रमिकों को ऐसी गैर-सरकारी एजेन्सियों, अथवा कम्पनियों में नियुक्त किया गया है जहां उन्हें यूरोप तथा अन्य एशियाई देशों के श्रमिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन श्रमिकों के साथ हो रहे भेदभाव और आर्थिक शोषण को दूर करने के लिये सरकार इन देशों के दूतावासों के साथ बातचीत करेगी जिससे कि किसी न्यायोचित समझौते पर पहुंचा जा सके ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) लीबिया, बहरीन, कतार, संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के देशों में इस समय कार्य कर रहे कुशल तथा अकुशल भारतीय श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है :

संयुक्त अरब अमीरात	2,50,000
सऊदी अरब	2,40,000
कुवैत	1,15,000
ओमान	1,00,000
कातार	40,000
लीबिया	40,000
बहरीन	30,000
यमन अरब रिपब्लिक	8,000
यमन जनतंत्रीय गणराज्य	2,000

(ख) इन देशों में भारतीय श्रमिक निजी व सार्वजनिक तथा सरकारी एजेन्सियों दोनों में नियोजित हैं। एशियाई देशों के श्रमिकों को दी गई मजदूरी की तुलना में इन श्रमिकों की

मजदूरी ज्यादा है, जबकि तदनरूपी वर्गों के यूरोपियन श्रमिकों को दी गई मजदूरी की तुलना में भारतीय श्रमिकों की मजदूरी कम है।

(ग) जब कभी इन श्रमिकों के साथ हो रहे भेद-भाव और आर्थिक शोषण का कोई मामला सरकार के ध्यान में आता है, तो उस मामले को भारतीय दूतावासों के माध्यम से संबंधित देश की सरकार के साथ उठाया जाता है।

विदेशी मत्स्य पोतों के उपयोग के लिए लाइसेंस

[अनुवाद]

3072. **श्री डी०पी० जदेजा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 में जिन कम्पनियों को विदेशी मत्स्य नौकाओं को किराए पर लिए जाने के लिए मंजूरी प्राप्त हुई उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों के निदेशकों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) विदेशी मत्स्य पोतों का उपयोग करने के लिए इस प्रकार के चार्टर लाइसेंस मंजूर करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1984 और 1985 के दौरान 83 जलयानों के लिए 27 कम्पनियों को विदेशी मत्स्यन ट्रालर किराये पर लेने के लिए मांग पत्र जारी किए हैं। तथापि, 1984 तथा 1985 के दौरान 11 जलयानों को भाड़े पर लेने के लिए 5 कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को ही अनुज्ञा-पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय समुद्री जोन (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियम) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा चार्टर नीति लागू की जाती है। इस नीति का लक्ष्य भारतीय चार्टरों द्वारा अनिवार्य खरीद के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के बेड़े को बढ़ाना; प्रौद्योगिकी का अन्तरण करना, अपरम्परागत मछलियों के लिए समुद्र पर मंडियां स्थापित करना, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करना है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	जलयानों की संख्या जिनके लिए अनुज्ञापत्र जारी किए गए	निदेशक का बोर्ड
1	2	3	4
1.	मैसर्ज केरल मत्स्य निगम लि० एर्नाकुलम	1	श्री आर०सी० चौधरी श्री पी०एस० कुमारा दास श्री रोबी० जोन मयागीम श्री के०के० विजय कुमार श्री के० परमेश्वरण डा० सी०सी० पान्डुरंगाराव श्री आर० सत्याराजा श्री वी०के० हुसैन श्री के० सोमन
2.	मैसर्ज कोस्टल ट्रालर लि० काकीनाडा	2	श्री सी०एच० केलाप्पन श्री टी० राजीव श्री टी० बलसराज (एम०डी०) श्री बी०आर० शास्त्री तकनीकी निदेशक श्री टी०वी०एस० शेषागिर राव
3.	मैसर्ज जी०पी० मेराइन प्रोडक्ट्स इंडिया प्रा०लि० गुनतूर	4	श्री जी० परांधमैया श्री जी० पुन्निया (एम०डी०) श्री जी० शिवरण प्रसाद श्री के० सुधीर
4.	मैसर्ज कंचनगंगा सी० फूड्स प्रा०लि० विजयवाड़ा	2	श्री अदुसुमिल्ली भीमनजनेया चौधरी डा० एम० एस० जसवन्त मोहन श्री० ए० सीताराम राव श्री कमिनेनी तरका प्रसाद

1	2	3	4
5.	मैसर्ज लिओ०सी० फूड प्रा०लि० नई दिल्ली	2	श्री शमशेर सिंह (एम०डी०) श्री जे०एम० भंडारी तकनीकी निदेशक श्री आर०एस० जारी— संचालन निदेशक।

अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की शाखाओं पर खर्च की गयी धनराशि

3073. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश, जोधपुर और ग्वालियर में अपनी शाखाएं खोली हैं; और

(ख) इस संस्थान का तथा उसकी शाखाओं का कुल वार्षिक खर्च कितना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत में इक्रीसेट की इस तरह की कोई शाखा नहीं है। फिर भी, जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश और ग्वालियर में दूसरों के साथ इसका सहयोगात्मक कार्यक्रम है।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान इक्रीसेट के सम्पूर्ण कार्यक्रम पर कुल करीब 20.9 मिलियन यू०एस० डालर खर्च किया गया।

नये दूरदर्शन पारेषण केन्द्र खोलना

3074. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 में, एक लाख अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले स्थानों पर 220 दूरदर्शन पारेषण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितने केन्द्र खोल दिये गये हैं और वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितने केन्द्रों ने पारेषण शुरू कर दिया;

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान दूरदर्शन पारेषण केन्द्रों की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और उनके आयात पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) इस क्षेत्र में कितने अधिकारियों ने विदेश से प्रशिक्षण लिया है और उनके प्रशिक्षण पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) छठी योजना के अंत तक देश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ा कर 180 करने के उद्देश्य से दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना जुलाई, 1983 में अनुमोदित की गई थी। एक लाख तथा इससे अधिक जनसंख्या, ट्रांसमीटरों के स्थानों का निर्णय करने के लिए मुख्य बातों में से एक थी।

(ख) 1984-85 के दौरान 127 दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए गये थे जिससे देश में इस समय कार्य कर रहे दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की कुल संख्या 172 हो गई है। 1985-86 के दौरान अब कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू नहीं किया गया है।

(ग) 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना पर हुए खर्च की राशि तथा उसमें इस मंत्रालय द्वारा रिलीच की गई विदेशी मुद्रा का भाग इस प्रकार है :—

वर्ष	खर्च की गई कुल राशि	आयात के लिए रिलीच की गई विदेशी मुद्रा
1982-83	1093.52 लाख रु०	154.36 लाख रु०
1983-84	2113.35 लाख रु०	124.61 लाख रु०

(घ) विशेष योजना की परियोजनाओं के आयोजन या कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दूरदर्शन के किसी अधिकारी को विदेश में प्रशिक्षित नहीं किया गया।

वर्ष 1981-83 के दौरान कारखानों में दुर्घटनाओं में मरने वाले श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को दिया गया मुआवजा।

[हिन्दी]

3075. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 में कारखानों में काम करते हुए दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कितने मृतकों के उत्तराधिकारियों को मुआवजे की अदायगी कर दी गई है;

(ग) प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारी को अब तक कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी गई है;

(घ) अब तक कितने मृतकों के निकट संबंधियों को मुआवजे की अदायगी नहीं की गई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ङ) सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

देश में गंदी बस्तियों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना

3076 **श्री मूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने व्यक्ति गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में गंदी बस्तियों के लिए एक योजना बनाई गई थी कि गंदी बस्तियों में रहने वाले कम से कम एक करोड़ लोगों को पर्यावर्णीय सुधार का लाभ मिलना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो शहर-वार और राज्य वार गंदी बस्तियों पर कितनी धनराशि खर्च की गई और उससे कितने लोगों को लाभ हुआ ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) देश में उन मलिन बस्तियों, जहां मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, में रह रहे लोगों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये अस्थाई अनुमानों के आधार पर देश में मलिन बस्ती निवासियों की संख्या 280 लाख के करीब है।

(ख) जी, हां।

(ग) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान किये गये व्यय तथा लाभान्वित मलिन बस्ती निवासियों के राज्य-वार ब्यौरों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। शहर-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

छठी योजना के दौरान नगरीय मलिन बस्ती पर्यावर्णीय योजना (ई०आई०यू०एस०) के अंतर्गत व्यय की गई राशि तथा लाभान्वित किए गए मलिन बस्ती वासियों की संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई०आई०यू०एस० (1980-81 से 1983-84 तक) पर व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या (1980-81 से 1984-84 तक) (फरवरी, 1985 तक)
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1832.80	1506078
2.	असम	45.00	36285
3.	बिहार	209.00	183087
4.	गुजरात	234.99	356156
5.	हरियाणा	350.00	291758
6.	हिमाचल प्रदेश	51.88	37514
7.	जम्मू तथा कश्मीर	559.00	173298
8.	केरल	275.16	90114
9.	कर्नाटक	549.25	382231
10.	मध्य प्रदेश	417.09	371761
11.	महाराष्ट्र	2229.52	1173468
12.	मणिपुर	13.42	6243
13.	मेघालय	18.77	2204
14.	उड़ीसा	116.49	89350
15.	पंजाब	445.00	555318

1	2	3
16. राजस्थान	438.55	316538
17. सिक्किम	10 00	18835
18. तमिलनाडु	1416.59	1059094
19. त्रिपुरा	28.39	2720
20. उत्तर प्रदेश	830.40	839278
21. पश्चिम बंगाल	2176.00	666000
योग :	12248.50	8196268
22. दिल्ली	825.00	683748
23. गोआ	27.68	22100
24. मिजारम	18.60	25000
25. पांडिचेरी	35.22	61200
योग	906.50	792048
कुल योग:	13155.00	8988316

व्यय के आंकड़े अनन्तिम हैं तथा 84-85 के व्यय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

गेहूं, चावल और बाजरा के लेवी मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

3077. **श्री एस०एम० गुरुडी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ वस्तुओं के लेवी मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां; तो वर्ष 1882 से 1985 (अद्यतन) तक गेहूं, चावल और बाजरा के लेवी मूल्यों में वृद्धि की वर्षवार स्थिति क्या है; और

(ग) क्या यह वृद्धि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी सार्वजनिक खरीद एजेंसियों द्वारा अपनाई गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) विपणन मौसम 1982-83 से 1885-86 तक गेहूं धान और बाजरा के वसूली/समर्थन मूल्य निम्नानुसार है :

(रु० प्रति क्विंटल)

	गेहूं	धान			बाजरा
		साधारण	बढ़िया	बहुत बढ़िया	
1982-83	142/-	122/-	126/-	530/-	118/-
1983-84	151/-	132/-	136/-	140/-	124/-
1984-85	152/-	137/-	141/-	145/-	130/-
1985-86	157/-	घोषित नहीं किए गए			घोषित नहीं किए गए

(ग) जी, हां ।

उड़ीसा के लिए कृषि विकास कार्यक्रम

3078. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-कौन से केन्द्रीय प्रायोजित कृषि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने का विचार है, और

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान उत्पादन, प्रदर्शन, आदान आपूर्ति आदि गति के अनुरूप मुख्यतः सांस्थानिक संरचना के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सातवीं योजना पास किए जाने के बाद इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावों के तहत कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों अर्थात फसल उत्पादन तथा वितरण, पौध संरक्षण सम्बन्धी उपाय, बागवानी, मात्स्यकी, पशुपालन, डेरी, विस्तार आदि सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख कार्यकलापों को लाए जाने की संभावना है ।

मिजोरम को चावल की पूर्ति में परिवहन सम्बन्धी विलम्ब

3079. **श्री लालडहोमा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम को आबंटित बड़ी-मात्रा में चावल गोहाटी और न्यू बोंगाइगांव की बड़ी लाइन के स्थानों पर लम्बे समय तक बिना भेजे पड़े रहते हैं जिनके कारण मिजोरम के लोगों को भूख से पीड़ित रहना पड़ता है;

(ख) क्या ढुलाई ठेकेदारों को कई बार कहा गया है कि वे गोहाटी की बजाए जहां मिजोरम सरकार के ढुलाई ठेके नहीं हैं और इसके कारण अत्यधिक असुविधा होती है किन्हीं अन्य स्थानों से चावल की सुपुर्दगी प्राप्त करें;

(ग) दिसम्बर, 1984 से 1985 के बीच न्यू बोंगाइगांव और गोहाटी से किस-किस तारीख को चावल/गेहूं की ढुलाई के लिए डिब्बे बुक किये गए और वे डिब्बे किन-किन तारीखों को सिल्चर में अपने गतव्य स्थान पर पहुंचे; और

(घ) गंतव्य स्थान अर्थात सिल्चर में समय पर और नियमित सुपुर्दगी के लिए रेलवे और रोडवेज के माध्यम से चावल/गेहूं/चीनी की ढुलाई में बेहतर समन्वय हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मिजोरम को खाद्यान्नों की सप्लाई सामान्यतः भारतीय खाद्य निगम के सिल्चर स्थित डिपो से की जाती है। लुमडिंग बदरपुर सैक्शन से आगे रेलवे की सीमित ढुलाई क्षमता को देखते हुए और रेल संचलन की अनुपूर्ति के उद्देश्य से कभी-कभी गुहाटी और अन्य ब्राड गेज स्थलों से सड़क द्वारा खाद्यान्नों का संचलन किया जाता है। मिजोरम सरकार गुहाटी और अन्य ब्राड गेज स्थलों से प्रतिमास 2000 मीटरी टन चावल उठाने के लिए हाल ही में सहमत हुई है। चावल की शेष मात्रा की सप्लाई सिल्चर स्थित डिपो से की जाती है। भारतीय खाद्य निगम ने भी खाद्यान्नों को गुहाटी तथा बोंगाइगांव से सिल्चर ले जाने के लिए ठेकेदार नियुक्त किए हैं।

(ग) न्यू बोंगाइगांव तथा गुहाटी से बुक किए गए रेल वैगनों और उनके सिल्चर पहुंचने के तारीख-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। दिसम्बर, 1984 तथा फरवरी, 1985 के बीच सिल्चर में निम्नलिखित वैगन रिलीच किए गए थे :

मास	रिलीच किए गए वैगनों की संख्या		
	चावल	गेहूं	जोड़
दिसम्बर, 1984	456	255	711
जनवरी, 1985	333	323	656
फरवरी, 1085	198	342	540

(घ) खाद्यान्नों और चीनी की ढुलाई में बेहतर समन्वय करने के लिए मिजोरम सरकार को गुवाहाटी तथा अन्य ब्राड गेज स्थलों से सड़क द्वारा चावल का स्टाक उठाने की अनुमति देने; रेलवे की सलाह से अन्तर डिपो संचालन की व्यवस्था करने; मिजोरम को सप्लाई करने के लिए करीमगंज तक नदी मार्ग द्वारा खाद्यान्नों को ले जाने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को खाद्यान्नों के प्रेषक में वृद्धि करने के लिए रेलवे से अनुरोध किया गया है और स्थिति पर बराबर निगरानी रखी जा रही है।

मिजोरम में अदरक की मजबूरी बिक्री

3080. श्री लाल डहोमा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली कलकत्ता और गोहाटी में अदरक के वर्तमान थोक और खुदरा मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिजोरम में अदरक की मजबूरी में बिक्री हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों को भारी हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कीमतें गिरने के क्या कारण हैं; और

(घ) मिजोरम के अदरक उत्पादकों को बेहतर मण्डियां ढूंढने में सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अदरक के थोक और खुदरा मूल्य में उतार-चढ़ाव होता है। तथापि, अदरक की प्रति क्विंटल थोक दर गुण पर निर्भर करती है, जो कलकत्ता में 180 रु० और 200 रु०, दिल्ली में 200 रुपए और 250 रुपए, तथा गोहाटी में 100 रुपए और 120 रुपए के बीच में है। दिल्ली में खुदरा मूल्य 3 रुपए और 5 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच में है।

(ख) और (ग) अधिक उत्पादन, भारी विपणन, अधिशेष और बाजार की खामियों के कारण मिजोरम में अदरक के मूल्यों में गिरावट आई है। मिजोरम सहकारी विपणन संघ द्वारा दिए जाने वाले मूल्य की तुलना में किसानों को खुले बाजार में कम मूल्य दिए जाने की सूचना मिली है।

(घ) अदरक उत्पादकों की सहायता करने के लिए विपणन हस्तक्षेप कार्रवाई करने के लिए मिजोरम प्रशासन के प्रस्ताव को मान लिया गया है। क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात् मिजोरम सहकारी विपणन संघ द्वारा हस्तक्षेप कार्य किए जा रहे हैं। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि अदरक उत्पादकों को विपणन सम्बन्धी सहायता उपलब्ध कराने के लिए उचित औसत

किस्म के अदरक को एजल में 200 रु० प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। मिजोरम सहकारी विपणन संघ को प्रारम्भ में 25,000 क्विंटल अदरक की खरीद करने के लिए प्राधिकृत किय गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को नकद भुगतान

3081. **श्री लाल डुहोमा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को नगद भुगतान करने पर विचार करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और श्रमिक संगठनों के बीच हुए समझौते का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

3082. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया के प्रबंधकों और इसके दो श्रमिक संगठनों अर्थात् यूनाइटे बैंक आफ इन्डिया श्रमिक कर्मचारी समिति और यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया एम्पलाईज यूनियन के बीच दिल्ली के मुख्य श्रम आयुक्त की मध्यस्था में 8 मई, 1984 को किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते को पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और किस पक्ष द्वारा समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) उन यूनियनों के, जिन्होंने आन्दोलन शुरू किए और यूनाइटिड बैंक आफ इन्डिया के प्रबन्धतंत्र के बीच 8-5-1984 को हुए समझौते और तदन्तर विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, इस मामले में सुलह कार्यवाही की गई। सुलह कार्यवाही चल रही है। मुख्य श्रमायुक्त को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे कार्यवाही को शीघ्र अन्तिम रूप दें।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत में भांडागारों की पर्याप्तता

[अनुवाद]

3083. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत में भांडागार योजनाओं का कितना विकास हुआ है;

(ख) क्या इससे देश में पर्याप्त भांडागारों की स्थापना से सम्पूर्ण देश को इनके अन्तर्गत लाये जाने में सफलता मिली है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस कमी को किस तरह दूर करने का विचार है; और

(घ) योजना का क्या ब्यौरा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम और 16 राज्य भाण्डागार निगम मिलकर देश में भाण्डागारण सुविधाओं के विकास में लगे हुए हैं। इन निगमों के पास भाण्डागरों की संख्या अपनी और किराये की मिलाकर 31-3-1980 को 1330 थी जोकि बढ़कर 31-1-1985 को 1525 हो गयी थी। इस अवधि के दौरान उनकी ढकी हुई भण्डारण क्षमता अपनी और किराये की मिलाकर 81.0 लाख मीटरी टन से बढ़कर 112.8 लाख मीटरी टन हो गयी थी।

(ख) से (घ) केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों ने कारोबार सम्बन्धी सम्भाव्यता और परिचालन कारणों को ध्यान में रखकर देश में विभिन्न स्थानों पर भाण्डागार स्थापित किए हैं। बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए भाण्डागारण क्षमता में वृद्धि की जाती है और यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। 1985-86 के दौरान इन निगमों द्वारा 12.0 लाख मीटरी टन अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करवाने की सम्भावना है।

पश्चिमी बंगाल में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्ति में कमी

3084. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पश्चिम बंगाल में छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे लोगों को, जिन्हें सहायता दिए जाने के बावजूद भी वे गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, सातवीं योजना में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए और सहायता दी जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में गरीबी दूर करने हेतु चलाए जा रहे मुख्य कार्यक्रम के रूप में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम हैं। पश्चिम बंगाल में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत छठी योजना लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। छठी योजना के दौरान उपलब्ध करायी गयी सहायता से जो पात्र परिवार गरीबी की रेखा पार करने हेतु पर्याप्त अपनी आय में अकारण वृद्धि नहीं कर पाए थे उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम** परिवारों की संख्या जिनकी सहायता की जानी है। (संख्या लाख में)	10 05	5.82 (जनवरी, 85 तक)
2 **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम** सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	1060.24*	1349.14 (फरवरी, 85 तक)
3. **ग्रामीण- भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम**		
सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	301.02**	37.04 (फरवरी, 85 तक)

*वर्ष 1980-81 हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

**ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15-8-83 को आरम्भ किया गया था। 1983-84 हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

पश्चिम बंगाल में हड़तालों, तालाबन्दियों और प्रतिष्ठानों के बन्द होने के कारण श्रमिक दिनों का नुकसान

3085. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तालाबन्दियों, प्रतिष्ठानों के बन्द होने और हड़तालों के मामले में निरन्तर पहले स्थान पर बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस राज्य में श्रमिक दिनों की हानि, तालाबन्दियों और प्रतिष्ठानों के बन्द होने के मुख्य कारण क्या थे;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस राज्य में श्रमिक दिनों की हानि में सरकारी क्षेत्र का क्या हिस्सा था; और

(ङ) इस राज्य में औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है, तो वे क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो में प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्यों में पश्चिम बंगाल में केवल तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या सब से अधिक है, जो 1982 में हानि हुए कुल 225 लाख श्रम दिनों की तुलना में 156 लाख, 1983 में 219 लाख की तुलना में 144 लाख तथा 1984 में 149 लाख की तुलना में 78 लाख हैं। राज्य सरकार के अनुसार, जब कि अधिकांश तालाबन्दियां कथित श्रमिक अनुशासनहीनता, हिंसा और "धीरे काम करो" नीति के कारण हुई हैं, कामबन्दियां सामान्यतः अनुशासनहीनता, वित्तीय अभाव, कच्चे माल की कमी, व्यवसाय में आई मन्दी आदि के कारण हुई हैं।

(घ) अब तक श्रम ब्यूरो में प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में हानि हुए कुल श्रम दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 1982 में 2.19 प्रतिशत 1983 में 4.24 प्रतिशत तथा 1984 में 18.32 प्रतिशत था।

(ङ) केन्द्रीय और राज्य औद्योगिक सम्बन्धतंत्र दोनों ही उपचारी विचार-विमर्श, संसाधन, न्याय निर्णयन तथा विवाचनके माध्यम से कामबन्दियों को कम करने तथा औद्योगिक शांति बनाए रखने के प्रयास करते रहते हैं।

हैदराबाद भवन के पट्टे की समाप्ति

3086. **श्री एम० रघुमारेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद भवन, नई दिल्ली, 1944 में भारत सरकार को पट्टे पर दिया गया था और पट्टे की अवधि 14 जुलाई, 1984 को समाप्त हो गई थी;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार अपने पत्र संख्या (3471/जी०एम०-1) 8-192 दिनांक 10 मई, 1984 के दौरान हैदराबाद भवन तुरन्त रीलीज करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हैदराबाद भवन 'रीलीज' करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार इस सम्पत्ति की खरीद पर विचार कर रही है।

खाद्य तेलों का आयात

3087. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित खाद्य तेल केवल नगरों में ही वितरित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार आयातित खाद्य तेलों का आबंटन राज्य सरकारों को करती है। राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में इनका आगे वितरण करने का कार्य राज्य सरकार के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे सभी उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आयातित खाद्य तेलों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित करें। राज्य सरकारों को ग्रामीण, दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में इस योजना को मजबूत बनाने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में समस्याग्रस्त गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव

3089. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1983-85 के दौरान, समस्याग्रस्त गांवों को पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ नए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) क्या केन्दीय सरकार द्वारा सभी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) 1984-85 के दौरान राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : मध्य प्रदेश सरकार ने इस मन्त्रालय को 2876.86 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 5589 ग्रामों के लिए ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं प्रस्तुत की थीं। इन योजनाओं में समस्याग्रस्त ग्रामों के अतिरिक्त गत वर्षों में आंशिक रूप से लाभान्वित ग्रामों तथा अभावग्रस्त ग्रामों के पूर्ण लाभान्वयन हेतु प्रस्ताव शामिल हैं।

(ग) 1803.47 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 3955 ग्रामों की योजनाओं को, जिनमें निर्धारित मार्गनिर्देशनों को पूरा किया गया था, तकनीकी अनुमोदन दे दिया था।

(घ) 1984-85 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुदान सहायता के रूप में मध्य प्रदेश राज्य को 2019.56 लाख रुपये दिए गए थे।

वारंगल (आंध्र प्रदेश) में उप-क्षेत्रीय भविष्य-निधि आयुक्त कार्यालय का खोला जाना

3090. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मार्च, 1983 की अपनी रिपोर्ट में आन्ध्र प्रदेश क्षेत्रीय समिति ने केन्द्रीय सरकार से आन्ध्र प्रदेश में वारंगल में एक उपक्षेत्रीय भविष्य-निधि कार्यालय खोलने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां,।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने के बारे में पहले सम्बन्धित क्षेत्र की कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उसके बाद उनकी सिफारिशों को कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की स्वीकृति मिलने के पश्चात्, श्रम

मन्त्रालय द्वारा मंजूरी हेतु उस मामले पर विचार किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड सारे देश में प्रस्तावित कार्यालयों की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, नए उप क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने के बारे में एक रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है। इसे देखते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से नए उप क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने के बारे में एकीकृति सापेक्ष महत्व प्लान प्राप्त होने तक, बारगल में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार आस्थगित कर दिया गया है।

राज्यों को घटिया किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई

[हिन्दी]

3091. **श्री हरीश रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनेक राज्यों को घटिया किस्म के खाद्यान्न सप्लाई किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण भारतीय खाद्य निगम को प्रतिवर्ष कितना घाटा उठाना पड़ता है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री : (**राव बीरेन्द्र सिंह**) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों को केवल वही खाद्यान्न सप्लाई किए जाते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन विहित सीमाओं के अन्दर होते हैं।

स्टाक के प्राप्त कर्ताओं को स्टाक की सुपुर्दगी लेने से पूर्व स्टाक का निरीक्षण करने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, निर्देश सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए दिए गए स्टाक के मुद्रबन्द प्रतिनिधि नमूने भी दिए जाते हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन और वितरण

[अनुवाद]

3092. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में खाद्यान्नों का राज्यवार कितना उत्पादन और वितरण हुआ है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन और वितरण में असन्तुलन है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असन्तुलन को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वर्ष 1982, 1983 और 1984 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों का उत्पादन और केन्द्रीय भण्डार से इनकी निकासी को बताने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसी इस समय है, खुले बजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता की केवल अनुपूरक है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों के आबंटन, केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं

विवरण-एक

(उत्पादन हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	11413.1	11172.3	11520.0
असम	2419.1	2773.3	2726.6
बिहार	8239.0	7316.2	9625.8
गुजरात	5088.6	4396.2	5743.6
हरियाणा	6040.2	6649.7	6903.5
हिमाचल प्रदेश	1054.0	972.6	1015.9
जम्मू तथा कश्मीर	1272.6	1260.7	1137.4
कर्नाटक	7308.3	6021.4	7377.0

1	2	3	4
केरल	1364.1	1329.9	1267.4
मध्य प्रदेश	12834.2	11615.2	15277.2
महाराष्ट्र	10571.4	9215.6	10947.6
मणिपुर	263.9	230.1	267.1
मेघालय	154.7	153.6	163.2
नागालैंड	113.3	122.6	144.5
उड़ीसा	5437.2	4562.9	6844.8
पंजाब	13325.8	14145.5	14778.7
राजस्थान	7163.1	8323.4	10057.4
सिक्कम	63.7	63.4	75.8
तमिलनाडु	7400.4	4832.8	6217.5
त्रिपुरा	360.0	428.1	408.2
उत्तर प्रदेश	24288.9	26483.4	29303.3
पश्चिम बंगाल	6549.7	5852.2	9157.1
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	21.9	21.3	22.3
अरुणाचल प्रदेश	139.9	147.1	155.7
दादर तथा नगर हवेली	26.0	25.2	26.5
दिल्ली	128.2	150.9	136.0
गोआ दमन तथा दीप	129.3	127.2	132.3
मिजोरम	34.6	51.8	42.9
पाण्डिचेरी	89.6	74.1	67.6
अखिल भारत	133294.8	129518.7	151542.9

विवरण-दो

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1982	1983	1994 (अन०)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	625.8	1286.9	1201.5
असम	467.5	547.2	554.7
बिहार	720.7	913.4	550 9
गुजरात	418.2	290.2	230.2
हरियाणा	116.5	147.8	116.2
हिमाचल प्रदेश	82.8	79.7	63.0
जम्मू तथा कश्मीर	257.5	306.0	404.9
कर्नाटक	460.0	532.8	63.71
केरल	1282.4	1547.7	1533.1
मध्य प्रदेश	471.6	456.3	235.0
महाराष्ट्र	1367.6	1302.5	1016.5
मणिपुर	39.6	44.8	42.2
मेघालय	93.1	97.8	100.9
नागालैंड	58.6	68.7	73.9
उड़ीसा	255.2	457.1	244.9
पंजाब	225.6	126.0	52.5
राजस्थान	213.5	108.3	50.7
तमिलनाडु	591.4	832.2	960.4

1	2	3	4
त्रिपुरा	110.8	107.0	103.3
उत्तर प्रदेश	952.7	976.2	544.6
पश्चिमी बंगाल	2762.6	2936.5	2145-3
आण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	20.0	11.0	8.9
अरुणाचल प्रदेश	34.1	35.2	39.7
चण्डीगढ़	22.5	19.2	20.2
दिल्ली	879.0	841.8	756·7
दादर तथा नगर हवेली	0.2	0.2	0.9
गोआ, दमन तथा दीव	71.7	67.6	66.4
लक्षद्वीप	3.9	4.5	4.0
मिजोरम	59.6	60 2	65.6
पाण्डिचेरी (माहे सहित)	6.9	12.2	6.4
सिक्कम	35.6	4·18	39.3
जोड़ :	12708.2	14258.8	11770.1

अन० = अनन्तिम, इसमें संशोधन हो सकता है।

किसानों को उर्वरकों, बीजों और आदानों की ऊंचे मूल्यों पर सप्लाई

3093. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को उर्वरकों, बीजों और अन्य आदानों की सप्लाई ऊंचे मूल्य पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने किसानों को ये चीजें सस्ती दरों पर सप्लाई किए जाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं, जिससे वे अपने कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) उर्वरक, बीज और कृमिनाशी प्रमुख कृषि आदान हैं :

(1) उर्वरकों के मूल्यों पर सांविधिक रूप से नियन्त्रण किया जाता है और उनसे अधिक मूल्यों पर किसी प्रकार की बिक्री करना अपराध है।

(2) जहां तक बीज का सम्बन्ध है, इनके प्रमुख सप्लायरों में से एक सप्लायर सार्वजनिक क्षेत्र के निगम हैं और वे सरकार के साथ परामर्श करके उनके मूल्य निर्धारित करते हैं। इसका निजी उत्पदकों द्वारा विपणन किये गये बीजों पर भी असर पड़ता है।

(3) इस समय कृमिनाशी दवाओं के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है लेकिन वसूल किये जाने वाले अधिकतम मूल्य विनिर्माताओं द्वारा डिब्बों पर सूचित किये जाते हैं। अतः व्यापारी किसानों से अधिक मूल्य नहीं ले सकता है।

(4) इस समय कृषि उपकरणों और मशीनरी के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। तथाहि, सरकार समय समय पर इनके मूल्यों में हुई वृद्धि के संबंध में निगरानी रखती है।

(ग) देश में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने के साथ-साथ उर्वरक; बीज आदि जैसे प्रमुख कृषि आदानों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। तथापि उर्वरकों को अधिक मात्रा में राजसहायता दी जाती है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये चुनींदा तरीके से कृमिनाशी दवाओं और बीजों को भी राजसहायता दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई

3094. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों, 1982-1985 में केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने को अत्यंत उच्च प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में राज्य-वार समस्याग्रस्त गांवों की संख्या क्या थी और 31 मार्च, 1985 तक प्रत्येक राज्य। संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने गांवों को पूर्णतः या अंशतः इसके अन्तर्गत लिया गया;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी समस्याग्रस्त गांवों को कब तक इसके अन्तर्गत लिए-जाने का विचार है; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई उदार आबंटन किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। छठी पंचवर्षीय योजना में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को अनुदान देने के लिए 600 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक प्रावधान के प्रति 1980-81—1984-85 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 919.71 करोड़ रुपये की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई थी।

(ख) 1-4-1980 को समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या और उन ग्रामों, जिन्हें जनवरी, 1985 तक स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत मुहैया करा दिया गया है, की संख्या के राज्यवार आंकलों का एक विवरण संलग्न है। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 37,000 समस्याग्रस्त ग्रामों के शामिल किए जाने की सम्भावना है। 31 मार्च, 1985 तक जलपूर्ति मुहैया किए गए गांवों की सही संख्या कुछ समय बाद उपलब्ध होगी।

(ग) शेष समस्याग्रस्त ग्रामों का प्राथमिकता के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जलपूर्ति मुहैया करने की सम्भावना है।

(घ) 1985-86 के बजट में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 298 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा बजट पारित करने के पश्चात् ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें से नियतन किया जाएगा। सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए ग्रामीण पेय जलपूर्ति के लिए नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7-4-1980 को समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	1980-1985 (जनवरी तक) लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	8206	7713*
2. असम	15743	8058
3. बिहार	15194	12930*

1	2	3
4. गुजरात	5318	4085*
5. हरियाणा	3440	1896
6. हिमाचल प्रदेश	7815	4742
7. जम्मू और कश्मीर	4698	1763*
8. कर्नाटक	15456	15443*
9. केरल	1158	1083*
10. मध्य प्रदेश	24944	23117*
11. महाराष्ट्र	12935	11566*
12. मणिपुर	1212	743*
13. मेघालय	2927	652*
14. उड़ीसा	23616	21830
15. नागालैण्ड	649	394
16. पंजाब	1767	478
18. राजस्थान	19803	15501
18. सिक्किम	296	212*
19. तमिलनाडु	6649	6547*
20. त्रिपुरा	2800	2387*
21. उत्तर प्रदेश	28505	24355
22. पश्चिम बंगाल	25243	11758**
23. अण्डमान तथा निकोबार	173	153
24. अरुणाचल प्रदेश	1740	1267

1	2	3
25. चण्डीगढ़	—	—
26. दिल्ली	99	89
27. दादरा तथा नागर हवेली	—	—
28. गोवा दमन तथा दीव	66	58
29. लक्षद्वीप	—	—
30. मिजोरम	214	102
31. पांडिचेरी	118	104
योग	2,30,784	1,78843

टिप्पणी : **1984-85 के दौरान दिसम्बर, 1984 तक की उपलब्धि ।

*इसमें आंशिक रूप से लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम भी शामिल हैं ।

***3 समस्याग्रस्त ग्राम दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित किए गए हैं तथा 7 समस्याग्रस्त ग्राम उजड़ गए हैं ।

पश्चिम बंगाल के मामले में दिखाई गई उपलब्धि 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परिषद कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम शामिल नहीं ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित बनाया जाना.

3095. श्री चित्त महाता : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में अनधिकृत आवासीय कालोनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन्हें नियमित किए जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने 607 ऐसी अनधिकृत कालोनियों की सूची संकलित की है, जिनमें 30-6-1977 तथा 16-2-77 तक अनधिकृत रिहायशी एवम् वाणिज्यिक संरचनाओं का निर्माण हुआ ।

इन कालोनियों में से 538 को नियमित किया गया है तथा 56 कालोनियों को तकनीकी समिति द्वारा नियमितीकरण के लिए अनुमोदित नहीं किया गया। शेष 13 कालोनियों के मामले को चालू वर्ष में अन्तिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है।

ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण 1 तथा 2 में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—926/85]

पश्चिम बंगाल को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटित की गई धनराशि

3096. **प्रो० एस० आर० हल्दर** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1980-85 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने आबंटित धनराशि का समुचित उपयोग किया था;

(ग) यदि नहीं तो कितनी धनराशि लौटा दी गयी; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वे हैं—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और सूखाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम। 1980-85 के दौरान पश्चिम बंगाल में इन योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित निधियों, किए गए केन्द्रीय बंटनों तथा प्रयुक्त कुल निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। निधियों के बंटन हेतु निर्धारित पद्धति के अनुसार वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त निधियों का उपयोग करने के लिए उन्हें अगले वर्ष में लाए जाने की अनुमति है और उन्हें लौटाए जाने की जरूरत नहीं है।

विवरण

(रुपए लाखों में)

सं० कार्यक्रम का नाम	आबंटित निधियां (केन्द्रीय अंश)	केन्द्रीय बंटन	कुल उपयोग (राज्य के अंश सहित)
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5862.50	2472 62	4232:06 (जनवरी, 85 तक)
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	8621.60	7045.50	10407.28 (दिस०, 84 तक)
3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	4620.00	2308.30	414.48 (जन०, 85 तक, अनन्तिम)
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1200.00	896.45	1720.86 (जनवरी, 85 तक)

नोट : 1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है। तदनुसार राज्य सरकार को अपने बराबर के हिस्से के रूप में कालम (3) में दिखाई गई समान राशि आबंटित करनी है। तथापि, 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए समस्त राशि केन्द्र ने दी थी।

2. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1983 से शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम के लिए सम्पूर्ण राशि केन्द्र प्रदान करना है।

अशोक विहार में मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

3097. **श्री चित्त महाता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री अशोक विहार में मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के आबंटन के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक विहार में मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत (एम० आई० जी०) फ्लैटों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदकों को उनका आबंटन कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो फ्लैटों के आबंटन से अनुचित विलम्ब होने के क्या कारण है तथा सम्बन्धित आवेदकों को किस तारीख तक इनका आबंटन कर दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) अशोक विहार में निर्माणाधीन 144 मध्यम आय वर्ग के फ्लैट जिनका फरवरी, 1982 में नियतन किया गया था उनके सितम्बर, 1985 में तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) इन फ्लैटों को पूरा करने में विलम्ब मुख्यत. त्रुटियों को दूर करने तथा डूवर शटर, जी० आई० पाइप इत्यादि जैसी निर्धारित सामग्रियों की अनुपलब्धता के कारण हुआ। इन फ्लैटों के सितम्बर, 1985 में तैयार हो जाने की आशा है। जिसके बाद इनका आबंटन आरम्भ होगा ।

महाराष्ट्र में सूखा

3098. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाग और देश के अन्य भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो इससे कृषि फसलों को राज्य-वार कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) प्रत्येक राज्या को कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सूबे से प्रभावित राज्यों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 320.84 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है । राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) सूखे से प्रभावित राज्यों को सूखा राहत के लिए 1984-85 के दौरान निम्नलिखित अधिकतम केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है :—

राज्य	करोड़ रुपये
1. आन्ध्र प्रदेश	54.42
2. हिमाचल प्रदेश	19.37 (1985-86 के लिए 6.67 शामिल है)
3. कर्नाटक	32.73
4. मध्य प्रदेश	15.14 (1985-86 के लिए 3.76 शामिल है)
5. महाराष्ट्र	30.63
6. उड़ीसा	8.95 (1985-86 के लिए 6.00 शामिल है)
7. राजस्थान	31.32 (1985-86 के लिए 25.89 शामिल है)
9. उत्तर प्रदेश	8.10

विवरण

क्र० सं० राज्य	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)
1 2	3
1. आंध्र प्रदेश	49.05
2. हिमाचल प्रदेश	1.98
3. कर्नाटक	38.74
4. मध्य प्रदेश	52.45
5. महाराष्ट्र	81.93

1 2	3
6. उड़ीसा	13.83
7. राजस्थान	40.32
8 उत्तर प्रदेश	40.54
योग :	320.84

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धन का उपयोग

3099. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के धन का उपयोग उन भवनों के निर्माण के लिए किया जा रहा है जिनका स्वरूप उत्पादक नहीं है;

(ख) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में इस योजना के अन्तर्गत 1983 और 1984 के दौरान बनाए गए भवनों का कोई हिसाब-किताब है और इनमें से कितने भवनों का उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए किया जा रहा है और उनसे क्या लाभ हो रहा है; और

(ग) क्या सरकार इस सम्पूर्ण स्थिति की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस दुर्लभ धन का प्रयोग केवल ऐसे भवनों के निर्माण के लिए ही किया जाए जो सार्वजनिक उपयोग के तथा उत्पादक किस्म के हों और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे निर्माण कार्यों को लिया जा सकता है जिनके परिणामस्वरूप स्थायी स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने का उद्देश्य पूरा होता हो। इन कार्यों में उत्पादक स्वरूप के कार्य तथा ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्य शामिल होने चाहिए। इस नीति को जारी रखने का विचार है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन कार्यों को शुरू किया जा सकता है, वे हैं सामाजिक वानिकी, भूमि तथा जल-संरक्षण कार्य जिसमें लघु सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, नालियां तथा जल-निकासी के कार्य शामिल हैं, जल एकत्र करने के तालाबों, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और इमारतों का निर्माण, जैसे प्राथमिक स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण गोदाम तथा पंचायत घर आदि-आदि। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र में किए जाने वाले निर्माण-कार्य संलग्न विवरण में दर्शाए गए

हैं, जिनसे यह पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा उत्पादक स्वरूप के तथा ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निर्माण-कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं।

विवरण

मद	यूनिट	1983-84	1984-85
1	2	3	4
1. सामाजिक वानिकी			
(क) क्षेत्र	हैक्टेयर	3957	1860
(ख) लगाए गए पेड़	लाख संख्या	68.12	31.31
2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ के कार्य	संख्या		
(क) गृह स्थलों का विकास	संख्या	10	7
3. ग्रामीण तालाबों का निर्माण	संख्या	41	48
4. लघु सिंचाई कार्य जिनमें बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल हैं	हेक्टेयर	—	—
5. भूमि सुरक्षा तथा भूमि सुधार	हेक्टेयर	—	६
6. पेय जल कुंओं, जल स्रोतों तथा पशुओं के लिए तालाबों आदि की व्यवस्था			
(क) पेय जल कुंए/छोटे कुंए	संख्या	236	150
(ख) पशुओं के तालाब	संख्या	30	6
7. ग्रामीण सड़कें	कि०मी०	1854	1705
8. स्कूल भवनों का निर्माण	संख्या	574	613
9. नहाने और धोने के घाटों का निर्माण	संख्या	90	46
10. बालवाड़ी भवनों का निर्माण	संख्या	306	538
11. पंचायत घर (सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण)	संख्या	1188	999

1	2	3	4
12. पिंजरा पोलों का निर्माण	संख्या	2	—
13. शमशान घाटों का निर्माण	संख्या	20	10
14. शौचालयों का निर्माण	संख्या	170	137
15. सामूहिक आवासों का निर्माण	संख्या	4	132
16. जल तालाबों का निर्माण	संख्या	22	43
17. औषधालयों के भवनों का निर्माण	संख्या	—	—

नकली विदेशी सामान की बिक्री

3100. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को यह जानकारी है कि देश में नकली और जाली सामान पर अवैध रूप से विदेशी ब्राण्ड नाम छपवा कर सीधी-सादी जनता के साथ बड़े पैमाने पर धोखा किया जा रहा है; और

(ख) बड़े पैमाने पर चल रही इस धोखाधड़ी को रोकने हेतु सरकार के पास क्या प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) अनधिकृत नकली वस्तुओं की बिक्री के बारे में अखबारों में कुछ खबरें छपी है ।

(ख) व्यापार तथा पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1985 में नकली व्यापार चिह्न प्रयोग में लाने तथा नकली व्यापार चिह्नों वाली वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए पर्याप्त दाण्डिक उपबंध मौजूद हैं । संशोधित स्वत्वाधिकार अधिनियम (कापीराइट एक्ट) 1957 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में भी इस तरह के कार्यों से निपटने के लिए उपबन्ध मौजूद हैं ।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को, उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, अनुदान सहायता दी जाती है ।

मद्रास दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण शुरू करना

3101. **श्री आर०के० अन्नादानम्बी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रसारण कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास के स्टूडियो में से एक को वर्ष 1986-87 के दौरान रंगीन कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सुसज्जित किए जाने की उम्मीद है। रंगीन में क्षेत्र-आधारित कार्यक्रमों के सीमित निर्माण के लिए कुछ उपकरण केन्द्र को पहले ही उपलब्ध किए जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोरापुट दूरदर्शन केन्द्र को चालू करना

3102. **श्री के० प्रधानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोरापुट दूरदर्शन केन्द्र से जो कि 28 फरवरी, 1985 को शुरू किया गया था प्रसारण होने वाले कार्यक्रम 20 किलोमीटर दूर जैपोर में देखे जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो यहां के कार्यक्रम न दिखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जेपोर, मध्यवर्ती पहाड़ियों के छाया क्षेत्र में पड़ता है, और इस लिए उसको कोरापुट के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर से कवरेज प्राप्त नहीं होते।

(ग) उड़ीसा के भागों सहित देश के जिन भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करना भावी योजना अवधियों के दौरान दूरदर्शन के विस्तार के लिए संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ऊन के उत्पादन में गत्यावरोध

3103. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऊन के उत्पादन में निरन्तर गत्यावरोध आता रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस गत्यावरोध के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) भेड़ों और ऊन के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) और (ङ) भेड़ और ऊन के विकास के लिए क्रियान्वित/शुरू किए जा रहे कुछ कार्यक्रम ये हैं : कम उत्पादन करने वाले भेडों का सुधार करने के लिए विदेशी नसलों, बढ़िया देशी तथा संकर नस्ल के मेढ़े का प्रयोग करना बढ़िया देशी नस्लों का चयनात्मक प्रजनन, उन्नत मेढे तैयार करने के लिए भेड़ प्रजनन फार्मों सुदृढ़ीकरण, चारागाह विकास, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ाना और राज्यों में भेड़ तथा ऊन विकास से सम्बन्धित संघ/बोर्ड निगम की स्थापना/सुदृढ़ीकरण ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण

3104. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में दूरदर्शन कार्यक्रम देखने वालों ने यह रोष प्रकट किया है कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के समय में नये बदलाव के कारण, वे विभिन्न क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों से क्षेत्रीय प्रतिभा के भिन्न-भिन्न और अलग-अलग भाव दर्शाने वाले कार्यक्रमों से वंचित हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए प्रसारित राष्ट्रीय कार्यक्रम के समय को तदनुसार फिर से बदलने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) विगत की भांति, दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम रात्रि 9.00 बजे से टेलीकास्ट किया जाना जारी है। 10 मार्च, 1985 से, प्रायोजित धारावाहिक कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य परिवार नियोजन,

महिला कल्याण, ठोस सामाजिक मूल्यों आदि को बढ़ावा देना है तथा स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाले कुछ नए धारावाहिक कार्यक्रम राष्ट्रीय संजाल पर रात्रि 8.30 बजे और रात्रि 9.00 बजे के बीच टेलीकास्ट किये जा रहे हैं। जबकि अधिकांश दर्शकों ने रात्रि 8.30 बजे और रात्रि 9.00 बजे के दौरान प्रकट किए जाने वाले नये कार्यक्रमों का स्वागत किया है, एक राज्य के दर्शकों से इन कार्यक्रमों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दूरदर्शन केन्द्र से पहले ही यह कह दिया गया है कि वे अपना प्रेषण आधे घण्टे पहले शुरू करें ताकि क्षेत्रीय कार्यक्रम पहले की तरह उतनी ही अवधि के लिए टैलीकास्ट किए जा सकें।

कामगारों की न्यूनतम मजदूरी

3105. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 34 अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो कुशल कामगारों, अर्धकुशल कामगारों और खेतिहर कामगारों की न्यूनतम मजदूरी क्या है;

(ग) खान-क्षेत्रों के कामगारों के लिए कितनी मजदूरी निर्धारित की गई है; और

(घ) बढ़ी हुई दरें किस तारीख से लागू हुई हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 34 अनुसूचित नियोजनों में श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) मजदूरी की संशोधित न्यूनतम दरें 12 फरवरी, 1985 से लागू हैं।

विवरण

क्रमांक	नियोजन का नाम	संशोधन की तारीख	प्रतिदिन के लिए मजदूरी की दरें			
			कुशल (सबसे कम मजदूरी पाने वाले) रुपये	अर्ध-कुशल रुपये	कुशल/ लिपिकीय रुपये	अतिकुशल रुपये
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि में नियोजन	12-2-85	8·50 से 12·75	10·75 से 15·75	13·50 से 20·00	17.25 से 25.00 (क्षेत्रों के अनुसार)

1	2	3	4	5	6	7
2.	सड़कों का निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन	12-2-85	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
3.	पत्थर तोड़ना या पत्थर पीसने में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
4.	भवनों के अनुरक्षण में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
5.	धावन पथों के निर्माण और अनुरक्षण में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
6.	जिप्सम खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
7.	बेराइटिस खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
8.	बाक्साइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
9.	मैगनीज खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
10.	चीनी मिट्टी खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
11.	कायनाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोयत
12.	तांबा खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
13.	मृतिका खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
14.	पत्थर खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
15.	सफेद मिट्टी खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
16.	अग्निसह मिट्टी खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6	7
17.	गेरू खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
18.	सेलखड़ी खानों (जिनके अन्तर्गत साबुन प्रस्तर और टेल्कों उत्पादक खानें भी हैं) में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
19.	ऐस्बेस्टोस खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
20.	क्रोमाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
21.	क्वार्टजाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
22.	क्वार्टज खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
23.	सिलिका खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
24.	अभ्रक खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
25.	मैग्नेसाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
26.	ग्रेफाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
27.	फेलस्पार खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
28.	रेड आक्साइड खानों में (नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
29.	लेटराइड खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
30.	डोलीमाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6	7
31.	लोह अयस्क खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
32.	ग्रेनाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
33.	बोलफ्राम खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
34.	मैगनेटाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

महानगरों में चोरी-छिपे जाली टेपों की बिक्री के मामलों में वृद्धि

3106. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महानगरों में चोरी-पिछे जाली टेपों की बिक्री के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उन नगरों में जाली टेपों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए छापे मारना प्रारम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिलिप्याधिकार संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद अवैध चोरी के कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यारा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) रेडियो प्रसारणों की पाइरेसी का कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने की योजना

3107. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत खाद्य तेलों के आयात पर पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करता है;

(ख) क्या इस वर्ष कपास की बहुत अच्छी फसल होने के कारण भारत को विदेशी मुद्रा की कुछ बचत होगी;

(ग) क्या देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) क्या वनस्पति उद्योग में सरसों और मूंगफली के तेल के सालवेंट का प्रयोग करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल 846 करोड़ रुपए मूल्य के 14·09 लाख मी० टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था। इस वर्ष के दौरान खाद्य तेलों का आयात, देशी तेलों की वास्तविक उपलभ्यता, खाद्य तेलों की संभावित मांग, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य संबंधित बातों पर निर्भर करेगा।

(ग) वनस्पति तेलों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम चलाना। इस योजना का उद्देश्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन करना, बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना आदि।

2. गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए विशेष परियोजनाएं आरंभ करना।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

4. तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

5. गैर-पारस्परिक तिलहनों, जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष और वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

6. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक संसाधन और आधार ढांचे संबंधी सुविधाएं जुटाना।

(घ) वनस्पति के उत्पादन में विलायक निष्कर्षित सरसों के तेल तथा मूंगफली के तेल के प्रयोग पर सरकार विचार कर रही है।

शरजाह में हुआ क्रिकेट मैच

3108. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरजाह में 29 मार्च, 1985 को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल क्रिकेट मैच का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण नहीं किया गया जबकि पाकिस्तान रेडियो ने उसका प्रसारण किया था; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा उक्त मैच को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित न किए जाने के क्या कारण थे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। नीति के रूप में, आकाशवाणी और दूरदर्शन सामान्यतया लाभकारी मैचों का सजीव कवरेज उपलब्ध नहीं करते। शरजाह में क्रिकेट मैच का आयोजन जाने माने वर्तमान तथा सेवा निवृत टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ियों के लाभ के लिये किया गया था जिसमें केवल चार देशों अर्थात् भारत, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया तथा इंगलैंड ने ही भाग लिया था। यथापि, आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में नवीनतम स्कोरों को बताया गया था।

इसके अलावा, दो मैचों, जिनमें भारत ने भाग लिया था अर्थात् भारत बनाम पाकिस्तान (सेमीफाइनल) और भारत बनाम आस्ट्रेलिया (फाइनल) के मुख्य अंशों को राष्ट्रीय संजाल पर क्रमशः 28-3-1985 तथा 31-3-1985 को टेलीकास्ट किया गया था।

भारत में भूमि का कटाव

[हिन्दी]

3109. श्री सी० अंगा रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जनवरी, 1985 के "स्टेट्समैन" में छपी इस आशय की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि वर्डबाच इन्सटीट्यूट के अनुसार 47000 करोड़ टन प्रतिवर्ष की दर पर अधिकतम कटाव भारत में होता है जिसके कारण 5 लाख जोहड़ों और 485 तालाब के शीघ्र ही मिट्टी से भर जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इससे सिंचाई और बिजली के उत्पादन को कितना नुकसान होने की सम्भावना है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने का राज्य-वार लक्ष्य क्या है;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) 16 जनवरी, 1985 के स्ट्रेट्समैन में छपी वर्डवाच इन्स्टीट्यूट के सितम्बर, 1984 के पेपर 60 में यह अनुमान लगाया है कि देश में भूमि कटाव से लगभग 47000 लाख टन मृदा की हानि हो रही है। इसने आगे यह भी सूचना दी है कि 5 लाख जोहड़ों और 487 मध्यम और बृहत जलाशयों में, जिनसे सिंचाई की जाती है और जल-विद्युत पैदा की जाती है, असामयिक गाद भर जाना एक गम्भीर मामला है। यद्यपि समूचे देश के तौर पर कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की उत्पादकता में कमी होने के संदर्भ में सरकार द्वारा कटाव, तालाबों, जोहड़ों और जलाशयों में गाद भरने की समस्या को माना गया है।

कृषि और गैर-कृषि भूमि में कटाव और भूमि अपक्रमण को रोकने के लिए राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र दोनों के तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 1984-85 तक लगभग 293.8 लाख हैक्टार कुल क्षेत्र का उपचार किया जाएगा और 1985-86 के लिए 14.8 लाख हैक्टार का लक्ष्य है। सवण अपक्रमण, जलाशयों में गाद भरने और सिंचाई तथा जल विद्युत क्षमता की हानि को कम करने के लिए "नदी घाटी परियोजना के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण" का केन्द्र द्वारा प्रयोजित एक योजना तीसरी योजना से ही चल रही है। इस योजना का अब छठी योजना के दौरान 17 राज्यों, एक संघ शासित क्षेत्र और दामोदर घाटी निगम में फैले 28 स्रवण क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। 1984-85 तक 19.3 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया और 1985-86 के लिए 1.2 लाख हैक्टार का लक्ष्य है। इसी प्रकार, स्रवण क्षेत्रों में जल रोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और बाढ़ों के द्वारा उपजाऊ मैदानों में होने वाली उत्पादन की हानि को कम करने के लिए 7 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में फैले 8 स्रवण क्षेत्रों में छठी योजना के दौरान "बाढ़ सवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में, समेकित जल विभाजक प्रबन्ध की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आरम्भ की गई थी। 1984-85 तक 1.6 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया जाएगा और 1985-86 के लिए 0.5 लाख हैक्टार का लक्ष्य है। कटाव पर नियन्त्रण करने के लिए और उत्पादक प्रबन्ध योजना में अपक्रमित भूमि का सुधार करने के लिए भी राज्य क्षेत्र के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 1984-85 तक 270.7 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया जाएगा और 1985-86 के लिए 9.4 लाख हैक्टार का लक्ष्य है।

ईंधन की लकड़ी और चारा रोपण हेतु बड़े पैमाने पर वनरोपण कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अकृष्य भूमि विकास बोर्ड की अभी स्थापना की जानी है। प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

ग्रामीण जोहड़ों और तालाबों और गहन मत्स्य पालन के विकास के लिए सिक्किम और मेघालय को छोड़कर देश के सभी राज्यों में मत्स्यपालक विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं।

देश में कार्यरत 147 मत्स्यपालक विकास एजेंसियों के जरिए सुधार किए जाने के बाद अब तक करीब एक लाख हैक्टार परित्यकत गाद भरे जल क्षेत्र को वैज्ञानिक मत्स्यपालन के तहत लाया जा चुका है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के करीब 400 जिले इस कार्यक्रम के तहत लाए जायेंगे। करीब दो लाख हैक्टार और जल क्षेत्र का सुधार करने के बाद उसमें मत्स्यपालन किया जाएगा। इस प्रकार मत्स्य तालाबों में गाद भरने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खाद्य तेल का आयात

[अनुवाद]

3110. **श्री बी०बी० देसाई :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने अपने मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं कि विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए चालू वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर, 1985 तक) में खाद्य तेलों का आयात कम से कम किया जाए;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम, जिसके माध्यम से यह आयात किया जाता है, ने 10 लाख टन खाद्य तेल के आयात का सौदा किया है;

(ग) क्या देश में तिलहन में अधिक वृद्धि या उत्पादन को देखते हुए वर्ष 1985 में अधिक खाद्य तेल के आयात की आवश्यकता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तिलहन का उत्पादन कितना बढ़ा है; और

(ङ.) खाद्य तेल का कितना आयात निर्धारित किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार द्वारा समय-समय पर आयात किये जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा का निर्धारण विभिन्न पहलुओं, जैसे देशी तेलों की उपलब्धता, खाद्य तेलों की संभावित मांग तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए, किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) सरकार ने तिलहनों/खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं, ताकि देशी तेलों की सहज उपलब्धता होने से खाद्य तेलों के भावी आयात को कम किया सके। देश में ननस्पति तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम चलाना इस योजना का उद्देश्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन करना, बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना आदि।

(2) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए विशेष परियोजनाएं आरम्भ करना।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) गैर-पारम्परिक तिलहनों, जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष और वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक संसाधन और आधार-ढांचे संबन्धी सुविधाएं जुटाना।

पराद्वीप के लिए मत्स्य पत्तन

3111. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में एक मत्स्य पत्तन की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तन के निर्माण हेतु निश्चित स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी तथा निर्माण कार्य आरम्भ करने तथा परियोजना समाप्त करने के सम्बन्ध में निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पारादीप में मत्स्यन पत्तन नीचे लिखे दो स्थानों पर विकसित करने का प्रस्ताव है :—

(1) पारादीप वाणिज्यिक पत्तन के अन्दर विकसित किया जाने वाला गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के लिए सुविधाएं;

पारादीप पत्तन न्यास द्वारा 4.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1985 में सरकार को प्राप्त हुई इसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 30 ट्रालर ठहराए जा सकते हैं ।

(2) पारादीप वाणिज्य पत्तन के बाहर अवस्थित किए जाने वाले यान्त्रिकृत्त मत्स्यन जलयानों के लिए सुविधाएं :

पारादीप वाणिज्यिक पत्तन तथा महानदी नदी के बीज एक उपयुक्त स्थान का जायजा लेने हेतु माडल अध्ययन किए जा रहे हैं।

इस अवस्था में निर्माण कार्य शुरू करने और इसके पूरा होने के बारे में कोई समय तालिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ।

———

दिनांक 8-3-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, उपहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दूध उत्पादों के आयाम के सम्बन्ध में दिनांक 8-3-82 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के भाग (क) के उत्तर के विवरण में यह सूचित किया गया था कि 1980-81 के दौरान महानगरीय डेरियों और अन्य दुग्ध योजनाओं और शिशु आहार विनिर्माताओं को क्रमशः कुल 33.481 मीटरीटन और 1,280 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण निर्मुक्त किया गया । ये आंकड़े भारतीय डेरी निगम द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थे ।

भारतीय डेरी निगम रे बाद में प्राप्त जानकारी का अध्ययन करते समय उपरोक्त दो आंकड़ों में कुछ असंगतियां पाई गईं । भारतीय डेरी निगम से अनुरोध किया गया था कि वे उक्त असंगति को स्पष्ट करें । उन्होंने सूचित किया है कि महानगरीय डेरियों और अन्य डेरियों और शिशु आहार विनिर्माताओं को निर्मुक्त किए गए स्प्रे टा दुग्ध चूर्ण के आंकड़ों को दर्शाने में संगणना सम्बन्धी त्रुटि थी ।

निम्नलिखित विवरण में उत्तर में पहले दिए आंकड़े और भारतीय डेरी निगम द्वारा दिए गए सही और संगतिपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं :—

दिनांक 8-3-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

(मीटरी टन में)

	दिनांक 8-3-82 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के उत्तर में दिए गए आंकड़े	भारतीय डेरी निगम द्वार दिए गए संगतिपूर्ण आंकड़े
	स्किम दुग्ध चूर्ण	स्किम दुग्ध चूर्ण
1. महानगरीय डेरियों और अन्य योजनाओं हेतु	34481	32878
2. शिशु आहार विनिर्माता	1280	1104

तथापि, अनजाने में हुई भूल के लिए खेद है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : श्रीलंका में एक बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रपति जयवर्धन ने ब्रिटिश सेना की मदद मांगी है। आप यह भी जानते हैं कि किराये के ब्रिटिश सैनिक वहां पहले से ही मौजूद हैं। मौसाद, इजराइल की एक घृणित···

अध्यक्ष महोदय : हमने सम्पूर्ण चर्चा की थी। एक अवसर और है। जब भी हम इसे उचित समझेंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे।

प्रो० के०के० तिवारी : वे इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर रहे हैं। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं तथा इसे पूरा कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : पूरे सत्र में हमने श्रीलंका के मामले पर चर्चा नहीं की। विदेश मंत्रालय की मांगों के समय हमने इस पर केवल अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा की थी।

अध्यक्ष महोदय : हमने इसे कार्य सूची में रखा हुआ है। आप इस पर कल कार्यमन्त्रणा समिति में चर्चा कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं भी श्रीलंका का ही प्रश्न उठा रहा हूं। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कल हो रही है। उस समय हम इस पर फैसला कर लेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : आपको यह जानकर हैरानी होगी कि निर्माण तथा आवास मन्त्रालय के फैसले के कारण दिल्ली स्थित, दिल्ली क्लोथ मिल बिल्कुल बन्द होने की हालत में है।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में चिन्ता न कीजिए। मैंने इस पर विचार कर लिया है। अभी तक कोई समस्या नहीं है। और यदि कोई समस्या होती भी है तो हम इस पर चर्चा कर लेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय इस पर आप एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यहां किसी भी कल्पनात्मक प्रश्न पर चर्चा नहीं की जाती।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा के लोग आज 'बन्द' का आयोजन कर रहे हैं क्योंकि त्रिपुरा की सरकार तथा वहां के लोग उग्रवादियों का सामना करने के लिए अधिक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल की मांग कर रहे हैं।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ नहीं है। आप मुझे लिख सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : मैं भी वही सवाल पूछ रही हूं। यह केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्धों का प्रश्न है...

प्रो० के०के० तिवारी : क्या आप श्रीलंका के मामले पर चर्चा कराने जा रहे हैं? यह समस्या और विकट हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : कल हम कार्यमन्त्रणा समिति की बैठक कर रहे हैं। उसमें इस पर फैसला कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अजय बिश्वास : सीमाओं की सुरक्षा का प्रबन्ध करना केन्द्रीय सरकार का कार्य है। उग्रवादी सीमा पार कर रहे हैं। हम इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे अधिकारों से बाहर है।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए त्रिपुरा सरकार अधिक बल मांग रही है···

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे अधिकारों से बाहर है। आप इसे पहले ही कह चुके हैं तथा उनके ध्यान में आ गया है। अब यह उन पर है। मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता। मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता।

श्री अमल दत्त : सभी दलों ने सूचना दे दी है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या फर्क पड़ता है। सूचना का मतलब यह नहीं है कि इस पर कार्रवाई हो गई है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवादी-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, चीनी (वर्ष 1984-85 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 28 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 316 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० डी०—708/85]

सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पिछली अधिसूचना को संशोधित करने के लिए अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 336 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

एक प्रति, जो 6 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 24 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना संख्या 120/82-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि भारत से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट एक और पदार्थ, अर्थात, पेंटाजोसीन निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके, सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—709/85**]

12.03 म०प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) नारियल विकास बोर्ड

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड

श्री बूटा सिंह : प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति बोर्ड, 1983 की धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, आप बहुत ही शिष्ट व्यक्ति हैं कृपया इस प्रकार न कीजिए। कृपया अब बैठ जाइए। कृपया अपनी सीट ग्रहण कर लीजिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसके बारे में सब पता है। केवल आप के कह देने से ही मैं यह सब नहीं कर सकता···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने इन लोगों को अनुमति नहीं दी है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी कृपया आप बैठ क्यों नहीं जाते ? आप समय क्यों ले रहे है ?

(व्यवधान)**

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.06 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) एरावल और लश्करी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने की मांग

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 377 के अधीन राजस्थान राज्य की ऐरवाल एवं लश्करी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में बैरवा जाति से

---

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

इन्हें अलग कर शामिल करने संबंधी अति लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

राजस्थान राज्य में ऐरवाल एवं लश्करी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल न करके इन्हें बैरवा जाति से सम्बद्ध कर अनुसूचित जाति में रखा गया है, जिस पर इन्हें काफी एतराज है। ये अपने आपको बैरवा जाति से अलग मानते रहे हैं क्योंकि इसके लिए जो तर्क ये लोग दे रहे हैं—वह यह है कि रियासतों में जो सेना का लश्कर लोग लेकर चला करते थे, उन्हें लश्करी कहा जाने लगा, जबकि बैरवा जाति का जो कार्य था, वह लश्करी जाति के लोगों द्वारा किया जाने वाले कार्य से भिन्न था। इस प्रकार ऐरवाल एवं लश्करी जाति के लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है। इन लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है कि ऐरवाल एवं लश्करी जाति को भी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाये, जबकि इन लोगों को राज्य में बैरवा जाति को मिलने वाली अनुसूचित जाति की सभी सुविधायें प्राप्त हैं। इन्हें आरक्षण प्राप्त है तथा चुनावों में भी बराबर की सुविधायें इन्हें मिलती हैं।

इस प्रकार ऐरवाल एवं लश्करी जाति के लोगों की जो पुरानी मांग है, वह काफी वाजिब है और यह मामला सरकार के विचाराधीन काफी वर्षों से लम्बित पड़ा है। ऐरवाल एवं लश्करी जाति के लोगों ने जो तर्क दिया है, वह भी काफी वाजिब है।

मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि वे लश्करी एवं ऐरवाल जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में, इन्हें बैरवा से अलग कर शामिल करने संबंधी मामले पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करने की कृपा करें ताकि इन लोगों में व्याप्त असंतोष को अविलम्ब दूर किया जा सके।

12.08 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

(दो) अपने सहायक एकक के रूप में टी० के० केमिकल्स, कोचुवेली (त्रिवेन्द्रम) का अधि-ग्रहण करने के लिए त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्टस लि० को निदेश देने की मांग।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : ड्राई इलैक्ट्रिक बैटरी सेलों के निर्माण में काम आने वाली इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीजा डाइ-आक्साइड (इ० एम० डी०) का उत्पादन करने वाले एक कारखाने, टी टी० के० कैमिकल्स लिमिटेड ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण 12 जून 1984 से मजदूरों की छंटनी करने की घोषणा की है। इस उद्योग के विकास की आवश्यकता के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि भारत के ड्राई सैल उत्पादकों को आयात की गई इ० एम० डी० पर भारी मात्रा में निर्भर करना पड़ता है। केवल यही नहीं यह फैक्ट्री ट्रावनकोर टिटानियन प्राडक्ट्स के अपशिष्ट उत्पाद सल्फ्यूरिक एसिड का भी उपयोग करती है, जिसका, यदि उचित ढंग से इस्तेमाल

न किया जाए तो ई० एम० डी० को बनाने में रसायन क्रिया के कारण, यह प्रदूषण उत्पन्न करता है इसीलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी इस उद्योग का विकास किया जाना चाहिए।

इस उद्योग की वर्तमान कठिनाइयां केवल गलत प्रबन्ध के कारण हैं। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से भारी मात्रा में ऋण लिया गया है। परन्तु उनका एक तरह से दुर्विनियोग किया गया है। कुछ अन्य अनियमिततायें भी हुई हैं। कामगारों को नियमित रूप से मजूरी नहीं दी जाती। उनकी भविष्यनिधि तथा इ० एस० आई० में अंशदान की राशि अदा नहीं की जाती। यहां तक कि बैंक ऋणों को लौटाने के लिए कर्मचारियों से ली गई राशि का भी प्रबन्धकों द्वारा दुर्विनियोग किया गया है।

12.09 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस उद्योग को गैर-कानूनी रूप से बन्द करने के कारण उत्पन्न हो रही बहुत गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं आग्रह करता हूं कि पूरे मामले की जांच करने के तुरंत आदेश दिए जाएं। और दोषी पाए जाने वालों को दण्ड दिया जाए। त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड को यह भी आदेश दिए जाए कि ई० एम० डी० का उपोत्पाद के रूप में उत्पादन के लिए वह टी० के० कैमिकल्स के प्रबन्ध का अपनी सहायक यूनिट के रूप में अर्जन करें इससे श्रमिकों का भी हित होगा जो भूखे मर रहे हैं।

(तीन) हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की आवश्यकता

श्री जी० भूपति (पेदापल्ली) : पता लगा है कि आन्ध्र-प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के उत्तर में पर्यटन और नागर विमानन मंत्री जी ने कहा है कि वे हैदराबाद और मध्य पूर्व देशों के बीच यात्री और माल में हुई वृद्धि का जायजा लिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि सर्वेक्षण यदि पहले नहीं किया गया है तो हैदराबाद को अन्तर्राट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिऐ शीघ्र ही सर्वेक्षण कराया जाए और जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हैदराबाद से कम से कम कुछ सीमित अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं आरम्भ करायी जाए।

(चार) पश्चिम बंगाल में गंगा और भागीरथी नदियों द्वारा होने वाले भू-क्षरण को रोकने हेतु भू-क्षरणरोधी उपायों के लिए पर्याप्त धन देने की आवश्यकता

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवदीप) : पश्चिम बंगाल में गंगा तथा भागीरथ के किनारे फरक्का बांध के आस पास रहने वाली भारी जनसंख्या इन दोनों नदियों द्वारा बड़े पैमाने पर कटाव के कारण विस्थापित हो गई है या उनके विस्थापित होने का खतरा बन गया है मुर्शिदाबाद के जिले में कटाव से अन्ततः रेलवे लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और फरक्का बांध परियोजना

का तटबन्ध और उसकी फीडर नहर सभी समाप्त हो जायंगे इससे भारत-बांग्ला देश की इस सीमा पर संचार व्यवस्था में भी विघ्न पैदा होगा तथा पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों का वहां के शेष जिलों से सम्पर्क टूट जाएगा ! नादिया जिले में भगीरथी से 70 गावों तथा नगरों को केवल नवद्वीप निर्वाचनक्षेत्र में ही कटाव हो रहा है। बंगाली रामायण के प्रसिद्ध लेखक कृतीवसा के इतिहासिक महत्व के स्मारक के बहने का भी खतरा है। राज्य सरकार के पास इतने बड़े पैमाने पर कटाव को रोकने के लिए साधन नहीं है। इसलिए केन्द्रीय सरकार इन दोनों राष्ट्रीय जल मार्गों द्वारा कटाव को रोकने के लिए पर्याप्त धनराशि तुरंत प्रदान करे !

(पांच) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़) : मध्यप्रदेश के रायगढ़ जिले में अधिकांशतः जनजाति के लोग रहते हैं। यह राज्य का उद्योगों की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ जिला है ! वहां केवल एक पटसन मिल है, जिसे 1935 में रायगढ़ में स्थापित किया गया था। जब भारत सहित पूरा विश्व उद्योग के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है रायगढ़ इस क्षेत्र में बहुत पीछे रह गया है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि रायगढ़ में पिछले 50 वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास का प्रतिशत शून्य रहा है, इस जिले को श्रेणी 'ख' में रखा गया है।

दूसरी तरफ इस जिले में कई प्रकार के उद्योग स्थापित करने की गुंजाइश है। खनिज अन्वेषण निगम और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इन क्षेत्रों में कोयला, बाक्साइट तथा अन्य खनिजों के बड़ी मात्रा में भण्डार पाए हैं। इसलिए यह खनिज और खनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उत्तम स्थान है। श्रमिक तथा भूमि जैसी अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में और उचित कीमत पर उपलब्ध हैं। अतः इस जिले में उद्योग स्थापित करने का हर प्रकार से औचित्य है।

भारत सरकार की यह नीति है कि पिछड़े और जिन जिलों में उद्योग नहीं है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर उद्योग स्थापित किये जाएं। रायगढ़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला तथा 'उद्योग हीन' जिला दोनों घोषित किया जा सकता है।

अतः मैं आग्रह करती हूं कि रायगढ़ जिले को श्रेणी 'ख' की बजाय श्रेणी 'ग' के रूप में घोषणा की जाए ! इसे 'उद्योग हीन' जिला माना जाए। भारत सरकार प्राथमिकता के आधार पर उद्योग स्थापित करने के लिए सभी संभव उपाय करने चाहिए !

(छः) उत्तर प्रदेश में, विशेषकर उसके पूर्वी भागों में चेचक की बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश में चेचक के बढ़ते हुए प्रकोप की तरफ आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। इस

समय हमारे उत्तर प्रदेश में खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर चेचक का प्रकोप चल रहा है। आए दिन तमाम छोटे-छोटे बच्चे काल के गाल में जा रहे है। समाचार-पत्रों में भी आए दिन यह खबर प्रकाशित हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में भी इसका भीषण प्रकोप है और यह रोग दिनोदिन समूचे प्रदेश में फैलता जा रहा है। इस रोग को रोकने के लिए कोई समुचित व्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। इसके पूर्व यह रोग काफी कम हो गया था किन्तु इस समय अकस्मात् इस रोग का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। अगर विशेष व्यवस्था करके इस रोग के प्रचार को नहीं रोका गया तो हमारा उत्तर प्रदेश भयावह संकट में आ जायेगा क्योंकि यह रोग नौजवान, बुड्ढे बच्चे आदि सभी को हो रहा है।

ऐसी स्थिति में मैं माननीय मन्त्री जी से विशेष प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश को इस रोग से बचाने के लिए आविलम्ब समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें।

———

12.15 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1985-86—जारी

अनुवाद]

(एक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय —जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 6 लेंगे और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगें। श्री आर० पी० दास ने पहले से ही बहुत समय ले लिया है। मैं उन से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना भाषण दो या तीन मिनट में समाप्त करें।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : मैं हल्दीया पेट्रो-कैमिकल कम्प्लेक्स की स्थापना के बारे में बात कर रहा था। इसे एक उचित समय के भीतर स्थापित कर लेना चाहिए। इसके स्थापित होने से आशा है कि वहां सैकड़ों-हजारों उद्योग और स्थापित होंगे तथा हल्दीया कैमिकल कम्पलेक्स और इसके नीचली ओर लगने वाले उद्योगों में सैकड़ों-हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

इस सदन में यह प्रश्न भिन्न-भिन्न अवसरों पर आया ! पिछले बार जब यह प्रश्न सदन में आया तो श्री सत्य गोपाल मिश्र ने माननीय मंत्री से 27-3-84 को एक प्रश्न पूछा था और माननीय मंत्री श्री शिव शंकर ने उसका उत्तर दिया था कि "हल्दीया में यह पेट्रो कैमिकल कम्पलेक्स जरूर होना चाहिए, चाहे राज्य इसे आरम्भ करे, चाहे यह संयुक्त क्षेत्र बने या जो भी हो।" 9 वर्ष पहले यह स्थिति थी।

उससे पहले भी जब श्री प्रकाश चन्द्र सेठी विभाग के प्रभारी थे तो उन्होंने एक अन्य प्रश्न

का उत्तर दिया था कि "हल्दीय पेट्रोकैमिकल कम्लैक्स जरूर बनना चाहिए और हल्दीया पेट्रोकेमिकल कम्पलेक्स के लिए औद्योगिक लाइसेंस जल्दी ही जारी किया जाएगा ! लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया है और पता चला है कि पेट्रोकैमिकल कम्पलैक्स बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री से फिर अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के सातवी पंच वर्षीय योजना में ईमानदारी से शामिल किया जाना चाहिए ताकि इस कम्पेलक्स के लिए संभवताओं का पता लगाया जा सके। यह भी सच है कि इस किस्म की परियोजनाओं का फरक्का थर्मल पावर प्रोजेक्ट और दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरह कुछ राष्ट्रीय महत्त्व है इसलिए इस परियोजना के सातवी पंच वर्षीय योजना में लिया जाना जाना चहिए।

अब मैं औषधि और भेषज उद्योग पर आता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है। कि अनुमान है कि वर्ष 1984-85 के दौरान 377 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियों तथा 1,827 करोड़ रुपये मूल्य के फार्मूलेशन्सो का उत्पादन होगा। इन दोनों रकमों योग 2, 204 करोड़ रुपगे बैठता है।

ये सब अनुमान हैं सभी अन्य अनुमानों की तरह ये भी सच नहीं निकलेंगे

1983-84 वर्ष के आकड़े ये पता चलता है कि केवल लगभग 355 करोड़ रुपये मूल्य की बल्क औषधियों का उत्पादन हुआ 1700 करोड़ रुपये के फार्मूलेशन तैयार किये। गये इनका योग 2,115 करोड़ रुपये बैठता है। यह पिछले वर्ष का कार्य-निष्पादन है। देश के भारी साधनों और क्षमताओं की तुलना में पिछले वर्ष के मुकावले यह मामूली वृद्धि है। इससे अधिक नहीं। इसलिए देश की आवश्यकता के संदर्भ में बल्क औषधियों तथा फार्मूलेशनों के निर्माण में यह वृद्धि महत्त्वहीन और असंगत है।

औषधि उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए भारी लाभ कमाने का साधन बन गया है। वे असंख्य औषधियों लाते हैं और बेचते हैं। इन औषधियों की कीमतें इतनी अधिक होती है कि साधारण लोग इन औषधियों को खरीद नहीं सकते हैं। यह अब देश की चिकत्सा शिक्षा और स्वाथ्य आवश्यकता के लिए एक खतरा बन गया है क्योंकि इसके हजारों फार्मूले अनावश्यक हो गये हैं। असंगत तथा बेकार हो गये हैं। कभी-कभी खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए बहु राष्ट्रीय औषधि कम्पनियां देश की आवश्यकता को पूरी नहीं कर रही हैं। उनके नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए कोई तरीका निकालना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और हाथी समिति दोनों ने आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की है। हाथी समिति ने कहा है कि इस संख्या को एक सौ तक या कुछ अधिक, 117 तक नीचे लाना चाहिए। हजारों फार्मूलेशनों के स्थान पर आवश्यक और जीवन-रक्षक औषधियों की संख्या को बहुत कम किया जा सकता है। इन बहु-राष्ट्रीय और अन्य एकाधिकारी कम्पनियों को इतने अधिक

फार्मूलेशन बनाने से जिन्हें वे इस देश में बेच रहे हैं हतोत्साह किया जाना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन अनन्त फार्मूलों पर प्रतिबंध लगाने का किसका कार्य है? किसी राष्ट्रीय औषध नीति के अभाव में इन कम्पनियों ने औषध उद्योग के लिए समस्या खड़ी कर दी है। इस लिए सरकार के तुरन्त एक राष्ट्रीय औषध नीति बनानी चाहिए। यह औषध नीति हाथी समिति की सिफारिशों या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर बनाई जानी चाहिए हाथी समिति ने सिफारिश की है कि औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि सरकार का सभी औषध उद्योगों का अभी राष्ट्रीयकरण करने का विचार है। या नहीं औषध उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर अन्तिम रूप से विचार करने के मामले तक सार्वजनिक क्षेत्र की औषध कम्पनियो को इसका नेतृत्व संभालना चाहिए, लेकिन महोदय, यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के कार्य निष्पादन पर किचार करें तो आप पायेगें कि यह कितना निराशापूर्ण रहा। सरकार इस बात का जवाब दे कि ये कम्पनियां पूछने के लिए यह सरकार की इच्छा के अनुसार, सरकार की योजना के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर सकी हैं। मैं आई डी पी एल और हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स के कार्य निष्पादन के केवल दो उदाहरण दूगा। यदि आप आई डी पी०एल०का मामला ले तो आप पाएगें कि 1983-84 में कम्पनी का कुल उत्पादन 121·28 करोड़ रुपये था और 1984-85 में, अप्रैल से दिसम्बर 1984 तक इसका उत्पादन केवल 82-39 करोड़ रुपये मूल्य का था। इसलिए इस वर्ष कुल उत्पादन किसी भी तरह सन्तोषजनक नहीं था और यह इस वर्ष 121करोड़ रुपये तक का भी नहीं होगा। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का कार्य निष्पावन और भी अस्सतोषजनक है। 1982-83 में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का कुल उत्पादन37-35 करोड़ रुपये था। 1983-84 में यह घटकर 34-60 करोड़ का रह गया। और 1984-85 में अप्रैल से दिसम्बर 1984 तक यह तेजी से घटकर 26-90 करोड़ रुपये रह गया।

यदि इन प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का कार्य निष्पादन यह रहा है तो वे औषधि निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका कैसे निभा सकती हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के इस निराशाजनक कार्य निष्पादन को देखते हुए इस उद्योग द्वारा 2000 ईस्वी तक 'सभी के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता की पूर्ति करना संभव नहीं होगा। यह सरकार का महत्त्वपूर्ण और लोकप्रिय नारा है, परन्तु देश के औषधि उद्योग का कार्य निष्पादन ऐसा है कि वह 2000 ईस्वी तक आवश्यकताओं के निकट भी नहीं जा सकता। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सरकारी औषधि नीति के पुनर्निर्माण के प्रश्न पर विचार करे। औषधि नीति का पुनर्निर्माण करते समय औषधि उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संबंध में हाथी आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखे और राष्ट्रीयकरण का प्रश्न जब तक विचाराधीन है तब तक मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए कहे। आवश्यक और जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन एक वर्ष में दो गुना कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, इसके बाद राष्ट्रीय वितरण निगम की स्थापना का प्रश्न आता है इस निगम की बहुत जरूरत है। नई वितरण नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों किस्म की कम्पनियों का कुल उत्पादन इकट्ठा करके सम्पूर्ण देश में वितरत किया जाना चाहिए ताकि इनका उपयोग करने वाली जनता उचित मूल्य पर औषधियां प्राप्त कर सके। सरकार को आम जनता के उपयोग हेतु बड़ी मात्रा में सस्ती दवाइयों का निर्माण करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रेणुपद दास : मैं ऋण लाइसेंस प्रणाली के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। यह प्रणाली औषधि उद्योग में तबाही ला रही है।यह भ्रष्टाचार का और सरकारी अस्पतालों को घटिया दवाइयां सप्लाई करने का स्रोत बन गई है बड़ी कम्पनियों द्वारा इसका उपयोग वित्तीय और मूल्यों में हेराफेरी के लिए भी किया गया है।

कभी-कभी फैक्ट्रियों द्वारा इस प्रणाली का उपयोग तालाबन्दी की घोषणा करके मजदूरों के विरुद्ध भी किया गया है। वे ऋण लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से माध्यम से सभी प्रकार का लाभ उठाते हैं और इसका उपयोग औषधि उद्योग के ही विरुद्ध करते हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इस ऋण लाइसेंस प्रणाली की पुनरीक्षा का तथा इस पर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांगों का विरोध करता हूं।

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वादविवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए में आपका अत्यन्त आभारी हूं।

यह सुविदित तथ्य है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों सहित सार्वजनिक उद्यमों के लिए, जो कि सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने का एक साधन भी है, बहुत से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

(एक) देश के द्रुत आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण में सहायता और आर्थिक विकास हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जुटाना;

(दो) निवेश हेतु लाभ कमाना और इस प्रकार विकास के लिए स्रोत पैदा करना;

(तीन) आय और धन के पुनर्वितरण को प्रोत्साहित करना;

(चार) रोजगार के अवसर पैदा करना;

(पांच) सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना;

(छः) छोटे और आनुषंगिक उद्योगों के विकास में सहायता करना;

(सात) आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना देश में विदेशी मुद्रा की बचत करना और कमाना।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सार्वजनिक उद्यमों ने 1951 में कार्य करना आरम्भ किया था। 31 मार्च, 1951 को पांच उद्यमें थे जब इन उद्यमों ने कार्य करना प्रारम्भ किया था। इनमें 29 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया था। 31 मार्च, 1984 को इन उद्मों की संख्या 214 है। इनमें 34,411 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इसी प्रकार सार्वजनिक उद्यमों की संख्या भी 31 मार्च, 1951 में पांच से बढ़कर 31 मार्च, 1984 को 217 हो गई है।

कुछ सार्वजनिक उद्यमों ने जहां लाभ कमाया है वहीं उनमें से अधिकांश उद्यम भारी घाटे में चल रहे हैं और रसायन, उर्वरक और औषधि-निर्माण उपक्रम इसका उपवाद नहीं हैं। वर्ष 1983-84 के सरकारी उद्यम सर्वेक्षण प्रतिवेदन-खण्ड I के पृष्ठ 31 पर प्रकाशित आंकड़ों से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस शीर्ष के अन्तर्गत 1982-83 में हुई 103.5 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में 1983-84 में 65-97 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई। इन भारी हानियों के कई कारण हैं। परन्तु यह मंत्रालय का कर्तव्य है कि वे इन सार्वजनिक उपक्रमों पर बेहतर नियंत्रण और निगरानी रखे। मेरे विचार में हमें निम्नलिखित मुख्य बातों पर बल देना चाहिए :

(एक) सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का लागत-लेखांकन अधिक सावधानी और कड़ाई से किया जाना चाहिए। कोई भी औद्योगिक इकाई अपने कार्य में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसकी उत्पादन-लागत का ठीक ढंग से हिसाब नहीं लगाया जाता हो और उसे आय तथा व्यय पहलुओं से जोड़ा नहीं जाता।

(दो) सभी प्रकार के अनावश्यक व्यय को बिल्कुल खतम करने के लिए पूर्ण प्रयास किये जाने चाहिए, सरकारी उपक्रमों के बारे में मेरा अपना अनुमान यह है कि वे अपने आरामप्रद कार्यालय-जीवन तथा अनावश्यक व्यय की ओर अधिक ध्यान देते हैं। हमें उनमें सादा जीवन और अधिकाधिक कमाई की भावना भरनी चाहिए वास्तव में सुविधाएं और आराम उत्पादन और लाभ के अनुपात में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(तीन) हमारे सरकारी उद्यमों की कार्मिक नीति वास्तव में अभी बनाई ही नहीं गई है। उनमें से अधिकांश में कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से सम्बन्धित नियम विनियम नहीं

बनाए गए हैं। इससे प्रबन्धकों को अपने कर्मचारियों के साथ मनमाना व्यवहार करने की स्वतन्त्रता मिल जाती है और कृपा-पात्रों के साथ प्रबन्धक अच्छा व्यवहार करते हैं जिससे शेष कर्मचारियों में निराशा और असन्तोष पैदा होता है और अन्ततः सरकारी उपक्रम के हितों को हानि पहुंचती है।

सरकारी उपक्रमों में सरकार की आरक्षण नीति को सही मायनों में लागू नहीं किया जा रहा है। अतः इससे सम्बन्धित लोगों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है। इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उदाहरण के तौर पर मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वीरभद्र, ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश स्थित आई० डी० पी० एल० की मिसाल देता हूं।

आई० डी० पी० एल० के कार्य निष्पादन में, जोकि सरकारी क्षेत्र में औषधि निर्माण का सबसे बड़ा संगठन है, बहुत अधिक गिरावट आई है।

पिछले 20 वर्षों में, 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार इस महत्वपूर्ण इकाई को कुल 118 करोड़ रुपये की हानि हुई है और 31-3-85 तक और 20 करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना है। वास्तव में यह इकाई औषधि-निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने में असफल रही है। विपणन के क्षेत्र में भी इस इकाई का कार्य-निष्पादन निराशाजनक रहा है। कुल 35 करोड़ रुपये का विक्रय-योग्य उत्पाद अनबिका पड़ा है। और 30 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की जानी है। वास्तव में आई० डी० पी० एल० जो कुछ बनाता है बेचने में असमर्थ रहता है, जो कुछ बेचता है, वसूल करने में असमर्थ रहता है। इसके अतिरिक्त आई० डी० पी० एल० ने अब तक स्पष्ट कार्मिक नीति नहीं बनाई है जिसके कारण इसके सुचारू कार्य चालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस परियोजना का कोई अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक अथवा वित्त निदेशक नहीं है और न ही कोई मुख्य कार्मिक अधिकारी है क्योंकि ये अधिकारी पिछले एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत हुए हैं और उनके स्थान पर अब तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। वास्तव में 20 वर्ष पहले स्थापित आई० डी० पी० एल० जैसी बड़ी कम्पनी की, जिसमें 15,000 कर्मचारी काम करते हैं, कोई कार्मिक नीति नहीं है विशेष रूप से अधिकारियों/पर्यवेक्षकों के लिए। अत्यन्त समर्पित और अनुभवी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को 15 से 20 वर्ष की शानदार सेवा के बाद किसी भी पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है और जिससे वे बिल्कुल निराश हो गए हैं। इसके विपरीत ऐसे अधिकारी जिनका संगठन में कोई योगदान नहीं रहा है नियमित रूप से पदोन्नति पा रहे हैं।

1980 में ऋषिकेश संयन्त्र के विस्तार के लिए और उसमें नये उत्पाद शामिल करने के लिए 25 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। ये सभी उत्पाद या तो उपयोग में नहीं आ रहे हैं अथवा इन्हें अभी अपना स्थान बनाना है। नई विस्तार योजना के अन्तर्गत बड़े उत्पाद उच्च लागत पर बनाए जा रहे हैं और गैर सरकारी औषधि उद्योग को भारी हानि पर बेचे जा रहे हैं। निश्चय ही यह अच्छी स्थिति नहीं है।

इस प्रकार आई० डी० पी० एल० के सम्पूर्ण ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। वित्तीय दृष्टि से इसे पूर्णतया सक्षम बनाने हेतु इसमें पूर्ण सुधार की आवश्यकता है जिससे यह देश के लाखों व्यक्तियों के लिए सस्ती दवाइयां और औषधियां बना सकें। अपने युग के महान अर्थशास्त्री कौटिल्य के शब्दों में जो राज्य सस्ती दर पर शिक्षा, औषधि और न्याय प्रदान नहीं कर सकता उसे अच्छा राज्य अथवा कल्याणकारी राज्य नहीं समझा जा सकता।

मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए कुछ सुझाव रसायन और उर्वरक मंत्रालय को अच्छे ढंग से कार्य करने में, इसके अधीन सैकड़ों सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के कार्यचालन में सुधार लाने में तथा यथा समय आर्थिक दृष्टि से सक्षम तथा उपयोगी बनाने में सहायक होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री आफ केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर की डिमांड का मैं समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में फर्टीलाइजर की जितनी आवश्यकता है, उतना फर्टीलाइजर आज हम अपने देश में पैदा नहीं कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया हमको इसके इंपोर्ट पर खर्च करना पड़ रहा है, जबकि देश में इस प्रकार के बहुत से मिनरल्स हैं, जिनके जरिये से हम अपने देश को फर्टीलाइजर के मामले में सैल्फ सफिसेंट बना सकते हैं और जो प्रोजेक्ट्स आज हमारे हाथ में है, उनकी हालत के ऊपर आप गौर करें तो जो फर्टीलाइजर प्लांट प्राइवेट सैक्टर में चलता है "इफको", उसमें सेंट परसेंट कैपेसिटी यूटीलाइज की जा रही है, जब कि हमारे पब्लिक सैक्टर में जो भी फर्टीलाइजर प्लांट हैं, उसमें नाइट्रोजन बेस्ड में कैपेसिटी का 72 परसेंट और फासफेट में 88 परसेंट कैपेसिटी यूटीलाइज कर रहे हैं। प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में कितना बड़ा अंतर है। आज जब हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक सैक्टर ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने, आज हम इस बात को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सैक्टर मजबूत बने और उसकी व्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए, लेकिन जो अधिकारी पब्लिक सैक्टर में बैठे हुए हैं, उनके बारे में मैं हरदम कहता हूं कि वे अधिकारी केवल मौज करने के लिए वहां पर बैठते हैं। वे बहुत बड़ी तादाद में सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए वहां पर बैठते हैं। प्रोजेक्ट्स के डवलपमेंट के ऊपर जितना ध्यान हमारे सरकारी अधिकारियों का जाना चाहिए, उतना नहीं जाता है। जिस प्रकार की उनमें मैनेजीरियल कैपेसिटी होनी चाहिए, उस प्रकार की कैपेसिटी उनमें नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि वे एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो सकते हैं। पब्लिक सैक्टर को ज्यादा से ज्यादा एफिशियेटली रन करने के लिए और सैट-पर-सैट उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज करने के लिए जब तक अपने अधिकारियों की मैनेजीरियल कैपेसिटी तैयार नहीं करेंगे तब तक ये यूनिट लाभ में नहीं आ सकते हैं। जितने भी फर्टिलाइजर के प्लांट्स पब्लिक सैक्टर के अन्दर चल रहे हैं, उनमें करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है जबकि प्राइवेट सैक्टर में जो प्रोजेक्ट हैं, उनमें मुनाफा हो रहा है। इस प्रकार की

सुविधाएं और फारेन-एक्सचेंज देकर के भी पब्लिक सैक्टर को बदनामी उठानी पड़ रही है। यह सब बड़े-बड़े अधिकारियों की वजह से हो रहा है क्योंकि उनमें इनको चलाने की कैपेसिटी नहीं है। उनकी ऐसी जानकारी नहीं है कि लेबर के साथ किस प्रकार से अच्छे सम्बन्ध बनाकर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और इण्डस्ट्रीज को चलाया जाए। आज जो हमारे आई०एस०एस० आफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स बनाकर बैठा दिये जाते हैं, वे लोग उन प्रोजेक्ट्स को ठीक प्रकार से नहीं चला पाते हैं। यह बात सही है कि पिछले वर्षों के अन्दर आत्म-निर्भरता का जितना लक्ष्य हमें प्राप्त करना चाहिए था, उससे कई गुना ज्यादा हमने प्राप्त कर लिया है। फारेन एक्सचेंज को बचाकर अपनी आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। जितनी डिमाण्ड हमारी है, इससे कम ही पूर्तिकर पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कास्तकारों को फर्टिलाइजर सप्लाई करके अपने देश के प्रोडक्शन को निश्चित तरीके से बढ़ाया जा सकता है। जो बैकवर्ड देश है और जिनको आज अन्न की आवश्यकता है, जहां पर लोग भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, उनकी बड़े पैमाने पर सहायता की जा सकती है। इसके लिए हमारी सरकार ने कदम उठाया भी है। आने वाली पंचवर्षीय योजना में छह-सात बड़े-बड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स लगा रहे हैं। लेकिन, उनकी प्रोग्रेस क्या है। गुना और यू०पी० में गैस-बेस्ड प्लांट लगाने की बात कही गई है। उनका काम तो बहुत धीरे-धीरे रेंगता हुआ चल रहा है। प्राइवेट सैक्टर में उसी समय इण्डस्ट्रीज लगाते हैं जबकि कंडीशन्स ज्यादा फेवरेबल हो और जिस वक्त उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता हो। सवाई-माधोपुर के प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहूंगा। आपने यह कहा था कि अगर इतने दिनों में तैयार नहीं हुआ तो उसका साइसेंस कैंसिल कर देंगे। डेढ़-दो साल हो गये हैं, उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसे काम जल्दी से जल्दी पूरे होने चाहिए। इनके जरिये से फर्टिलाइजर का उत्पादन करके अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। मगर इतने बड़े-बड़े लोगों को आपने इन प्रोजैक्ट्स को बनाने का काम दिया हुआ है जिनके सामने हमारी सरकार के मंत्री लोग भी शायद कुछ बोल नहीं सकते। जब इस प्रकार की हालत है और आपने मल्टीनेशनल्स को इन प्रोजैक्ट्स का काम दिया हुआ है, कैसे आप उनसे समय पर इनका काम पूरा करवा पायेंगे। हमारे यहां सवाई माधोपुर में एक प्रोजैक्ट है, जिसको बनाने का काम आपने बिरला को दिया हुआ है मगर मैं देख रहा हूं कि वहां पिछले दो साल से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, कोई प्रगति नहीं हुई है जब कि वह फर्टिलाइजर प्लांट दो-तीन या चार साल में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक उसका काम शुरू ही नहीं हुआ है।

इसके अलावा जितने दूसरे प्रोजैक्ट्स हैं, जिनके बारे में आपका कहना है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना तक उन सब का काम पूरा कर लिया जाएगा, मैं नहीं समझता कि अपने लक्ष्य में कामयाब हो पायेंगे क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि शुरू हो चुकी है और आपके किसी प्लांट के निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हो रही है। उनमें से हर एक प्रोजैक्ट 600 या 700 करोड़ रुपये का है और जब दो-तीन साल बाद उसमें काम शुरू होगा तो उस वक्त इतनी प्राइस ए-सकेलेशन हो चुकी होगी कि वह प्रोजैक्ट लगभग एक हजार करोड़ रुपये तक का हो जायेगा और उस

अवस्था में ये बड़े-बड़े पंजीपति घन्नासेठ गवर्नमेंट से कह दंग कि जब तक हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक हम प्रोजैक्ट का काम पूरा नहीं कर सकते और इस तरह हमारे तमाम प्रोजैक्ट ज्यों के त्यों पड़े रह जायेंगे ।

इस स्थिति की ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में भी बताया है, यदि कोई पूंजीपति, जिसको फर्टिलाइजर प्लांट्स बनाने का लाइसेंस दिया हुआ है, निर्धारित अवधि में इन प्रोजैक्ट्स का काम पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करके यह कार्य किसी अन्य एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा, मैं चाहता हूं कि यह नितान्त आवश्यक है कि देश में तेजी से खाद की पूर्ति करने की दिशा में हमें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और चाहे जिस तरह से भी सम्भव हो, हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में 20 लाख टन नाइट्रोजन खाद बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए । ऐसी व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, अन्यथा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

इसके अलावा चार अन्य फर्टिलाइजर प्लांट्स को लगाने का कार्य भी आपने प्राइवेट कम्पनीज को दिया हुआ है और उनकी प्रोग्रेस के बारे में आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में भी कुछ नहीं बताया है । मेरी जानकारी के अनुसार उनमें से किसी भी प्लांट में कार्य शुरू नहीं हुआ है । यदि हमारे यहां फर्टिलाइजर प्लांट्स को कम्पलीट करने की यही गति रही तो हम उनमें से एक भी प्लांट समय पर तैयार नहीं कर पायेंगे और फिर हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 20 लाख टन नाइट्रोजन खाद तैयार करने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा । मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी इन तमाम प्लांट्स को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करवाने की दिशा में मंत्रीजी आवश्यक व्यवस्था करें और दिलचस्पी लेकर उनके कार्य को शुरू करवायें ।

यदि आप पब्लिक सैक्टर में फर्टिलाइजर प्लांट्स की हालत को देखें तो उनमें भी लगभग हर प्लांट में घाटा है और तमाम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में लॉस चल रहा है । उनके घाटे को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक कमेटी का गठन किया जाए जो उनके लॉस के कारणों का गहराई से अध्ययन करके सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करें । यदि उनमें लेबर ट्रबल की वजह से घाटा हो तो बात दूसरी है, यदि वहां पावर शार्टेज की वजह से घाटा हो तो बात दूसरी है मगर उनमें यदि अधिकारियों की इनैफीश्यैंसी या मिस-मैनेजमेंट की वजह से घाटा हो तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी वहां के अधिकारी-गण पर जाती है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है । पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में और प्राइवेट सैक्टर उपक्रमों में मिस-मैनेजमेंट के कारण होने वाले घाटे को रोकने के लिए हमें सख्त कदम उठाने ही होंगे जिससे कि उनके घाटे को रोका जा सके ।

मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया था कि हमारे यहां एक प्रोजैक्ट में एक बड़े अधिकारी ने 21 करोड़ रुपये के कॉपर रिवट्स इंगलैंड ले जा कर बेचे, आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया

तो आपने अपने उत्तर में यह बताया कि सी बी आई और दूसरी एजेन्सीज द्वारा जांच कराने के बाद उसको निर्दोष करार दिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। जब किसी अधिकारी को नौकरी से निकाला जाता है फिर उसके पीछे कोई-न-कोई गम्भीर आरोप अवश्य रहे होंगे। मगर जिस तरह से उसको बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है, सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक इस प्रवृत्ति को रोकने की कार्यवाही नहीं की जाएगी, हम उपक्रमों में होने वाले लॉस को नहीं रोका जा सकेगा। इन लोगों के कारण ही उनमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उपक्रम घाटे में चला जाता है। ये लोग इंडस्ट्री को सिक बनाकर उसके असैट्स नई नई कम्पनियां बनाकर उसमें लगा देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। सभी जगह एक सा हाल है, चाहे आप पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में देख लीजिए। चाहे प्राइवेट सैक्टर उपक्रमों में देख लीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि समय रहते ऐसी व्यवस्था नहीं की गई तो हमारे देश की आर्थिक हालत गड़बड़ा जाएगी। इस तरह से हमारी आर्थिक हालत बिल्कुल गड़बड़ा जायेगी और जिस तेजी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देश से गरीबी और बेकारी को मिटाना चाहते हैं, वह सारी व्यवस्था लागू नहीं हो पायेगी। हमें समय रहते इस पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में आज प्रश्न काल में अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय को कहा था कि प्राइवेट कम्पनियां जो नकली फर्टिलाइजर निकाल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे किसानों को लूटा जा रहा है, उनके खिलाफ मजबूती से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस पर अवश्य कार्यवाही होनी चाहिए।

पैस्टिसाइड्ज आज हमारे देश में रद्दी और थर्ड-क्लास आ रहे हैं। जिस काम को हम इनके द्वारा बचाना चाहते हैं, उस पर इनका कोई असर नहीं होता है। फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं। पब्लिक सैक्टर में पैस्टिसाइड्ज की दो कम्पनियां हैं, बाकी सारी कम्पनियां प्राइवेट सैक्टर में हैं जोकि गलत ढंग से नकली फर्टिलाइजर बनाकर सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई हैं। इनके बारे में आपको देखना चाहिए कौन-कौन सी ऐसी कम्पनियां हैं जो गलत ढंग से इन पैस्टी साइड्ज को बनाकर लोगों को बेच रही हैं और धन लूटने के साथ-साथ किसानों को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई गलत पैस्टिसाइड दे देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिये हम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर इन गलत पैस्टिसाइड्ज बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं या कोई कदम उठा सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था विलेज लेबल पर भी नहीं है। जो अधिकारी वहां पर बैठे होते हैं, उनके सामने अगर शिकायत भी करते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकारियों बिना कोई अधिकार दिए इन गलत तरीके से नकली पैस्टिसाइड्ज

बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है, इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य बनाई जाये जिससे इनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही हो सके। इस सम्बन्ध में कोई न कोई मशीनरी आप विलेज लेवल पर लगायें।

दवाओं के सम्बन्ध में आपका आई०डी०पी०एल० सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हम हिन्दुस्तान की तमाम जनता को सस्ते भाव पर मैडिसन दे सकते हैं। लेकिन आज सारे देश में छोटी-छोटी कम्पनियां बनाकर खड़ी कर दी गई हैं जो कि बड़े पैमाने पर रकम कमा रही हैं लेकिन आपके अपने प्रोजेक्ट बड़ी मिक्दार में लॉसिस में चल रहे हैं। इनमें लाखों करोड़ों रुपया भारत सरकार का लगा हुआ है फिर भी ये प्रोजेक्ट हमेशा नुकसान में चलते हैं। सरकारी कारखानों में ठीक दवाएं बनकर उपभोक्ताओं को ठीक प्रकार से मिल सकें, इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक तरफ लोग दवाओं के अभाव में मर रहे हैं और दूसरी तरफ जीवन को बचाने वाली दवाएं स्टोर में बन्द पड़ी रहती हैं और करोड़ों रुपये की दवायें आई०डी०पी०एल० में बर्बाद हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो पाता और वह किसी के काम में नहीं आतीं। इस सैकड़ों करोड़ों रुपये की तरफ हमारी कोई तवज्जह नहीं है जोकि बर्बाद हो रहा है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इन व्यवस्थाओं को माकूल बनायें। खासतौर से दवायें देने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार सस्ते भाव पर लोगों को जीवन की रक्षा की दवाएं उपलब्ध नहीं कराती है, तो जनता क्या सोचेगी, इसलिए आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन व्यवस्थाओं को मजबूत बनायें और इन सारी व्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा ठीक करें। वह हमारे देश की रीढ़ हैं, ज्यादा पैदावार करके वह इस देश के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। जब तक आप मजबूती से काम नहीं करेंगे और इन पंजीपतियों के खिलाफ सख्ती से कदम नहीं उठायेंगे, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, देश आगे नहीं बढ़ सकता।

हमारी सरकार की मंशा अच्छी है, इसमें काम करने की शक्ति है, मगर यह बिचौलिये लोग इस व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने में बाधक बन जाते जाते हैं, इसलिए इन बिचौलियों के खिलाफ भी हमें कार्यवाही करनी होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एच० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : जनसाधारण द्वारा उर्वरक, रसायन और औषधि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादश को असाध्य व्याधियों से ग्रसित बताया

गया है। सर्वप्रथम इसका कारण भारी आयात बिल का बोझ है जो हमारी भुगतान सन्तुलन की स्थिति को बिगाड़ कर रख देगा। दूसरा छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियों के बीच का अपूरणीय अन्तर है जो अर्थव्यवस्था में निवेश करने की राजनीतिक दृढ़ता के अभाव के कारण उत्पन्न हुआ है। तीसरा, उच्च स्तर पर राजनीतिक पक्षपात और भ्रष्टाचार है जिसके कारण हमारे उपक्रम अकुशलता और विलम्ब से कार्य कर रहे हैं।

पहले उर्वरक को लेता हूं। इस समय हम उर्वरक के आयात पर 1000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। एक विशेषज्ञ की राय में हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के आयात पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। हम बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात कर रहे हैं। हम 1000 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य तेल का भी आयात कर रहे हैं। अतः यह कहना गलत है कि खाद्यान के मामले में विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता कम हुई है यह कहना अधिक उचित होगा कि यह अब और अधिक जटिल हो गई है।

दो कारणों से अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने का यह उचित समय है। पहला, यह छठी योजना का अन्तिम वर्ष है। दूसरा; छठी योजना की अवधि कांग्रेस (आई) के दूसरे शासनकाल से पूरी तरह मेल खाती है। नाइट्रोजन और फास्टफेट दोनों का छठी योजना का लक्ष्य 56 लाख टन था जबकि वास्तविक उपलब्धि 51 लाख टन रही। पांच लाख टन की कमी रही। इसका कारण बिजली सप्लाई की स्थिति बड़ी खराब होना बताया गया है। पर यह सही नहीं है। हम उर्वरक क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों का निवेश नहीं कर सके हैं। पांचवी योजना में उर्वरक क्षेत्र के लिये 1555 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। छठी योजना में इस धनराशि को बढ़ा कर 2088 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस प्रकार यह 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई किन्तु वस्तुतः केवल 1455 करोड़ रुपये की धनराशि ही व्यय की गई है।

1.00 म० प०

यह बड़ी रोचक बात है कि यह धनराशि पांचवीं योजनावधि में खर्च की गई धनराशि से कम है। हमारी सरकार नई दिल्ली में एशियाई खेलों के लिये स्टेडियम, फ्लाई ओवर तथा पांच-तारा होटल बनाने के लिये 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि की व्यवस्था कर सकती है, हालांकि इसके लिये छठी योजना में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी किन्तु अत्यन्त दुःख की बात है कि यह प्रमुख क्षेत्र में विदेशी मुद्रा की बचत करने वाली योजनाओं के लिये आबंटित धनराशि भी नहीं दे सकी।

वर्तमान एककों के कार्यकरण में सुधार करने की दृष्टि से उपकरणों के शीघ्र अधुनिकीकरण की आवश्यता है। हम सुगमता से यह कह सकते हैं कि तलचर और रामगुंडम संयन्त्र सबसे अधिक

खराब स्थिति में हैं जो हाल में अपनी स्थापित क्षमता का केवल एक तिहाई उपयोग कर रहे थे। इन संयन्त्रों के सम्बद्ध में लगभग दो वर्ष पहले तलवार समिति ने विस्तृत रूप से सिफारिशों की थीं। उन्होंने अधिक गैस-भट्टियों में और बॉयलरों का सुझाव दिया था यह भी सुझाव दिया था कि 280 करोड़ रुपये का निवेश किया जाये ताकि इन दोनों संयन्त्रों की कार्यकारी क्षमता में 30 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सके। किन्तु सरकार तलवार समिति की सिफारिशों के अनुरूप किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है।

यदि हम उर्वरकों की खपत की ओर ध्यान दें तो हम इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता समझ सकते हैं। 1983-84 में उर्वरक खपत में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष इसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारी कुल खपत अब 90 लाख टन हो गई है जबकि हमारा उत्पादन 50 लाख टन ही है। यदि सभी निर्माणाधीन संयन्त्रों को पूरा कर लिया जाता है तो हमारी उत्पादन क्षमता केवल 93 लाख टन ही होगी।

योजना आयोग के कार्यकारी दल के अनुसार, सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक हमें 154 लाख टन उर्वरकों की आवश्यक होगी। और सातवीं योजना में उर्वरक उत्पादन में होने वाली अत्यधिक वृद्धि के बावजूद भी हमें सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उर्वरक आयात पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसलिये, उर्वरक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर निवेश करने की आवश्यकता है। हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि हम सातवीं पंच वर्षीय योजनावधि के अन्त तक उर्वरक क्षेत्र में बिल्कुल कात्म-निर्भर हो जाये। किन्तु हमारी नई योजनायें नियत समय के अनुसार नहीं चल रही हैं। गुना की नेशनल फर्टीलाइन्जर कम्पनी को छोड़कर अन्य सभी गैस-आधारित संयन्त्रों में विलम्ब हो रहा है। मैं केवल कतिपय मामलों का ही उल्लेख करूंगा।

इंडो-गल्फ कम्पनी द्वारा स्थापित होने वाले जगदीशपुर के संयत्र के निर्माण में कठिनाईयां पैदा हो गई हैं क्योंकि देश में उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था नहीं की जा सकी यद्यपि बहरीन कम्पनी के उस कम्पनी में 40 प्रतिशत इक्वटी शेयर हैं। इसे चालू करने का निर्धारित समय जून, 1987 है किन्तु इसे समय पर चालू नहीं किया जा सकेगा। इफ्फको ओनला संयत्र को चालू करने का निर्धारित समय अप्रैल, 1985 है। इसमें छः मास का और विलम्ब हो गया है। यद्यपि सवाई माधोपुर संयत्र को अप्रैल 1988 में चालू किया जाना है, पर बिरला कम्पनी ने इस पर अभी किसी प्रकार का कार्य आरम्भ नहीं किया है। वे तो अभी परामर्श सम्बन्धी कार्य भी पूरा नहीं कर सके हैं। शाहजहां पुर संयंत्र को चालू करने का निर्धारित समय अप्रैल, 1989 है, किन्तु इसके लिए किसी भी कम्पनी का चयन नहीं किया जा सका है। पहले डी०सी०एम० ने पेशकश की थी किन्तु अब वह पीछे हट गये हैं, इसका कारण केवल वहीं जानते हैं। टाटा कम्पनी द्वारा बरबाला में निर्मित किये जाने वाले संयन्त्र के लिए अभी आशय पत्र भी जारी नहीं किया गया है यद्यपि इसके चालू करने की निर्धारित तिथि अक्तूबर, 1988 है। थाल वैंशट संयन्त्र पर अभी हाल में कार्य आरम्भ किया गया है, पर इसमें भी विलम्ब हो रहा है। हजारी और नामरूप संयन्त्रों पर भी

कार्य निर्धारित समय के अनुसार नहीं चल रहा है। इस प्रकार के विलम्ब के क्या कारण हैं? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। किन्तु इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार की इस में आधिक रुचि है कि विदेशी परामर्श सेवा किस कम्पनी की हो, इसका चयन वह करना चाहती है और परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण में उसकी रुचि कम है। हम परामर्श कम्पनियों का पता लगा सकते हैं। नेशनल फर्टीलाइजर्स कम्पनी ने अमोनिया परामर्श कम्पनी के रूप में अमरीका की केल्लोग कम्पनी के स्थान पर डेन्मार्क की हाल्डोर टोपसोइ को रखने का निर्णय लिया है। क्या सरकार यह कह सकती है कि अमरीका केल्लोग कम्पनी हल्डोर टोपसोइ से अमोनिया तकनीक में अपेक्षाकृत कम आगे है। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि हल्डोर टोपसोइ इटली की सनामप्रोगेटी नामक कम्पनी से सम्बद्ध है। सनामप्रोगेटी स्वयं इटली की कम्पनी इ०एन०ई० की एक सहायक कम्पनी है, यह इ०एन०ई० कम्पनी का विश्व में सर्वाधिक निगमित समूह है जिसका कुल 50,000 करोड़ रुपये वार्षिक कारोबार होता है। यह देखना भी महत्त्वपूर्ण है कि जब हमारी सरकार ने अमरीका की सी०पी० बग्रान के स्थान पर मनमाने ढंग से डेन्मार्क की हाल्डोर टोपसोइ को ले लिया तो विश्व बैंक भी थाल वैंचट के लिए उसने जो वित्तीय सहायता देनी थी उससे मुकर गया। हमें सेवाओं और उद्योगों की गल्फ कन्सोलिडेटिड कम्पनी से यह बात पता चली है कि वे सरकार की इच्छानुसार यूरिया और अमोनिया के लिए सनाम्प्रोगेटी तथा हाल्डोर टोपसोइ को परामर्शदाता कम्पनियों के रूप में रखने के लिए सहमत हुए हैं। इस कम्पनी का प्रमुख संविदाकार भी सनाम प्रोगेटी ही है। भारतीय स्टेट बैंक ने इस कम्पनी की गारंटी दी है। गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक लि० ने भी सनामप्रोगैटी और हाल्डोर टोपसोई को ही नियुक्त किया है। आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर उर्वरक ने भी सनाम प्रोगेटी को तथा हाल्डोर टोपसोइ को अपने परामर्श के लिए नियुक्त किया है। विरला कम्पनी भी, मुझे विश्वस्त रूप से पता चला है कि सनाम प्रोगैटी और हाल्डोर टोपसोइ को नहीं रखना चाहती है इसलिए इस सम्बन्ध में अधिक उत्साह नहीं दिखाया है। वे यूरिया के लिए जापान की टोयो कम्पनी को रखना चाहते हैं और अमोनिया के लिए अमरीका की केल्लोग कम्पनी को रखना चाहते है। किन्तु सरकार इस बात के लिए अत्यन्त उत्सुक है कि इस परियोजना को स्वीकृति देने से पहले बिरला कम्पनी के लिए सनामप्रोगैत्ती और हाल्ड टोपसोइ को परामर्शी कम्पनियों के रूप में नियुक्त कर लिया जाए। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि जब भी इतालवी सम्बन्ध की बात आती है तब क्यों सरकार पूर्णतया समर्पित हो जान चाहती है। मुझे यह कहते खेद है कि सनाम प्रोगैटी का प्रभाव एव छाया इस तथाकथित स्वच्छ सरकार के सिर पर मंडरा रही है। वास्तव में इस मामले में एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है कि सनामप्रोगेटी एवं हाल्डोर टोपसोइ कम्पनियां किस प्रकार इन फर्मों के लिए परामर्शी सेवाओं के लिए नियुक्त होसकी हैं।

मैं एक अन्य मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। हमने गैस-आधारित संयत्रों पर अत्यधिक बल दिया है। 1800 कि0 मी0 लम्बी गैस पाइपलाईन, जो इन छः सयन्त्रों को गैस सप्लाई करेगी अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गई है। इसके निर्माण में आठ महीने का बिलम्ब हो गया है। एक 17 सदस्यीय समिति ने सिफारिश की है कि 1800 कि0 मी0 लम्बी इस गैस पाइपलाइन का निर्माण

कार्य गैस प्राधिकरण तथा इन्जीनियर्ज इंडिया लि० को सौंपा जाए। दोनों ही सरकारी उपक्रम हैं। इस दुर्दमनीय सनामप्रोगैटी कम्पनी ने एक बार पुन: घुसने का प्रयास किया और इस पाइप-लाईन के तीन भागों का 7360 लाख डालर में निर्माण करने की पेसकश की। उस प्रस्ताव पर शासकीय समिति में विचार किया गया। उसने सनामप्रोगैटी की टर्नकी परियोजना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किन्तु क्या कारण है कि यह सरकार इस गैस पाइपलाईन की इस परियोजना के निर्माण कार्य को हमारे अपने ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को देने में विलम्ब कर रही है ? इसलिए मैं चहता हूं कि सरकार इन परामर्शी करारों के बारे में स्पष्टीकरण दे कि विभिन्न उर्वरक कम्पनियों को सनामप्रोगटी कम्पनी के साथ यह परामर्शी समझौते करने के लिए बाध्य क्यों किया गया है तथा सनामप्रोगैटी ने गैस पाइपलाईन परियोजना के सम्बन्ध में पेशकश कैसे की।

अब मैं औषधियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। औषधि क्षेत्र में हमारी प्रगति की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही है। हमारी छठी योजना के अन्तर्गत प्रयुंज (बल्क) औषधियों में 24 प्रतिशत तथा औषधि निर्माण में 16 प्रतिशत की विकास की दर परिकल्पना की गई थी। निश्चित रूप में बल्क औषधियों के उत्पादन का मूल्य 226 करोड़ रुपये से बढ़ कर 665 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना थी और औषधि निर्मितियों में 1150 करोड़ रुपये से बढ़कर 2450 करोड़ रु० हो जाने की संभावना थी। किन्तु हमारी उपलब्धि क्या बल्क औषधि के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि केवल 377 करोड़ रुपये और निर्मितियों में यह केवल 1877 करोड़ रुपये है। 144.90 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में हमने इस क्षेत्र में लगभग 80 करोड़ रुपये ही खर्च किये हैं। रसायन के मामले में भी यही स्थिति है। 116 करोड़ रुपये के कुल योजना परिव्यय में से हमने रसायनों पर केवल 92 करोड़ रुपये ही खर्च किये हैं।

अब मैं आई० डी० पी० एल० के कार्य निष्पादन के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। जब सरकार ने ही समुचित कदम नहीं उठाये हैं तो आई० डी० पी० एल० को जैसे दोष दिया जा सकता है ? बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात मैंने देखा है कि कांग्रेस (आई) के सभी सदस्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दोष दे रहे हैं। आप आई० डी० पी० एल० के अध्यक्ष को देखिए। वह ···मैट्रिक से अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी अन्य कोई अर्हता नहीं है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनके नाम का उल्लेख न करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं किसी प्रकार के आरोप नहीं लगा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख न करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं तो केवल तथ्य का उल्लेख कर रहा हूं। वे तो केवल अस्थायी अध्यक्ष हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष कह सकते हैं नाम का उल्लेख मत कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, में आरोप नहीं लगा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम कार्यवाही-वृतान्त में शामिल न करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रबन्ध-निदेशक एवं अध्यक्ष का सर्वोच्च पद इतने महीने के लिये रिक्त क्यों रखा गया है? मैं अन्य तैनातियों का भी उल्लेख करूंगा। आई० डी० पी० एल० में एक** के विरुद्ध सी० बी० आई० द्वारा विशेष आरोप लगाये गये थे··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप देखें कि आप आरम्भ से अपनी ही बात को काट रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख कर रहे हैं जिसके विरुद्ध सी० बी० आई० के आरोप हैं। इन सब बातों का यहां उल्लेख न करें।

अब आप अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें। आप पहले ही 10 मिनट से अधिक ले चुके हैं। आप जिन व्यक्तियों पर आरोप लगा रहे हैं उनके नाम कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने मात्र रिकार्ड का जिक्र किया है। उन्हें मुख्यविपणन अधिकारी बनाकर वापिस बुलाया गया था।

आई० डी० पी० एल० और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने इंडेंटिंग एजेंटों की नियुक्ति कर रहे हैं। ये दोनों सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और उन्हें अपनी औषधियां सरकारी एजेंसियों को बेचने के लिए व्यादेश एजेंटों की नियुक्ति करनी पड़ी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इंडेंटिंग एजेंटों (माल के आर्डर लेने के लिए) की नियुक्ति करना आवश्यक है। गैर-सरकारी अस्पतालों को औषधियां बेचने के लिए इंडेंटिंग एजेंटों की नियुक्ति करने की बात तो मुझे समझ में आती है: उनकी नियुक्ति केवल राज्य सरकारों से आर्डर लेने के लिए की गई। क्या इससे हास्यास्पद स्थिति और हो सकती है? श्री पी० जे० शर्मा को दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए एक मात्र एजेंट नियुक्त किया गया है। महोदय, इंडेंटिंग एजेंटों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या आप टेंडर प्रक्रिया का पालन करते हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं, मैं इसका दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं कि एक भूतपूर्व मंत्री के निजी सचिव—मैं उसके नाम का जिक्र नहीं कर रहा हूं—द्वारा लिखित रूप में यह दस्तावेज दिया गया कि अमुक व्यक्ति को अमुक राज्यों के लिए इंडेंटिंग एजेंट नियुक्त किया जाए।

महोदय, आई०डी० पी० एल० एक बड़ी कम्पनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कम्पनी लघु क्षेत्र की इकाइयों को प्रत्साहन देने के नाम पर अन्य कम्पनियों को उसके अपने लिए

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

औषधियां बनाने के लिए क्यों कह रही है। लघु क्षेत्र की अन्य इकाईयों को ये औषधियां बनाने के लिए कहने से पहले आई० डी० पी० एल० स्वयं यह कार्य क्यों नहीं कर सकती ? इन इकाइयों को यह काम सौंपने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गई है। कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को फार्मासियूटिकल्स के क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी गई है। मन्त्री महोदय द्वारा इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अधिकांश कम्पनियां आवश्यक अथवा दुर्लभ औषधियां बनाने की बजाए सूत्र तैयार करने में लगी हुई हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस तरह काम करने की अनुमति कैसे दी जाती है ? फार्मासियूटिकल्स के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने देश को जितनी इक्विटी पूंजी दी है उससे कहीं अधिक विदेशी मुद्रा देश से प्राप्त कर ली है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेरी बातों का स्पष्ट उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : उपाध्यक्ष जी, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने फर्टीलाइजर्स और कैमीकल्स मिनिस्ट्री की इस ग्रान्ट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

फर्टीलाइजर्स और कैमीकल्स का सम्बन्ध सीधे जन-जीवन से जुड़ा हुआ है और फर्टीलाइजर्स का सम्बन्ध इस देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, जो अन्न पैदा कर के हम सब को खिलाता है। हमारे नेता ने जो हरित क्रान्ति का नारा दिया है और पहले हमारे और नेताओं ने जो यह नारा दिया था, इस फर्टीलाइजर्स के बल पर ही हम इस में कामयाब हुए हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता उपस्थित हो गई है कि फर्टीलाइजर्स के मामले में हम बहुत गहराई से विचार करें, और सोचें और समझें। इस देश में फर्टीलाइजर्स के कितनी आवश्यकता है, उतना इस का उत्पादन नहीं हो रहा है और हमारे देश की बहुत सारी विदेशी मुद्रा दूसरे देशों के पास हमारे यहां से चली जाती है। इसलिए मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि सब से पहला कदम यह होना चाहिए कि फर्टीलाइजर्स के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए विदेश से जो फर्टीलाइजर्स हमारे यहां आता है, उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा कर उसका उत्पादन हम अपने देश में करें और इस के इतने कारखाने हमारे यहां हों कि हम अपने बल पर फर्टीलाइजर्स का उत्पादन कर सकें और जो विदेशी मुद्रा बचे, उसे और दूसरे कामों में लगाएं। यह काम असम्भव नहीं है अगर हम इस के बारे में ठान लें क्योंकि हमारे यहां इंजीनियर्स हैं और साधन भी है। हम बहुत आसानी से इस के अलावा जो फर्टीलाइजर्स हमारे यहां पैदा हो रहा है, उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा मैं ने पहले निवेदन किया है कि इस का सम्बन्ध किसानों से है। हमारा जो किसान है वह अनपढ़, देहाती और गवार है और बहुत सी बातों को वह समझ नहीं पाता है। इसलिए फर्टीलाइजर्स में जितनी मिस-ब्रांडिंग है, जितना एडल्ट्रेशन है, जितना अन्डरवेट है, जितना लूज वैरिंग है, उतना और किसी चीज में नहीं है। फर्टिलाइजर को पैदा करने वाला अ

फैक्ट्री का आदमी, डीलर, रिटेलर सब इस बात से वाकिफ हैं कि किसान को फर्टिलाइजर रिबेट पर जा रहा है इसमें जो कुछ भी कर सकते हो वह कर लो। इसलिए किसान के फर्टिलाइजर में कुछ भी गडबडी करने में उनको परहेज नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बात की पक्की व्यवस्था करें फर्टिलाइजर के बैग में फर्टिलाइजर ठीक से तुला हुआ हो उसमें किसी तरह की मिलावट न हो, न किसी और चीज की गुंजाइश रहे। फर्टिलाइजर चाहे किसी भी किस्म का हो सभी में मिलावट पाई जाती है, तोल में कमी पाई जाती है। इसके बारे में आपके कानून में सख्ती होनी चाहिए।

मैं कानून का एक विद्यार्थी होने के नाते से जानता हूं आपके एसेंशल कमोडिटीज एक्ट में दफा तीन बटा सात है जिसमें इस मामले में पनिशमेंट हो सकता है। लेकिन इस धारा या एक्ट के एन्फोर्समेंट के अधिकार विभिन्न राज्यों में विभिन्न अधिकारियों को दिये हुए हैं। कहीं ला आफिसर को दिये गये हैं, कहीं सब डिविजनल आफिसर को दिये गये हैं, कहीं किसी और को दिये गये हैं इसलिए इसका एन्फोर्समेंट ठीक तरह से नहीं हो पाता। बहुत से राज्यों में यह नान-कान्निजिबल आफेंस है इसलिए वहां अधिकारी कम्पलेंट दाखिल कराने की जहमत नहीं उठाते और इस तरह से वहां कुछ हो नहीं पाता। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे ला डिपार्टमेंट को ऐसे आदेश दें ताकि इस मामले में किसानों की जहमत और दिक्कत कम हो सके।

मान्यवर, फर्टिलाइजर का उत्पादन इस देश में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी दोनों ही क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से आता हूं जहां फर्टिलाइजर की हालत बहुत खराब है। वहां आबादी सब से घनी है और उद्योग धंधे कोई है नहीं। वहां का किसान अपनी पूंजी खेती में लगाता है। खेती में पैदावार करने के लिए वह अपना सब कुछ लगा देता है, अपने जेवर तक गिरवी रख देता है और किसी तरह से एक बोरा या दो बोरा फर्टिलाइजर खरीद कर खेत में डालता है। उसका फर्टिलाइजर इतना खराब निकलता है कि उसके खेत में कुछ पैदा ही नहीं होता। उसकी फसल खराब हो जाती है क्योंकि फर्टिलाइजर एडलट्रेटिड है। बिचारा जाता खेत में दवा लेकर के और वहां उसे मिलती है बर्बादी। यह सब फर्टिलाइजर की एडलट्रेशन की वजह से हो रहा है। मैंने पूर्वी उत्तरप्रदेश में, आजमगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, बनारस, गोरखपुर, देवरिया जिलों में खुद देखा है। मैं एक किसान का बेटा हूं और गन्ने की खेती करता हूं। इसलिए मैं इसका भुक्तभोगी हूं। फर्टिलाइजर की जगह पर कोई सफेद दाना दे दिया जाता है, कभी कोई और चीज दे दी जाती है। किसान की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। आपके जो अधिकारी हैं उनका डीलर, रिटेलर और फेक्ट्री मेन तक सब से कमीशन बंधा हुआ रहता है।

मैं आपको एक उदाहरण दूं। हमारे यहां गोरखपुर में फर्टिलाइजर का एक कारखाना है। वह बहुत इम्पार्टेंट जगह है। उस कारखाने में जितनी भी गाड़ियां थीं उन गाड़ियों को मेनेजमेंट ने निकम्मी दिखा कर के एक सरदार जी को नीलाम कर दीं। मान्यवर, फिर वही गाड़ियां, नीलाम

की हुई गाड़ियां कारखाने का मेनेजमेंट कांट्रेक्ट पर ले कर चलाता है। इस तरह से लाखों-लाखों रुपये किसान की गाढ़ी कमाई का और सरकार का उस सरदार जी के पास जा रहा है। यह हालत है वहां।

दूसरे वहां मजदूरों का शोषण होता है। माननीय मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां मिनिमम वेज एक्ट लागू है। मिनिमम वेज एक्ट में यह निश्चित है कि आठ घंटे काम करने के बाद एक मजदूर को प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में इतना वेज दिया जाएगा, इससे कम नहीं दिया जाएगा। उससे कम न दे, अगर उससे कम दे तो उसको पनिश करने का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में लेबर कांट्रेक्ट बेसिस पर रखते हैं, किसी से लेकर रखते हैं और उनको डेली वेजेज में दिखाकर 6, 8, 5, 7 या इस रुपए पर रखते हैं। उनका कोई प्रापर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता, कोई मस्टर-रोल नहीं रखा जाता। उनको जब चाहे निकाल देते हैं, उनकी सर्विस रेगुलर नहीं होती और कम पैसे पर उनको रखा जाता है। जो पैसा गरीब, मजदूर को, लेबर क्लास को देना चाहिए, वह उसको दिनभर काम करने के बाद भी नहीं दिया जाता। 4, 6, 8 घंटे काम करने के बाद वह आकाश की तरफ देखता है कि अच्छी मजदूरी मिलेगी, लेकिन उसको उचित मजदूरी नहीं मिलती। 240 दिन, 300 दिन काम करने के बाद भी उसकी नौकरी पक्की नहीं की जाती, ताकि वह बाल-बच्चों के साथ आराम से रह सके। वह भी इस देश का नागरिक है और स्वाधीनता में उसका भी पूरा-पूरा हक है। उसके लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों का उल्लंघन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कांट्रेक्ट बेसिस पर लेबर रखी जाती है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर यह होता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। गोरखपुर, फूलपुर-इलाहाबाद, साहू कैमीकल्स वाराणसी, रैलिस-उन्नाव में इस तरह से कांट्रेक्ट बेसिस पर लेबर रखी जाती है। उनको एडवांस देकर बांध लेते हैं। आज बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हम बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से वहां का मैनेजमेंट, वहां के अधिकारी यह कार्य कर रहे हैं। आज हम अपने देश को एक नई दिशा देना चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि गरीब और मजदूर तथा पिछड़े व्यक्ति का भविष्य सिक्योर्ड रहे आज उस पर ठेस पहुंचाई जा रही है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि जहां अन्य क्षेत्रों में हम कार्य करने जा रहे हैं, फर्टीलाइजर में सबसे पहले इन चीजों को देखना चाहिए।

जहां तक डीलर्स का सवाल है, डीलर ऐसे लोगों को बनाते हैं, जिनके पास दर्जियों दुकान हैं। इससे कंज्यूमर्स को परेशानी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको कोआपरेटिव बेसिस पर वितरित किया जाना चाहिए ताकि लेने वालों को दिक्कत न हो।

जहां तक कैमीकल्स का सवाल है, इसका सीधा सम्बन्ध मानव-जीवन से है। हम बीमार होते हैं, रुग्ण होते हैं, हमें दिक्कत होती है, उस समय हमें दवाइयों की आवश्यकता होती है। इस देश में दवाइयों की हालत क्या है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। आई०डी०पी०एल० का हमें अनुभव है, जो दवाइयों की फैक्ट्री है पब्लिक सैक्टर में, प्राइवेट सैक्टर का भी यही हाल है। इतनी घटिया किस्म की दवाइयां आ रही हैं, खराब किस्म की दवाइयां आ रही हैं कि जो दवा जिस प्लाइट की, जिस डिग्री की प्रिसक्राइब की जाती है, उसका कोई असर नहीं होता। इसका कारण

क्या है ? इसका कारण यह है कि दवाएं उस हिसाब से नहीं बन रही हैं। आज हमारे देश में इससे लोग मर रहे हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर सबसे बड़ी समस्या आपके सामने दवाओं और फर्टीलाइजर्स के रेट्स की है। हम कर्त्तव्यच्युत होंगे अगर हम यह चेतावनी देना भूल जायेंगे कि हमारे देश में फर्टीलाइजर की कीमत बहुत ज्यादा है। किसान अन्न उत्पादन करके देता है और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसको खेती का अनुभव हो, वह किसान के हल का दाम, उसके नौकर का दाम, उसके खेत का दाम और फर्टीलाइजर का दाम लगा ले तो कटाई के बाद अगर उसको कुछ भी बच जाये तो जो भी सजा सरकार मुझे देना चाहे, मैं वह भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं किसान का बेटा हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि फर्टीलाइजर पर जो भी किसान व्यय करता है, वह उसको वापिस नहीं मिल पाता। सरकार बहुत सी चीजों को सब्सीडाइज्ड करती है, अगर आप इसकी कीमत कम नहीं कर सकते तो सब्सीडाइज्ड जरूर करवाइए। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर यही हालत रही तो आने वाले दिनों में, आने वाले बीस साल में कोई खेती करने को तैयार नहीं होगा। अगर खेती भी करेगा तो कम से कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि फर्टिलाइजर डालने के बाद उसको कुछ बचता ही नहीं है। जो कुछ भी लागत आती है, वह सब उसमें चली जाती है। इसकी वजह से आदमी परेशान हो जाता है। जनता सरकार, अपनी सारी विफलताओं और अन्तर्कलाहों के बाद कितनी भी इन्-एफीशिएंट रही हो, कम से कम फर्टीलाइजर के मामले में उसने देश की जनता को दाम के बारे में दिखा दिया। जब जनता सरकार जैसी अक्षम सरकार कर सकती है तो कांग्रेस की सरकार में बहुत एफीशिएंट लोग बैठे हुए हैं और दृढ़-संकल्प तथा जनादेश प्राप्त किए हुए हैं। उनमें शक्ति और कूबत है। अगर दाम कम नहीं कर सकते हैं तो सबसिडाइज कर दें। पब्लिक सैक्टर के मैनेजमेंट में बहुत गड़बड़ी है। जब कुछ नहीं होता है तो बड़े-बड़े जनरल मैनेजर और एम०डी० बनाकर बैठा दिए जाते हैं। मैं अपने पूर्व वक्ता की इस राय से इत्तिफाक करता हूं कि इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो कुछ भी हो, एडजस्टमेंट की भावना नहीं है। अगर यह भावना नहीं है तो नीयत भी अच्छी नहीं होती है। अपने डीलर्स, कल्टीवेटर्स, किसान और श्रमिक आदि को साथ लेकर नहीं चलते हैं। वे तो यही सोचते हैं कि हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है। पहले जो मजदूर ट्रेड होते हैं, उनको बाद में निकाल दिया जाता है। इससे इन-एफीशिएंसी बढ़ती है और अधिक नुकसान होता है। मैं चाहूंगा कि कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के लिए ट्रेंड लेबर तथा मैनेजमेंट हो। वे लोग वैल-इक्वीप्ड होने चाहिए जिससे कोई गड़बड़ी न होने पाए। खेत के लिए फर्टिलाइजर और मनुष्य के जीवन के लिए दवा सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे भी हमें क्रिएट करना हो, वह करें, लेकिन दाम अवश्य कम करें या सबसिडाइज करें। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री आर० अन्नानम्बी (पोल्लाची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल आल इंडिया

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अन्ना डी०एम०के० की ओर से मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 1985 86 की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के कार्यकरण की कुशलता से चलाने के लिए जिम्मेदार है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि सरकारी क्षेत्र के इन उर्वरक कारखानों में स्थापित क्षमता का 80% उपयोग किया गया है। 6 बड़े उर्वरक कारखानों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि जब ये नए कारखाने शुरू हो जायेंगे तों रसायन उर्वरकों का आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

भारतीय खाद्य निगम की चार इकाइयों को हर वर्ष घाटा हो रहा है। मेरा सुझाव है कि ऐसे आवर्ती घाटों के कारणों का पता लगाने के तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि हमारे मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि वे कम्पनियां मुनाफे में चलें।

उर्वरकों के वितरण में कई अनियमिततायें और कदाचार होते हैं। बड़े पैमाने पर मिलावट भी की जाती है। नमक को बहुत पीसकर उर्वरको में मिला दिया जाता है। इसका वितरण भी निहित स्वार्थों वाले लोगों के हाथ में है। किसानों को उचित मूल्यो पर अच्छी किस्म के उर्वरक नही मिल पाते। मेरा सुझाव है कि उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए। गैर सरकारी क्षेत्र में उवंरक के बड़े तथा ऐसे 3 छोटे कारखाने हैं जो लाभ पर चल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि उनके द्वारा उत्पादित उर्वरकों का वितरण भी सहकारी क्षत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि उर्वरकों में मिलावट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जायें। मुख्य वितरण केन्द्रों पर निरीक्षण दल नियुक्त किए जायें जो परीक्षण के लिए उनके नमूने लें। यदि उसमें अपमिश्रण हो तो विक्रेता को उसी समय दण्ड दिया जाना चाहिए। सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि वह इन निहित स्वार्थी लोगों के शोषण से किसानों की रक्षा करे।

महोदय, मुझे आपका ध्यान इस ओर दिलाना है कि मेंतूर रसायन कारखाना चैम्पलाग्ट कारखाना और ट्रावनकोर रसायन कारखाने से निकलने वाले विषैले पदार्थों से आम जनता को खतरा पैदा हो रहा है। ये विषैले पदार्थ खुले मैदानों मे फैंके जाते हैं। इसका प्रभाव कृषि पर पड़ना है। ये पदार्थ पीने के पानी में भी मिल जाते हैं जिससे लोगों को विभिन्न रोग हो जाते हैं। इन विषैले पदार्थों के कारण होने वाले प्रदूषण को मैत्तूर मे गुनाबांडियूर, मुरुगन नगर जैसे प्रभावित क्षेत्र में देखा जा सकता है। इन कारखानों को चेतावनी दी जानी चाहिए और इन्हें विषैले पदार्थों को रोकने के उपाय करने के उपाय करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इन खतरनाक विषैले पदार्थों के खतरनाक प्रभावों से आम जनता की रक्षा की जानी चाहिए।

इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेसियूटिकल्स लिमिटेड, जो कि सरकारी क्षेत्र का कारखाना है, अपने 5 कारखानों में औषधियों का निर्माण कर रहा है। इन पांच कारखानों ने 1983-84 में

122 करोड़ रुपए मूल्य की औषधियों का उत्पादन किया। हमें आई०डी० पी० एल० के इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए। लेकिन वर्ष 1984 में आई० डी० पी० एल० का कार्य अच्छा नहीं रहा। 1983 के उत्पादन की तुलना में 1984 में 50% उत्पादन हुआ मन्त्री महोदय को आई० डी० पी० एल० मद्रास के उत्पादन में गिरावट आने के कारणों का पता लगाना चाहिए। और ऐसे घाटों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

आई० डी० पी० एल० की स्थापना के बाद से इसको 141 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और वर्ष 1984 में इसे 24 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आई० डी० पी० एल० को कुछ सूत्र तैयार करने और प्रपुंज (बल्क) औषधियां बनाने का एकाधिकार है। बिक्री में इसका कोई प्रतियोगी नहीं है। मुझे हैरानी है कि फिर आई० डी० पी० एल० को घाटा क्यों होता है। आई० डी० पी० एल० के सभी उत्पाद सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद लिए जाते हैं। खरीद के आदेश राज्य और केन्द्र सरकार की संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। फिर आई० डी० पी० एल० द्वारा इंडेंटिंग एजेंटों के कमीशन के 30 लाख रुपए क्यों दिए जाते हैं। जब कोई प्रतिस्पर्धा हो तथा प्रोत्साहन और बिक्री संवर्धन के प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इन्हें तो बिक्रीकर पर एकाधिकार है। आई० डी० पी० एल० द्वारा कोई कमीशन या प्रोत्साहन देना आवश्यक नहीं है। जब ऐसे व्यर्थ के खर्चों को तुरन्त रोका जाएगा। तब आई० डी० पी० एल० का घाटा कम से कम हो जाएगा। इन कदाचारों के कारण देश में सरकारी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। मैं आई० डी० पी० एल० के अन्य कदाचारों का भी जिक्र करूंगा। आई० डी० पी० एल० का एक अन्य गैर सरकारी कंपनी के साथ अनुचित लेन-देन है। आई० डी० एल० ने निजी क्षेत्र की इस औषध कम्पनी का बल्क औषध के को उत्पादन सूत्र दिया जिस पर इस गैर-सरकारी कम्पनी का एकाधिकार होगा। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय, आई० डी० पी० एल० के इस अनुचित लेन-देन का समर्थन नहीं करेंगे। राजधानी से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स के 7 अप्रैल 1985 के अंक में इस सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित हुआ है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए तथा आई० डी० पी० एल० के गलत कार्यों के बारे में हमारी आम जनता की आशंका को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एस० पी० आई० सी० जो कि तूतीकोरीन, तमिलनाडु में संयुक्त क्षेत्र की उर्वरक इकाई है, 1974-75 तक घाटे में चल रही थी। 1976-77 में तमिलनाडु में आल इण्डिया अन्नाद्रमुक की सरकार बनने के बाद से इस उर्वरक कारखाने को लाभ हो रहा है यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उर्वरकों के मूल्य कम किए जाने चाहिए ताकि किसानों को, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, उर्वरक उपलब्ध हो सकें। उर्वरकों के वितरण में होने वाले कदाचारों, अनियमितताओं और कमियों को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए। इससे किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छे किस्म के उर्वरक मिलने से उनका उत्साह बढ़ेगा। इन कारखानों की उत्पादन प्रक्रिया में कसाव लाकर उर्वरकों कारखानों को होने वाले घाटे को रोका जा सकता है। जब ये कारखाने लाभ कमाने लगें तब उर्वरकों के मूल्य स्वेच्छा से कम किए जा सकते हैं। मुझे विश्वास

है कि मन्त्री महोदय इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे और उर्वरक तथा औषधियों का निर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को मुनाफे पर चलाने के लिए सख्त कदम उठायेंगे। अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं यह मांग रखना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक औषधियां अवश्य उपलब्ध कराई जायें। इस मंत्रालय को इस उद्देश्य के लिए विस्तृत योजनायें बनानी चाहियें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक औषधियां मिल सकें।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणी जेना (बालासोर) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही मैं सदन में प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

मैं केवल कुछ मुख्य मुद्दों पर बोलूंगा तथा ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा।

फॉसफेटिक और नाइट्रोजीनस खाद के उत्पादन में कुछ वृद्धि तो हुई है तथापि उसका उत्पादन हमारी देश की आवश्यकता के अनुसार नहीं बढ़ा है।

हमारा अनुमान है कि हमें 12,000 करोड़ रुपये मूल्य की खाद विदेशों से मंगानी पड़ेगी। उर्वरक के उत्पादन में लगे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सक्रिय बनाने के लिए किए गए प्रयासों के के बावजूद हम उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे है। इसलिए हम काफी मात्रा में उर्वरक आयात करते हैं।

हमारी नीति यह है कि कृषकों को रियायती मूल्यों पर खाद उपलब्ध कराई जाए, चाहे वह विदेश से मंगाई गई हो अथवा देश में बनाई गई हो। हम देशी खाद पर आयातित खाद की अपेक्षा कम राजसहायता देते हैं। हमें देशी खाद का उत्पादन बढ़ाने और विदेशों से इसका आयात कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय फॉसफेटिक उर्वरक ऐसा एक मात्र उर्वरक है, जिसमें बहुत कम मात्रा में माईक्रोन्यूट्रीएन्टस होता है। उर्वरकों के निरन्तर प्रयोग करने तथा खाद के कम प्रयोग से जमीन में नाइट्रोजीनस उर्वरक तथा फास्फेटिक उर्वरक को सोखने की शक्ति कम होती जा रही है। ऐसा काफी अर्से से हो रहा है जिससे किसानों को घाटा हो रहा है और उन्हें कई कठिनाईयां हो रही हैं। अतः जमीन में इस कमी को पूरा करने के लिए हमें उर्वरकों की किस्म में सुधार करना चाहिए अथवा सुपर-फास्फेट उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

1.15 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

महोदय, हमारी प्रिय प्रधानमन्त्री स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत दालों, तिलहनों और कपास के उत्पादन को बढ़ाने की एक योजना शुरू की गई है। इन फसलों का अधिक उत्पादन मुख्यता सुपर फास्फेट उर्वरक के उपयोग पर निर्भर है, अन्य कोई

उर्वरक इसका विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें गंधक भी होता है जो उपज बढ़ाने तथा अच्छी किस्म के तेल के लिए महत्त्वपूर्ण संघटक है। इस समय सुपर फास्फेट का उत्पादन देश में कई लघु उद्योगों द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने बड़े उद्योगों और लघु उद्योग दोनों के लिए सुपर फास्फेट के मूल्य निर्धारित किए हैं। लघु उद्योगों में लघु इकाइयां शामिल हैं। लघु उद्योग के पास सल्फूरिक एसिड बनाने का अपना संयंत्र नहीं है। लेकिन बड़े उद्योगों के पास इसके लिए अपने संयत्र हैं। सरकार उन्हें सुपर-फास्फेट उर्वरक बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए एसिड की लागत का भुगतान नहीं कर रही है। लघु उद्योगों को भी सरकार द्वारा उसी दर पर राजसहायता दी जाती है, जिस दर पर बड़े उद्योगों को दी जाती है। लघु उद्योगों के तहत लघु इकाइयां घाटे में चल रही हैं और वे फास्फेट उर्वरक बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए एसिड की लागत दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अत: मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे इस पूरे मामले पर पुन: विचार करें।

चाहे जो कुछ भी हम कहें, मेरा निवेदन यह है कि सार्वजनिक क्षत्रों की इकाईयों में नुकसान हो रहा है। इस संदर्भ में, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान हमें वितरित किए गए बजट आंकलन के प्रतिवेदन पृष्ठ 24 की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं इसके विस्तार में नहीं बताना चाहता। महोदय तलवार समिति ने अपने प्रतिवेदन में गैस पर आधारित संयन्त्रों को अधिक संख्या में लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। मैं नहीं जानता सरकार ने इसको कार्यान्विन करने के लिए क्या कार्यवाही की है। जहां तक मेरी जानकारी है, तलवार समिति की सिफारिश पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से इसकी जांच करवाने का निवेदन करता हूं।

महोदय, यह अनुमान लगाया गया है सातवीं योजना में, 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के उर्वरक आयात किए जायेंगे, हमें कुछ इस तरह की कार्यवाही करनी चाहिए कि इतनी बड़ी रकम के हम उर्वरक का आयात न करें। इसकी बजाय हमें नाइट्रोजन फासफोरस उर्वरकों के देशी उत्पादन को बढ़ाने के बारे में देश में लोगों की मांग को पूरा करने हेतु सभी प्रयास करने चाहिए। इस समय यह एकदम स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं तालचेर और मंगुलन उर्वरक संयन्त्रों का उदाहरण आपको दे सकता हूं। इनकी संस्थापित क्षमता का उपयोग 30-35 प्रतिशत है। मन्त्रालय को इस पर उचित ध्यान देना चाहिए ताकि ये दोनों संयन्त्र ठीक से कार्य कर सकें और ये अपनी संस्थापित क्षमता के कम से कम 75 प्रतिशत भाग को उपयोग में ला सकें।

निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के पश्चात और यह मानते हुए कि सातवी योजना में 10 प्रतिशत तक क्षमता बढ़ेगी, तब भी हमें 65 लाख टन उर्वरक बाहर से आयात करना पड़ेगा। सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए ताकि हमारे देशवासियों को उर्वरक के आयात पर इतनी बड़ी रकम खर्च न करनी पड़े।

इसी प्रकार से योजना आयोग के कार्यकारी दल ने बताया है कि छठी योजना के अन्त में

उर्वरक की खपत 84 लाख टन तक हो जाने का अनुमान लगाया गया है जबकि 1989-90 में यह बढ़कर 155 लाख टन हो जायेगा। चालू वर्ष में उर्वरक की वर्तमान खपत के 11 प्रतिशत है उसके स्थान पर यह 10 प्रतिशत और बढ़ जायेगी। उर्वरक की खपत अच्छे मौसम पर निर्भर करती है और इस पर भी कि कृषकों को रियायतें दी जायेंगी। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके वे उर्वरक उद्योग के इन तथ्यों की जांच करें।

मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए, रसायनों के बारे में एक बात कहूंगा। प्रतिवेदन से हमें मालूम हुआ कि सोडा एश का उत्पादन दिन-प्रति दिन कम होता जा रहा है। यह आम आदमी द्वारा प्रतिदिन काम में लाया जाता है। सोडा एश का उत्पादन बढ़ाने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ में मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, यह एक विस्तृत विषय है और मैं सभी पहलुओं में नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ एक पहलू पर ही जोर दूंगी और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप मुझे कुछ समय दें।

मुख्य विषय पर आने से पहले, कहूंगी कि पूर्ववक्ता ने मन्त्री जी से जो निवेदन किया है कि हमारे राज्य के हल्दिया पैट्रोकेमिकल्स परियोजना को तुरन्त चालू करने तथा इसे सातवीं योजना में शामिल करने की जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करती हूं। इस पर मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहती तथापि मैं उनके इस निवेदन का पूरे हृदय से समर्थन करती हूं।

मुख्य मुद्दा जिस पर मैं आज चर्चा करना चाहती हूं वह है नई औषधि नीति, मैंने सुना है कि मन्त्रिमण्डल इस पर विचार कर रहा है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी आबादी का 75 प्रतिशत औषधियों के घेरे से बाहर है क्योंकि वे लोग इन्हें खरीद नहीं सकते। 25 प्रतिशत लोग जो इन्हें खरीद सकते हैं उन्हें इसके लिए बहुत ही ऊंचे दाम देने पड़ते है। हर आदमी इस बात से सहमत होगा। यह भी सभी को मालूम है कि बहुराष्ट्रीय औषधि कम्पनियां तथा बड़ी भारतीय औषध कम्पनियां कीमतों में वृद्धि करने के लिए शोर मचा रही हैं। प्रस्तावित नई औषध नीति के बारे में जो कुछ मुझे मालूम हुआ है, मुझे खेद है कि इससे वे उनके आगे झुक जायेंगे। इसलिए, इस मुद्दे पर मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हूं और मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है। इस समय औषधियों की खुदरा कीमतें किस प्रकार निश्चित की जाती हैं? आपको मालूम होगा कि कीमतें निर्धारित करने का औषधि कीमत नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत एक सूत्र है। एक होती है वस्तु की कीमत जिसे एम०सी० कहते हैं। दूसरा होता है परिवर्तन मूल्य जिसे सी०सी० कहा जाता है तीसरा चीज है पैकिंग मूल्य यानि कि पी०सी० और इसके बाद बारी आती है पैकिंग सामग्री की जिसे पी० एम० कहा जाता है। इन सबसे मिल कर तैयार होता है। कारखाना द्वारा मूल्य इसके बाद इस पर अतिरिक्त मूल्य बढ़ाया जाता है। जिसे 'मार्क अप' कहते हैं इस मूल्य वृद्धि में मुनाफा 9 अन्य चीजें शामिल होती हैं।

नियन्त्रण आदेश की वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत औषधियां चार श्रेणियों में विभाजित हैं। श्रेणी एक में अत्यावश्यक औषधियां आती हैं। श्रेणी दो में आवश्यक औषधियां, श्रेणी तीन में अन्य सभी अनियन्त्रित औषधियां आदि सम्मिलित हैं। वर्तमान आदेश के अनुसार अत्यावश्यक औषधियों की श्रेणी में 40 प्रतिशत मूल्य वृद्धि तक की अनुमति है, इसमें दो चार बातें शामिल नहीं हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। इसमें मुनाफा और अन्य बातें शामिल हैं। श्रेणी दो यानि कि आवश्यक औषधियों के लिए 55 प्रतिशत मूल्य बढ़ाने मार्क अप की अनुमति है और श्रेणी तीन के लिए 60 प्रतिशत मूल्य बढ़ोत्तरी की अनुमति है। इस वक्त क्या हो रहा है? इस गैर नियन्त्रित औषधि की श्रेणी में बहुत अधिक मात्रा में दवाइयां बनायी जा रही हैं और नियन्त्रण वाली श्रेणियों में उत्पादन कम होता जा रहा है।

इसको सुधारने के लिए, मैं दवाइयों के उत्पादन में प्राथमिकता को सुधारना शब्द को प्रयोग करूंगी। मुझे पता चला है कि नई औषधि नीति के अन्तर्गत नए तरीके से दवाइयों को श्रेणियों में बांटने तथा नए सिरे से मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता निर्धारित किया जाएगा। क्या मैं सही कह रही हूं? जी हां। अब क्या होने वाला है? यह सुनने में बहुत ही दिलचस्प है। श्रेणी एक की क्या स्थिति है? कारखाना द्वारा मूल्य में चारों प्रकार की लागत के पश्चात 40 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का प्रावधान है। इसका अर्थ हुआ अत्यावश्यक औषधियों के लिए मुनाफा 40 प्रतिशत है। नई नीति जो कि प्रस्तावित है, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो इन श्रेणियों की भी पुनरीक्षा होगी, और चार श्रेणियों के बदले में सिर्फ दो ही श्रेणियां होंगी। परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि श्रेणी एक में मूल्य वृद्धि 40 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत हो जायगी, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूं तो श्रेणी दो में यह मूल्य बढ़ोत्तरी 125 प्रतिशत हो जाएगी। गलत प्राथमिकता को सुधारने के नाम पर सरकार उनको अत्यधिक मुनाफा दे रही है। इससे जैसा कि हम समझे हैं, सभी औषधियों की कीमतें आसमान छूएंगी। स्थिति यह है।

महोदय, मेरी प्रार्थना है और मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह बहु-राष्ट्रीय तथा एकाधिकार वाली बड़ी भारतीय औषधि कम्पनियों के दबाव के आगे घुटने न टेके। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्या यह गलत प्राथमिकताओं को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। क्या यही रास्ता है यानि कि उनके सामने घुटने टेकना, उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा देना और उपभोक्ताओं को तकलीफ देना। मैं कहती हूं, नहीं, महोदय इसीलिए मैं कुछ समय चाहती हूं।

2.00 म० प०

सर्वप्रथम मैं बताना चहती हूं कि 'मार्क अप' (मूल्य वृद्धि) के पूर्व, सामग्री मूल्य, परिवर्तन लागत, पैकिंग लागत तथा पैकिंग सामग्री मिलकर कारखाना मूल्य बनता है। इसके बाद मुनाफे की बात आती है। क्या सरकार ने कभी यह देखने की कोशिश की है कि इन चारों चीजों की गणना करने के पश्चात् मुनाफा कैसे निकाला जाता है, मैं एक उदाहरण दूंगी। निर्माण लागत को

लीजिए। मैंने इस बात को जाना है। एक भारतीय कम्पनी के बारे में मुझे यहां कहना पड़ रहा है इसके लिए मुझे खेद है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्थिति और भी खराब है—प्रक्रिया में हुई हानि 5 प्रतिशत दिखाई जाती है। सामग्री के पश्चात निर्माण करने के चरण पर 5 प्रतिशत तक घाटा दिखाने की अनुमति होती है। और वास्तविकता यह है कि आधे प्रतिशत से लेकर एक प्रतिशत तक की हानि होती है। इसका मतलब हुआ इस प्रक्रिया के दौरान ही काफी बड़ा मुनाफा होता है, जिसकी गणना नहीं की गई है। आपका 5 प्रतिशत झूठा है।

मुझे पता चला है कि पिछले वर्ष साराभाई केमिकल्स ने इस निर्माण करने की प्रक्रिया के दौरान ही 2 करोड़ रुपये का लाभ उठाया था। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इससे भी अधिक कमाया होगा। यह पांच प्रतिशत क्यों रखा गया है? क्या आपने गंभीरता से इस बात पर विचार किया है और यह देखा है कि वास्तव में निर्माण लागत कितनी है?

दूसरी बात पैकिंग लागत के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों आकर्षक पैकिंग की जा रही है। हमें दवाइयों से मतलब रखना चाहिए न कि पैकिंग से। ये फैन्सी पैकिंग में आती हैं और कम्पनी पैकिंग की कीमतें बढ़ा देती है। सरकार कहती है ठीक है। अतः पैकिंग लागत को कारखाना द्वार मूल्य में माना जाता है। इसे भी बहुत कम किया जा सकता है। हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है सरकार क्यों नहीं इन चीजों की जांच करवाती और यह देखने की कोशिश करती कि इन चार श्रेणियों में प्रत्येक में किस तरह से अनुचित मुनाफा उठाया जा रहा है?

अतः सर्व प्रथम मूल्य बढ़ोत्तरी से पहले, इन बातों पर गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिए, मैं समझती हूं कि इस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इसके बाद आती है मूल्य बढ़ोत्तरी। यह क्या है: आवश्यक औषधियों के लिए 40 प्रतिशत से सीधे ही बढ़ाकर यह 75 प्रतिशत हो गयी है? क्यों? क्या हो गया है और हमारे देश में जहां पर केवल 25 प्रतिशत लोग दवा इयां खरीद सकते हैं वहां ऐसा क्यों होना चाहिए और निर्धन और मध्यम वर्ग के लोग इससे हटकर होम्योपैथी की ओर बढ़ रहे है? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ऐसा चाहती हैं, इसीलिए क्या आप 75 प्रतिशत अथवा 125 प्रतिशत तक मूल्य बढ़ोत्तरी की अनुमति दे देते हैं? और अगर यह नई औषध नीति है तो मैं इसका पूरी तरह विरोध करती हूं और मैं निवेदन करती हूं कि सरकार इस नई औषधि नीति के बारे में पुनर्विचार को जो कि मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन है।

दूसरे, जैसा कि मैं समझी हूं, नई औषध नीति की कुछ अन्य विशेषतायें भी हैं। उदाहरण के लिए, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास अत्यधिक संस्थापित क्षमता है, उनकी लाइसेंस क्षमता से कहीं बहुत ज्यादा। 1980 में जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने अपनी सरकार बनाई, तो उन्होंने चर्चा में हस्तक्षेप किया और कहा था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उनकी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी हालत में, गैर कानूनी तरीके से वे

नसे भी ज्यादा उत्पादन करते हैं। परन्तु यह बात बहुत गम्भीरता से कही गई थी कि उनका त्पादन लाइसेंस क्षमता से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन वे गैर कानूनी ढंग से क्षमता से धिक उत्पादन कर ही लेती हैं। यह बात बहुत गम्भीरता से कही गई थी जैसा आप जानते हैं ़ आजकल औषधि उत्पादन के क्षेत्र में इतनी गड़बड़ी चल रही है कि गैर, नियमित दवाइयों का ा अधिकतर उत्पादन किया जाता है और उन्हें बेचा जाता है, न कि आवश्यक दवाइयों का। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सभी तरह से अपनी जकड़ मजबूत करना चाहती हैं।

मुझे पता चला है कि नई औषधि नीति द्वारा स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और हुराष्ट्रीय कम्पनियों पर से वे कुछ नियंत्रण हटाये जायेंगे जो अभी उन पर लगे हुए हैं। इसको ष्टिगत करते हुए। मैं कहना चाहती हूं कि अगर नई नीति उसी रूप में आई जैसा कि मैंने अभी ताया है तो यह पूर्णतयः राष्ट्र-विरोधी होगी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से हार होगी। लाखों भों को उन दवाइयों की थोड़ी मात्रा से भी वंचित रहना पड़ेगा जिसे वे आज इस्तेमाल कर सकते हैं। गम्भीरता पूर्वक अपील करती हूं और आशा करती हूं कि वे इसम परिवर्तन करेंगे। अगर वे से नहीं करते हैं तो मैं नहीं समझती कि किस प्रकार हमारा देश 20वीं सदी में सभी को ास्थ्य प्रदान कर पायेगा। मैं नहीं जानती किसके स्वास्थ्य का ध्यान हम रखेंगे; टाटा या बिरला ा, या हममें से उन कुछ लोगों का जो उन आम लोगों की कीमत पर अच्छा जीवन व्यतीत करते जिन्होंने हमें वोट दिया है परन्तु उनके लिए वे काम नहीं करते।

मैं इन मांगों का पूरी तरह विरोध करती हूं। मैं नई औषधि नीति में पूरी तरह से परि-र्तन चाहती हूं जो बड़ी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के हित में न होकर आम लोगों के हित में हो। र सरकार तो उन्हीं कम्पनियों के हित में काम कर रही है। मैं इन मांगों का समर्थन नहीं रती हूं।

अब मैं बताऊंगी कि सरकारी तंत्र कितना अकुशल है। आज भी ढेर सी दवाइयां बाहरी शों से आयात की जा रही हैं। अब सामग्री लागत में बड़ी मात्रा में औषधियों के आयात की ागत भी शामिल हो जाती है। आयात की लागत हर समय एक जैसी नहीं नहीं रहती। ामपीसीन तपेदिक की औषधि को लीजिए। इसकी लागत 3,200 रुपया प्रति किलो थी और स दर पर सामग्री लागत खुराक की मात्रा के आधार पर निर्धारित हो रही थी। 8-9 महीना ी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 3,200 करोड़ रुपये से गिरकर 1700 करोड़ रुपये हो गया रकार ने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि कीमतें इतनी नीचे गिर गई हैं। इसी बीच ानी कीमतें जारी रहीं और तपेदिक के रोगी लुट रहे थे, और उनके पूरी तरह लुटने के पश्चात सरकार सचेत हुई।

मैं नहीं समझती कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बात को स्वीकार कर लेना ही हल होगा ा तंत्र में गम्भीरता से पूरी तरह परिवर्तन किया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर नयी दिशा

निर्धारित करनी चाहिए। औषधियों की कीमतें हमारी पहुंच के अन्दर होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का विरोध करती हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी कृषि सम्बन्धी उत्पादन के बारे में है। यह खुशी की बात है कि उर्वरक कारखानों ने अपनी क्षमता का सर्वाधिक उपयोग किया है। परन्तु इस तथ्य को नहीं झुलसाया जा सकता है कि देश में किसानों द्वारा खाद का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय औसत 36 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास है। विकसित देशों में यह औसत दस गुना अधिक है। जापान और कोरिया में प्रति हेक्टेयर 400 किलोग्राम खाद का प्रयोग होता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने उर्वरक कारखानों की क्षमता उपयोगिता को नये एकक लगाकर या वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 10 गुना बढ़ाना होगा। यहां तक की वर्तमान खाद क्षमता में जो खाद प्रयोग की जाती है उससे फसलों को पूरी तरह लाभ नहीं होता है। इसका कारण यह है कि खाद का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं किया जाता है और गलत समय पर इसका प्रयोग किया जाता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि बीज एवं उर्वरक ग्रिड का विकास किया जाना चाहिए और बीज एवं उर्वरक ग्रिड की खरीद के लिए राजसहायता दी जानी चाहिए, ताकि प्रयोग की जाने वाली खाद जो कभी-कभी 50 प्रतिशत तक बेकार चली जाती है—बेकार न जाए और इस क्षति को कम किया जा सके। मोटे तौर पर हमारे विचार में उर्वरक का अर्थ है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट। परन्तु अधिक उपज देने वाली सिंचित फसलों के लिए हमें संयुक्त खादों पर भी विचार करना चाहिए जिसमें सूक्ष्म पौष्टिक तत्व जैसे जस्ता बोराइन इत्यादि हों। कुछ फसलें जैसे आलू, तम्बाकू, अंगुर तथा अन्य बागबानी फसलों के लिए भी कम क्लोराइड युक्त खाद की आवश्यकता होती है। मैं मंत्री महोदय से इस क्षेत्र में कम क्लोराइड युक्त खाद का उत्पादन बढ़ाने पर विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा। फसलों में द्रव अमोनिया के प्रयोग करने नयी पद्धति का विकास करने के बाद कम कीमत वाले उर्वरक तथा सूक्ष्म नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का भी विकास किया जा सकता है। मैंने पहले ही जिक्र किया है कि हमें अपनी उर्वरक उत्पादन क्षमता में कई गुना वृद्धि करनी होगी। पुराने स्थापित एककों में से अधिकांश ऐसे हैं जो कोयले पर आधारित हैं। कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों का हमारा अनुभव अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। तालचेर कारखाना भारी घाटे में चल रहा है। निस्सन्देह कुछ समय पहले रामागुण्डम खाद कारखानों में कुछ लाभ हुआ था। यह अंधकार में एक आशा की किरण है। परन्तु बम्बई समुद्र में गैस प्राप्त होने के पश्चात हम कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ अन्य क्षेत्रों में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए विचार करने लग गए हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि बम्बई समुद्र की गैस उत्तर प्रदेश में दूर स्थित संयंत्रों में लम्बी दूरी तय करके पहुंच रही है। महाराष्ट्र में धोले का सर्वेक्षण एक उर्वरक कारखाना लगाने के लिए किया गया था। बम्बई समुद्र से जाने वाली पाइप लाइन को महाराष्ट्र में धोले से जोड़ा जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इस धोले संयंत्र के मामले पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। यह अनुमान लगाया गया है कि खाद की कीमत को कम करने के लिए लगभग वर्ष 1990 तक 7400 करोड़ रुपये की राज सहायता की आवश्यकता होगी और यह राज सहायता राशि

पर्याप्त नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही चली जायेगी। हमें उर्वरक उत्पादन में सुधार करना चाहिए या उर्वरक उत्पादन के लिए अन्य तरीकों की खोज की कोशिश करनी चाहिए ताकि राज सहायता का बोझा घटाया जा सके एन० बी० के० उर्वरक द्वारा सूक्ष्म पौष्टिक तत्व विकसित किये गये हैं जिनका अब हम प्रयोग करसकते हैं। अब हमें कार्बनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करने पर जोर देना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष कई टन गोबर खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में बेकार चला जाता है। इसी कारण उर्वरक उत्पादन के लिए कार्बनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में कार्बनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और दूसरे देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जापान कम्पोस्ट खाद का इस्तेमाल कर रहा है। चीन बिष्ठा इस्तेमाल कर रहा है और जर्मनी में जलमल पर आधारित संयंत्र है। गोबर गैर संयंत्र का सिद्धांत ग्रामीण क्षेत्रों में जड़ें पकड़ रहा है और इससे प्राप्त गोबर को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय मिट्टी में प्रयोग किया जा सकता है और इस घोल में लगभग 2 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। अगर हम दस लाख गोबर गैस संयंत्रों को प्रतिवर्ष पूरी राज सहायता दें और अगर मान लीजिए प्रत्येक संयंत्र से 2 किलोग्राम नाइट्रोजन का उत्पादन हो, जो पैसों की दृष्टि से 4 किलोग्राम यूरिया के बराबर है तो कई सौ करोड़ रुपये की बचत की जा सकेगी और यही धनराशि इस सहायता के रूप में दी जायेगी। अतः यह मंत्रालय गोबर गैस संयंत्रों के लिए राज सहायता देने से सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों से समन्वय कर सकता है।

जहां तक कीटनाशी का सम्बन्ध है, हमें इस बात की खुशी है कि अब अपने ही देश में इसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष हम इसका आयात कम कर रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान आयात में काफी कमी हुई है। बी० एच० सी०, डी० डी० टी०, मैलाथियन, कारबराइल इत्यादि मुख्य कीटनाशी हैं। परन्तु इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि कीटनाशी का उत्पादन करने वाले कारखानों की किसी स्थान पर स्थापना की एक खतरनाक बात है। अगर यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित है तो हमने देखा है कि भोपाल में यूनियन कारबाइड संयंत्र में क्या हुआ। इनके लगाये जाने वाले स्थानों पर भी निर्णय होना चाहिए हमें इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में लगाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए जैसी कि एच० ओ० सी० एल० के मामले में है शयाद्री पहाड़ी क्षेत्र की घाटी में स्थित है। पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में इन कारखानों को लगाया जाना चाहिए।

जहां तक रासायनिक पदार्थों का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाने वाले रसायनों की तुलना में हमारे रसायन महंगे हैं। हमारे रासायनिक पदार्थों की कीमत लगभग दुगनी है। इसका कारण यह है कि हमारे कारखानों की उत्पादन क्षमता कम है। दूसरे देशों में हमारे देश की तुलना में रासायनिक कारखाने दस गुना बड़े हैं। इन कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने से रसायन उत्पादन की लागत 30 प्रतिशत तक कम हो जाती है। जब हम सार्वजनिक क्षेत्र में इन रासायनिक कारखानों का निर्माण शुरू करते है तो इसमें उत्पादन में लम्बा समय लगता है और जिसके कारण, लागत बढ़ जाती है प्रौद्योगिकी पुरानी पड़ जाती है और सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की स्थिति अस्तव्यस्त हो जाती है और आरम्भ से ही एक बीमार कारखाने की तरह से

रहता है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री लवराज कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तर के कार्यकारी दल का गठन किया गया था। इस दल ने कुछ प्रतिवेदन दिये हैं। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि हाइड्रोकार्बन और उद्यमियों के लिए मार्ग निर्देश जारी करने के लिए कोई नीति बनानी चाहिए, ताकि उससे उन्हें दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में मदद मिल सके। इसको उचित संदर्भ में अपनाया जाना चाहिए।

अन्त में मैं बम्बई समुद्र की गैस के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। बम्बई सागर से निकलने वाली लाखों घन मीटर गैस रोजाना जल जाती है जिससे एक तरफ करोड़ों रुपये की हानि होती है और दूसरी तरफ हम रासायनिक पदार्थों का आयात कर रहे हैं। महाराष्ट्र गैस क्रेकर कम्प्लेक्स के नाम से एक परियोजना है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1400 करोड़ रुपये है और उससे लगभग प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख टन एथिलीन का उत्पादन होगा। मेरा मंत्रीजी से यह सुझाव है कि इस परियोजना को स्थापित किया जाये। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या बाधा है। अगर इस परियोजना की स्थापना हो जाये तो जो गैस बेकार जा रही है उसका उचित इस्तेमाल हो सकेगा।

समय की कमी के कारण मैं औषधि नीति का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। मैं, विभाग मंत्री तथा अधिकारियों को उत्पादन में तथा उनके निर्यात में भी वृद्धि के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं सुझाव दूंगा कि नकली दवाओं के उत्पादन को रोकने के लिए कठोर उपाय किये जाने चाहिए। औषधियों के मूल्यों का निर्धारण करने सम्बन्धी नीति को भी पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्रीमती एन० पी० शांती लक्ष्मी** (चित्तूर) : सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यद्यपि उर्वरकों का उत्पादन हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बढ़ गया है फिर भी वह मांग को पूरा करने के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। उर्वरक का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है।

योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार हमें सातवीं योजना के अन्त तक 10,000 करोड़ रुपये के उर्वरक का आयात करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि हम प्रतिवर्ष 10 लाख टन उर्वरकों का आयात करते रहे हैं फिर भी हम अपने देश में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाये हैं। कई हजार करोड़ रुपये की लागत से लगाये गये उर्वरक संयंत्र अपनी क्षमता का केवल 50 प्रतिशत ही उत्पादन कर पा रहे हैं। इन उर्वरक संयंत्रों की क्षमता को कम से कम 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए तभी हम उर्वरकों की मांग को पूरा कर सकेंगे। इनमें से कुछ संयंत्रों की मशीनरी पुरानी है। इन पुराने संयंत्रों का आधुनीकरण करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए।

*तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

महोदय, उर्वरक संयंत्रों की निर्माण लागत लगभग दुगनी हो गई है । निर्माण लागत के बढ़ने का एक कारण यह है कि उनका निर्माण निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जाता है । उसका परिणाम यह है कि आबंटित राशि पर्याप्त नहीं है । यह संयंत्र को स्थापित के आधे खर्च के बराबर भी नहीं है । 1000 करोड़ रुपये करने के निर्देश वाले एक संयंत्र पर लागत व्यय 5 करोड़ रुपये और बढ़ जाता है अगर उस संयंत्र को पूरा करने में एक दिन की भी देरी हो जाती है । इसी प्रकार 100 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना अगर एक दिन देर से पूरी होती है तो उस पर खर्च एक करोड़ रुपये और बढ़ जायेगा अतः परियोजनाओं को एक साथ शुरू करने की सरकार की नीति ठीक नहीं है क्योंकि जब ये परियोजनाएं आधी निर्मित होती हैं तो सरकार को उनके निर्माण को पूरा करने के लिए धन की कमी पड़ जाती है । इसके बजाय बेहतर यह होगा कि एक परियोजना का निर्माण शुरू करके उसे ही समय पर पूरा किया जाये, ताकि लागत में कोई बढ़ोत्तरी न हो । इससे उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी ।

महोदय, इस समय सरकार 3854.41 करोड़ रुपये की राज सहायता दे रही है । इसके बावजूद भी उर्वरकों की कीमत बहुत अधिक है और ये देश के किसानों की क्षमता के बाहर हैं । अतः उर्वरकों पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है उसे तत्काल हटा दिया जाना चाहिए । अगर उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क हटा दिया जाए तो वे कम से कम 50 प्रतिशत सस्ते हो जायेंगे । किसान जिस मूल्य पर उर्वरक अब खरीद रहे हैं । वे उसे उसकी आधी कीमत पर खरीद सकते हैं ।

महोदय, मैं इस अवसर पर शीरे के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाने की वकालत करता हूं । वर्तमान में स्प्रिरिट की कमी है । हमारे देश के बहुत से चिकित्सालयों को संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें दिन-प्रतिदिन के प्रयोग के लिए आवश्यकतानुसार स्पिरिट नहीं मिल रही है । हम मद्यसार का उत्पादन कर सकते हैं जो कार्बनिक रसायन उद्योगों में प्रयोग की जाती है और इथाइलैसिटेट, जो औषधियों तथा एसिटिक एसिड और एसीटोन जैसे रसायन बनाने में प्रयोग होता है, का हम भली-भांति अपने ही देश में उत्पादन कर सकते हैं । हम इन चीजों का निर्यात करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं ।

सिर्फ कुछ दिन पहले ही भोपाल में एक अभूतपूर्व औद्योगिक दुर्घटना हुई थी । अतः रसायन उद्योगों में ऐसी दुःखद घटनाएं फिर से न हो । इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए । प्रदूषण-रोधक उपायों को गम्भीरता से लागू किया जाना चाहिए ।

डी०डी०टी० और दूसरी कीटनाशी दवाएं घटिया किस्म की हैं । अतः गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह से पालन हो सके । इसलिए सरकार को अपने किस्म नियंत्रण तंत्र को सतर्क करना चाहिए ।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी भी अधिकांश व्यापार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के

हाथ में है। ये कम्पनियां कई सौ करोड़ रुपये शयत्नी के रूप में सिर्फ अपना ब्रांड नाम इस्तेमाल करने के लिए बटोर रही है। अब समय आ गया है जब हमें देश में कार्यरत बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों के ब्रांड-नामों के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि आवश्यक और जीवन-रक्षक औषधियां देश के अन्दर ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बनाई जाये। ये औषधियां आम लोगों को सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए।

देश में आई०डी०पी०एल० एककों का कार्य बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। आई०डी०पी० एल० के प्रबन्ध के शीघ्र ही सुधार किया जाना चाहिए। उन्हें हर साल और अधिक घाटे में चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

महोदय, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिन दवाइयों पर अन्य देशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है वे दवाइयां अभी भी हमारे देश में डाक्टरों द्वारा रोगियों को दी जाती हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन औषधियों पर विदेशों में पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है उन्हें उपयोग में लाने की अनुमति न दी जाये। अपने देश में भी इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाये।

महोदय, कुछ कम्पनियां कुछ टॉनिकों के बारे में, जो वास्तव में टॉनिक हैं ही नहीं, झूठा प्रचार करके जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने के लिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि विज्ञापन की सहायता से कोई नकली टॉनिक न बेचा जाये। इन टॉनिकों की गुणवत्ता के बारे में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये।

कर्नाटक में एक कारबाइड कारखाना है। उसे काला 'एसिटीलीन' के निर्माण के लिए एक परमिट दिया गया था। किन्तु दुर्भाग्य से इस कम्पनी के उत्पादन का देश में कोई बाजार नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार इस बात को भूलकर कि इसका उत्पादन देश में ही हो रहा है, इस वस्तु का आयात कर रही है। सरकार की नीति तो यह है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस उत्पादन का आयात तत्काल बन्द कर दे जिससे कर्नाटक में स्थित कारबाइड कारखने द्वारा उत्पादित काला एसिटीलीन को स्वदेश में अच्छा बाजार मिल सके।

बोलने का अवसर दिये जाने के लिये धन्यवाद देते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, हमारे देश की जनसंख्या बराबर बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती जा रही है और एक अनुमान के अनुसार सन् 2000 ए० डी० तक हमें अपने देश की आवश्यकता के लिए लगभग 226 मिलियन टन अनाज पैदा करना पड़ेगा। आज भी कई विशेषज्ञों का ऐसा कथन है, सोचने वालों का कहना है कि हिन्दुस्तान की आबादी जिस गति से बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार हमें 2000 ए० डी० तक 226 मिलियन टन अनाज की

आवश्यकता होगी और उसमें 80.9 परसेंट फर्टिलाइजर को अपनी भूमिका निभानी होगी तभी जाकर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक इरीगेशन और ड्राई फार्मिंग का सम्बन्ध है, उसे 8.2 परसेंट अपनी भूमिका निभानी होगी। देश में खाद की आपूर्ति के विषय में वैसे तो बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं और यह भी सही है कि हम योजनाओं में निर्धारित टारगैट एचीव नहीं कर पाते।

[अनुवाद]

"रसायन और उर्वरक मंत्रालय में 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार छठी योजना के अंतिम वर्ष के दौरान नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रत्याशित उत्पादन 39 लाख टन और फास्फोटिक उर्वरक का 12.5 लाख टन था जबकि योजना लक्ष्य क्रमशः 42 लाख टन और 14 लाख टन निर्धारित किया गया था।

योजना परिव्यय में उर्वरक कार्यक्रम के लिये, 2,089 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई थी जिसमें से 633 करोड़ रुपया कम व्यय किया गया है। निर्धारित योजना लक्ष्य की तुलना में मूल औषधियों के संबंध में 56 प्रतिशत और फार्मूलेशन के मामले में 74 प्रतिशत भाग पूरा होने की आशा है।

इसलिये, मुद्दा यह है। 56 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है।

[हिन्दी]

इससे साफ पता चलता है कि हम जितनी योजनाएं देश में बनाते हैं, उनमें जो टारगेट फिक्स करते हैं, उस टारगेट को एचीव नहीं कर पाते। क्या कारण है कि आप हर जगह पीछे रह जाते हैं और उन कारणों में जाकर उनको दूर करने के लिये आपने क्या कार्यवाही की?

इसी तरह छठी पंचवर्षीय योजना में आपने जो टार्गेट रखा है, उसको भी आप पूरा नहीं कर पाये। क्या सरकार ने कभी इस प्रश्न पर गहराई के साथ विचार किया कि योजना में हम जो टारगेट फिक्स करते हैं, उसको किन कारणवश एचीव नहीं कर पाते, कहां क्या कमियां हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। आपने खुद उन कारणों को बताया है और उसका परिणाम यह होता है कि कोरबा का फर्टिलाइजर प्लांट, जो कि 150 करोड़ रुपये की लागत से बनना था, अब उसकी कॉस्ट बढ़ते-बढ़ते 220 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है और शायद इससे भी ऊपर जाये, इतने में बनने का सवाल ही नहीं है क्योंकि कई सालों से उसकी मशीनरी ज्यों-की-त्यों बन्द पड़ी हुई है। कोरबा प्लांट को बनाने का लक्ष्य 1965 रखा गया था और इस समय कौन-सा साल चल रहा है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जब आपके प्लांटस की यह हालत है कि कोई भी प्लांट समय पर पूरा नहीं होता फिर आप किस आधार पर यह कहते हैं कि हम काश्तकारों को खाद उपलब्ध कर देंगे। यदि आप उनको पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर उसका एक ही हल है कि आप नगर पालिकाओं और म्युनिसिपेलिटीज से कहिए कि वे लोग अपना खाद पैदा करें और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। जिन-जिन संस्थाओं से खाद पैदा करने के लिए कहा जाए, वहां से

सरकार खाद को इकट्ठा करे। पंचायतों से भी ऐसा ही कहा जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस योजना को ही छोड़ दिया है। जहां हमारे यहां खाद पैदा हो सकती है और अच्छी मात्रा में, उस तरफ सरकार का ध्यान होते हुए भी कम जा रहा है। इसलिए श्रीमन्, जहां कोरबा प्लांट का यह हाल है और इससे एक बात और हो रही है कि पोलयूशन पैदा हो रहा है, हमारे यहां नये-नये कारखाने लगते जा रहे हैं, आप देखिए कि चैम्बर में क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

"चैम्बूर में स्थापित दी 'राष्ट्रीय कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स संयंत्र' जो स्वयं प्रदूषण फैला रहा है....."

[हिन्दी]

कारखाने लगते जा रहे हैं और आपके पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। एक तरफ आप लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने जगह-जगह पेस्टिसाइज के प्लान्ट्स तो लगवा दिए हैं लेकिन आपने पोल्यूशन के एंटी-मेजर के लिये कोई कंट्रोल की बात नहीं बताई है। क्या सरकार बतायेगी कि जिन्होंने फर्टिलाइजर में गड़बड़ की है, उनके खिलाफ क्या कानून है? फर्टिलाइजर में जो लोग मिलावट कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई कानून है, क्या आपने इस मामले में किसी को आज तक सजा दी है? जो आपने टारगेट्स बनाये हैं वह भी पूरे नहीं किये हैं।

आपने राजस्थान में सवाई माधोपुर में एक कारखाना खोलने की बात सोची थी, लेकिन भगवान जाने वह कब खुलेगा। मेरा कहना यह है कि जहां भी आप प्लान्ट बनाये उसकी ठीक व्यवस्था आप बनायें। आई०डी०पी०एल० में इंतजाम करने के लिए एक डिप्लीमेंट बैठ गये हैं। आई०डी०पी०एल० की हालत इतनी खराब है कि उसे बताने की जरूरत नहीं है, प्रशासन खुद उस बारे में सोचेगा। आप उसमें सुधार करने की बात करते हैं, करते जाइये सुधार लेकिन उसकी हालत आप अच्छी तरह से जानते हैं।

यहां फर्टिलाइजर और कैमिकल व स्वास्थ्य मंत्री दोनों बैठे हैं हमारी तन्दरुस्ती की रक्षा करने वाली मंत्री ने कहा था कि सन् 2000 तक हम सब का स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे। इस बात से लोगों पर असर पड़ गया है, लेकिन वह बताएं कि जो आज दवाएं मिल रही हैं, क्या उनमें मिलावट नहीं है? आज कहा जाता है कि अगर कोई आदमी बाजार में जहर भी लेने के लिए जाए तो वह भी उसे बिना मिलावट के नहीं मिलता है। ड्रग्ज की हालत क्या है—

[अनुवाद]

"1982 में, भारत के औषधि नियन्त्रक ने राज्य औषधि नियन्त्रण प्राधिकारियों को एक अर्धशासकीय पत्र भेजा था जिसमें ऐसी 20 औषधियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अनुदेश जारी किये गये थे। इसके अलावा, भारत सरकार ने दिनांक 23 जुलाई, 1983 के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके ऐसी 22 औषधियों पर प्रतिबंध लगाया था।"

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि यह ड्रग्ज मत बेचिये, लेकिन वही बाजार में बिक रही हैं। आप यहां दोनों मंत्रियों का को-आर्डिनेशन देख लीजिए। एक तरफ दवाएं बन रही हैं और इस प्रकार की दवाएं बिक रही हैं जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वह बतायें कि भारतवर्ष में जितने हास्पिटल्स हैं उनमें जो इंचार्ज हैं, मैं नहीं कहता कि 5,10 भी ईमानदार नहीं होते, लेकिन कितने लोग सब-स्टैंडर्ड की दवाएं खरीदते हैं? जिन कंपनियों से सब-स्टैंडर्ड की दवाएं निकलती हैं उनमें से कितनों के खिलाफ चालान हुए हैं? दोनों मंत्री बैठे हुए हैं वह कृपया बतायें कि क्या सब-स्टैंडर्ड की दवाएं आज नहीं बिक रही हैं? जिन दवाओं को मना कर दिया गया है कि बाजार में न बिकें, उनकी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा करके उन्हें बाजार में बेचा जा रहा है। इस तरह की चीजों को रोका जाना चाहिए।

फर्टिलाइजर में आप तरक्की करें उसमें डिपार्टमेंट में अधिकारियों की एकाउन्टेबलिटी होनी चाहिये जिससे सही खाद मिले और काश्तकारों को लाभ मिले।

सबसे बड़ी बात यह है कि खाद बेचने वाले एजेन्ट कौन हैं। यह एजेन्ट आप कैसे मुकरर करते हैं, किन लोगों को आप एजेन्सियां देते हैं? इसमें हमने यह देखा है कि इसमें घपला चल रहा है। जिन लोगों को एजेन्सियां दे रहे हैं वह जानबूझ कर खाद में मिलावट करके काश्तकारों को धोखा देते हैं और काश्तकारों को नुकसान पहुंचाते हैं।

उसी प्रकार दवाइयों का हाल है। क्या आपने मिलावट करने वालों का चालान किया। इस प्रकार से जो यह दोनों काम हैं, उसको हमारे नये मंत्री पाटिल जी ठीक करेंगे और जो-जो गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, उसमें वह सुधार लायेंगे।

इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

*श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा (शिवोगा): सभापति महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मांगों के समर्थन के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यानाकर्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मेरे अनेक साथी उर्वरकों के निर्माण के बारे में बोल चुके हैं। प्रतिवेदनों के अनुसार, सभी उर्वरक कारखाने ठीक से चल रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे लक्ष्य से कहीं आगे हैं। इसका सारा श्रेय श्रमिकों, संयोजकों और प्रशासन को दिया जाना चाहिये। उनके कठिन परिश्रम के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

रसायन और उर्वरक उत्पादन के सम्बन्ध विभिन्न राज्यों की विभिन्न समस्याएं हैं। मुख्य समस्या बिजली की कमी है। तथापि उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो चुका है। किन्तु किसानों तक

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पहुंचने से पूर्व उर्वरकों में मिलावट कर दी जाती है। तथापि मिलावट को रोकने के बारे में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश दे रखे हैं तथापि मिलावट पर कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं चाहती हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान रखे और मिलावट करने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड दे। इस सम्बन्ध में केन्द्र को चाहिए कि वह राज्यों को अधिक सतर्क रहने को कहे।

कर्नाटक राज्य में बिजली की समस्या के कारण मंगलूर के उर्वरक संयन्त्र को भारी नुकसान हुआ है। बिजली की कमी के कारण यह संयन्त्र एक वर्ष में लगभग पांच या छः महीने तक पूरी तरह काम नहीं कर पाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सर्वाधिक उत्पादन पाने के लिये इस संयन्त्र को आरक्षित (केपटिव) ऊर्जा दी जाये। इस संयन्त्र को बिजली की अपेक्षित सप्लाई उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाये। इस समय तक कर्नाटक में कुछ और कारखाने स्थापित हो जाने चाहिये थे। किन्तु बिजली की कमी के कारण वे स्थापित नहीं हो सके। करवार बम्बई हाई के पास है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यहां एक कारखाना लगाया जाना चाहिये। कारवार का समुद्री तट कारखाने लगाने के लिये बहुत ही उत्तम है।

मैं स्वास्थ्य सलाहकार समिति का सदस्य था और औषधियों और दवाइयों के निर्माण के बारे में मैंने गहन अध्ययन किया है। दवाइयों के उत्पादन में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई०डी०पी०एल०) तथा अन्य सरकारी उपक्रम अच्छा कार्य कर रहे है। उन्हें राज्यो से भी अच्छी सहायता मिल रही है। हमारे माननीय मंत्री श्री बीरेन्द पाटिल ने सभी राज्यों को आई०डी०पी०एल० से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। वे 10 प्रतिशत ऋण पहले लौटा सकते हैं और 10 प्रतिशत बाद में। किन्तु इस सुविधा का लाभ कोई भी राज्य नही उठा रहा है।

आई० डी० पी० एल० के विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं। क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम है शिकायत यह है कि आई० डी० पी० एल० को मुनाफा नहीं हो रहा है। कुछ समस्यायें हो सकती हैं जिन्हें जांच करने के बाद सुलझाया जा सकता है। आई० डी० पी० एल तथा अन्य सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध शिकायत होने का मुख्य कारण निजी उपक्रम और सरकारी उपक्रम के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा है। कुछ षडयन्त्र हैं जिनमें डाक्टरों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों का हाथ है। यह नहीं कहता कि आई० डी० पी० एल० में सब कुछ चल रहा है। कुछ कमियां हो सकती किन्तु जांच करके उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। आई० डी० पी० एल० आशानुरूप अधिकतर आवश्यक दवाइयों का उत्पादन कर रहा है।

माननीय मंत्री महोदय ने शीरा और अल्कोहल के वितरण के बारे में कहा है। कर्नाटक के मुख्य मन्त्री को लिखे गये अपने दिनांक 14-2-1985 के पत्र में मंत्री जी ने राज्य को शीरा की आवश्यकता का उल्लेख किया है। माननीय मंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को कर्नाटक के

शीरा सप्लाई करने को कहा है। किन्तु आश्चर्य की बात है कि कर्नाटक सरकार ने मार्च, 1985 में केरल को स्पिरिट भेजी थी। उसके बारे में मैं केन्द्र से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उपयोग में न लाई गई स्पिरिट के वितरण के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। क्या यह अधिकार राज्य सरकार को है अथवा केन्द्र सरकार को ?

मैं पुनः कीटनाशी और खरपतवारनाशी औषधियों में मिलावट किए जाने के बारे में कहता हूं। विशेषकर अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में कीटनाशक और खर-पतवार नाशक औषधियों पर कुल लागत की दो तिहाई राशि व्यय होती है। इसलिए इसे निजी उपक्रम के स्थान पर सरकारी उपक्रम को दिया जाय जिससे कि मिलावट रोकने तथा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा सके। हर राज्य का अपना सरकारी उपक्रम होना चाहिए जो किसानों को सस्ते मूल्य पर कीटनाशक औषधियां सप्लाई करे।

सातवीं योजना के दौरान हमारी सरकार का विचार सिंचाई का आधुनिकीकरण करने का है इसके अलावा उर्वरकों का पर्याप्त उत्पादन होना चाहिए। सभी पुराने कारखानों का विस्तार और आधुनिकीकरण करना होगा। एक बार पुनः मैं माननीय मंत्री महोदय से करवार में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का अनुरोध करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : महोदय, यह बात ठीक है कि खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उन साधनों में खाद का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए जरूरी है कि देश के न केवल बड़े किसानों को बल्कि छोटे, मझौले और सीमान्त किसानों को उचित मात्रा में और सस्ते दर पर खाद मिल जाया करे, लेकिन ऐसी स्थिति अपने देश में नहीं है। खाद सस्ती नहीं मिलती है। यदि मिलती भी है, तो घटिया किस्म की मिलती है और समय पर नहीं मिलती है। खास कर हमारे प्रदेश में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, रबी की बुआई चल रही थी और किसान खाद के अभाव में दरवाजा खटखटा रहे थे लेकिन "बीसको" और सरकार के बीच में झगड़ा होने की वजह से किसान को समय पर खाद नहीं मिल पाई और समय पर खाद न मिलने की वजह से सारे उत्तर बिहार में रबी की बुआई पीछे पड़ गई।

सभापति महोदय, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा खाद का उत्पादन हो और साथ ही सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति करे। लेकिन सरकार की नीतियों को देखने से ऐसा लगता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सरकार नहीं कर सकेगी। सरकार ने तय किया है कि दो हजार ईस्वी तक खाद्यान्न का उत्पादन सवा दो करोड़ टन किया जाएगा। इसका ४० प्रतिशत रासायनिक खाद के प्रयोग से पूरा किया जाएगा और बाकी अन्य तरीके से। पिछले

वर्ष में नाइट्रोजन का उत्पादन 52.5 लाख टन हुआ था और पोटाश का उत्पादन 16 लाख टन हुआ था, अब इसको सातवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 99 लाख टन और 29.8 लाख टन करने का सरकार का विचार है। यानि कुल मिलाकर 128 लाख टन खाद का उत्पादन करने का सरकार का विचार है। सरकार ने अपना मन बनाया है कि यह बढ़ोतरी देश में खाद के उत्पादन के लिए लगाए जा रहे जो दस प्लान्ट हैं, वे 1985 से 1989 तक, उनके द्वारा इस टार्गेट को पूरा किया जाएगा। इस प्रकार नए प्लान्टों से 4.6 लाख टन का उत्पादन होगा और 1990 आते आते किसी न किसी तरह से इसकी कमी 36 लाख टन रह जाएगी। यही स्थिति दो हजार ईस्वी तक भी रहेगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को कोई दूसरे जरिए के बारे में भी सोचना चाहिए। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनका विकास करना चाहिए, बायोगैस का विकास करना चाहिए और देश के कोने-कोने में छोटे-छोटे प्लान्टों को लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। सरकार को उसके लिए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

जहां तक दामों का सवाल है, सरकार कहती है कि खाद की कीमत इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि खाद को तैयार करने में जो इनपुट लगते हैं, उनकी कीमत बढ़ गई है या जो मुनाफा है उसकी दर बढ़ गई या भाड़े की दर बढ़ गई। इस बारे में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि भाड़ा बढ़ाते हैं आप, मुनाफा बढ़ाते हैं आप, इनपुट्स के दाम बढ़ाते हैं आप, इसलिए खाद के यदि दाम बढ़ते हैं, तो उसके जिम्मेदार हैं आप। आप किसानों को एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से उससे ले लेते हैं। सरकार कहती है कि नई तकनीक को प्रयोग में लाने में काफी पूंजी लगती है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब नई तकनीक को प्रयोग किया जाता है, तो उत्पादन ज्यादा होता है, और फिनिशड गुड्स की कीमत कम हो जाती है, लेकिन सरकार कहती है कि नई तकनीक लगाए जाने से वस्तु का दाम बढ़ जाता है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप नई तकनीक को प्रयोग में लाने के लिए विचार मत कीजिए और छोटे-छोटे प्लान्ट लगाए; ताकि उत्पादन ज्यादा हो सके। जहां शिक्षित एवं अशिक्षित लोगों को रोजगार मिल सके, जहां मनुष्यों के मस्तिष्क का प्रयोग हो सके, ऐसे उपाय कीजिए, ऐसी व्यवस्था कीजिए। कम्प्यूटर व्यवस्था से या कलर टी० वी० से ज्यादा खाद पैदा नहीं होगी। लेकिन आप मशीनीकरण को खत्म नहीं कर सकते हैं।

जो स्थिति आज देश में खाद की है, वही स्थिति दवाइयों की है। आज देश में आम लोगों को अच्छी दवायें कम कीमत पर नहीं मिल रही हैं, देश में जीवन-रक्षक दवाओं का अभाव हो गया है। तपेदिक का रोग ला-इलाज नहीं है। इससे मुक्ति पाना कठिन नहीं है। लेकिन आज तपेदिक की बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं। कौन लोग मरते हैं? गरीब लोग मरते हैं, इसलिए मरते हैं कि तपेदिक की जो प्रमुख दवा है—स्ट्रैप्टोमाइसीन—उस दवा का अभाव हो गया है, वह दवा गरीबों की उपलब्धि से बाहर है। मेरे बिहार में कालाबाजार का भयंकर प्रकोप है। उसकी सूई आम लोगों को नहीं मिलती है। अगर लोग चाहें कि आसानी से उसकी सूई खरीद कर रोगी को लगाई जाय, तो यह आम लोगों के बूते के बाहर है। इसका कारण है, जीवन-रक्षक

दवाओं का अभाव जो आम लोगों को सस्ते दामों पर नहीं मिलती हैं क्योंकि हमारे देश में ऐसी महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक दवाओं पर मल्टीनेशनलज का अधिकार है और उनका स्वाभाव है कि सामान चाहे घटिया बनता है या सामान बनाने में पैसा कम लगता है या ज्यादा गतला है इसकी चिन्ता नहीं करती है. उनके मन में चिन्ता होती है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे आये। इसीलिए देश में जितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं वे जीवन रक्षक दवाओं के बनाने के बजाय विटामिनों को बनाने में लगी हुई हैं। स्वस्थ एवं राह चलते लोगों को भी यह शिक्षा दी जाती है कि एक शीशी विटामिन की खाइये। ऐसी चीजों की खपत ज्यादा है तथा इनमें मुनाफा भी बहुत होता है, इसलिए वे अपनी ज्यादा से ज्यादा पूंजी इन चीजों में लगाती हैं। हमारी सरकार भी इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हर तरह का प्रश्रय देती है। जो हमारे ही देश की कम्पनियां हैं और जो मेहनत करके, शोध करके नई तकनीक ईजाद करती हैं, सरकार उनको प्रश्रय नहीं देती है, बढ़ावा नहीं देती है, प्रोत्साहन नहीं देती है। यही कारण है—हमारे देश में जहां 1947 में इन विदेशी कम्पनियों की पूंजी 10 करोड़ रुपए थी, आज 270 करोड़ रुपए हैं। हाथी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1952 से लेकर 1973 तक देश में विदेशी पूंजी 111 गुना बढ़ी है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से देश का पल्ला छुड़ाने के लिए जरूरी है कि आप तमाम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दें। राष्ट्रीयकरण किए बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता है। जो हमारे देश की कम्पनियां हैं उनको आप प्रोत्साहन दें। जब तक आप बहुराष्ट्रीय गैर-निजी कम्पनियों को 24.5 प्रतिशत और वहां की निजी कम्पनियों को 34 5 प्रतिशत मुनाफा देंगे तथा देश की गैर निजी कम्पनियों को 14.5 प्रतिशत तथा देसी निजी कम्पनियों को 11.5 प्रतिशत मुनाफा देंगे, तब तक न देश की जनता का भला होगा और न देश की कम्पनियों का भला होगा। देश में दवाओं का अभाव बना रहेगा और हम जीवन रक्षक दवाओं के क्षेत्र में जनता की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकेंगे।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से अपना पल्ला छुड़ाने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण कीजिए। देश में जिन दवाओं की जरूरत है उनका निर्माण करवाइये तथा अपना मन बनाकर अधिक से अधिक पूंजी, खाद के निर्माण में भी लगवाइए, तब देश का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ में इन मांगों का विरोध करता हूं।

श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना) : सभापति महोदय, मैं रसायन मंत्री जी ने जो प्रस्ताव उर्वरक मंत्रालय की मांगों का रखा है का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने 1947 के पहले का व बाद का समय देखा है। 1947 से पहले देश के अन्दर केवल गोबर की खाद होती थी और यह खाद भी किसान पूरी तरह से अपने खेतों में नहीं दे पाते थे। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी कि देश के अन्दर गल्ला नहीं होता था लेकिन सन् 1947 के बाद जब हमारी कांग्रेस सरकार आई तो फर्टिलाइजर की काफी व्यवस्था की है और उस समय से आज तक फर्टीलाइजर्स की उपलब्धि में बहुत सुधार हुआ है और इसके लिए हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और हमारे कृषि मंत्री जी बधाई के पात्र हैं और हमारे

अधिकारी बधाई के पात्र हैं। विरोधी पार्टी के लोग चाहे कुछ कहें कि खाद मिलता नहीं है लेकिन अब ऐसी बात नहीं है।

मैं मध्य प्रदेश के चम्बल संभाग का रहने वाला हूं और मेरी जानकारी यह है कि खाद की कमी नहीं है और हर एक किसान को खाद मिलता है। यह दूसरी बात है कि कहीं पर अच्छी व्यवस्था होने के कारण उस क्षेत्र में खाद न पहुंचता हो और उसके वितरण की सही व्यवस्था न होती हो लेकिन यह सही बात है कि हिन्दुस्तान के अन्दर काफी मात्रा में खाद उपलब्ध है और हर जगह खाद पहुंचता है। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि खाद के पहुंचने में देरी का कारण केवल यही है कि कृषि विभाग तो खाद देने की स्वीकृति दे देता है लेकिन उस समय ट्रक नहीं मिलता है मजदूर नहीं मिलते हैं। इस तरह से खाद पहुंचने में देरी होती है और किसानों को दिक्कत होती है और परेशानी होती है। इसके लिए कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि हर एक संभाग में खाद के छोटे-छोटे उद्योग खोले जाएं और हर एक ब्लाक में एक दो मीट्रिक टन खाद के भंडार बनाए जाएं और वहां से खाद देने की व्यवस्था कराई जाए। इससे हर किसान को खाद मिलने में सुविधा होगी और किसान को जितनी खाद चाहिए, एक बोरी या दो बोरी खाद चाहिए, वह ले सकता है और उसमें उसको परेशानी नहीं होगी।

साथ ही साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा। ये जो राज्य भंडार गृह निगम बने हुए हैं, इन निगमों को यह आदेश दिया जाए कि वे अपने यहां खाद का ज्यादा से ज्यादा भंडार बनाए रखें और प्रदेशों में और पूरे हिन्दुस्तान में ये गोदाम और बनाए जाएं जिससे किसानों को खाद मिलने में सुविधा मिल सके। इसके साथ-साथ इनमें जो कर्मचारी काम करते हैं, वह भी सही ढंग से काम करें। मैं मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का चेयरमैन रहा हूं और मेरे समय में 114 गोदाम बनाए गये थे। इसलिए मुझे इसके बारे में काफी जानकारी है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि हर एक ब्लाक में एक दो मीट्रिक टन के खाद के भंडार बनाए जाएं, ताकि किसानों को सुविधा मिल सके।

इतना कह कर मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ललितेश्वर शाही (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, उर्वरक उत्पादन के बारे में कुछ कहने से पहले मैं स्थानीय महत्व के दो या तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, इस देश का प्रथम उर्वरक कारखाना द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् क्षति पूर्ति के उपाय के रूप में सिन्द्री में स्थापित किया गया था। सिन्द्री शहर में 8000 से अधिक घर निर्मित किये गये हैं। बाद में पुराने संयन्त्रों के नाम पर नये संयन्त्र लगाया गया जो तेल से चलता है इसमें नाइट्रोजिनी उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। पुराने संयन्त्र में लगभग 7800 व्यक्ति काम किया करते थे और नये संयन्त्र में केवल आधे या उससे भी कम व्यक्तियों के नियुक्त करने की आवश्यकता है। इसलिये

होता यह है कि परिवहन, अस्पताल, सड़क, पानी सप्लाई जैसी आन्तरिक ढांचे सम्बन्धी सुविधायें फालतू हो गई हैं और किसी नये संयन्त्र के लिए उपलब्ध हो सकती हैं। किन्तु विभाग ने अभी तक उस आन्तरिक ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं को इस्तेमाल में लाने की चेष्टा नहीं की है।

3.00 म०प०

इसके अलावा उर्वरक निगम के योजना और विकास विभाग—जिसका नाम पहले भारतीय उर्वरक निगम था—और जो अब एक स्वतन्त्र एकक है—ने कामरूप, नैगल, गोरखपुर में तथा देश में अन्य स्थानों पर संयत्र स्थापित किये हैं किन्तु योजना और विकास विभाग को खण्ड श: सिन्द्री से स्थानान्तरित किया जा रहा है। सबसे पहले कृषि-विज्ञान अनुभाग को अन्तरित किया गया, इसके बाद सिन्द्री से प्रशिक्षण योजना अन्तरित की गई और अब ग्राहक-सेवा के नाम पर धीरे-धीरे करके तकनीकी कार्यालयों को अन्तरित करने का यत्न किया जा रहा है जैसे कि योजना और विकास विभाग ही एक ऐसा संगठन है जो ग्राहक सेवा की देख-रेख करता है। मैं सभा के समक्ष यह प्रकट करना चाहता हूं कि अमरीकी तकनीकी परामर्शदाताओं तथा कैलोग और इटली के तकनीकी परामर्शदाताओं एवं सनाम प्रोगेसी को, हाजीरा संयन्त्र तथा अन्य संयन्त्रों के लिए भी नियुक्त किया गया है। एक मामले में भारतीय सहयोगी योजना और विकास विभाग सिन्द्री था तो दूसरे में उर्वरक और रसायन विभाग, ट्रावनकोर। किन्तु न तो अमरीका को कैलोग और न सनाम प्रोगेसियों को इटली या एफ०ए०सी०टी० ने अपने तकनीकी कार्यालयों को उन स्थानों पर अंतरित किया गया है किन्तु केवल सिन्द्री योजना और विकास खण्ड ही सिन्द्री से अपने तकनीकी कार्यालय अन्तरित करना चाहता है। अन्य संगठनों के सम्पर्क कार्यालय स्थल पर ही है। यह बात विश्व भर में मान्य है कि जब भी कोई परामर्शदाता नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यालय स्थल पर होता है और वह कार्यालय दोनों ओर के संदेश का सम्प्रेषण करता है, कहीं ऐसा नहीं होता कि तकनीकी कार्यालय को ही उस स्थल पर स्थानान्तरित कर दिया जाये। केवल योजना और विकास विभाग ही ग्राहक-सेवा की देख-रेख करने के नाम पर सिन्द्री के संगठन को छिन्न-भिन्न कर रहा है। मैं माननीय महोदय को बताना चाहता हूं कि गत सात वर्षों में इस संगठन में कोई भी वैज्ञानिक नियुक्त नहीं किया गया है। क्या इतना प्रमाण पर्याप्त नहीं है कि सिन्द्री से इसे स्थानान्तरित करने का प्रयास किया जा रहा है?

इससे वहां के लोगों में बड़ा संदेह पैदा हो गया है। सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इसकी समीक्षा और जांच की जाय और यह देखा जाय कि योजना और विकास विभाग का सिन्द्री में वही प्राचीन गौरव और स्तर कैसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि इस स्थान पर दूर संचार, टेलैक्स आदि की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं किन्तु इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का काम राज्य सरकार का नहीं है। यह कार्य भारत सरकार का है और इस विषय का संबन्ध अन्तर-मंत्रालयों से है। सम्बन्धित मन्त्रालय को सिन्द्री में दूर संचार तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ अन्य बात रखना चाहता हूं। देश में बरौनी तेल

शोधक कारखाना सबसे पुराने तेल शोधक कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी; गत 10 वर्षों से बरौनी में पेट्रो-रसायन कॉम्पलेक्स की स्थापना किए जाने के बारे में सुन रहे हैं। 1984 में एक बार हमें बताया गया था कि लाइसेंस जारी ही होने वाला है। उत्तर प्रदेश में किसी एक स्थान पर चालीस हजार टन की क्षमता, गुजरात पेट्रो-रसायन में बीस हजार टन के विस्तार तथा बरौनी में चालीस हजार टन की क्षमता के लिए मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन मैं नहीं जानता कि यह कहां अटकी हुई है, यह कैसे रुकी है और किन कारणों पर अटकी हुई है। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था लेकिन यह मामला पिछले 7 या 8 वर्षों से अनिर्णित पड़ा है और मेरी जानकारी के अनुसार इसे अभी तक निपटाया नहीं गया है। मैं मन्त्री जी को इस बारे में ध्यान देने तथा तुरन्त कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करता हूं।

जहां तक उर्वरक का संबन्ध है अब मैं एक किसान के दृष्टिकोण से सदन के सामने कतिपय बातें पेश करता हूं। इसके कई अन्य पहलू हैं। बेईमान दुकानदार कभी-कभी किसानों को धोखा देते हैं जो उर्वरक में नमक तथा अन्य पदार्थ मिलाते हैं और यह अन्ततः भूमि की उर्वरता खराब कर देती है।

अतः मैं मंत्री जी को एक बात का सुझाव देता हूं, जिसकी विश्वव्यापी मान्यता है। वह यह है कि दानेदार उर्वरक का उत्पादन करना चाहिए ताकि इसके साथ नमक या अन्य पदार्थ की मिलावट न हो सकें। दूसरा सुझाव यह है कि उर्वरक को कुछ रंग दिया जाए जिसका पाउडर के रूप में उत्पादन किया जा रहा है ताकि नमक और अन्य पदार्थों से यह भिन्न नजर आये थे। जिसका इसके साथ मिलावट किया जाता है। इन दोनों उपायों में से किसी एक को अपनाने से वह किसानों को राहत दे सकते हैं जिन्हें बेईमान दुकानदारों द्वारा धोखा दिया जा रहा है।

उर्वरक उत्पादन की योजना के एक पहलू के बारे में मैं बताना चाहता हूं। अभी भी हम 18 प्रतिशत या 20 प्रतिशत की मात्रा का उर्वरक का उत्पादन कर रहे हैं। महोदय आप जानते हैं कि उर्वरक की कीमत में कम से कम 20 प्रतिशत परिवहन की लागत और अन्य 20 प्रतिशत भण्डारण की कीमत में शामिल होती है। इस प्रकार उर्वरक की कीमत में 40 प्रतिशत केवल परिवहन और भण्डारण की लागत होती है। 18 प्रतिशत या 20 प्रतिशत उर्वरक के उत्पादन के लिए हम परिवहन पर और अन्य 20 प्रतिशत भण्डारण पर बेकार में खर्च कर रहे हैं। उच्च किस्म की उर्वरक भी है। हम डाई-एमोनियम फॉसफेट का उत्पादन क्यों नहीं कर सकते हैं? हम उच्च किस्म की अन्य मिश्रित उर्वरक पैदा क्यों नहीं कर सकते ताकि हमें परिवहन और भण्डारण में हानि न उठानी पड़े तथा किसानों को उसके लिए अधिक कीमत न चुकानी पड़े? इस बारे में यह सुझाव है जिसे मैं सरकार और मंत्री जी के विचारार्थ पेश करता हूं।

एक बात और है। फास्फेट, पोटाश और नाइट्रोजन के लिए उर्वरक की कीमतें निर्धारित

हैं । अब कुछ बिचौलिया कम्पनियां इन उर्वरकों को मिलती है और अपने नाम द्वारा कभी-कभी 'मदर बहार' के नाम से और कभी-कभी अन्य नाम के द्वारा इसको बेचती हैं । यदि हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटाश की अलग कीमतों की तुलना करें और कम्पनी द्वारा उनके उत्पादन के लिए वसूल की गई कीमत के साथ इसकी तुलना करें तो यह पता चलेगा कि वे अधिक मूल्य ले रहे हैं । क्यों ? क्योंकि उर्वरक की कीमतों का नियंत्रण केवल प्रारम्भ में होता है और बाद में नहीं होता । अत: यदि बड़ी कम्पनियां मिश्रित उर्वरक का उत्पादन शुरू कर दें जैसे सिर्फ इफ्फको तथा अन्य सरकारी एककों ने शुरू कर दिया है तो ये बिचौलिये जो इन मिश्रित उर्वरकों के ऊंचे दाम लेते हैं वे फिर इसे कुछ हद तक नहीं कर सकेंगे और किसानों को उस सीमा तक धोखा नहीं दिया जायेगा । इस बारे में ये कुछ सुझाव हैं जिन्हें मैं सरकार को विचार करने के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं । इसी के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, मुझे खुशी है कि अच्छी संख्या में माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है और कई रचनात्मक सुझाव दिये हैं । कुछ सदस्यों ने निर्धन लोगों के बारे में चिन्ता व्यक्त की जब कि कुछ ने हमारे सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों द्वारा उचित ढंग से कार्य न करने के बारे में विचार प्रकट किए ।

जहां तक रसायन और उर्वरक मंत्रालय का सम्बन्ध है यह केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में से एक है जो देश के आर्थिक विकास के कार्य में लगा हुआ है । मंत्रालय के मुख्य क्रियाकलाप हैं । उर्वरक, रसायन और औषधियां । कई सदस्यों, ने जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है, उर्वरक के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता के बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है । मेरे पास आंकड़े हैं जो अपने आप में बोलते हैं । वे बतायेंगे कि इन क्षेत्र में हमने कहां तक सफलता पाई है ।

वर्ष 1980-81 में जहां हमारा नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन का सम्बन्ध है, यह केवल 21.64 लाख टन था और फॉस्फेटिक उर्वरक के मामले में यह केवल 8.41 लाख टन था । वर्ष 1984-85 में, मैं छठी योजना की अवधि के आंकड़े दे रहा हूं नाइट्रोजन उर्वरक के मामले में यह उत्पादन बढ़ कर 39.22 लाख टन हो गया तथा फॉस्फेटिक उर्वरक के मामले में यह 22.62 लाख टन हो गया । हमारा अनुमान है कि चालू वर्ष में अर्थात 1985-86 में नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन 45.90 लाख टन होगा और फॉसफेटिक उर्वरक के मामले में यह 23.78 लाख टन होगा । 1985-86 में नाइट्रोजन उर्वरक की मांग 61.40 लाख टन है । आज 15.50 लाख टन का अन्तर है । फॉस्फेटिक उर्वरक के मामले में आज 5.77 लाख टन का अन्तर है ।

मैं नहीं जानता कि क्या मांग का अनुमान जिसे मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, उसका कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अनुमान के साथ मिलान होता है लेकिन यह भिन्न प्रश्न है । परन्तु दिखाये गये अनुमान के अनुसार जो हमारे मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है । 7 वीं योजना के लिए 1989-99 तक नाइट्रोजन उर्वरक की मांग 77.34 लाख टन हो जाएगी और

उत्पादन 69.31 लाख टन तक का होगा। इस तरह 7 वीं योजना के अंत में नाइट्रोजन उर्वरक के मामले में 8 लाख टन का अन्तर होगा। फॉस्फेटिक उर्वरक के मामले में 1989-90 तक मांग 26.87 लाख टन बढ़ जाएगी। तब उत्पादन 21.94 लाख टन बढ़ जायेगा और 7 वीं योजना के अन्त तक फॉस्फेटिक उर्वरक के मामले में 4.93 लाख टन का अन्तर होगा। छठी योजना और 7 वीं योजना की अवधियों के दौरान पूर्ति और मांग की यह स्थिति है।

मैं माननीय सदस्यों के साथ सहमत हूं कि हम मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्पादन नहीं कर सके हैं। मैं कई सदस्यों द्वारा की गई इन टिप्पणियों से सहमत हूं कि हम उर्वरक उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सके है। इसके कई कारण हैं, मैं एक एक करके लूंगा।

इससे पहले कि मैं क्षमता उपयोग के बारे में कहूं, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उर्वरक का उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। 1984-85 में नाइट्रोजन के मामलों में यह 13.6 प्रतिशत बढ़ा है; फॉस्फेटिक के मामलों में 20.4 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह क्षमता उपयोग बढ़ रहा है। 1980-81 में नाइट्रोजनी उर्वरक के मामलों में क्षमता उपयोग 52.8 प्रतिशत था; फॉस्फेटिक उर्वरक के मामले में यह केवल 65.9 प्रतिशत था। 1984-85 में नाइट्रोजन के मामलों में क्षमता उपयोग 74.7 प्रतिशत तक बढ़ गया है और फास्फेटिक उर्वरक के मामले में यह 84 8 प्रतिशत हुआ मुझे कहना चाहिए कि क्षमता उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है कि क्षमता उपयोग शत प्रतिशत होना चाहिए; इससे नीचे क्यों होना चाहिए। मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूं परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं जिन पर ध्यान देना होगा। कम क्षमता उपयोग के लिए इन एककों में प्रभारी अधिकारियों को दोष देने का कोई आधार नहीं है क्योंकि पूरी सीमा तक किसी भी क्षमता उपयोग के लिए उन्हें अपनी सीमाओं के अन्दर रहना पड़ता है। मुझे कहना चाहिए कि सबसे बड़ी कठिनाई विद्युत का प्राप्त न होना है। यदि हम किसी उर्वरक को लें तो हमें पता चलेगा कि वे अधिकतर क्षति पर चल रहा है क्योंकि उन्हें विद्युत उपलब्ध नही है। इसलिए हमने नीति बनाई है और यह निर्णय किया है कि न केवल वर्तमान परियोजताओं, उर्वरक परियोजनाओं के लिए बल्कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी हम राज्य विद्युत पावर ग्रिडों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे परन्तु हम अपने सुरक्षित विद्युत संयंत्र की व्यवस्था करेंगे। हम उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं; कभी-कभी हम उस पर दबाव डाल रहे हैं कि ऐसे सुरक्षित विद्युत संयंत्र लगायें और मुझे कहना चाहिए कि जहां तक उर्वरक एककों का सम्बन्ध है उनमें से कुछ के पास पहले से ही सुरक्षित विद्युत संयंत्र हैं; उनमें से कुछ एककों में इनको लगाने की प्रक्रिया चल रही है और जहां तक भविष्य की परियोजनाओं का सम्बन्ध है इस बारे में हमने एक नीति बनाई है कि प्रत्येक उर्वरक परियोजना जो भविष्य में आयेगी उसके पास अपना सुरक्षित विद्युत संयंत्र होनी चाहिए; इस तरह हम इस बिजली की कमी की समस्या का सामना करना चाहते हैं। कुछ एकक जैसे गोरखपुर

दुर्गापुर, नामरूप I तथा II बरौनी सिंदरी आदि जिन्हें बहुत पहले लगाया गया था वे बहुत पुराने एकक हो गये हैं मैं प्रत्येक एकक के बारे में जाना नहीं चाहता ।

प्रो० एम० जी० रंगा (गुंटूर) : पूसा के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : मैं समझता हूं कि वह एक नया एकक है । वे पुराने एकक 15 वर्ष या 20 वर्ष पहले स्थापित किए गए थे, एफ०ए०मी०टी० उद्योग मण्डल जैसे कुछ बहुत पुराने हैं । जब ये एकक पुराने हैं तो उस समय की उपलब्ध प्रौद्योगिकी को इन्होने अपनाया था । वास्तव में मशीनरी में खराबी आयेगी तथा अधिक टूट फूट होगी । कभी-कभी कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता । अतः इन कारणों से एकक पूरी क्षमता का उत्पादन नहीं कर रहे हैं ।

कुछ ऐसे एकक हैं जो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम उनके क्रियाकलापों को भिन्न करने की सोच रहे हैं उदाहरण के लिए एफ०ए०सी०टी० उद्योग मण्डल । वहां लगभग 6000 या 7000 श्रमिक हैं । जब मैं इस मंत्रालय का प्रभारी था तो मैं 1980 में मैंने इस फैक्ट्री का दौरा किया था । मशीनरी पूरी तरह से पुरानी तकनीकी की है और उसी तरह की सारी कठिनाइयां वहां होती हैं । कल्पना करो कि मैं अचानक कहता हूं कि मैं इस फैक्ट्री को बन्द कर दूंगा क्योंकि इसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है और भारी हानि उठा रही है तब यह प्रश्न उठता है कि उन लोगों का क्या होगा जो वहां पर कार्य करते हैं ? वे रोजगार के लिए कहा जायेंगे ? उन्हें कहीं न कहीं रोजगार देना होगा । यह 1980 की स्थिति थी और हमने एफ०ए०सी०टी० के लिए केप्रोलेक्टम परियोजना की हमने मंजूरी की थी और उस परियोजना पर कार्य चल रहा है । अन्य दो या तीन वर्षों में यह पूरी हो जायगी और तब उन्हें किसी अन्य संयंत्र पर स्थानान्तरण करना संभव हो जाएगा ।

इसी तरह नामरूप-I बहुत पुराना संयंत्र है । जब मैं अपने अधिकारियों से चर्चा करता हूं वे कहते हैं, "कठिनाई होने के बावजूद हम उत्पादन कर रहे हैं" मुझे श्रमिकों और प्रबन्धक का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे उत्पादन कर रहे हैं तथा क्षमता उपयोग बहुत खराब नहीं है । और उसके लिए हम नामरूप-III को चालू कर रहे हैं और जब नामरूप-III चालू हो जायेगा तब हम नामरूप I यूरिया संयंत्र को बन्द करना चाहते हैं ताकि उस एकक के श्रमिकों को नये संयंत्र में लाया जा सके ! इसलिए देश में कुछ एकक बहुत कुशलता से कार्य नहीं कर रहे हैं ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : ये सभी एकक क्षमता का केवल 50 प्रतिशत तक ही कार्य कर रहे हैं लेकिन निजी क्षेत्र में कुछ कम्पनियां इससे बेहतर कार्य कर रही हैं ।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : मैं उसको स्पष्ट करूंगा । निजी क्षेत्र में, सहकारिता क्षेत्र में तथा सरकारी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे एकक हैं जो लाभ कमा रहे हैं । शायद माननीय सदस्य का विचार है कि सरकारी क्षेत्र के सभी एकक हानि उठा रहे हैं । यह ऐसा नहीं है । जहां तक निजी क्षेत्र के एककों

का सम्बन्ध है एक या दो को छोड़कर शेष सभी एकक नये हैं तथा वे सभी नवीन कतनीकी पर आधारित हैं और एक या दो एकक पुराने हैं इसके बावजूद क्षमता उपयोग कहीं अधिक अच्छी है क्योंकि फैक्ट्री की स्थापना करते समय उन्होंने पूरी मशीनरी का आयात किया था। पूरा संयंत्र आयात किया गया था। लेकिन यहां जब हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो हम पूरे संयंत्र या पूरी मशीनरी का आयात नहीं करते। हम प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं और उस प्रौद्योगिकी पर आधारित हम स्थानीय निर्माताओं से मशीनों का निर्माण करने और उन्हें सप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। मैं उस बात पर आऊंगा क्योंकि एक सदस्य ने उन संयंत्रों के बारे में पूछा था।

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : क्या आप कृपया करके हमें गोरखपुर संयंत्र के बारे में बतायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह नया संयंत्र नहीं है।

श्री मदन पांडे : क्या इसका विस्तार करने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं समझता कि सभी सदस्यों का ऐसा विचार है लेकिन एक या दो सदस्यों ने उसको व्यक्त किया और उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारे एकक हानि क्यों उठा रहे हैं ? उनकी धारणा है कि सभी सार्वजनिक उर्वरक उपक्रमों को हानि हो रही है। मैं उनके आंकड़े बता सकता हूं। बहुत से उपक्रम हैं जैसे फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया एफ०ए०सी०टी० कोचीन, हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर फैक्ट्री राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टिलाइ-जर्स, नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड तथा मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड। मैं कह सकता हूं कि एफ०ए०सी०टी० को पहले हानि हो रही थी किन्तु 1984-85 में उसे 16 करोड़ रु० का लाभ हुआ तथा 1979-80 से राष्ट्रीय फर्टीलाइजर्स को......मेरे पास उससे पहले के आंकड़े नहीं हैं— लगातार लाभ हो रहा है।

श्री कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : पर क्षमता का कितना उपयोग हो रहा है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : 1979-80 में उन्हें 11 करोड़ रु० का लाभ हुआ। राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टीलाइजर को हुए लाभ के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1980-81	18.53 करोड़ रु०
1981-82	21.26 करोड़ रु०
1082.83	22.47 करोड़ रु०
1983-84	44.05 करोड़ रु०
1984-85	40 करोड़ रु०

उन्हें निरन्तर लाभ हो रहा है।

नेशनल फर्टीलाइजर को हुए लाभ के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1981-82	59.75 करोड़ रुपये
1982-83	34.29 करोड़ रुपये
1983-84	23.55 करोड़ रुपये
1984-85	40 करोड़ रुपये

मद्रास फर्टीलाइजर को उसकी स्थापना के आरम्भ से ही लाभ हो रहा है। उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1981-82	8.29 करोड़ रुपये
1982-83	16:50 करोड़ रुपये
1983-84	9.27 करोड़ रुपये
1984-85	11.29 करोड़ रुपये

केवल फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया तथा हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर फैक्ट्री को ही हानि हो रही है क्योंकि, दुर्भाग्य से, उनके पास सभी पुरानी उर्वरक यूनिटें हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हानि में चलने वाली सभी कम्पनियों को एक तरफ कर दिया जाए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आप इसकी इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए कार्य पालिका को दोष देना उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य गोरखपुर उर्वरक की स्थिति जानना चाहते हैं। इस संयन्त्र का पहला चरण लगभग 16 साल पुराना हो चुका है। मैं एक बार आपको और बता दूं कि किसी भी उर्वरक यूनिट का सामान्य कार्यकाल लगभग 20 वर्ष होता है। मेरा यह मतलब नहीं है कि उसके बाद उस यूनिट को समाप्त करके एक नया यूनिट बनाना होगा। इसके बाद इसके स्थान पर दूसरा एकक बनाना आदि पर बहुत धन राशि व्यय करनी पड़ती है। अतः यह एक बहुत पुरानी यूनिट है। दूसरा चरण दस वर्ष पुराना है। गोरखपुर फर्टीलाइजर संयन्त्र का नवीकरण कार्यक्रम जारी है। तथा यह काम अगले 2 वर्ष में पूरा हो जायेगा। इस काम के पूरे होने पर मेरे विचार से कार्य निष्पादन के बारे में क्षमता का 72 से 76 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकेगा।

माननीय सदस्यों की धारणा है कि किसान उर्वरकों के लिए अधिक कीमतें दे रहे हैं । मैं यह कहूंगा कि केन्द्र सरकार उर्वरकों के मामले में राज सहायता देने के लिए बहुत उदार है । प्रति टन यूरिया के मामले में प्रति टन 1150 रु० तथा फास्फेटिक उर्वरक के मामले में 900 रु० प्रति टन की औसत राज सहायता दी जाती है । खपत बढ़ाने के साथ-साथ राज सहायता भी बढ़ रही है । और हम प्रतिधारण कीमत निर्धारित कर रहे हैं क्योंकि···

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आप इस तरह की राज सहायता नहीं देंगे तो सभी घाटे में चलेंगे ।

श्री बीरेंद्र पाटिल : सभी को हानि नहीं होगी । उन्हें हानि तभी होगी जब हम कीमतों को नियन्त्रित करेंगे और यदि हम उन्हें तथा किसानों को राज सहायता नहीं देंगे । हम आदर्श आधार पर कीमत नियंत्रण करते हैं और हम कीमतें नियन्त्रित भी कर रहे हैं । शेष कहना यह है कि उत्पादन लागत में वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि आदान लागत बढ़ रही है तथा उर्वरक पर निवेश भी बढ़ रहा है । इसलिए उत्पादन लागत में वृद्धि होने के बावजूद सरकार की नीति किसानों को स्थाई तथा आकर्षक कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करना है और इसलिए सरकार राज सहायता पर इतना अधिक धन व्यय कर रही है । मैं आपको प्रति वर्ष राज सहायता की राशि में होने वाली वृद्धि के आंकड़े दे सकता हूं । 1980-81 में राज सहायता की राशि केवल 170 करोड़ रु० थी, 1982-83 में यह राशि बढ़ कर 550 करोड़ रुपये, 1983-84 में 900 करोड़ रुपये तथा 1984-85 में 1,200 करोड़ रु० हो गई । इस वर्ष हमने 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह राशि 1,200 करोड़ रु० तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि यह तो खपत पर निर्भर करता है । जब एक या दो सदस्य यह कहते हैं कि हमारे देश में उर्वरक की प्रति हेक्टेयर खपत दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है तो उनके इस कथन से सहमत हूं । इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । इसका तात्पर्य हुआ कि उर्वरक को खपत की काफी गुंजाइश है दूसरी ओर हम चाहते हैं कि उर्वरक खपत बढ़े । इसके लिए बहुत सी योजनाएं हैं तथा उर्वरक की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत धन राशि व्यय की जा रही है । जैसे-जैसे उर्वरक की खपत बढ़ेगी स्वभावत: राज सहायता की राशि में भी वृद्धि होगी और इसलिए राज सहायता की राशि में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है । सरकार ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो उर्वरक की मूल प्रणाली तथा राज सहायता की समीक्षा करेगी ताकि वर्तमान प्रणाली को तर्क संगत बनाया जा सके । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है । सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार उन पर विचार करेगी तथा जरूरी कार्यवाई करेगी ।

जहां तक कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों का सम्बन्ध है, रामगुंडम तथा तालचेर ऐसे दो संयन्त्र हैं जो कोयले पर आधारित संयन्त्र हैं । इन संयन्त्रों की उस समय स्थापना की गई थी जिस समय देश में तेल की स्थिति संतोषजनक नहीं थी तथा हम यह कहने की स्थिति में नहीं थे

कि हमें पर्याप्त गैस उपलब्ध हो गई है। हम केवल नेपथा अथवा ईंधन तेल पर ही निर्भर कर रहे थे। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि 1972-73 में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई थीं। अत: उस समय सरकार ने सोचा कि उर्वरक उत्पादन के लिए हमेशा नेपथा पर निर्भर रहने की बजाय उत्पादन के किसी और विकल्प पर क्यों विचार नहीं करते और पहली बार देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्र के सम्बन्ध में विचार किया गया। विदेशों में उर्वरक उत्पादन की यह बहुत लोकप्रिय प्रक्रिया नहीं है। मुझे बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा एक संयन्त्र है, क्योंकि वहां कोयला बहुत तादात में है और कोई कह रहा था— मुझे विश्वास नहीं है कि पूर्वी जर्मनी में भी कोयलों पर आधारित एक यूनिट हैं। पहली बार हमने देश में ऐसा संयन्त्र लगाने का प्रयास किया था। मैं इसे उद्यम ही कहूंगा और साथ ही साथ मैं नहीं जानता कि किन शब्दों में कहूं कि हमारा यह अनुभव अच्छा रहा या नहीं लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि अभी तक कोयले पर आधारित ये दोनों संयन्त्र जम नहीं पाये हैं। वे अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : तब आपने एक साथ दो संयन्त्र क्यों स्थापित किए हैं ? पहले आपको एक संयन्त्र लगाना चाहिए था और उसके बाद तालचेर में लगाना चाहिए था। औद्योगिकी में पूरी क्षमता प्राप्त किए बिना एक साथ तालचेर तथा रामागुंडम् में संयन्त्र लगा दिए गए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह प्रश्न आपको उस मंत्री से पूछना चाहिए जो इन संयन्त्रों की स्थापना के समय थे। मेरे विचार से उन्होंने दो यूनिट स्थापित करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि उड़ीसा में कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा सिंगरेनी में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अत: उनके विचार से ये दो स्थान आदर्श स्थान थे। उन्होंने कोरबा में भी एक संयन्त्र स्थापित करने के लिए विचार किया था। मेरे विचार से किसी माननीय सदस्य ने पूछा भी था कि कोरबा का क्या हुआ। उस समय हमने कोरबा में भी संयन्त्र स्थापित करने की बात सोची थी लेकिन इन दो संयन्त्रों के अनुभव अच्छे न होने के कारण कोरबा परियोजना में काम बहुत धीमी गति से चल रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : तलवार समिति की सिफारिशों का क्या हुआ ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह भी बताऊंगा।

इसलिए कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं क्योंकि एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, और मेरे विचार से वह विशेषज्ञ दल तलवार समिति ही है जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। इस समिति ने कुछ अल्पकालीन तथा कुछ दीर्घकालीन उपाय सुझाए थे। जहां तक अल्पकालीन उपायों का सम्बन्ध है। मेरे विचार से ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं तथा उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां तक दीर्घकालीन उपायों का संबंध है, मेरे विचार से इस संबंध में विश्व बैंक से परामर्श किया जा

रहा है और उसके बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में भी यह विचाराधीन है। मेरे विचार से अगर मैं कहूं कि·····

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सिफारिशें पेश किए हुए भी दो से अधिक वर्ष बीत गए हैं।

(व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र पाटिल : महोदय, अधिकांश अल्पकालीन उपायों को कार्यान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा पश्चिम जर्मनी का एक विशेषज्ञ व्यावसायिक ग्रुप इन संयंत्रों का पूरी तरह सर्वेक्षण कर रहा है ताकि कठिनाइयों का पता लगाया जा सके और उपचारात्मक उपाय सुझाए जा सकें। अत: सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट मिलने पर आगे जो भी कार्यवाही करनी होगी हम करेंगे। लेकिन यहां भी, संयंत्र की स्थिरता आदि की समस्या के अलावा मुख्य समस्या विद्युत की है। और तालचेर के मामले में यह समस्या अधिक विकट है। इसीलिए तालचेर में 30 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। अब क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार रामगुंडम में पास ही में तापीय विद्युत केन्द्र होने के कारण वहां विद्युत की समस्या इतनी विकट नहीं है।

माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों का क्या हो रहा है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि जहां तक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों का संबंध है, महाराष्ट्र में थाल में दो एककों के संबंध में, मेरे विचार से मशीन संबंधी काम पूरा हो गया है, परीक्षण उत्पादन हो रहा है तथा जल्दी ही वाणिज्यिक उत्पादन होने लगेगा। हजीरा में दो यूनिटों में बहुत शीघ्र ही इस अवधि के दौरान यांत्रिक कार्य पूरा हो जाएगा तथा वहां भी उत्पादन कार्य शुरू हो जाएगा। अत: दस में से गैस पर आधारित 4 परियोजनाओं में इस साल 1985-86 के दौरान उत्पादन शुरू हो जाएगा।

शेष परियोजनाओं में से एक की स्थापना राजस्थान में, एक की मध्यप्रदेश में और 4 की उत्तर प्रदेश में की जा रही है। पिछले साल अर्थात् 1984-85 के दौरान गैस पर आधारित तीन उर्वरक परियोजनायें पर भी कार्य शुरू हो गया है। इनमें से एक मध्य प्रदेश में विजयपुर में एक उत्तर प्रदेश में आंवला में तथा एक उत्तर प्रदेश में जगदीशपुरा में है।

एक माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि सवाई माधोपुर में संयंत्र की स्थापना के बारे में क्या हुआ है। यह सच है कि वहां अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन उसमें अधिक देरी नहीं होगी। मेरे विचार से केवल एक-दो महीने की देरी होगी। (व्यवधान) मैं आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर, में संयंत्र के शुरू होने की तारीख 1-4-85 निर्धारित की गई है। हमने उन्हें पहले ही लिखा था और उन्होंने उसका उत्तर भेजा है। हम चाहते हैं कि वे इसे यथासंभव शीघ्र शुरू कर दें। वैसे इसमें एक महीने की भी देरी नहीं होगी लेकिन हमने इस संबंध में पहले ही कार्रवाई की है। हमने कम्पनी को लिखा है कि उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने काम

क्यों नहीं शुरू किया। लेकिन माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी के अनुसार कम्पनी द्वारा काम शुरू नहीं किए जाने के कुछ और ही कारण हैं। मैं उनका भी उल्लेख करूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या मैं कंपनी के शेयर खरीदने में रुचि रखता हूं या कोई और बात है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सवाई माधोपुर की परियोजना पर पहली अप्रैल, 1985 को कार्य आरम्भ होना था किन्तु परियोजना प्राधिकारी संविदा संबंधी शर्तों का प्रारूप तैयार नहीं कर सके और जब उनसे विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया तो कम्पनी ने यह सूचित किया कि संविदा संबंधी शर्तें अगले महीने के पहलेसप्ताह अर्थात् मई, 1985 में प्रस्तुत की जायेगी। और ज्योंहि वे यह भेज देते हैं और हम उस संविदा को स्वीकृति दे देते हैं, वे आगे कार्यवाही करना आरम्भ करेंगे।

माननीय सदय के दिमाग में यह धारणा बन गई है कि इस परियोजना को आरम्भ करने में बहुत विलम्ब हुआ है, इस धारणा को दूर करने के लिये मैं इस संबंध में ब्यौरा देना चाहता हूं। इस परियोजना को आरम्भ करने में अधिक विलम्ब नहीं हुआ बल्कि केवल एक या दो महीने का ही विलम्ब हुआ है। वे यथा संभव समय पर कार्य आरम्भ कर देंगे और हम इस बात पर भी जोर देंगे कि वे परियोजना को कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय पर कार्यान्वित कर चालू करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसमें परामर्शदात्री कम्पनी कौन-सी है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : इस बारे में मुझे मालूम नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी अपने प्रस्ताव भेजे नहीं हैं। (**व्यवधान**)। मुझे इस बात का पता नहीं कि माननीय सदस्य ने मेरी वह बात सुनी या नहीं जब मैंने यह कहा था कि कम्पनी ने सूचित किया है कि संविदा सम्बन्धी शर्तें अगले मास के प्रथम सप्ताह तक अर्थात् मई, 1985 में प्रस्तुत कर दी जाएंगी।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : किस कम्पनी ने सूचित किया है।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : बिड़ला कम्पनी ने सूचित किया है। (**व्यवधान**) मैं यह बात भी श्री एस० जयपाल रेड्डी को समझाता हूं। उनकी यह धारणा बन गई है कि हम सरकार में परामर्शदात्री सेवाओं के लिये एक कम्पनी विशेष पर जोर दे रहे हैं। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी किसी भी परामर्शदात्री कम्पनी में रुचि नहीं है। यह कम्पनी को निर्णय करना है और उन्हें अपने लिये परामर्शदात्री कम्पनी का चयन करना है।

जहां तक प्रौद्योगिकी का संबंध है, मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि इस विषय पर पिछली लोक सभा में भी अनेक बार चर्चा हो चुकी है।

जहां तक अमोनिया और यूरिया संबन्धी प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, भारत सरकार अन्य

अनेक एककों के सम्बन्ध में हुए कटु अनुभव के कारण यह बहुत पहले निर्णय ले चुकी है कि इन सभी दस एककों में एक ही प्रकार की प्रौद्योगिकी को रखा जाएगा।

अमोनिया के संबन्ध में भारत सरकार ने दो प्रौद्योगिकी कम्पनियों का चयन किया है, एक हाल्डोर टोपसोइ है दूसरी कैल्लोग है। हाल्डोर टोपसोइ डेनमार्क की है और कैल्लोग अमरीका की है।

यूरिया के लिये भी एक प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है। यह केवल सनाम प्रोगैती है।

जहां तक प्रौद्योगिकी का संबन्ध है, मैं इस बात को मानता हूं कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि अमोनिया के लिए इनमें से एक कंपनी का चयन करें।

यूरिया के लिये भी तत्कालीन सरकार द्वारा एक ही प्रौद्योगिकी का अनुमोदन किया गया था। उन्हें केवल उसी प्रौद्योगिकी को स्वीकार करना होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नेशनल फर्टीलाइजर कंपनी तो आपकी कम्पनी है। इसने कैल्लोग के स्थान पर हाल्डोर टोपसोइ को रखने का निर्णय लिया है। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि यूरिया अथवा अमोनिया प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैल्लोग को भी ग्राह्य माना जा सकता है। तब एन०एफ०सी० ने इसे बदल कर हाल्डोर टोपसोइ रखने का निर्णय क्यों लिया है?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : मेरे विचार से माननीय सदस्य का यह कथन सही नहीं है कि क्योंकि एन०एफ०सी० हमारा अपना संगठन है और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है वह सरकार की नीति के अनुसार है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय मुझे यह बतायें कि मेरे कथन में गलत क्या है।

(व्यवधान)

3.45 म०म०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने क्या गलत कहा है?

सभापति महोदय : उन्हें पहले अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए। बाद में आप अपनी बात पूछ सकते हैं।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : जैसा कि मैं यह कह रहा था कि जहां तक परामर्श सेवा का संबंध है, इसका चयन पूर्णतया कम्पनी पर छोड़ा जाता है। जगदीशपुर परियोजना के सम्बन्ध में कंपनी ने ही यूरिया और अमोनिया के लिए क्रमशः सनाम प्रोगैती तथा हाल्डोर टोपसोइ प्रौद्योगिकी के

चयन का निर्णय लिया। सरकार किसी कम्पनी विशेष के चयन पर जोर नहीं दे रही है। यह फैसला करना उनका काम है और उन्होंने फैसला कर लिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सेवाओं और उद्योगों के लिए गुल्फ कंसोलिडेरिड कम्पनी ने इकनोमिक टाईमज में यह वक्तव्य दिया था कि भारत सरकार की इच्छानुसार उन्होंने अमोनिया के लिये हाल्डोर टोपसोइ का तथा यूरिया के लिये सनाम प्रोगैती का चयन किया है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय बोल रहे हैं। वह खड़े हैं आप बैठ जाइए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक सवाई माधोपुर में गैस आधारित उर्वरक संयन्त्र लगाने का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया है उस पर शीघ्र ही काम आरम्भ होने जा रहा है।

सभापति महोदय : आप जगदीशपुर संयन्त्र की बात कर रहे थे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं उस बारे में अपनी बात पूरी कर चुका हूं।

दो एककों पर अभी कार्य आरम्भ होना है। हमने अभी आशय पत्र जारी नहीं किये हैं। यह बबराला और शाहजहांपुर में बनेंगे।

माननीय सदस्य श्री वी०एन० पाटिल पूछ रहे थे : महाराष्ट्र में गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने के बारे में स्थिति क्या है ? हजीरा से आ रही पाइप लाईन छः गैस-आधारित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करेगी। हमने इस बार यह निर्णय लिया है कि इन उर्वरक संयन्त्रों को दूर-दराज के क्षेत्र में स्थापित किया जाये; क्योंकि जहां पर उर्वरकों की खपत होती है वहां पर सन्यन्त्र स्थापित करना बेहतर रहेगा। इस प्रकार हम परिवहन लागत आदि की बचत कर सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता कि इन छः उर्वरक संयंत्रों की आवश्यकता पूर्ति करने के बाद गैस बचेगी या नहीं क्योंकि यदि और गैस उपलब्ध हुई तो हमें उन क्षेत्रों में और एकक स्थापित करने पर विचार करना पड़ेगा जहां उर्वरक की खपत होगी···

एक माननीय सदस्य : त्रिपुरा के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। हम त्रिपुरा से गैस नहीं ला रहे, बम्बई हाई से ला रहे हैं।

सभापति महोदय : वे आशा कर रहे हैं कि त्रिपुरा में भी गैस मिलेगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश में नरसापुर में बहुत गैस है।

सभापति महोदय : उसका दोहन भी किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द पाटिल : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार की यह राय है कि इसके बाद यदि विपुल मात्रा में गैस उपलब्ध होती तो ईंधन तेल अथवा नेपथा अथवा कोयला आधारित संयंत्रों के स्थान पर गैस-आधारित उर्वरक संयन्त्र स्थापित करना बेहतर रहेगा। यही हमारा अनुभव है। जैसा कि मैंने कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में विपुल संभावनाएं हैं। किन्तु मैं अभी यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि इस योजनावधि में कितने एकक स्थापित किये जा सकेंगे और कहां स्थापित किये जा सकेंगे। इसलिये मेरे लिए अभी आगे और कुछ कहना सम्भव नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूं कि उर्वक उत्पादन सम्बन्धी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा क्योंकि उनका मांग में भी वृद्धि हो रही है और हमें इस मांग को पूरा करना है और जहां कहीं भी गैस उपलब्ध होगी, यह स्वाभाविक ही है कि इन सभी तथ्यों का आर्थिक निरूपण करने के बाद एककों को केवल वहीं लगाया जाएगा।

जैसाकि मैंने आरम्भ में कहा है माननीय सदस्य इस बारे में अत्यन्त चिन्तित हैं कि देश उर्वरकों में आत्म-निर्भर नहीं हुआ है। मैं सभा को विश्वास में लेकर उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जहां तक नाइट्रोजन का सम्बन्ध है, हम कुछ समय में आत्म-निर्भर हो जाएंगे किन्तु जहां तक पोटास और फासफेटिक उर्वरकों का सम्बन्ध है, हम इनमें आत्म-निर्भर होने का स्वपन भी नहीं ले सकते···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्यों ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या हम इनमें कभी भी आत्म-निर्भर नहीं हो सकते ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम जो भी फासफेटिक उर्वरक अथवा पी$_2$ ओ$_5$ देश में निर्मित कर रहे हैं उसके लिए कच्चा माल बाहर से आयात करना पड़ता है। हमें कच्चे माल के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। रॉक फासफेट तो आयात करना ही पड़ेगा। कुछ एककों में रॉक फासफेट आयात किया जाता है और तब उसे फासफोरिक एसिड़ में परिवर्तित किया जाता है और उसके पश्चात् ही फासफोटिक उर्वरक अथवा पी$_2$ ओ$_5$ का उत्पादन होता है। सल्फर का भी बाहर से आयात करना पड़ता है। हमारे यहां सल्फर नहीं है। हमारे यहां रॉक फासफेट नहीं है···

श्री बसुदेव आचार्य : पुरूलिया में काफी रॉक फासफेट उपलब्ध है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : देश में जो भी रॉक फासफेट उपलब्ध है, फासफेटिक उर्वरक उत्पादन के लिए ठीक नहीं है ··

श्री बसुदेव आचार्य : यह पश्चिम बंगाल के जिला पुरुलिया में उपलब्ध है।

सभापति महोदय : वे उसका उपयोग करेंगे। आप यह क्यों नहीं कहते कि आप उसकी जांच करेंगे ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं जो कह रहा हूं। वह किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। हमने इस सम्बन्ध में अपने अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है। हमने अपने सलाहकारों से विचार-विमर्श किया है। उन्होंने इस बारे में जो कुछ कहा है मैंने आपको बता दिया है। फासफेटिक उर्वरक के बारे में यह स्थिति है क्योंकि हमारे यहां अच्छी किसम का रोक फासफेट उपलब्ध नहीं है। हमारे यहां सल्फर भी नहीं है। हम फासफेटिक उर्वरक अथवा रोक फासफेट का आयात कर यहां उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं। जहां तक पोटाश का सम्बन्ध है, इस बारे में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हम शत प्रतिशत पोटाश का आयात कर रहे हैं। हम बिल्कुल पोटाश का उत्पादन नहीं कर रहे। जब स्थिति यह है तो मैं यह कैसे कह सकता हूं कि हमारा देश उर्वरक में आत्म-निर्भर होने जा रहा है? इसीलिए मैंने यह कहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक के सम्बन्ध में हम कुछ समय में आत्म-निर्भर हो सकते हैं शीघ्र नहीं, क्योंकि इसमें भी काफी निवेश की आवश्यकता है किन्तु फासफेटिक उर्वरक के सम्बन्ध में मैं नहीं कह सकता।

श्री रेणुपद दास : आपने हल्दिया के बारे में कुछ नहीं कहा है?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक व्यक्तिगत मुद्दों का सम्बन्ध है, मैं पहले सभी मुद्दों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर उन्हें बाद में लूंगा।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय को जैसा वे चाहें, बोलने दीजिए। अनेक सदस्य तो पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने हल्दिया उर्वरक कारखाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। यह हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के अधीन है।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : जहां तक सिंगल सुपर-फासफेट एककों को प्रोत्साहन देना चाहती है। कुछ एकक तो बन गए हैं और कुछ एकक निर्माणाधीन है। (**व्यवधान**) मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार की नीति सिंगल-सुपर फासफेट एककों को प्रोत्साहन देने की है और हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और इसलिए ही मैंने यह सोचा कि इस अवसर पर माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में सूचना दे दूं। हम उन खपत वाले क्षेत्रों में एस० एस० पी० एककों को बढ़ावा देना चाहते हैं जहां पर उत्पादन बिल्कुल नहीं है अथवा पर्याप्त उत्पादन नहीं है। और एस० एस० पी० एककों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए जो मानक अपनाए गए हैं वे है –

(i) जिस संयन्त्र को लाइसेंस देना है उसका मानक आकार होना चाहिए तथा विस्तार की स्थिति को छोड़ कर उसकी प्रतिदिन 200 मीटरीटन की क्षमता हो तथा सल्फूरिक एसिड की क्षमता 100 मीटरीटन प्रतिदिन हो;

(ii) आवेदकों के पास कैप्टिव खपत के लिए प्रतिदिन 100 मीटरीटन की सल्फूरिक एसिड़

उत्पादन की सुविधा हो ताकि क्षेत्र में अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 20 प्रतिशत क्षमता शेष रह जाए।

(iii) काफी पैमाने पर विस्तार करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए।

(iv) एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की अपेक्षा मध्यम दर्जे के उद्यमियों को वरीयता दी जानी चाहिए; और

(v) अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस केवल ऐसे क्षेत्रों में जारी किए जाए जहां एस० एस० पी० की पर्याप्त मांग है।

अतिरिक्त एककों को लाइसेंस देने के लिए यह मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं। यद्यपि हमें लगभग 70 से 80 प्रतिशत आवेदन प्राप्त हुए हैं फिर भी हम यह सोचते हैं कि आवेदन जैसे और जब प्राप्त होते हैं, तब उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हम सभी पक्षों पर विचार करना चाहते हैं और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब भी कहीं गुंजाइश अथवा मांग होगी, और जहां पर उत्पादन बिल्कुल नहीं हो रहा अथवा पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा, हम वहां एस० एस० पी० एककों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमें कतिपय आवेदन प्राप्त भी हो गए हैं।

महोदय, फासफेटिक उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए हम संयुक्त उद्यमों की बात पर भी गौर कर रहे हैं। हमने सेनेगल के साथ एक संयुक्त उद्योग लगाने के लिए अन्तिम निर्णय ले लिया है। इसी प्रकार हमें संयुक्त उद्योग लगाने के प्रस्ताव मोराको, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और टोगो से मिल चुके हैं। मोराको, ट्यूनीशिया, और अल्जीरिया ने संयुक्त उद्योगों के लिए रुचि दिखाई है। हम इन देशों के साथ मिलकर संयुक्त उद्योग लगाना चाहते हैं क्योंकि इन देशों में रॉक फोसफेट तथा गैस अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है और वे हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं। अत: हम संयुक्त उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है और जब भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे, हम उन्हें अन्तिम रूप देंगे।

उर्वरकों के मूल्यों के बारे में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनके मूल्य एक समान हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी कि एक किसान, जो किसी उर्वरक संयन्त्र के समीप रहता है, को एक मूल्य पर उर्वरक मिलेगा और दूसरा किसान जो उससे बहुत दूरी पर है, दूसरा मूल्य देना पड़ेगा। किसान चाहे को चीन में रहता हो या सिक्किम में, उसे उर्वरकों के लिए एक समान मूल्य देना पड़ेगा क्योंकि इस अन्तर को सरकार राजसहायता की मदद से पूरा करती है।

माननीय सदस्य यह भी जानने को उत्सुक थे कि संयन्त्र एवं मशीनरी के स्वदेशीकरण के बारे में नीति क्या है। जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे पास इन नए एककों की प्रौद्योगिकी है और हमने उसका आयात किया है। शर्त यह है कि प्रौद्योगिकी हमें अन्तरित की जानी चाहिए इसलिए

हमने इन्जीनियरिंग फर्मों की व्यवस्था की है यह फर्में सम्बद्ध फर्में हैं इनके नाम हैं पी० डी० आई० एल०, फैक्ट इन्जीनियरिंग, ई० आई० एल० आदि। कुछ इन्जीनियरिंग एकक भी उसके साथ सम्बद्ध हैं और वह इस प्रौद्योयिकी को अपना लेंगे। यद्यपि हमने प्रौद्योगिकी का बाहर से आयात किया है किन्तु जहां तक संयन्त्र एवं मशीनरी के निर्माण का सम्बन्ध है, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि एकक के लिए आवश्यक मशीनरी का 75 प्रतिशत भाग देश में ही निर्मित हो रहा है। हमने एक ही प्रौद्योगिकी के बारे में फैसला किया। इसका कारण यह था कि यदि एक प्रौद्योगिकी होगी तो स्थानीय निर्माताओं के लिए संयंत्र-निर्माण में सुविधा होगी। यदि भिन्न-भिन्न प्रौद्योगिकियां होंगी तो उन्हें उसके लिए भिन्न-भिन्न संगठन, भिन्न-भिन्न डिजायन और सब कुछ भिन्न भिन्न रखना होगा। इस प्रकार हमने डिजायन दिया, उन्होंने संयंत्र और मशीनरी का निर्माण किया और सप्लाई कर दिया। थाल परियोजना का जहां तक सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि यद्यपि इस पर 800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे, परन्तु विदेशी मुद्रा 29 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं होगी। शेष राशि हमारे अपने देश में खर्च हो रही है। हम देशीकरण के पक्ष में हैं। हम देशीकरण के बारे में कटिबद्ध हैं।

4 00 म०प०

एक सदस्य हल्दिया संयंत्र के बारे में जानते चाहते थे। मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि हल्दिया संयंत्र का इतिहास उतार-चढ़ाव पूर्ण रहा है। यह पहला संयंत्र है जिसमें हमने देशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का प्रयास किया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : क्या वह जिम्मेदार हैं या अन्य कोई कारण है। पानीपत के बारे में क्या है? नामरूप की स्थिति क्या है? हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दोष मत दीजिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : एक ऐसे सदस्य के साथ तर्क करना बहुत कठिन है जो मेरी पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी एक वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया हूं। मैं यह नहीं कहता कि केवल प्रौद्योगिकी ही जिम्मेदार थी। इस इकाई में हमने अपनी देशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का प्रयास किया, जिसमें हमने उत्पादों के विविधीकरण का प्रयास किया, जिसमें हमने भिन्न देशों के ऋणों का इस्तेमाल किया। हमने लगभग 12 या 13 देशों से ऋण प्राप्त किया है। केवल ऋण के लिए या उस ऋण को इस्तेमाल करने के लिए हमने उन देशों को मशीनरी सप्लाई करने को कहा। परिणामस्वरूप यद्यपि 1972 में इस पर काम आरम्भ किया गया था यान्त्रिक दृष्टि से 1976 में काम पूरा हो गया था, जब संयंत्र पूरा हो गया और परीक्षण के तौर पर चलाया जाने वाला था तब पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य विद्युत विभाग ने कहा कि उनके पास कोई विद्युत नहीं है और वे विद्युत सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। हम भी उन पर दबाव नहीं डाल सके और इसके बाद हमने आरक्षित विद्युत लगाने के बारे में सोचा जो लगा भी दिया गया है। हम चार या पांच वर्षों से इस कोशिश में हैं कि संयंत्र में उत्पादन शुरू हो। परन्तु सयन्त्र के आरम्भ

होने से पहले खराबी होनी आरम्भ हो गई है। इस प्रकार आप प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता और मशीनरी की गुणवत्ता देख सकते हैं।

श्री रेणुपद दास: कौन जिम्मेदार है।

सभापति महोदय: आप इसका उत्तर मत दीजिए। आप अपने ढंग से उत्तर देना। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री रेणुपद दास: जिम्मेदार कौन है, मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल: खराबियां शुरू हो गईं। जैसा कि मैंने कहा है लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद सयन्त्र एक दिन भी नहीं चला। हम नहीं जानते यह कब आरम्भ होगा। अब हमारे अधिकारी कहते हैं कि यह पहली अक्तूबर 1985 से आरम्भ होगा। हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। दुर्भाग्यवश, स्थिति यह है। इसीलिए मैंने कहा था कि हल्दिया परियोजना का इतिहास उतार-चढ़ाव पूर्ण रहा है। मैं इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार या अन्य किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने उर्वरकों की गुणवत्ता के बारे में कतिपय बातें उठाई थीं। एक माननीय सदस्य ने मिलावट की बात कही थी। एक माननीय सदस्य ने बाजार में नकली उर्वरक आने की बात कही थी। यद्यपि साझा उत्तरदायित्व है फिर भी मैं विनम्रता पूर्वक यह कहूंगा कि जहां तक उर्वरकों में मिलावट का सम्बन्ध है जहां तक उर्वरकों के वितरण, सप्लाई और गुणवत्ता का सम्बन्ध है, मेरे मंत्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कृषि मंत्रालय का सम्बन्ध है। मेरे विचार में कृषि मंत्रालय की मांगों पर सभा मे चर्चा होने वाली है। उस समय माननीय सदस्यों को पूरा अवसर मिलेगा। तब वे इस मुद्दे को उठा सकते हैं और मेरे सहयोगी कृषि मंत्री सरदार बूटा सिंह से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

इसके बाद, महोदय कुछ माननीय सदस्यों की यह धारणा थी कि हम उर्वरकों का काफी मात्रा में आयात कर रहे हैं। हम हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा उर्वरकों के आयात पर खर्च कर रहे हैं। मैं आपको आयात की मात्रा और उस पर खर्च की जा रही राशि के आंकड़े दूंगा।

1980-81 में 925.22 करोड़ रुपये का आयात किया गया, 1981-82 में 716.62 करोड़ रुपये का आयात किया गया, 1982-83 में 273.53 करोड़ रुपये का आयात किया गया, 1983-84 में 365.05 करोड़ रुपये का आयात किया गया और 1984-85 में 818.8 करोड़ रुपये का आयात किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे-जैसे हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे ही हमारे आयात में कमी होगी।

अब मैं औषधियों को लेता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : औषधियों के बारे में बोलने से पहले कृपया गैस पाइप लाइन की स्थिति स्पष्ट कीजिए ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक गैस पाइप लाइन का सम्बन्ध है, मेरे मंत्रालय का इससे संबंध नहीं है । यह मेरे मंत्रालय का विषय नहीं है । यह पेट्रोलियम मंत्रालय का विषय है । आप पेट्रोलियम मंत्रायय के प्रभारी मंत्री से यह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : वह मंत्री महोदय के भाषण में बाधा डाल रहे हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बाधा जयपाल रेड्डी नहीं समप्रोगेती डाल रही है ।

4.05 म०प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

श्री वीरेन्द्र हाडिल : महोदया, जहां तक औषधि उद्योग का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसा उद्योग है जहां सन्तोषजनक विकास हो रहा है । और यह कहना उचित नहीं है कि देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है । जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है सरकार की नीति रोगियों को उचित मूल्य पर पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने की है और इसके साथ-साथ उत्पादकों को उचित लाभ दिलाने की है । हमारी नीति यह है । महोदया, माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि औषधियों की कीमतें बढ़ रही हैं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं । ऐसी बात नहीं है क्योंकि यदि आप 1970-71 को आधार वर्ष बनाकर अन्य वस्तुओं की मूल्य सूची को देखें तो पायेंगे कि 1980-81 में अन्य वस्तुओं की कीमतों में 257.3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि आषधियों और दवाइयों की कीमतों में 137.8% तक वृद्धि हुई । 1984-85 में अन्य वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 341.7 था जबकि औषधियों की कीमत के विषय में यह केवल 191.7 था । यदि आप अन्य वस्तुओं के साथ दवाइयों की कीमतों की तुलना करें तो···

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : ये सब मदभरे आंकड़े हैं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं प्रामाणिक आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं । मैं प्रामाणिक सूचना पर आधारित आंकड़े उदधृत कर रहा हूं । औषधि निर्माण कम्पनी द्वारा चाहे वह बहुराष्ट्रीय कम्पनी हो या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत की कम्पनी हो या इस अधिनियम से बाहर की कम्पनी हो, भारी लाभ कमाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि 75 प्रतिशत दवाइयां मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत आती हैं । मूल्य नियन्त्रित हैं । मैं प्रक्रिया भी स्पष्ट करना चाहता हूं । वे अपनी इच्छानुसार मूल्य नहीं बढ़ा सकते । इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं है । 1979 में औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश लागू हुआ ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या आप उनके मूल्यकरण को स्वीकार करते हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उनके मूल्यकरण को स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। वे कुछ भी उत्पादित कर सकते हैं परन्तु औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के नाम से एक संगठन है जिसमें विशेषज्ञ हैं। वह संगठन प्रत्येक मूल्य की जांच करता है। मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित करते समय उन्हें औ० ला० यू० ब्यूरो के पास जाना पड़ता है। यह ब्यूरों अध्ययन के बाद मंत्रालय को सिफारिशें देता है। इस ब्यूरो की शिफारिशों पर मंत्रालय में अध्ययन किया जाता है और बाद में मंत्रालय में निर्णय लिया जाता है। किसी भी दवा निर्माता कम्पनी द्वारा भारत सरकार की अनुमति के बिना स्वयं मून्य बढ़ाने या मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए 75 प्रतिशत दवाइयों के विशेषरूप से जीवन रक्षक दवाइयों के और आवश्यक दवाइयों के मूल्य नियन्त्रित है और कोई भी मूल्य नहीं बढ़ा सकता है। सूत्र में ही यह निर्धारित किया गया है कि वे 8 से 13 प्रतिशत तक लाभ ले सकते है।

मैं दवाइयों के आयात और निर्यात का जिक्र कर रहा था इससे हमें स्पष्ट होगा कि उद्योग किस प्रकार विकास कर रहा है। हम दवाइयों का आयात भी कर रहे हैं और निर्यात भी। हम अधिकांशतः 'बल्क' औषधियों का आयात करते हैं और 'फार्मूलेशनों' का निर्यात करते हैं। जहां तक 'बल्क' औषधियों के आयात का सम्बन्ध है 1980-81 में हमने 112.81 करोड़ रुपये की औषधियों का आयात किया और 1983-84 में 163.34 करोड़ रुपये की औषधियों का आयात किया। जहां तक फार्मूलेशनों का सम्बन्ध है हमने 1980-81 में 85.50 करोड़ रुपये की औषधियों का और 1983-84 में 150 89 करोड़ रुपये की औषधियों का निर्याय किया वास्तव में आयात और निर्यात में -7 प्रतिशत का अन्तर है। इसका कारण यह है कि हमारे पास अच्छा निर्यात बाजार है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित फार्मूलेशनों का निर्यात कर रहें हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पुपुंज 'बल्क' औषधियों का जहां तक संबंध है देश में लगभग 350 'बल्क' औषधियां है और उनमें 220 या 225 की मेरे पास सूची है, हम इनका देश में ही उत्पादन कर रहे हैं। केवल कुछ दवाइयां ही ऐसी हैं जो 'फेरा' कम्पनियों द्वारा बनाई जा रही हैं या जिनका आयात किया जा रहा है। हम इन बल्क औषधियों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और इये जीवन रक्षक हैं और आवश्यक हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने मूल्य करण के बारे में कई मुद्दे उठाए हैं। आपने उनमें से बहुत से का उत्तर नहीं दिया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी 'फेरा' कम्पनियों की बहुत आलोचना कर रही थीं। 'फेरा' कम्पनियों के बारे में हमारी नीति यह है कि केवल उन क्षेत्रों में

अनुमति देने की है जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और 'बल्क' औषधियां बुनियादी स्तर पर बनाई जाती हैं। परन्तु कुछ ऐसी इकाइयां भी हैं जो हमारे आदेश आने से पहले कार्य कर रहे है। में उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकता, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। 'फेरा' कम्पनियों के संबंध में हमारी नीति यह है कि हम 1979 से उन्हें एक तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं और दूसरी और उन पर नजर रख रहे हैं। जहां तक 'फेरा' कम्पनियों का संबंध है हमारा दृष्टि कोण यह है कि केवल परिशिष्ट-1 के लिए राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख उद्योगों को अनुमति दी जाए।

दूसरी शर्त है यह कि प्रारम्भिक स्तर पर ही इसके लिए उच्च-प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होनी चाहिए। 1978 से 1984 के दौरान 'फेरा' कम्पनियों को 45 औद्योगिक स्वीकृतियां प्राप्त हुई जबकि भारतीत संगठित क्षेत्र की कम्पनियों को 732 स्वीकृतियां प्राप्त हुई। भारत में नई औषधियों को शुरु करने के संबंध में एक बड़ी प्रणाली है। अमरीका जैसे विकसित देश में जब नई औषधि स्वीकृत हो जाती है तब भी भारत नई औषधि से सुरक्षा और उसका प्रभाव जानने के लिये स्वतन्त्र रूप से क्लिीनीकल परीक्षण और जांच का आग्रह करता है। फेरा कम्पनियों को अपने फार्मूलेशन्स की तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाली दवाइयां बनाने की अनुमति है यह अनुमति नहीं है कि 'बल्क' औषधियां किसी और से लेकर फार्मूलेशन्स बनाएं। इसकी अनुमति नहीं है। भारतीय कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र के 30 से 40 प्रतिशत की तुलना में फेरा कम्पनियों को 'नान-ऐसोसिएटिड फार्मूलेशन्स के संबंध में 50 प्रतिशत की अनुमति है। 'फेरा कम्पनिया' नए ऋण लाइसेंस की पात्र नहीं है। इस प्रकार फेरा कम्पनियों पर ये प्रतिबन्ध हैं और में माननीय सदस्यों को यह अवश्य बताना चाहूंगा कि देश में थोड़ी सी 'फेरा' कम्पनियां रह गई हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उनकी इक्विटी है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अधिकांश फेरा कम्पनियों ने हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार हमारे निदेशों के अनुसार अपनी पूंजी कम कर ली है। वे अब 'फेरा' कम्पनियां नहीं है। वे भारतीय कम्पनियां हैं। कुछ ही फेरा कम्पनियां शेष हैं और उन कुछ शेष कम्पनियों पर भी प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

श्री एस० जयपाल रड्डी : क्या यह सच हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां मुख्य रूप से फार्मूलेशन्स के उत्पादन में लगी हैं जिसके लिए उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं स्थिति पहले स्पष्ट कर चुका हूं। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि हम फेरा कम्पनियों को कैसे और किस प्रकार तथा किन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा यह बात कही गई है कि सरकार औषधि नीति की पुनरीक्षा कर रही है और उनके अनुसार इसका पुनरीक्षण केवल बहुराष्ट्रीय अथवा बड़ी दवा कम्पनियों की, सहायता करने के लिए किया जा रहा है ऐसी बात नहीं है। यह सच है कि औषधिनीति की

पुनरीक्षा की जा रही है। मेरे से पहले जो मन्त्री जी थे मेरे विचार में श्री साठे थे, उन्होंने इस नीति की जांच हेतु विकास परिषद् का गठन किया था और जैसा कि मैंने कहा है कि नीति यह है कि पर्याप्त मात्रा में, अच्छी किस्म की तथा उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं और निर्माताओं को उचित लाभ मिले। इस प्रकार विकास परिषद में तीन कार्यकारी दल नियुक्त किए गए थे—औद्योगिक स्वीकृति हेतु कार्यकारी दल, मूल्य नीति और प्रक्रिया संबंधी कार्यकारी दल तथा औद्योगिक विकास संबंधी कार्यकारी दल। इन कार्यकारी दलों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिए हैं और इनके प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए एक स्टीयरिंग समिति नियुक्त की गई थी। स्टीयरिंग समिति ने प्रतिवेदन पर विचार किया और प्रतिवेदन मुख्य विकास परिषद् को, अर्थात् राष्ट्रीय औषधि और फार्म यूटिकल विकास परिषद को प्रस्तुत किया गया और उस परिषद ने प्रतिवेदन पर विचार किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सिफारिशों का संबंध है समिति एक मत नहीं है। एक या दो मुद्दों पर सहमति है।

महोदय, सभा को पुनः विश्वास में लेते हुए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जहां तक औषधि उद्योग का संबंध है कई गुट कार्य कर रहे हैं। ये गुट एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब यही कठिनाई है। रिपोर्ट के बारे में भी एकमत नहीं है। मूल्य नियंत्रण की जाने वाली दवाईयों की संख्या या उनके मूल्य बढ़ाने और अन्य बातों के बारे में सर्व सम्मति हो सकती है। यह एक भिन्न मामला है।

परन्तु इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद तथा औषधि विकास परिषद द्वारा उस पर विचार किए जाने के पश्चात मेरे पूर्ववर्ती मंत्री ने परामर्शदात्री समिति को वचन दिया था कि रिपोर्ट को रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा उक्त समिति के सदस्यों की राय जानकर ही सरकार अन्तिम निर्णय लेगी। इस समय इसकी स्थिति यह है। हमने अभी परामर्शदात्री समिति के समक्ष यह रिपोर्ट नहीं रखी है। अब परामर्शदात्री समिति गठित हो गई है। मैं शीघ्र ही इस रिपोर्ट को परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखूंगा जिससे सदस्यों को इस पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। अभी तक सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। अतः मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा मूल्य बढ़ाने, तथा अन्य बातों पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। अभी यह विचाराधीन है। तथा मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अन्तिम रूप देकर इस पर निर्णय यथाशीघ्र ले पाऊंगा। यदि सभी निर्माता सर्व-सम्मति से निर्णय करके हमारे पास आयें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कभी ऐसा होगा ? वे बहुत ऊंचे मूल्य मांगते हैं।

(व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र पाटिल : वे कुछ भी मांग सकते हैं। हम उन्हें मुंह मांगा नहीं दे सकते। इसका निर्णय करने के लिए हमारा अपना तंत्र है। सरकार का ध्यान दवाईयों के उपभोक्ताओं पर सर्वा-

धिक है, यह बात नहीं है यदि निर्माता मिलकर अपने प्रस्ताव लाते हैं तो हम उन्हें मान लेंगे। परन्तु मेरा कहना है कि भिन्न-भिन्न मतों के कारण यदि वे मिल कर आयें तो अच्छा रहेगा तथा उससे सरकार को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : जहां पर उनकी लॉबी भी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : औषध उपभोक्ताओं की अपनी बड़ी लॉबी होनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : एक बात, जिस पर बहुत से सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किये हैं, वह आई० डी० पी० एल० तथा अन्य औषधि निर्माता संगठनों के असंतोषजनक कार्यों के बारे में है। मैं मानता हूं कि आई० डी० पी० एल, एच० ए० एल० तथा 3-4 अन्य पंश्चिम बंगाल की औषधि निर्माता कम्पनियां हैं। स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट जिसे हाल में कुछ लाभ हुआ है या बचत हुई है को छोड़ कर सभी कम्पनियों ने घाटा दिखाया है। इस तथ्य से मैं इनकार नहीं करता। मेरा यह कहना है कि मैं इन एककों विशेषकर आई० डी० पी० एल० का समर्थन नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आई०डी० पी० एल० को भारी हानि हुई है।

कुछ सदस्यों ने आई० डी० पी० एल० के बारे में मत व्यक्त किये हैं। मेरे विचार में और उस सदस्य श्री जयपाल सिंह रेड्डी ने पूछा। कि यह कैसी बात है कि यद्यपि आई० डी० पी० एल० को भारी हानि हुई है। फिर भी इसने इन्डेन्टिंग ऐजेन्ट नियुक्त किये हैं। मैं सभा को केवल यही बता सकता हूं जैसाकि मैंने पहले कहा है कि मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं यह बात अत्यन्त स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार इन संगठनों के हानि पर चलने से खुश नहीं है। अतः मैं इस समस्या पर स्वयं ध्यान दूंगा। इस सूत्र की समाप्ति के बाद मैं शीघ्र ही आई० डी० पी० एल० तथा एच० ए० एल० का निरीक्षण करूंगा। तथा इस बात पर ध्यान दूंगा। कि इनके घाटा क्यों हो रहा है, यह घाटा कम कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार यहएकक लाभ में चल सकते हैं?

श्री जयपाल रेड्डी : ये इन्डेंटिंग ऐजेंट क्यों नियुक्त किए गये हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक इन्डेंटिंग ऐजेंटों का प्रश्न है निस्सन्देह मैं इसकी जांच करूंगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इनमें से अधिकांश औषधियां संस्थाओं को सप्लाई की जाती रही हैं। जहां तक इन संगठनों का प्रश्न है, इनकी बिक्री न्यूनतम है। आई० डी० पी० एल० की व्यावसायिक बिक्री कुल बिक्री का 1.9% भी नहीं है। इन संस्थाओं का पूरा माल उन संस्थाओ अर्थात् केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अस्पतालों को जाता है। मैं इस प्रश्न से सहमत हूं कि जब सप्लाई सरकारी संगठनों को की जाती है तब इन्डेंटिंग ऐजेंटों की क्या आवश्यकता है। मैं देखूंगा कि यह एजेन्सी प्रणाली समाप्त की जाये। मैं इस बात के बारे में ब्यौरे दूंगा कि उन एककों को घाटा क्यों हो रहा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) आई० डी० पी० एल० में व्यवस्था की स्थिति क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इसका भी जवाब क्या दूंगा। मैं श्री जयपाल रेड्डी को बताना चाहता था कि उसे इन्डेंटिंग एजेन्ट नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। माननीय सदस्य को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यद्यपि आई० डी० पी० एल० हमारा सरकारी क्षेत्र का एकक है और भारत सरकार ने तथा कार्यभार संभालने के बाद स्वयं मैंने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। कई राज्य सरकारें अभी भी अपने एकक रखना चाहती हैं। अभी भी वे अपने छोटे एकक रखना पसंद करती हैं ताकि वे आई० डी० पी० एल० की तुलना में इससे अपनी औषधियां लेना अधिक पसंद करते हैं। जब वे दवाइयां लेने भी हैं तो वे मूल्य नहीं अदा करते। मैं इसके आंकड़े दूंगा। हालात इस तरह के हैं। अतः इस बात का आपको पता लगाना है कि क्यों वे अपने एकक पसंद करते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने भूतपूर्व मंत्री के निजी सचिव द्वारा आई० डी० पी० एल० को दिल्ली, मध्य-प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के लिए एजेंट नियुक्त करने के बारे में पत्र का उल्लेख किया था।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं। यदि मेरी संतुष्टि हो जाती है तो मैं देखूगा कि यह प्रथा समाप्त हो जाये। इसके लिए मैं और क्या कर सकता हूं। मेरा इस बारे में स्पष्ट विचार हैं। अब उन्होंने उसकी ओर मेरा ध्यान दिलाया है। यदि इस पद्धति को जारी रखने का कोई वैधकरण नहीं है तो मैं देखूंगा कि इस पद्धति को यथा-शीघ्र समाप्त कर दिया जाए। इसलिए मैं इसकी जांच करना चाहता हूं। मैं बहुत से सदस्यों द्वारा लगाये गये विभिन्न आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि तुरन्त कुछ कहना कठिन है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये इन आरोपों पर मैं पूरा ध्यान दूंगा। इसी कारण मैंने कहा कि मैं इन सरकारी उपक्रमों का समर्थन नहीं करता हूं। कहीं न कहीं कोई षडयन्त्र हो सकते हैं। यदि माननीय सदस्य किसी घटना की सूचना मुझे देंगे तो निश्चय ही मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। हम इस मामले की जांच करायेंगे तथा इनके लिए जो कोई भी उत्तरदायी होगा उनके लिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे दण्ड दिया जाये।

मैं कह रहा था कि इन सरकारी उपक्रमों में हानि क्यों हो रही है। यह इसीलिए है कि आई०डी०पी०एल०,एच०ए०एल० तथा अन्य एककों में केवल जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन हो रहा है जो कि वर्ग एक तथा दो में आती हैं और ये अनिवार्य औषधियां हैं, इन जीवन रक्षक औषधियों की मूल्य वृद्धि 40% तथा 55% है, यह वृद्धि लाभ नहीं है। इसमें कमीशन, परिवहन, प्रभार, प्रचार इत्यादि सभी कुछ सम्मिलित हैं तथा वे लगभग 8 से 30 प्रतिशत तक वापिस भी करते हैं। परन्तु वर्ग I तथा वर्ग 'ख' की औषधियों के मामले में मूल्य वृद्धि सीमित है तथा ये औषधि

उद्योग उन आवश्यक औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं जिनका उत्पादन निजी उद्योग नहीं करना चाहते, अब निजी पार्टियां आगे आई हैं; बहुराष्ट्रिक फर्में भी आगे आई हैं। अनेक छोटे उद्योग भी इनका निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। अब स्थिति भिन्न है। आई०डी०पी०एल० तथा एच०ए०एल की पेंसिलीन तथा अन्य औषधियों के लिए स्थापना के समय स्थिति यह थी कि उस समय निजी क्षेत्र इसमें आगे नहीं आ रहा था, तथा प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध नहीं थी। जो कुछ भी प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी उसे लिया गया जो कि अंततः पुरानी पड़ गयी, तथा हमें दूसरी प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ा। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि जहां तक औषधि उद्योग का प्रश्न है इसमें परिवर्तन इतनी जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि जो औषधि आज किसी रोग के लिए चल रही है उसी रोग के लिए छः महीने में दूसरी औषधि चल पड़ती है। अतः जब औषधियां बदल रही हैं तो उनकी मांग भी नहीं रहती। रोगी या उपभोक्ता श्रेष्ठ औषधियां चाहता है। वे औषधियों को इसलिए क्यों लेना पसन्द करें कि इनका उत्पादन सरकारी उपक्रमों द्वारा होता है। इसी कारण हमें अधिकांशतः संस्थागत बिक्री पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं कह रहा था कि राज्य सरकारें भुगतान नहीं कर रही हैं। इस समय जो दो आंकड़े पास हैं मैं उन्हें बता सकता हूं। आई०डी०पी०एल० को विभिन्न संस्थानों से 13.72 करोड़ रुपए लेने हैं। राज्य सरकारें औषधियां ले लेती हैं, वे अदायगी नहीं करती। हम उन्हें लिखते हैं, वे परवाह नहीं करते। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य 13.72 करोड़ रुपए पर ब्याज का हिसाब लगायें। वे ब्याज भी नहीं देतीं। यदि वे तुरन्त अदायगी करेंगी तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं नहीं चाहता कि वे ब्याज दें। परन्तु ब्याज ही 2.45 करोड़ रुपए बैठता है। इतना ही नहीं, एच०ए०एल० की 11.20 करोड़ रुपए राशि बकाया है। उन्हें भी पैसा नहीं मिल पा रहा। वे क्या कर सकते हैं।

वे राज्य सरकारों पर मुकद्दमा करें या क्या करें? वे मुझे सूचित कर देते है तथा मैं राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखता हूं। एक ओर तो मैं उनसे इन औषधियों के उपयोग और खरीद के लिए कहता हूं और जब वे दवाइयां खरीदते हैं तो इनका मूल्य नहीं चुकाते। यदि हम अदायगी के लिए आग्रह करते हैं तो वे कहते हैं कि वे औषधियां नहीं खरीदेंगे। नकद अदायगी का तो प्रश्न ही नहीं हैं। कभी-कभी वे मुझसे कहते हैं कि वे आई०डी०पी०एल० तथा अन्य एककों की औषधियां क्यों खरीदें? दुर्भाग्य से राज्य सरकारों का यह रवैया है। अब प्रौद्योगिकी को लें। जैसा कि मैंने बताया कि प्रौद्योगिकी पुरानी पड़ गयी है तथा हमें नई प्रौद्योगिकी की खोज करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया उनकी बिक्री का प्रतिशत अत्यन्त कम है। उनकी क्षमता का उपयोग कम है। हम आई०डी०पी०एल० तथा अन्य एककों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। हरिद्वार में 100 प्रतिशत बिजली की कटौती रही है जहां पर आई०डी०पी०एल० का हमारा एक एकक है। शत-प्रतिशत बिजली की कटौती से हम अपनी क्षमता का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमें राज्य बिजली बोर्डों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को लिखा कि कृपया हमें इससे बचायें, क्योंकि हमारे पास अपने संयन्त्र नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : सभी सरकारी उपक्रमों को इस कारण कठिनाई उठानी पड़ रही है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : आप अपने विद्युत संयन्त्र रखें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल . इसीलिए हम अपने विद्युत संयन्त्र लगाने की बात सोच रहे हैं। मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं कि उर्वरक संयंत्रों के लिए हमने नीति बनायी है कि अपने विद्युत संयन्त्र रखेंगे। उसी प्रकार आई०डी०पी०एल० में हम निजी विद्युत संयन्त्र लगाने की बात सोच रहे हैं। यदि हम निजी संयन्त्र लगाते हैं तो उत्पादन लागत अधिक होगी। इसका आई०डी०पी० एल० की उत्पादन लागत पर भी असर पड़ेगा। अन्यथा हमें हानि उठानी पड़ेगी अथवा औषधियों के मूल्य बढ़ाने पड़ेंगे। इस कुचक्र के कारण एककों को हानि उठानी पड़ रही है।

इसी प्रकार कच्चे माल के बारे में भी स्थिति वैसी ही है। मुजफ्फरपुर में आई०डी०पी० एल० का एक एकक है। उसके शराब उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार हमें मदद नहीं कर पाई। वहां का एकक क्या कर सकता है। ऐसे अनेक एकक हैं। मैं समझता हूं कि शराब की कमी के कारण हैदराबाद का एकक भी हानि उठा रहा है।

ये कुछ बाधाएं हैं जिनके कारण सरकारी उपक्रमों में घाटा हो रहा है तथा हम निश्चय ही इस मामले पर ध्यान देंगे। हम इन कठिनाइयों पर विचार कर रहे हैं तथा हम पता लगायेंगे कि हम इस स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं।

अन्त में मैं रसायनों को लेता हूं। मैं नहीं समझता कि इन पर मुझे अधिक कहने की आवश्यकता है। हम अधिक रसायनों का उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सदस्यों से सहमत हूं कि जहां कहीं भी हमें रसायनिक कारखाने लगाने हैं। हम भोपाल दुर्घटना के कुछ अनुभव के कारण उसे नगरीय क्षेत्रों से दूर रखेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हल्दिया पेट्रो-रासायनिक फैक्टरी की क्या स्थिति है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरा इससे सम्बन्ध नहीं है। जब उस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार होगा। तो आप मंत्री से पूछ सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वैसा हम करेंगे परन्तु हम आपकी सहायता चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं कुछ नहीं कह सकता।

सोडा ऐश के बारे मैं समझता हूं कि हम उसका उचित मात्रा मे उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। कई उपभोक्ता अनुभव करते हैं कि उसका उत्पादन पर्याप्त नहीं है तथा इसीलिए उसे अंशतः ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखा गया है। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

मैं समझता हूं कि शराब और शीरा के बारे में श्री, चन्द्रशेखरप्पा जानना चाहते थे। इसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सीरे की कमी है और हम अपनी मद्यनिर्माणशालाओं में सीरे का पर्याप्त उत्पादन करने में समर्थ नहीं हैं।

हाल ही में हमने शीरा नियंत्रण बोर्ड की बैठक की थी। भिन्न भिन्न राज्यों के मन्त्री, जो इसके सदस्य हैं, इस बैठक में भाग लेने के लिए आए थे। जहां तक शीरा तथा मदिरा का सम्बन्ध है केवल कुछ ही राज्य हैं जिनमें यह अधिक मात्रा में है दूसरे, ऐसे राज्य हैं जिनमें यह काम है। समन्वय कर्ता के रूप में हमें यह देखना पड़ता है कि जहां कहीं भी यह फालतू है इसे कमी वाले क्षेत्रों में हमें भेजना पड़ता है। बस हम यही सब कार्य करते हैं। मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि पिछले दिनों से पेय मदिरा की मांग बढ़ रही है, क्योंकि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि पैसा काफी है। इसीलिए इसकी मांग बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से राज्य सरकारें यह महसूस करती हैं कि यदि वे पेय प्रयोजनों के लिए अधिक मदिरा सप्लाई करेंगी तो उन्हें अधिक रजस्व मिलेगा। यह सच है कि कर्नाटक राज्य, ने जिसके पास मदिरा कुछ अधिक मात्रा में है, अपने पड़ोसी राज्यों को मदिरा सप्लाई की है। नीति यह है कि जब भी फालतू मदिरा उत्पादक राज्य, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य को मदिरा सप्लाई करना चाहते हैं तो इन्हें यह केन्द्रीय सरकार की अनुमति से करना पड़ता है, क्योंकि हम तो समन्वयकारी प्रधिकारी हैं। यदि किसी राज्य में यह अधिक मात्रा में है, तो इसे हमें यह बताना होगा कि कितनी मात्रा में यह फालतू है ताकि हम अन्य पड़ोसियों को इसे दे सकें। मैंने उन्हें यह तथ्य बताया। जहां तक मदिरा की आवश्यकता का सम्बन्ध है मैंने उन्हें बताया कि पहले तो औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके बाद यदि कुछ मात्रा बच जाए तो उसे वे पेय प्रयोजनों के लिए वितरित या आबंटित कर सकते हैं। पेय प्रयोजनों के लिए अब खपत बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी सीमा का अन्त नहीं है। वाकई उसमें काफी मात्रा में राजस्व मिलता है। हमारे अनुमान के मुताबिक चालू वर्ष में मदिरा का उत्पादन सारे देश में 6000 लाख लिटर है। मैं यह नहीं जानता कि क्या यह भी काफी अधिक है। यदि हम मांग पर विचार करते हैं तो यह लगभग 8600 लाख लिटर बैठती है। इसीलिए इसमें 2600 लाख लिटर की कमी है। इस कमी को कैसे पूरा किया जाए? इसीलिए हमने विस्तार से चर्चा की थी। हमने एक उपसमिति नियुक्त की थी तथा उस उपसमिति में यह निर्णय लिया था कि पेय मदिरा की उपलब्धता को सन् 1982-83 के खपत तक लाया जाए तथा गत औद्योगिक मदिरा वर्ष की खपत में 10 प्रतिशत जोड़ कर औद्योगिक मदिरा उपलब्ध कराई जाए। यह अतिरिक्त मदिरा फालतू मदिरा वाले राज्यों से दी जानी चाहिए। इसीलिए, जहां तक मदिरा का सम्बन्ध है, किसी तरह की कमी नहीं आ सकती। उसके बावजूद हमने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक तौर पर यह व्यवस्था की है कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जितनी भी मदिरा चाहिए वह आयात की जा सकती है परन्तु सीमा शुल्क शून्य के बराबर होना चाहिए। औद्योगिक मदिरा का कोई भी वास्तविक उपभोक्ता बिना कोई सीमा शुल्क दिए औद्योगिक मदिरा आयात कर सकता है। हमने यह व्यवस्था की है। जहां तक औद्योगिक मदिरा का सम्बन्ध है, हम स्थिति का सामना करने के लिए अधिकतम प्रयास कर रहे हैं।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने बहुत सारे रचनात्मक सुझाव दिए है तथा वादविवाद का स्तर भी ऊंचा रखा है। मैं वास्तव में माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : औद्योगिक मदिरा के बारे में अब पाप न्यायसंगत वितरण करने जा रहें हैं ? क्या आप का विचार औद्योगिक मदिरा को राष्ट्र के महत्त्व की वस्तु घोषित करने का है जैसा कि आपने कोयला, लोहा तथा इस्पात के मामले में किया है ? हमारा एक कटु अनुभव यह है कि कुछ वर्ष पहले पश्चिम बंगाल के उद्योग औद्योगिक मदिरा के बिना परेशान थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को औद्योगिक मदिरा के बारे में लिखा था। उन्होंने आपके मन्त्रालय को भी लिखा था तथा महाराष्ट्र से औद्योगिक मदिरा उपलब्ध करने की अनुमति उन्हें मिल गई। परन्तु तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मदिरा देने से इन्नकार कर दिया तथा उसी कारण से वहां के उद्योग को नुकसान पहुंचा है। इसलिए इस खस्ता हालत को आप कैसे दूर करने जा रहे हैं ?

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इसका उत्तर पहले दे दिया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जहां तक मदिरा के वितरण अथवा आबंटन का सम्बन्ध है, भारत सरकार केवल समन्वयकर्ता का कार्य करती है। हम आबंटन के आदेश देते हैं। यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पास अधिक मद्य-निर्माण शालायें न होने के कारण वह पर्याप्त मदिरा उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल में मदिरा की काफी कमी है। फालतू मदिरा वाले राज्यों से हम अनुरोध कर रहें हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की जितनी भी वास्तविक आवश्यकता है उसे वे उपलब्ध करायें। कभी-कभी आदेशों का पालन करने में उन्हें संकोच होता है। जहां तक सम्भव होगा, हम अपने प्रभाव का पूरा प्रयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे सहायता दी जाये।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने मानकों तथा पद्धति के अनुसार आबंटन करने के बावजूद भी तथा इसके बावजूद भी कि महाराष्ट्र ने पश्चिमी बंगाल को मदिरा की कुछ मात्रा भेजनी थी, अन्तुले सरकार ने आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था जिसके कारण अतकली केमिकल्स को छः महीने के लिए बन्द करना पड़ा, जिसमें 4000 लोग काम करते थे। इसीलिए प्रश्न यह है कि सरकार अपने आबंटन आदेशों को लागू कराने के लिए क्या करने जा रही है।

सभापति महोदय मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करना चाहूंगी कि सभी स्पष्टीकरणों को नोट कर लें तथा उनका अन्त में उत्तर दें।

श्री अमल दत्त : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मन्त्री के रास्ते में बाधक न बनें। यदि मन्त्री ने पहले ही मान लिया हो...

[व्यवधान]

सभापति महोदय : मैं उनसे पहले ही अनुरोध कर चुकी हूं कि वह सभी स्पष्टीकरण नोट कर लें तथा अन्त में उत्तर दें। आपको जवाब चाहिए; वह जवाब दे देंगे...

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : महोदय, मैं बड़े ध्यान से उर्वरक परियोजनाओं के बारे में मन्त्री का जवाब सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र संगठन अमोनिया प्रक्रिया के बारे में स्नाम प्रोगेट्टी तथा हाल्डोर टोपसो द्वारा दी गई प्रौद्योगिकी का उत्तरोत्तर इस्तेमाल कर रहे हैं तथा अपना रहे है। मैं नहीं जानता कि क्या उनके द्वारा उपयोग करने के लिए कुछ है भी, क्योंकि पी० डी० आई० एल० स्वयं इस प्रक्रिया को भलीभांत जानता है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस प्रौद्योगिकी के साथ संयन्त्र को सप्लाई किए जाने वाले 70 प्रतिशत उपकरण स्वदेशी हैं। यहां मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं तथा मन्त्री से पहले यह पूछना चाहता हूं कि हाल्डोर टोपसो को सन् 1980 में भारत सरकार द्वारा आर्डर दिए जाने के बाद क्या उसे किसी अन्य देश से भी किसी उत्प्रेरक के लिए या किसी प्रौद्योगिकी करार के अन्तरण के लिए आर्डर प्राप्त हुए हैं। दूसरे वह स्वदेशीकरण की बात करते हैं। 1968 में जिस उपकरण का निर्माण हमने किया था तथा दुर्गापुर संयन्त्र को सप्लाई किया था उसी को हाल्डोर टोपसो आयात कर रहा है तथा हमें बेच रहा है। मैं आपको नाम भी बता दूंगा। एक नाम है, अमोनिया चिल्लर। क्या आप उनकी सूची की जांच करेंगे ? यही आप नहीं कर रहे हैं। जब मैं यहां शिकायत करता हूं तो आप बहुत चीजों के बारे में बात करने लग जाते हैं। मैं एक विशेष बात कह रहा हूं। क्या आप स्नाम प्रोग्रेट्टी तथा हाल्डोर टोपसो की आयात सूचियों की जांच करेंगे ? आत्म निर्भरता के आधार पर हमें इसका निर्माण करने तथा आगे बढ़ने से रोका जा रहा है तथा उन्हें आयात की अनुमति दी जाती है। इसी लिए क्या आप मुझे बतायेंगे कि क्या यह सच है ? दूसरे-जो बहुत ही गम्भीर बात भी है— वह है पी० डी० आई० एल० उत्प्रेरक के बारे में, जो हमने सप्लाई किया था तथा जो हर जगह कार्य कर रहा है...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, आपने बोलना शुरू कर दिया। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नहीं मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपमें काफी धैर्य है। मैं जानता हूं कि आप धैर्य के लिए प्रसिद्ध हैं एक दो मिनट के लिए मेरी बात भी मानिए...

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसीलिए, ये चीजें हैं। यदि आप मुझसे नहीं पूछना चाहतीं...।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं बाद में एक के बाद दूसरा प्रश्न उठाता रहूंगा । तदि आप चाहती हैं कि मैं बैठ जाऊं, तो अब मैं बैठ जाऊंगा ।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसीलिए, पी० डी० आई० एल० उत्प्रेरक के बारे में मेरी शिकायत यह है कि दो वर्ष से आप रिपोर्ट लेकर बैठे हैं, विस्तार सम्बन्धी रिपोर्ट पर– जो कि पी० डी० आई० एल० की मांग है। तथा इसके बाद भी हाल्डोर टोपसो में पुराने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है । यह हम कब तक जारी रखेंगे ? पहले आपने इसका जवाब यह दिया था कि उन्होंने अतिरिक्त जनशक्ति प्रदान की है । अतिरिक्त जनशक्ति का क्या सम्बन्ध जब आपने सिन्द्री संयन्त्र ही बन्द कर दिया ? क्या यही जवाब है ? क्या आप इसके बारे में मुझे बतायेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलामनबी आजाद) : ठीक है, इन सब चीजों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है । अब कोई मौजूद नहीं है, वे सब काफी या चाय पी रहे हैं । ये सभी बातें माननीय सदस्यों ने बताई थीं। इनमें से बहुत सी बातें पहले ही उठायी जा चुकी हैं तथा उनका जवाब भी दे दिया गया है ।

सभापति महोदय : मंत्री को कहने दीजिए, कि वह पहले इनका जवाब दे चुके हैं ।

श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा : मैं माननीय मन्त्री से एक बात जानना चाहता हूं । 14 फर० को कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने भारत सरकार से महाराष्ट्र से एक लाख मीट्रिक टन शीरा आवंटन करने के लिए निवेदन किया था तथा उसी दिन अर्थात् 14 फरवरी को ही आपने कर्नाटक के मुख्य मन्त्री को एक पत्र लिखा कि ऐसी रिपोर्ट आई हैं कि कर्नाटक से मदिरा तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश की एककों में गैर कानूनी ढंग से जाती है । इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि एक ओर तो वे यह कहते हैं कि मदिरा की कमी है तथा दूसरी ओर वे मदिरा केरल को बेच रहे हैं, मदिरा के इस विक्रय के बारे में क्या आप ने भारत सरकार की अनुमति ले ली है या क्या केरल सरकार ने उस अप्रयुक्त मदिरा के उपयोग के बारे में केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले ली है ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि रॉक फास्फेट की अवेलेबिलिटी यहां पर बहुत कम है, लेकिन राजस्थान में रॉक फास्फेट काफी बड़ी तादाद मे मिलता है और दूसरा पाइराइट सलादीपुर में बहुत बड़ी तादाद में मिलता है तो क्या सलादीपुर में सुपर-फास्फेट का कारखाना लगाया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं ।

दूसरी बात पेस्टीसाइड्स के बारे में जानना चाहता हूं । आज देश भर में नकली पेस्टीसाइ-

ड्रस भारी तादाद में मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत तकलीफ है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस तरह के जो लोग फर्जी पेस्टीसाइड्स बनाते हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मेरा एक प्रश्न है। मन्त्री ने मदिरा की समस्या के बारे में अभी जवाब दिया है। क्या मन्त्री इस बात से अवगत हैं कि जब भारत सरकार किसी औषध-निर्माण एकक को लाइसेंस देती है तो कच्चे माल को सुनिश्चित करने की भी उसकी जिम्मेदारी होती है तथा राज्यों द्वारा उत्पादित शीरे जिससे मदिरा को नियन्तणाधीन रखा जाता है? सभी राज्यों को मदिरा जिसकी आवश्यकता औषधि निर्माण में होती है, का वितरण करने के लिए क्या मन्त्री इस पर राष्ट्रीय नीति के मामले के रूप में विचार करेंगे? मन्त्री कहते हैं कि उन्होंने आई० डी० पी० एल० तथा एच० ए० एल० का दौरा किया है। कलकत्ता में विस्तार कार्यक्रम देखने के लिए भी दौरा करेंगे?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री ने कहा है कि सरकार ने, अमोनिया के बारे में हाल्डोर टोपसो की प्रौद्योगिकी, तथा यूरिया के बारे में, स्नाम प्रोजेक्ट्टी की प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए नीति सम्बन्धी, निर्णय ले लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह निर्णय कब लिया वह कौनसी तकनीकी रिपोर्ट थी जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : वह इसका जवाब पहले दे चुके हैं। उन्हें दोबारा बोलने की अनुमति देने का क्या फायदा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्री अपने आपको बचाने में बहुत समक्ष हैं, वह अपना बचाव कर सकते हैं।

(व्यवधान)

दूसरे, क्या माननीय मन्त्री सभा को बतायेंगे कि आई० डी० पी० एल० ने स्थानापन्न चेयरमैन को अभी तक क्यों रखा हुआ है? वह पूर्णकालिक चेयरमैन क्यों नहीं रखता तथा आप यह कैसे उम्मीद रखते हैं कि आई०डी०पी०एल० अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक कार्य करने लगेगा?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्री अमलदता यह जानना चाहते थे कि सरकार इस स्थिति में क्या करने जा रही है जबकि इसके अपने आबंटन आदेशों को ही राज्य सरकारें लागू नहीं कर रही हैं। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, मदिरा तथा शीरा के आबटन के मामले से यह केवल एक समन्वय कर्त्ता है। हम आवंटन करते हैं तथा यह उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें उनसे यह सलाह करें कि कितनी मदिरा फालतू है, और उसके बाद हम आवंटन करते है तथा यह उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें इस वचन को पूरा करेंगी। यह सच

है कि कुछ ऐसे दुःखद मामले हमारे ध्यान में आते हैं। यद्यपि आबंटन आदेश होते हैं परन्तु राज्य सरकारें उन्हें पूरा नहीं करतीं। इसलिए मैंने कहा कि हम वचन तथा मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए आबंटन आदेश को पूरा करने के लिए हम अपने प्रभाव का प्रयोग करके राज्य सरकारों को राजी करने की भरसक कोशिश करेंगे। तथा मान लीजिए कि मदिरा के आबंटन आदेश के बावजूद भी आबंटन आदेश पूरा नहीं किया गया तो, जैसा कि मैंने अभी कहा है, हमने औद्योगिक मदिरा का आयात आसान तथा सीमा शुल्क रहित कर दिया है तथा यदि पश्चिम बंगाल सरकार आबंटन आदेश के बाद भी पर्याप्त मात्रा में मदिरा मिलने में कोई परेशानी महसूस करती है तो अपनी वास्तविक आवश्यकता के बारे में मुझे बता सकती है। उस सीमा तक मैं अनिश्चित करूंगा कि वह किसी भी देश से औद्योगिक मदिरा बिना कोई शुल्क दिए आयात कर सकती है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन यह पूछना चाहते थे कि अमोनिया के लिए प्रौद्योगिकी की सप्लाई के लिए हाल्डोर टोपसो के चयन से पहले क्या उन्हें किसी देश से अर्डर प्राप्त हुआ था ? (व्यवधान) बाद में या पहले मुझे यह नहीं पता। हमें कैसे पता लग सकता है ? यदि माननीय सदस्य की दिलचस्पी हो (व्यवधान) तो मैं निश्चित रूप से इस सूचना को एकत्रित करके उन्हें बता दूंगा।

इसी प्रकार से पी०डी०आई०एल० उत्प्रेरक के बारे में भी, मैं जानकारी एकत्रित करके उन्हें भेज दूंगा। हाल ही में माननीय सदस्य कुछ जानना चाहते थे (व्यवधान) मैं बहुत सतर्क हूं, क्योंकि बिना तथ्यों को जाने ही किसी चीज के बारे में ऐसे ही कहना ठीक नहीं है परन्तु मैं निश्चिय ही माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि यहां किसी जानकारी को दबाने या छुपाने के लिए नहीं हूं। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वह मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं अवश्य ही माननीय सदस्य को लिखूंगा।

श्री टी०वी० चन्द्रशेखरप्पा यह जानना चाहते थे कि क्या कर्नाटक राज्य सरकार अथवा कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने मुझे एक लाख मी० टन शीरा आबंटित करने के बारे में कोई पत्र लिखा था अथवा नहीं। जी हां, उन्होंने मुझे लिखा था तथा हाल में हुई शीरा नियन्त्रण बोर्ड की बैठक में मैंने महाराष्ट्र के उत्पादन शुल्क मन्त्री से यह पूछा था कि क्या वह हमें कुछ शीरा देने की स्थिति में होंगे अथवा नहीं। उन्होंने कुछ अभिरुचि तो दिखाई परन्तु कोई वायदा नहीं किया। तत्पश्चात मैंने महाराष्ट्र सरकार को लिखा कि वह हमें कम से कम 50,000 मीट्रिक टन शीरा उपलब्ध कराए। उसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं जानता। मैंने महाराष्ट्र सरकार को किए गए अपने अनुरोध की सूचना मुख्य मन्त्री को भी दी। मेरे द्वारा पत्र भेज देने के पश्चात उन्हें कुछ न कुछ उत्तर अवश्य मिल गया होगा।

श्री टी०वी० चन्द्रशेखरप्पा : केरल को स्पिरिट की बिक्री के बारे में आप क्या कहेंगे ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : जहां तक केरल और दूसरे पड़ोसी राज्यों को स्पिरिट की बिक्री का सम्बन्ध है, मैं उसका उत्तर दे चुका हूं तथा मैंने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य से बाहर किसी पड़ोसी राज्य को जितनी स्पिरिट बेचना चाहें वह उसकी सूचना केन्द्र सरकार को अवश्य दे तथा पड़ोसी राज्य को इसकी सप्लाई करने से पूर्व केन्द्र सरकार की अनुमति ले । मैं पहले ही इसे स्पष्ट कर चुका हूं । मैं नहीं समझता कि मेरे लिए इसे दोहराना आवश्यक है ।

माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल व्यास कह रहे थे कि उनके राज्य में रॉक फास्फेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । मैं समझता हूं कि रॉक फास्फेट को एकल सुपर फास्फेट एककों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है तथा मैंने पहले ही कहा है कि हम अधिक एस०एस०पी० एककों को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हैं । यदि उस राज्य में एस०एस०पी० एककों की कमी है तथा कोई पार्टी संयन्त्र स्थापित करने के लिए सामने आती है तो जब कभी भी हमें ऐसा प्रस्ताव मिलेगा हम उस पर अवश्य विचार करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री व्यास बाजार में आ रहे नकली कीटनाशकों के बारे में जानना चाहते थे । मैं फिर से यह कहता हूं कि इस समस्या से निपटना कृषि मंत्रालय का काम है तथा यदि बाजार में ऐसे कोई कीटनाशक आ रहे हैं तो वह अवश्य ही इसकी छानबीन करायेंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : पायराइट्स के बारे में आपको क्या कहना है ।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : पायराइट्स अथवा यह जो भी है, इसे डाई-अमोनियम फास्फेट बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । अधिक से अधिक इसे एस०एस०पी० एकल सुपर फास्फेट के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है । इसे डाई-अमोनियम फास्फेट बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । मैं इसे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर चुका हूं । यदि एस०एस०पी० एकक स्थापित हों तो वे अवश्य ही इसका प्रयोग करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी जानना चाहते थे कि अमोनिया प्रौद्योगिकी के लिए हाल्डोर तोप्सो के सम्बन्ध में कब निर्णय लिया गया । केवल हाल्डोर टोप्सो की प्रौद्योगिकी को ही नहीं बल्कि केल्लॉग की प्रौद्योगिकी को भी अमोनिया के लिए चुना गया था । प्रौद्योगिकी दो थीं तथा पार्टी को उन दोनों में से एक को चुनना था । निर्णय की तारीख के बारे में मुझे पता नहीं । मैं समझता हूं कि यह निर्णय 1980-81 में कभी लिया गया था ।

एक माननीय सदस्य आई०डी०पी०एल० के पूर्ण कालिक चेयरमैन के बारे में जानना चाहते थे । यह सच है कि यह पद रिक्त है । हम किसी उपयुक्त व्यक्ति को इसका प्रभारी अधिकारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आई० डी० पी०एल० के सामने बहुत सी चुनौतियां और समस्याएं हैं तथा हम किसी समक्ष व्यक्ति को ही संस्था का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं इसलिए कुछ देरी हुई है । हम देखेंगे कि निर्णय लिया जाए तथा शीघ्रातिशीघ्र लिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं उर्वरक और रसायन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा बशर्ते कि कोई माननीय सदस्य अपने किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से रखने की इच्छा न करें···। अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई रसायन और उर्वरक मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग सं० 9 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा स्वीकृत रसायन और उर्वरक मन्त्रालय सम्बन्धी वर्ष 1985-86 की अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की रकम	
1	2			4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
9.	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय	2,0631.510000	27,27,8 300	10,35,04,22000	2,58,24,17000

5.58 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1985-86—जारी

5.58 म० प०

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग संख्या 43 से 45 को चर्चा और मतदान के लिए लेगा। जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया गया है।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित कर दिए गए हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें तो जिस कटौती प्रस्ताव को वे पेश करना चाहें उसकी क्रम संख्या एक पर्चे पर लिख कर 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर भिजवा दें।

पेश किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई गलती पाएं तो वह इसकी सूचना सभा पटल पर उपस्थिति अधिकारी को अविलम्ब दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय से संबंधित माग संख्या 43 से 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अत्यधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सम्बन्धी लेखानुदान मांगें, 1985-86

मांग सं० मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन के द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि	
1	2	3	4	
	राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय				
43. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	33,31,000	—	1,66,58,000	—
44. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	52,67,88,00	17,90,53,000	2,63,39,41,000	89,52,70,000
45. परिवार कल्याण	88,94,33,000	1,86,33,000	4,44,71,65,000	9,31,67,000

5.00 म. प.

डा० टी० कल्पना देवी (वारंगल) : महोदय, सरकार लोगों को उनके घर के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुहैया कराना चाहती है परन्तु दुर्भाग्य से आजादी मिलने के 37 वर्ष बाद भी लोगों को उनके घर से बहुत दूर भी यह सुविधा नहीं मिल रही है।

ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण विस्तार के बावजूद 15 से 20 प्रतिशत आबादी से अधिक के स्वास्थ्य की देखभाल नहीं हो पाती है। यदि यही गति रही तो हम वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को किस तरह पूरा कर सकेंगे?

जहां कहीं स्वास्थ्य केन्द्र काम कर भी रहे हैं वहां प्रायः योग्य कर्मचारियों की कमी अथवा आवश्यक दवाइयों की कमी के कारण ग्रामीण जनता उनमें पर्याप्त विश्वास नहीं रखती। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नीम-हकीम फल-फूल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे ग्रामीण लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करती हूं कि वे स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित कुशल और निष्ठावान कर्मचारियों की व्यवस्था करें तथा हम भी अपने लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा दें तथा लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करें।

पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सामान्यत: अभी भी विकास के प्रारम्भिक चरण में हैं तथा परिवारों में स्वच्छ खान-पान की आदत डालने तथा स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है अत: स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से तथा बहु-उद्देशीय कर्मकारों तथा स्वास्थ्य रक्षकों के माध्यम से लोगों को इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए।

महोदय, इसके अलावा पीने के स्वच्छ पानी की कमी तथा अवशेष पदार्थों के निकास की अपर्याप्त सुविधाओं के परिणामस्वरूप अतिसार, आंम, पैरासाइटा, तथा त्वचा के रोग अधिक संख्या में हुए हैं तथा प्रतिवर्ष संक्रमण रोगों और अतिसार की वजह से लगभग 40,000 बच्चे मर जाते हैं। प्रारम्भिक स्वास्थ की देखभाल के उपायों के साथ जल सप्लाई कार्य भी चलाए जाते हैं। परन्तु हमारे देश में समस्याग्रस्त गांवों की संख्या 190,000 है जिनमें जलपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के लिए जो पानी उन्हें उपलब्ध है वह पानी जन्य स्थानिक रोगों यथा हैजा, नहरुआ जैसे रोगों को जन्म देता है तथा शरीर में लवण, लोहा तथा क्लोराइड की मात्रा में वृद्धि करता है। अत: मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की ओर ध्यान दें।

फिर इन स्थानिक तथा पानी जन्य रोगों को रोकने के लिए बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है। अपशेष पदार्थों के निकास की पर्याप्त सुविधाओं की कमी की वजह से संचारी रोगों और कुपोषण के मामलों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण आबादी और शहर की गन्दी बस्तियों में बीमारी और मौत के मुख्य कारणों में से एक कारण श्वसन सम्बन्धी संक्रामण रोग है। मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग तथा छूत से लगने वाला यकृत रोग, आदि ऐसी महत्त्वपूर्ण जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो रुग्णता दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे इस प्रकार हैं :

1. विद्यमान स्वास्थ्य सुविधाओं का भलीभांति उपयोग न करना।

2. समुचित प्रशिक्षित और निष्ठावान स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी।

3. स्वास्थ्य संसाधनों की कमी।

अत: मैं समझती हूं कि इन समस्याओं को निम्न उपाय लागू करके सुलझाना चाहिए :

1. समुदायिक भागीदारी।

2. स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से सम्बन्धित विकास क्षेत्रों के लिए तंत्र की व्यवस्था करना।

3. स्वास्थ्य के विकास के लिए राष्ट्रीय बजट में अधिक राशि आवंटित करना और उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है।

4. जनता में प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के संसाधनों का समान वितरण करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य प्रशासन में अत्यधिक केन्द्रीकरण स्थानीय शासन की पहल पर रोक लगाता है तथा बाह्य संस्थाओं की उपेक्षा करता है। विषम आर्थिक परिस्थितियों की वजह से सरकार स्वास्थ्य बजट में काफी वृद्धि नहीं कर सकती जिसके फलस्वरूप वास्तव में प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य बजट में भारी गिरावट आई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के सम्बन्ध में माता और शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल के क्षेत्र में पोषाहार में कमी की मात्रा पर अध्ययन किए गए।

देश भर में किए गए बहुत से अध्ययनों से पता चला है कि 10 से 15 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के निम्न ग्रेड में आते हैं (ग्रेड-III तथा ग्रेड IV) तथा 60 से 65 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के ग्रेड II तथा ग्रेड I (माध्यम और सामान्य) ग्रेड में आते हैं। इसलिए सम्पूर्ण देश में पूरक पोषाहार और आहार कार्यक्रम प्रारम्भ करना आवश्यक है। देशभर के तमाम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और गरीब बच्चों के प्रतिदिन के भोजन में कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन और 300 केलोरी की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इससे बच्चों के सामान्य विकास में सहायता मिलेगी। इस पूरक आहार कार्यक्रम को गैर आई० सी० डी० सी० ब्लाकों में भी लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान में आई० सी० डी० एस० ब्लाकों में एस० एन० पी० कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

अब मैं शेक प्रतिरोधी टीका सेवाओं के सम्बन्ध में दो शब्द कहूंगी। उदाहरण के तौर पर आन्ध्र प्रदेश में अप्रैल 1984 से रोग प्रतिरोधी टीके इस प्रकार लगाये गए : गर्भवती महिलाओं के लिए टी० टी० (2 खुराक) 25.8 प्रतिशत; बी० सी० जी० 21.9 प्रतिशत; पोलियों (3 खुराक) 8.4% तथा डी० टी० (2 खुराक) 4.1 प्रतिशत में इससे यह पता लगता है कि गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में जो रोग प्रतिरोधी टीके लगाये गए उनकी संख्या अपर्याप्त रहीं कुछेक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में स्थिति यही है। आई०सी०डी० एस० ब्लाकों में स्थिति फिर भी कुछ ठीक है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इतनी कम संख्या में टीके लगाये जाने के कारण क्या हैं। ऐसा लगता है कि यह टीकों की अनियमित सप्लाई के कारण है।

तालुक तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्तर पर पोलियो के लिए सीतागार सुविधा का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागार की सुविधा में सुधार करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पोलियों रोगियों की वृद्धि हो रही है, वहां पोलियो के अधिक टीके लगाए जाने चाहिए। (शहरी क्षेत्र की बस्तियों में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।

महोदय, यद्यपि हमारे देश में बी० सी० जी० का टीका 1950 में शुरू हो गया था, इस सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से कई विवाद खड़े हो गए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ये टीके बहुत कम लगाए जाते हैं। निश्चित रूप से इससे बच्चों का कई तरह के क्षय रोगों जैसे क्यूलियोरोग क्षय

रोग और टी० बी० मेनिनजाइटस, आदि से बचाव रहता है। देश में 'फ्रीजड्राइड' टीके का उत्पादन भी बढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं सर्व देश भर में लागू की जानी चाहिए। हमारी जनसंख्या में लगभग 20 से 25% स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। उनके स्वास्थ्य की रक्षा की ही जानी चाहिए। समय समय पर उनकी शारीरिक जांच की जानी चाहिए तथा उन्हें डिपथेरिया तथा टिटेनस और पीलियो का टीका, टाईफाइड का टीके जैसे रोगों से बचाव के टीके लगाए जाने चाहिए। स्कूलों में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी तथा स्वास्थ्य नर्सों की नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षा तथा समाज कल्याण विभागों द्वारा इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए।

इन समय देश में 100 लाख क्षय रोगी हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसे और कई मामले आ जाते हैं। कई मामलों का पता ही नहीं चल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोग का पता लगाने की सुविधाएं बहुत कम हैं और इस समय ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहु प्रयोजनीय कार्यकर्त्ताओं को जांच तथा बी० सी० जी० के टीके लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। रेडियोग्राफी की जो सुविधा इस समय केवल जिला मुख्यालयों में ही उपलब्ध है, वह बड़े तालुक स्तर पर भी उपलब्ध कराई जानी जाहिए। क्षय रोगियों को जो औषधियां दी जा रही हैं वे अपर्याप्त हैं तथा नियमित रूप से नहीं दी जाती हैं। उनके लिए केवल 'आइसोनेक्स तथा एथमेन्टोल' दवा ही उपलब्ध है। क्षय रोग प्रतिरोधक अन्य दवाइयां अभी भी बहुत महंगी हैं और अधिकांश निर्धन लोग उन्हें नहीं खरीद सकते। दवाइयां सस्ती की जानी चाहिए तथा उनकी सप्लाई नियमित रूप से की जानी चाहिए।

हाल ही के वर्षों में यह महसूस किया गया है कि अधिकांशत: सभी प्रदेशों में मलेरिया अधिक फैल रहा है। कई राज्यों ने मलेरिया को रोकने के मामलों के बारे में भी बताया है। मलेरिया को रोकने की दवाइयां भी बहुत महंगी हैं तथा आम आदमी को आसानी से उपलब्ध नही हैं। उनकी कीमत कम की जानी चाहिए।

कई राज्यों में नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी तथा रखरखाव चरणों का कार्य जोरदार ढंग से नहीं किया जा रहा है। कीटनाशी दवाओं के अभाव से प्रभावी नियंत्रण कार्यक्रमों में बाधा नहीं होनी चाहिए। कई नगरों में मच्छर मार अभियान की उपेक्षा की गई है। विमकनाशी औषधियों का अभाव भी एक समस्या है। देश में मलेरिया की बीमारी फिर से न फैले, इसके लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए।

मैं अन्धापन नियन्त्रण कार्यक्रमों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश में बच्चों के अन्धेपन का मुख्य कारण विटामिन 'ए' की कमी के कारण देश में प्रतिवर्ष 40,000 लोग अन्धे हो रहे हैं।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में विटामिन 'ए' प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं मिल रहा है। देश

में किए गए कुछ अध्ययनों से पता चला है कि 6 महीने से 5 वर्ष तक के केवल 35%—40% बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। हमें इस कार्यक्रम का लाभ 100% बच्चों तक पहुंचना चाहिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा को स्वास्थ्य की देखभाव प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

अब, में इस विचार से अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि 'वर्ष 200 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि सरकार सतत एवं दृढ़ता से प्रयास करे। धन्यवाद।

कटौती प्रस्ताव

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[उत्तर बंगाल में मलेरिया के फैलाव को रोकने हेतु तुरन्त पग उठाने की आवश्यकता।] (1)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

[प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, विशेषकर जलपाइगुड़ी, कूच बिहार, पश्चिम दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों में स्थित के विद्युतीकरण के लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।] (2)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों तथा अन्य औषधियों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (3)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"

[प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, विशेषकर उत्तर बंगाल के जलपाइगुड़ी, कूच बिहार, पश्चिम दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों में स्थित डाक्टरों, नर्सों, दाइयों तथा अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।] (4)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"

[पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी जिला, में बक्सादुआर, जयन्ती, चिलापाता, जोलधापाड़ा,

नागराकाटा में जड़ीबूटी क्षेत्र स्थापित करने के लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (5)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"

[पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में बीरपाड़ा में चिकित्सा संबन्धी बहुउद्देशीय कर्मचारियों (पुरुष तथा महिला, दोनों) के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता ।] (6)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं"

[सरकारी अस्पतालों, विशेषकर उत्तर बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में स्थित, में रोगियों के साथ मानवीय व्यवहार तथा वहां पर स्वच्छता सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।] (7)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[उत्तर बंगाल में बक्सा रेंज के वन-ग्रामों के लिए एक चलती-फिरती चिकित्सा-गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए धन आबंटित करने की आवश्यकता ।] (8)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[रोगों को रोकने के लिए चलचित्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों के द्वारा सफाई तथा स्वास्थ्य-विज्ञान के बारे में ग्रामीण जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता । (9)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

उत्तर बंगाल के जिलों में शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के लिए डी०पी०टी० पोलियो, बी०सी०जी०, डी०टी० टाइफाइड तथा टी०टी० की वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।] (10)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[नगरीय तथा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर बंगाल के जिलों में, गैर-सरकारी उपचर्या-गृहों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने की आवश्यकता ।] (11)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[अलीपुरदुआर में हमियोपैथी (समचिकित्सा प्रणाली) के कालेज में 50 शैय्याओं का एक समचिकित्सा प्रणाली अस्पताल स्थापित करने की आवश्यकता ।] (12)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[विसपाडा क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियों की उपलब्धता को देखते हुए, वहां एक आयुर्वेदिक कालेज स्थापित करने की आवश्यकता ।] (13)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[उत्तर बंगाल के जिलों में फैले फिलेटिया, काल-ज्वर, कुष्ठ रोग, क्षयरोग तथा जापानी मस्तिष्क-ज्वर को रोकने के लिए विशेष पग उठाने की आवश्यकता ।] (14)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[उत्तर बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में अलीपुरदुआर में एक आयोडीन मिश्रण संयन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता ।] (15)

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष है ।

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : महोदय मुझे सरकार को बधाई देते हुए खुशी हो रही है कि वह इस "अल्मा आटा" घोषणा 2000 ईसवी तक सबको स्वास्थ्य के सर्वाधिक वांछनीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं वचनबद्ध है । सरकार की यह वचनबद्धता एक वही आशा, घने अन्धकारपूर्ण आकाश में जगमगाता हुआ एक नया तारा है। हमारा विश्वास है कि श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में हमरा देश मार्ग में आने वाली बड़ी कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाएगा ।

महोदय, हमारे गांवों में निरन्तर मलेरिया, कालाजान यकृत-शोथ, अतिसार, अंधापन, खसरा, फाइलेरिया तथा कई उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में होने वाली तथा परजीवी बीमारियों का खतरा बना रहता है जिससे हमारे लोगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और इससे व्यक्ति लम्बे समय तक और कई बार तो जीवन भर काम करने में अक्षम रहता है । यदि किसी समय किसी व्यक्ति को इनमें से कोई रोग हो जाए तो कई बार अनेक मामलों में डाक्टर भी अधिक सहायता नहीं कर पाते । उदाहरण के लिए फीताकृमि तथा गिनी कृमि कुछ ऐसे परजीवों में से हैं जिनसे हमारे देश के लोगों को रोग हो रहे हैं । जो गन्दगी के होते हैं । आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि विशेषकर गन्दी बस्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा साथ ही भीड़भाड़ वाले तथा ऐसे नगरीय क्षेत्रों में, जो योजनाबद्ध ढंग से नहीं बसे हैं, गन्दगी रहती है।

जहां हमें देश की जनता के लिए अधिकाधिक डाक्टरों तथा अस्पतालों की आवश्यकता है, वहां हमें जन-स्वास्थ्य सुनिश्चित करने तथा जन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि केवल ऐसा करने से ही हम स्थानिक रोगों से उन्हें मुक्त करा सकते हैं ।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि हम अपनी सभी चर्चाओं में, योजनाओं में और अधिक डाक्टर तथा दवाइयां उपलब्ध कराने की बात अधिक कहते हैं और जन स्वास्थ्य के बारे में कम कहते हैं। मुझे आशा है कि अपने नए स्वास्थ्य मंत्री के सच्चे और कुशल नेतृत्व में यह दृष्टिकोण बदलेगा। मेरा उनसे निवेदन है कि वह ऐसा करें।

चेचक को समाप्त करने में हमें कुछ हद तक सफलता मिली है। पिछले 10 वर्षों में चेचक का कोई मामला हमारे समक्ष नहीं आया है। इस सफलता से हमें यह आशा हुई है कि कुछ अन्य रोगों को भी दूर किया जा सकेगा। लेकिन न्यूनाधिक रूप से मलेरिया का रोग दूर किए जाने के बावजूद हमें मलेरिया उन्मूलन करने में उस हद तक सफलता नहीं मिली है और यह बीमारी पुनः फैलने लगी है। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि 1983 के बाद मलेरिया के रोगियों की संख्या में 18.1% की वृद्धि हुई है।

मन्त्रालय ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि कुष्ठ रोग के उन्मूलन तथा तपेदिक पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यवाही तेज कर दी गई है और इसके लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। यह काम कठिन है। मैं नहीं समझता कि समस्या की गम्भीरता के अनुरूप इसके लिए आबंटित की गई धनराशि पर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त मुझे आशंका है कि राज्यों द्वारा भी इतनी तत्कालिकता तथा इच्छा नहीं दिखाई जा रही है। मैं बिहार की स्थिति से सदन को अवगत करना चाहता हूं वहां अधिक आबंटन किए जाने तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। चूंकि मेरे पास अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में बोलने का समय नहीं है इसलिए मैं अपनी बात क्षयरोग के नियन्त्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों तक ही सीमित रखूंगा। क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अभी भी पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार बराबर व्यय करती है। आप जानते हैं कि आम राज्य आवश्यक संसाधन नहीं जुटा पाए और यही हालत बिहार की है जो चिरकाल से निर्धन और पिछड़ा हुआ राज्य है।

केन्द्र सरकार प्रत्येक जिले में तपेदिक केन्द्र खोलना चाहती है लेकिन बिहार के 6 जिलों में ऐसा कोई केन्द्र नहीं है। इसी भांति बिहार ने 20 लाख से अधिक आबादी वाले जिले में के आधार पर 2 क्षय रोग केन्द्र बनाने का प्रावधान नहीं किया है। निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 7 जिले ऐसे हैं जहां क्षय रोग के 2 केन्द्र होने चाहिए थे।

केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार बिहार क्षय रोगियों के लिए 4000 शैय्याओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन हमारे राज्य में केवल 1900 शैय्याओं की व्यवस्था की गई है जो पर्याप्त संख्या के आधे से भी कम हैं। क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है ? पूरे उत्तर बिहार में एक भी आरोग्य-आश्रय नहीं है। मंत्री महोदय से मेरा पुरजोर अनुरोध है कि वह उत्तर बिहार में कम से कम 200 शैय्याओं वाले 2 क्षय रोग अस्पताल खोलें।

क्षय रोगियों की सबसे अधिक संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में होती है। लेकिन बिहार का इस स्तर पर कार्य-निस्पादन बहुत खराब है। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में क्षय रोग पता लगाने के कार्यक्रम के तहत 3 लाख 30000 रोगियों की थूक जांच करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान केवल 30,000 रोगियों की इस प्रकार की जांच की गई।

तपेदिक को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने और इसका पता लगाने का क्या यही तरीका है? गुजरात और अन्य राज्यों की सरकारों ने प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में तपेदिक सहायकों और तपेदिक कार्यकर्त्ताओं आदि की नियुक्ति करके इस समस्या को हल कर दिया है। अस्पतालों में इस तरह के कर्मचारियों की जरूरत है। केन्द्र को इसके लिए शत प्रतिशत राशि प्रदान करनी चाहिए। तपेदिक निर्धन व्यक्तियों का रोग है और अगर निर्धन व्यक्तियों को केन्द्र से उदार इलाज नहीं मिलेगा तो यह समस्या बहुत ही विकट हो जाएगी और पड़ोस के क्षेत्रों में फैल जाएगी इससे प्राकृतिक संसाधनों की काफी बड़ी बरबादी होगी।

रीफाइमाइसीन पर से शुल्क हटाकर वित्त मंत्री जी ने अच्छा कार्य किया है, इस औषधि का तपेदिक मरीजों के लिए अल्पावधि रसायन चिकित्सा में भी सम्मिलित कर लेना चाहिए कम से कम कफ थूकने वाले मरीजों के बारे में।

ये सभी बीमारियां अधिकतर अस्वच्छ वातावरण तथा स्वच्छ पेयजल के अभाव के कारण होती हैं। पेयजल उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निर्माण एवं आवास मन्त्रालय का है। मैं सुझाव दूंगा कि सचिव स्तरों पर भी स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा निर्माण मन्त्रालय में पूरा समन्वय होना चाहिए। उचित समन्वय तथा समान दृष्टिकोण से पूरे गांव के जन स्वास्थ्य के लिए बनाये गये उपायों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था, जनस्वास्थ्य केन्द्र आदि का प्रबन्ध करने से जनस्वास्थ्य को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विषय में मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वे उन आंकड़ों पर ज्यादा निर्भर न रहें जो उन्हें दिए गए हैं। सरकार का यह दावा है कि देश के प्रमुख भागों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं परन्तु वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है। ऐसा मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूं। अगर वहां पर डाक्टर हैं तो दवाययां नहीं हैं। और अक्सर केन्द्रों पर चिकित्सा कर्मी भी उपलब्ध नहीं होते।

हाल ही में मंत्री जी ने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि 400 रुपये महीने की प्रोत्साहन राशि देने के बावजूद भी डाक्टर ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पता चलता है कि हमें किस तरह की शिक्षा दी गई है। प्रबोधन कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन के तरीकों में सुधार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र अब पुरानी बात हो चुकी है। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यही समझता है। इसके बजाय, सभी उपकरणों वाले प्राथमिक अस्पताल स्थापित किए जा सकते हैं। हमारे चिकित्सा स्नातक सभी तरह की बीमारियों का इलाज करने में समर्थ नहीं हैं। शल्य चिकित्सकों

तथा रोग विज्ञानियों की आवश्यकता है। क्या हम एक डाक्टर वाले चिकित्सा केन्द्र से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं अथवा हमें अर्द्ध-चिकित्सक कर्मियों समेत पूरे कर्मचारियों की आवश्यकता है। हमारे पास संसाधनों का वास्तविक आंकलन होना चाहिए और देखना होगा कि इसमें से कितनी व्यवस्था की जा सकती है और इसके पश्चात प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के स्थान पर प्राथमिक हस्पतालों में कर्मियों तथा उपकरण और औषधियों की पूरी मात्रा देने के बारे में निश्चय करना चाहिए। यह अनुभव किया जाना चाहिए कि चिकित्सा कर्मचारियों के दल में पूरे तालमेल के बाद ही आधुनिक दवाईयां दी जा सकती हैं।

प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सफलता के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम निर्णायक हैं। केरल और गोवा की महत्वपूर्ण सफलता का कारण शिक्षा और प्रोत्साहन पर बल देना है। परन्तु बिहार जैसे राज्य में शिक्षा और प्रोत्साहन दोनों का ही अभाव है, संभवत: दो बच्चों का परिवार आन्दोलन में प्रगति लाने के लिए सामाजिक आन्दोलन एक शक्तिशाली अर्न्तप्रेरणा का कार्य कर सकता है, मेरे विचार में परिवार नियोजन के इस कार्य में स्वैच्छिक निकायों की विशाल संख्या के सहयोग तथा सरकारी धन के प्रयोग से सहयोग में तेजी लाई जा सकती है, इस कार्य में सर्वदलीय समितियां अखिल भारतीय महिला संगठनों के साथ मिलकर नेतृत्व प्रदान कर सकती है। अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ने के लिए हमें जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम को तैयार करना है जिसमें आधुनिक दवाईयों के वितरण तथा परिवार नियोजन का आधार हो। वर्तमान अपूर्ण रवैये से यह उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पायेगा जैसा कि उष्णकटिबंध क्षेत्र की लगातार होने वाली बीमारियां उपेक्षित जन स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों की भीड़-भाड़ से देखा गया है।

इस सबके लिए काफी मात्रा में धन की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि अगर हम अपने वादे को पूरा करने में कटिबद्ध हैं कि सन् 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करानी है तो हमारे बजट का 10 प्रतिशत भाग स्वास्थ्य के लिए रखा जाए।

[हिन्दी]

गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं दो-तीन व्यावहारिक बातें कहूंगा। हम लोग जितने संसद के सदस्य यहां दिल्ली में हैं, उनको एक तरह का अनुभव रोज होता है। 20-25 लोग नौकरी के लिए आते हैं और दस-पांच लोग रोज अस्पताल में दाखिल होने के लिए आते हैं। शायद नौकरी की समस्या का हम समाधान न कर सकें, लेकिन जो अस्पताल का मामला है वह बहुत ही भयावह है। मैं अपने अनुभव की बात कहूं—आज से आठ-दस दिन पहले मेरी कांस्टीचूएंसी से एक आदमी आया। उसने बतलाया कि वह दो महीने से धक्का खा रहा है और आल इण्डिया इंस्टीचूट में उसका एडमीशन नहीं हो रहा है। मैंने उसके सारे कागजात देखे और फिर मैंने सोचा कि पर्सनल-नालिज से एक्सपीरिएन्स लूं। वह न्यूरोसर्जरी का कैस था और उसको कहा था कि आप साढ़े-सात बजे राजकुमारी अमृतकौर ब्लाक में आइये। मैं स्वयं उस रोगी के साथ राजकुमारी अमृतकौर ब्लाक गया 7 बज कर 20 मिनट पर गया। पहरेदार ने जाने से मना किया। चौकीदार ने लोगों से कहा कि अभी अन्दर नहीं जा सकते। इतने में एक व्यक्ति आया

और उसने उसे कुछ दिया। क्या दिया, मैं नहीं जानता। उसने उसको अन्दर जाने दिया। मैंने कहा कि मुझे अन्दर जाने दो। उसने कहा, नहीं, जाने दूंगा। मैंने कहा कि पेशेंट को साढ़े सात बजे बुलाया गया है और अब 7-25 हो रहे हैं, हम डाक्टर से कैसे मिलेंगे। उसने कहा कि अन्दर नहीं जाने दूंगा। मैंने फिर कहा कि अन्दर जाने दो भगवान के लिए। उसने कहा कि नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा कि मैं एम०पी० हूं, मुझे जाने दो। उसने कहा कि यहां सभी यह कहते हैं कि 'मैं एम०पी० हूं'। मैंने अपना आइडेंटी कार्ड उसे दिखाया। उसने मुझे सलाम किया और कहा कि साहब पहले क्यों नहीं कहा कि आप एम०पी० हैं। मैंने कहा कि मैंने तो कहा ही था कि मैं एम०पी० हूं,' तुम मानते नहीं थे। मैं सच्ची कहानी कह रहा हूं। उसके बाद जब मैं अन्दर गया, तो मैंने डाक्टर से अनुरोध किया। डाक्टर का नाम मेरे पास है लेकिन मैं इस सदन में कहना नहीं चाहता। मैंने कहा कि दो महीने से यह गरीब आदमी धक्के खा रहा है, इसका एडमीशन कर लीजिए। डाक्टर ने कहा कि अगले दो महीने तक एडमीशन नहीं होगा। मैंने कहा कि भगवान के लिए एडमीशन कर लीजिए, यह बिहार से आया है, कैसे इसका इलाज होगा। इसके पास कोई उपाय नहीं है। उसने कहा कि इसका एडमीशन नहीं होगा। मैंने कहा कि इसका यदि एडमीशन नहीं होगा, तो क्या इसका कारण बतायेंगे। उसने कहा कि आप यह पूछने वाले कौन हैं। मैंने कहा कि मैं एम० पी० हूं। उसने कहा कि आप एम० पी० हैं? मैंने कहा, 'हां'। मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। उसने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं कहा कि मैं एम०पी० हूं। मैंने कहा कि मैं कितनों को यह बताऊं कि मैं एम०पी० हूं। मैंने कहा कि आगे से हर एम०पी० को जिस तरह से आफिस में लोग अपने गले में लगाए आइडेंटिटी कार्ड रहते हैं उसी तरह का एक आइडेंटिटी कार्ड एम०पी० के गले में होना चाहिए जो यह बताए कि वह एम०पी० है और वह लगा कर वह पेशेंट को लेकर जाए और फिर पेशेंट भर्ती हो। उसके बाद वह पेशेंट भर्ती हो गया और उसका आपरेशन भी हो गया और वह ठीक-ठाक है। मैं उस डिपार्टमैंट के हैड से मिला। उन्होंने उस पेशेंट की बड़ी अच्छी खातिर की। कहने का अर्थ यह है कि ऊपर तो ठीक-ठाक है लेकिन नीचे बहुत बड़ी धांधली है। मैं माननीया मन्त्री जी से मिला था। उन्होंने कहा था कि जब कोई मामला ऐसा हो, तो मैडीकल सुपरिनटेन्डन्ट को कहिए। मैडीकल सुपरिटेन्डेंट की बात भी बतलाता हूं। मैडिकल सुपरिटेन्डेंट को जब टेलीफोन कीजिए अस्पताल में, सफदरगंज अस्पताल में, तो कहला दिया जाता है कि डाक्टर साहब नहीं हैं और जो लोग ऐसा कहते हैं कि कह दो, 'नहीं हैं', उनकी आवाज तेलीफोन पर आती है। हम समझते हैं कि यह कैसे होता है। हम जानते हैं कि माजरा क्या है।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : आप भी एक डाक्टर हैं।

डॉ० गौरी शंकर राजहंस : मैं भिन्न प्रकार का डाक्टर हूं। मैं अखबारवालों में से हूं। क्या मैं कुछ अन्दर की बातें बताऊं, वहां क्या कुछ हो रहा है?

[हिन्दी]

ऐसा है कि इसी सफदरगंज अस्पताल में, इसी आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइसेज में हिन्दुस्तान टाइम्स के जरिये जब दो तीन साल पहले धमाका हुआ था, तो ये सारे लोग मेरे पास लाइन लगाकर आए थे यह कहने के लिए भगवान् के लिए इसे बन्द करिये दुर्भाग्यवश वह लेडी सम्वाददाता अब नहीं है मर गई है जिसने इस काम को किया था और सारे देश में हंगामा कर दिया था, खासकर आल इन्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइसेंस में करपशन को एक्सपोज किया था। उस समय ये लोग थरथर कांपते थे। मैंने आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइसेज में जा कर कहा कि हमें आप इस बात के लिए बाध्य न करें कि हम आपके कारनामों को फिर उसी तरह से उजागर करें जैसे पहले किया था। आप गरीब लोगों की बातें सुनिये। यह आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइसेज की बात है सफदरजंग अस्पताल की बात भी आप को बताता हूं। मैं अखबार में हूं। इसलिए अस्पताल के सारे लोग मेरे पास आते हैं सही बात कहने के लिए। सफदरगंज अस्पताल में आज भयानक लड़ाई हो रही है सीनियर डाक्टरों में और दूसरे डाक्टरों में। यूनियन और मुठ्ठी भर लोगों का सहार लेकर वे गाली-गलोज कर रहे हैं। वहां रोगियों की देख-भाल करने वाला कोई नहीं है। यही नहीं सफदरजंग अस्पताल में जो घिनोनी गड़बड़ हो रही है उसे में इस सदन में नहीं कहना चाहता।

इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप आल इन्डिया इस्टीच्यूट आफ मेडीकल साइसिज और सफदरजंग अस्पताल की जांच करने के लिए एक कमेटी हाउस की बिठाएं ताकि वहां के डाक्टरों में जो असन्तोष है वह दूर हो और यह बता सकें कि वहां क्या स्थिति है। वहां स्थिति अत्यधिक खराब है। जूनियर डाक्टरों को आगे बढ़ा दिया गया है और सीनियर को पीछे कर कर दिया गया है। उनका कहना है कि यदि यही धांधली चलती रही तो ऐसी स्थिति से छुटकारा नहीं मिलेगा। समय रहते वहां के लोगों को न्याय मिल सके इसके लिए पूरी जांच होनी चाहिए। यह एक अस्पताल का मामला नहीं है, दो-दो अस्पतालों का मामला है इन दोनों अस्पतालों के बारे में इस हाउस की एक कमेटी बनायी जानी चाहिए जो इनके बारे में पूरी जांच करे।

आप मुझे एक बात यह बताइये कि एक एम० पी० के पास दूरदाज से, उसकी कांस्टीच्यु-एन्सी से लोग इलाज करवाने के लिए दिल्ली आते हैं। उन लोगों को एक एम० पी० कैसे इलाज दिलवाये ? डाक्टर वहां काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। वह हमारी बात कैसे सुनेंगे। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तक नहीं सुनता है। यह बात मैं खुलेआम कह रहा हूं। जिस तरह से आपने हम एम० पी० लोगों के लिए पार्लियामेंट हाउस में और अनेक्सी में इलाज का प्रबंध किया हुआ है उसी तरह का प्रबंध हमारे यहां जो लोग बाहर से इलाज कराने के लिए आते हैं उनके लिए भी होना चाहिए। (व्यवधान) में अलग अस्पताल खोलने की बात नहीं कह रहा हूं। यहीं पर एक डिपार्टमेंट हो और ऐसी एक व्यवस्था कायम हो जिससे कि हम लोग सफदरगंज अस्पताल में या मेडिकल इन्टीच्युट में उनको भर्ती करवा सकें।

एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक दूसरी बेकग्राऊंड से आता हूं। मैं जब

देहात जाता हूं तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य अंधकारमय है। कि फेमिली प्लानिंग के बारे में पहले गांव-गांव या स्टेशन-स्टेशन पर यह लिखा हुआ मिलता था कि 'हम दो, हमारे दो' यही सर्वत्र लिखा हुआ मिलता था। इससे हमारे देश की जनसंख्या कम नहीं हुई। केवल हमारा मजाक उड़ा। अब हम फेमिली प्लानिंग के साइन बोर्डों पर यह लिखा पाते हैं कि 'मम्मी, पापा दो, मम्मी-पापा के दो'। मैं बिहार के एक देहात में गया और वहां मैंने किसानों से फेमिली प्लानिंग के बारे में पूछा कि आप इस पर जोर क्यों नहीं देते तो उन्होंने मुझे दो टूक जवाब दिया कि यह तो 'मम्मी-पापा, के लिए है हमारे लिए नहीं है। सुदूर देहातों में तो मां-बाप समझा जाता है, मम्मी-पापा कोई नहीं समझता। (व्यवधान) हां उनकी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए जो कि वे समझते हैं। आप फेमिली प्लानिंग की बातों को देहात के लोगों को उस भाषा में समझाइये जिसको वे अच्छी तरह से समझ सकें। उन्हीं की भाषा में बात कही जाए। चाहे हिन्दी में या मैथिली में।

सभापति महोदय, आप कभी देहात में जाईये। कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि मधुमक्खी के छत्त की तरह से लोग भरे हुए हैं। आप नहीं जानते कि एशिया में सब से पापुलेटिड जगह कोई है तो वह है ओल्ड दरभंगा जिसको डब्ल्यु० एच० ओ० और दूसरों ने भी स्वीकार किया है। मैं वहां किसी मीटिंग में जाता हूं तो वहां केवल आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं। केवल बच्चे ही बच्चे वहां पर दिखाई पड़ते हैं, जो भूखे हैं; नंगे हैं, जिनके बहुत इतने बड़े सिर हैं और बहुत छोट उसका पेट है, जो लगता है कि 6 महीने, साल, दो साल में मर जाएंगे। एक तरफ तो आपने वहां पर फेमिली प्लानिंग के लिए कुछ नहीं किया और दूसरे उनके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नहीं कर रहे है। मैंने देखा है कि एक ही तालाब में जानवर नहाते हैं, आदमी नहाते हैं, कपड़े साफ किए जाते हैं आदमी शौच करते हैं, आदमी पानी पीते है। वहां पर डायरिया और डिसेन्ट्री से साल में सैकड़ों लोग एक एक गांव में मर जाते हैं। इस बात की किसी को कोई फिक्र नहीं है। यह हमारा हिन्दुस्तान है, जिस हिन्दुस्तान पर हम गौरान्वित हैं, लेकिन असली हिन्दुस्तान उस देहात में बसता है और उस देहात के नागरिकों को, देहात के लोगों को कीड़े की जिन्दगी मिली हुई है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। यदि देखना है तो वहां जाकर देखिए, इण्डिया-नेपाल बार्डर पर जाकर देखिए, जहां से मैं आता हूं। वहां पर लोग जानवर का जीवन बिता रहे हैं। उनको इस जानवर के जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं। जब बरसात आती है वे कांप जाते हैं। बरसात का महीना उनके लिए सबसे बुरा महीना होता है। वे लोग मरते हैं कालरा से, वे लोग मरते हैं कालाजार से, वे लोग मरते हैं मलेरिया से, उनको देखने वाला कोई नहीं है। वे कहते हैं कि हमारा भगवान तो मर चुका है, अब इस जिन्दगी में हमारा उद्धार नहीं होगा। उस क्षेत्र में मैंने देखा है कि तीस साल की उम्र में लोग बूढे हो गए हैं, उनके सामने कोई भविष्य नहीं है। हमारी स्वास्थ्य नीति ऐसी है कि हम उनको कुछ नहीं देते हैं। जब बात बहुत गंभीर है। लोगों को दवाई नहीं मिलती है और जो मिलती है वह नकली मिलती है। देहात में कोई भी डाक्टर रहने के लिए तैयार नहीं है वहां पर अराजकता फैली हुई है। श्रीमन्, हमारी हैल्थ पालिसी इस तरह की होनी चाहिए कि जो इस दुनियां में नहीं आए हैं, उनको मत आने दो, लेकिन जो आ गए हैं, उनको तो आप स्वस्थ रखिए। यदि आप उनको स्वस्थ नहीं रखेंगे तो यह

सारे देश के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी। आज हमारे डाक्टर इंग्लैंड, अमरीका और कनाडा जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जो डाक्टर हैं वे शहर छोड़कर गांव में नहीं जाना चाहते। इसलिए नहीं जाना चाहते कि उन्हें वहां पर कोई इंसेंटिव नहीं है।

मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन संक्षेप में यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस तरह से भाषण देने से कोई फायदा नहीं है, आप प्रेक्टिकल होइए। आज की अखबारों में आपने देखा होगा, लोगों ने कमेंट किया है हमारे ऊपर, सारे जर्नलिस्ट्स यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रही है वह बहुत ड्राई है। डिमांड्स तो पास होंगी ही, सदस्य चाहे कुछ भी बोलें, उनका कोई मतलब नहीं है। सारा डिसक्शन बिना मतलब हो रहा है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि हम जो बात यहां पर कर रहे हैं, उस पर गंभीरता से विचार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री कुलनवईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य को खतरा प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इससे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्ता भी बढ़ती जा रही है क्योंकि जहां तक आबादी का संबंध है, भारत सबसे बड़ा और विशाल देश है, और परिवार कल्याण वास्तव में एक मुख्य समस्या है जो कि हम देश के काफी लोगों को आकर्षित करती है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जन्मदर निमंत्रण के उपाय किये जा रहे हैं।

मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं और साथ ही इस सम्बन्ध में मैं एक अथवा दो बातें कहना चाहता हूं। गरीब से गरीब गांवों में रहने वाले लोगों तो तक स्वास्थ्य सेवाएँ अवश्य ही पहुंचनी चाहिए। यद्यपि हमारा देश गरीबों का देश है, परन्तु संसाधनों के मामलों में गरीब नहीं है हमारे पास काफी मात्रा में संसाधन हैं। परन्तु संसाधनों क उपयोग किस प्रकार किया जाये यह हमें निर्धारित करना है। इस विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष उपाय किये जाते हैं और धनराशि का आबंटन किया जाता है और प्रत्येक राज्य के लिए इस राशि के आबंटन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तमिलनाडु इस विषय में काफी अच्छा कार्य कर रहा है, और स्वर्ण पदक दिया जाना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था। वह तमिलनाडु सरकार द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। परन्तु उत्तरी भाग के कुछ राज्यों का कार्य निष्पादन अच्छा नहीं था। उन्होंने लक्ष्य की पूर्ति नहीं की है। इसलिए इस अवधि को दो महीने और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने यह समयावधि क्यों बढ़ाई है? यह देखने के लिए कि स्वर्ण पदक तमिलनाडु को न मिले या तमिलनाडु इसे प्राप्त न कर सके?

सभापति महोदय : आपका मतलब है कर्वे अवार्ड?

श्री कुलनवईवेलु : जो कुछ भी यह हो पुरस्कार अथवा पारितोषिक और नकद राशि। परन्तु दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय यह कर रहा है। किस आधार पर वे इसे कर रहे

हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि इसे करने का आधार या मापदण्ड क्या है ? वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे इस इनाम को अन्य राज्यों को देना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं की है ।

सभापति महोदय : मैं नहीं समझता कि यह सही है।

श्री कुलनवईवेलु : मेरे विचार से यह सही है । मंत्री जी को शायद यह मालूम हो । मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि समयावधि पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और मेरे विचार से सरकार को उचित तरीका अपनाना चाहिए । अन्यथा यह बात मुझे प्रधान मंत्री जी को बतानी होगी। हमें हमारे अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है, और हमारी भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाई जा रही है ।

एक और मुद्दा है, भारत में जन्म दर नियन्त्रण के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं । कुछ अन्य देशों में नवजात शिशुओं को प्रोत्साहन दिया जाता है । उन्हें प्रत्येक बच्चे के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । यहां भारत में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं । इसीलिए हम बजट में पैसों का प्रावधान कर रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए आबंटन किया जा रहा है । मैं माननीय मंत्रियों केबिनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में समुचित रूप से प्रचार करें ताकि यह संदेश निर्धन से निर्धन व्यक्ति को पहुंचाया जा सके । हमारे यहां बहुत से तरीके हैं जैसे कि वैस्कटामी, ट्यूबेकटोमी और लैपरोस्कोजी । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं क्या हम ऐसा कोई तरीका नहीं निकाल सकते जिसमें सिर्फ गोलियां देकर ही जन्म नियंत्रण किया जा सके । अगर ऐसा किया जा सकता है तो हमें अवश्य ही इसका पता लगाना होगा । विज्ञान में दिन प्रति दिर प्रगति होती जा रही है हमें इसका पता लगाना चाहिए । वे कहते हैं कि लैपरोस्कोपिक एक आसान तरीका है परन्तु गोलियों की मकद से भी हम जन्म नियंत्रण करने में समर्थ हो सकते हैं । इसका कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके । और मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के माननीय मंत्रीजो से निवेदन करता हूं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलें । तमिलनाडु में 500 लाख की आवादी के लिए सिर्फ 400 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं । आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं । 500 लाख लोगों के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अर्थ क्या है । कम से कम प्रत्येक एक लाख व्यक्तियों के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए । तमिलनाडु में आपको सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को और खोलने की जरूरत है । सम्पूर्ण देश में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक तालुक अथवा हरेक ब्लाक में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए । अतः मैं राज्य मंत्री और केबिनेट के मन्त्रीजी से भी निवेदन करता हूं कि वे तमिलनाडु के मामले की जांच करवायें । इस विषय में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं । हम आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से आगे बढ़ रहे हैं । तमिलनाडु में लक्ष्य से ज्यादा काम हो रहा है क्योंकि लगभग सभी अधिकारी और वहां के लोग जन्मदर नियंत्रण के पक्ष में हैं । इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप उन राज्यों को प्रोत्साहन दीजिए जो इस कार्य में पूरी दिलचस्पी से रहे हैं । मैं अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को तुरन्त किया जाना चाहिए ।

श्री जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : मुझे प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अपनी अनुदानों की मांगों पर मंजूरी लेने के लिए इस सदन के समक्ष आया है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मंत्रालय है । जैसा कि आप जानते ही हैं इलाज से परहेज अच्छा है, मेरे विचार से मंत्रालय का भी यही रवैया होना चाहिए ।

अभी-अभी तमिलनाडु के मेरे माननीय मित्र ने परिवार नियोजन के बारे में कहा था और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा प्रोत्साहन देने के बारे में कहा । यह स्वाभाविक ही है मेरे अन्य मित्र अपने राज्य, बिहार का उल्लेख कर रहे थे । मैं नहीं समझता क्या हमारे यहां कोई ऐसा राज्य या क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या अधिक न हो रही हो । मुझे संदेह है कि केन्द्र अथवा राज्यों में कोई भी ऐसी सरकार है जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को गम्भीरता से लेने की हिम्मत और दृढ़ संकल्प हो । उपदेश देना तो ठीक है । परन्तु अगर हम इस कार्यक्रम को शुरू करें तो हमारी विश्वसनीयता ज्यादा हो जाएगी । मैं एक व्यावहारिक सुझाव दे रहा हूं । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे गम्भीरता से लेंगे । हम लोग जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं और जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया है, यह ठीक है परन्तु हममें से जिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है उन्हें कायर नहीं होना चाहिए । सबसे पहले हमें ही परिवार नियोजन अपनाना चाहिए ।

मेरे मित्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरगंज अस्पताल आदि के बारे में बता रहे थे । मैंने अस्पतालों में देखा है कि यह व्यवसायिक ईर्ष्या होती है जिससे हमेशा ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं । जहां पर पवित्रता की आवश्यकता होती है, वहां पर वह बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती । उच्चतम शिक्षा और विशेषज्ञता होने पर भी यह इतना अच्छा व्यवसाय व्यावसायिक ईर्ष्या की वजह से बदनाम हो गया है और अस्पतालों को बहुत सी दिक्कतें हैं । एक डाक्टर दूसरे डाक्टर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा । इस तरह का रवैया समाप्त होना चाहिए । मैं अपने मित्रों और मंत्री जी को बताना चाहूंगा **.....कि डाक्टरों के दिमाग में अहं की भावना है । चिकित्सा शिक्षा बहुत ही खर्चीली होती है । यहां तक कि अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति भी इस शिक्षा को प्राप्त करने में दिक्कत महसूस करते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य गैलरी की ओर देखकर कुछ न कहें ।

श्री जाफर शरीफ : मैं उन्हें सम्बोधित नहीं कर रहा हूं । मैं सिर्फ इस बात का उल्लेख कर रहा हूं । मैं तो सिर्फ चिकित्सकों के अनुभवों को बता रहा हूं । यह मंहगी पढ़ाई है । क्या किसी भी मायने में वे किसी से कम हैं । यह बहुत ही कठिन पढ़ाई है । अत: जब ये लोग पारंगत हो जाते हैं तो विशेष निर्देश लिखवाते हैं उन्हें यह इन लोगों की भावना है । हमें तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए । बहुत से चिकित्सक यहां पर रोजगार के अभाव में विदेशों में जाते हैं और ज्यादा पैसा कमाने के लिए भी जाते हैं । लेकिन ऐसे भी चिकित्सक हैं जो देश को और देशवासियों

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

को प्यार करते हैं और यद्यपि बाहर उन्हें ज्यादा धन मिल सकता है पर वे उसका त्याग करते हैं और यहीं रहकर लोगों की सेवा करते हैं। मेरे विचार से सरकार को हम लोगों की तकलीफों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। विशेष रूप से मैं कहूंगा कि हमें इस चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में कार्यरत आया और नर्सों की तकलीफों को जानना चाहिए जोकि दिन रात काम करके लोगों की सेवा करती हैं। हमें इन वर्गों के लोगों का ध्यान रखना चाहिये। अस्पताल की पवित्रता को बनाये रखने के लिए ये लोग छोटे से छोटा कार्य भी करती हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि चिकित्सकों को सुविधाऐं मिलें ताकि वे विदेशों की तरफ आकृष्ट न हों। मैं वास्तव में बहुत ही दुखी हुआ जब कि मेरे मित्र कह रहे थे कि चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें आवश्यक सुविधाऐं नहीं मिलती हैं यहां तक कि आवास की सुविधा भी नहीं मिलती। एक दिन जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया तो गांव वाले मुझे वह स्थान दिखाना चाहते थे जहां चिकित्सक को ठहराया गया था और गांव वालों ने यह कार्य बड़े गर्व के साथ किया था। मैंने सोचा कि मेरे लिए यह बहुत ही अच्छी बात है, इससे उनका उत्साह भी बढ़ेगा। गौशाला में छोटा सा कमरा था। मैं उस स्थान को देखकर चकित रह गया। इसके बाद मुझे आम सभा में वहां के नेताओं की आलोचना करनी पड़ी एक चिकित्सक को इस तरह के स्थान में ठहरने की आशा वे कैसे कर सकते हैं और कहा कि यह उस चिकित्सक की महानता थी वह वहां रहा और लोगों की सेवा करने के लिए निरन्तर कार्य करता रहा। इसके बाद इन लोगों ने उस चिकित्सक का आवास बदलने का वायदा किया। यह हालत है। ना तो लोग ही महसूस करते हैं और न ही सरकार इस बारे में कुछ करती है।

प्रधान मन्त्री जी ने महिलाओं और युवकों के कल्याण के लिए काफी कार्य करने पर जोर दिया है। युवकों की ओर ध्यान देने और भविष्य की चिन्ता के लिए मैं प्रधान मन्त्री जी को बधाई दूंगा। अगर यहां पर मैं मद्यनिषेध के बारे में कहूं, तो मुझे नहीं मालूम सदस्यगण मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परन्तु अब समय आ गया है। जब हमें इस समस्या पर गम्भीर रूप से सोचना है। परन्तु हम संसाधनों के बारे में चिन्तित हैं। उत्पादन शुल्क राज्यों तथा केन्द्र दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। अत: हम एल्कोहल, ताड़ी के केन्द्र खोलने की इजाजत देते रहते हैं बिना यह सोचे समझे कि शराब कौन लोग पीते हैं– क्या क्या यह किसान है, औद्योगिक श्रमिक है, या फिर झुग्गी में रहने वाला कोई व्यक्ति अथवा अमीर आदमी है जो इसे खरीद सकता है। इसके लिए कोई मापदण्ड नहीं बनाया गया है। जब हम उनकी आलोचना करते है तो वे बिगड़ जाते हैं और अवैध रूप से शराब बेचते हैं। मैं प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जब वे महिलाओं और युवकों के कल्याण के बारे में सोचते हैं तो उन्हे गम्भीरता से उन तरीकों का भी पता लगाना चाहिए ताकि लोग विशेष रूप में गरीब व्यक्ति इस ताड़ी अथवा शराब को इस्तेमाल न करें। अगर उन्हें इसकी लत पड़ी है तो इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि क्या उन्हें कम कीमत पर कुछ दिलाया जा सकता है।

दूसरे अगर पूर्ण मद्य-निषेध के लिए सरकार की दृढ़ इच्छा है तो इससे अच्छी और कोई

बात नहीं है। मेरे विचार से हम एक नए युग में जा रहे होंगे चाहे कोई भी व्यक्ति इस बात पर हमारी हंसी ही क्यों न उड़ाए।

एक और बात यह है कि हमारे देश में नशीली दवाईयों का सेवन एक आम बीमारी हो गई है। कुछ मनोवैज्ञानिकों, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम समस्या को सुलझायेंगे नहीं तो हमारी भावी पीढ़ी को इससे बहुत ज्यादा नुक्सान होने की सम्भावना है। सरकार इस बारे में गम्भीर नहीं है। पता नहीं हमारे लोगों में क्या बुराई घर कर गई है। अच्छे-अच्छे परिवार, मध्यम वर्ग के लोग और उच्च मध्यमवर्गीय लोग तथा हमारा सम्पूर्ण विद्यार्थी समुदाय इससे बुरी तरह प्रभावित है और हमें इसकी कोई चिन्ता ही नहीं है। मेरे विचार से यह अच्छी बात होगी अगर सरकार बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पर जुर्माना करने या सजा देने का कानून बनाए। यह अच्छा भी होगा और हम भी भावी पीढ़ी को बचाने में समर्थ हो सकेंगे। (व्यवधान)

चूंकि आप घण्टी बजा रहे हैं, अतः मैं स्वास्थ्य मन्त्रालय से एक बात के बारे में निवेदन करूंगा। मुझे याद है जब मैं स्वास्थ्य मन्त्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य था उस समय श्री खाडिलकर स्वास्थ्य मन्त्री थे। तब हमने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली तथा पी०जी०आई० चण्डीगढ़ की प्रणाली पर ही प्रादेशिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग की थी। दक्षिण में एक भी केन्द्र नहीं है। आप कह सकते हैं कि पांडिचेरी में एक है पर वह उपनिवेशीय काल में स्थापित किया गया था। इस सरकार ने उसे भी स्थापित नहीं किया था। इसके बाद निर्णय लिया गया कि जलवायु के हिसाब से बंगलौर सबसे उपयुक्त स्थान है और कर्नाटक सरकार ने इस कार्य के लिए सभी सुविधाएं प्रदान कीं। मैं समझता हूं कि दो केन्द्रों का होना, एक चण्डीगढ़ में और दिल्ली में इतनी कम दूरी पर दो केन्द्रों का होना और उन स्थानों की उपेक्षा कर देना जहां पर निर्धन व्यक्ति गैर-सरकारी संस्थानों में इलाज करवाने में समर्थ नहीं है भारत सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। अतः मेरा निवेदन है कि दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा पी०जी० आई, चण्डीगढ़ के तरीकों पर ही चिकित्सा विज्ञान का प्रादेशिक संस्थान बंगलौर में भी खोला जाना चाहिए ताकि यह सम्पूर्ण दक्षिण भारत के लिए कार्य कर सके।

दूसरी बात है, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं मेरे मित्र श्री शिवराज पाटिल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी यहां पर बैठे हुए हैं। मेरे विचार से जल्दी से जल्दी निदान करने तथा उसका इलाज करने के जो कुछ भी उपकरण दुनियां में कहीं भी उपलब्ध हों, लोगों का जीवन बचाने के लिए हमें उपयोग में लाने चाहिए। तीसरी बात है, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे प्रचार माध्यमों का उपयोग करें, दूरदर्शन का उपयोग करें। हम दूरदर्शन प्रसारण का विस्तार कर सकते हैं और लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। व्यापक प्रचार माध्यम के बारे में कहूं तो मैं नहीं जानता कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस बारे में श्रम मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण विभाग मंत्रालय से इस मामले पर बात-चीत करेगा। जो फिल्में हम बना रहे हैं उनसे क्या भावना उत्पन्न होती है? हमें देखना यह है कि सभी प्रचार माध्यम हमारे लोगों को कई तरह से शिक्षित करें जिससे जनसंख्या

वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके, स्वास्थ्य बनाये रखा जाये, पोषक आहार दें, पर्यावरण ठीक रहे और प्रदूषण न हो या कोई और भी अन्य की जायें जिनकी आवश्यकता है। विशेष रूप में मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे मिलावट तथा नकली दवाइयों और निम्न स्तर की औषधियों के बारे में बताएँ। मैं समझता हूं कि मंत्रालय स्वयं ही इन प्रश्नों को देखेगा। और केन्द्र और राज्य सरकारों को सीमा में वह बंध कर न रहे। यह देखना राज्यों और केन्द्र संयुक्त दायित्व उत्तरदायित्व है कि भारत सरकार के लोग विश्व के अन्य लोगों की भांति स्वस्थ हों तथा अधिक अच्छी स्थिति में हों।

6.00 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 16 अप्रैल, 1985, 26 चैत्र 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : स्टील स्लेट मैन्यूफैक्चरिंग (प्रेस विभाग) दिल्ली।